


# भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

वाणिज्यिक
उत्तर प्रदेश सरकार

# भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का
# प्रतिवेदन

## 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

## वाणिज्यिक
## उत्तर प्रदेश सरकार

# विषय–सूची


| | विवरण | सन्दर्भ | |
|---|---|---|---|
| | | प्रस्तर | पृष्ठ संख्या |
| | प्राक्कथन | | v |
| | विहंगावलोकन | | vii - xi |
| | **अध्याय–I** | | |
| | **सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन** | | |
| | प्रस्तावना | 1.1 | 1 |
| | कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) | 1.2 - 1.14 | 1-7 |
| | ऊर्जा क्षेत्र में सुधार | 1.15 - 1.16 | 7-8 |
| | अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) | 1.17 - 1.22 | 8-9 |
| | सांविधिक निगमों की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति | 1.23 | 9-10 |
| | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना | 1.24 | 10-11 |
| | भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा पीएसयू के लेखों पर लेखा परीक्षा के परिणाम | 1.25 - 1.30 | 11-14 |
| | लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर वसूलियॉं | 1.31 | 14 |
| | आंतरिक लेखा परीक्षा/आंतरिक नियंत्रण | 1.32 | 14-15 |
| | सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति | 1.33 | 15 |
| | 619–बी कम्पनियॉं | 1.34 | 16 |
| | **अध्याय–II** | | |
| | **सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षाएं** | 2 | |
| | **दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम में गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों का समापन** | 2.1 | 17 |
| | मुख्य अंश | -- | |
| | प्रस्तावना | 2.1.1 | 17-18 |
| | लेखा परीक्षा का क्षेत्र | 2.1.2 | 18 |
| | लेखा परीक्षा के उद्देश्य | 2.1.3 | 19 |
| | लेखा परीक्षा की कसौटी | 2.1.4 | 19 |
| | लेखा परीक्षा प्रक्रिया | 2.1.5 | 19 |
| | लेखा परीक्षा प्रेक्षण | 2.1.6 | 20 |
| | गैर निष्पादक परिसम्पत्तियॉं – स्थिति एवं कारण | 2.1.7-2.1.9 | 20-21 |
| | वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणामों पर एनपीएज का प्रभाव | 2.1.10 | 21-22 |
| | गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों का समापन | 2.1.11 | 22 |
| | ऋणी के साथ अनुसरण | 2.1.12 | 22 |
| | ऋणी के साथ एक मुश्त समाधान | 2.1.13-2.1.20 | 23-27 |
| | बंधक सम्पत्तियों का विक्रय | 2.1.21-2.1.22 | 27-28 |
| | वसूली प्रमाण पत्रों का निर्गमन | 2.1.23 | 29 |
| | आंतरिक नियंत्रण | 2.1.24 | 29-30 |
| | अभिस्वीकृति | 2.1.25 | 30 |
| | निष्कर्ष | -- | 30 |
| | संस्तुतियॉं | -- | 30 |
| | **उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा निविदा कार्यों का अर्जन एवं निष्पादन** | 2.2 | |
| | मुख्य अंश | -- | |
| | प्रस्तावना | 2.2.1 | 31-32 |
| | लेखा परीक्षा का क्षेत्र | 2.2.2 | 32 |
| | लेखा परीक्षा के उद्देश्य | 2.2.3 | 32-33 |
| | लेखा परीक्षा की कसौटी | 2.2.4 | 33 |
| | लेखा परीक्षा प्रक्रिया | 2.2.5 | 33 |
| | लेखा परीक्षा प्रेक्षण | 2.2.6 | 33 |
| | कार्यों के लिये योजना व बोली लगाना | 2.2.7-2.2.10 | 34-36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **अध्याय–II** | | |
| | निविदा कार्यों का अर्जन | 2.2.11 | 36 |
| | निविदा कार्यों का निष्पादन | 2.2.12-2.2.13 | 36-38 |
| | कार्यों के निष्पादन में अन्य त्रुटियॉं | 2.2.14-2.2.19 | 38-41 |
| | अनुबन्धों का निरस्तीकरण | 2.2.20-2.2.23 | 41-44 |
| | आन्तरिक नियंत्रण तथा आन्तरिक लेखा परीक्षा | 2.2.24-2.2.25 | 44-45 |
| | अभिस्वीकृति | 2.2.26 | 45 |
| | निष्कर्ष | -- | 45 |
| | संस्तुतियॉं | -- | 45-46 |
| | **पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी में ऊर्जा हानियॉं एवं उनका निवारण** | 2.3 | |
| | मुख्य अंश | -- | |
| | प्रस्तावना | 2.3.1 | 47-48 |
| | लेखा परीक्षा का क्षेत्र | 2.3.2 | 48 |
| | लेखा परीक्षा के उद्देश्य | 2.3.3 | 48-49 |
| | लेखा परीक्षा की कसौटी | 2.3.4 | 49 |
| | लेखा परीक्षा प्रक्रिया | 2.3.5 | 49 |
| | लेखा परीक्षा प्रेक्षण | 2.3.6-2.3.22 | 49-59 |
| | अभिस्वीकृति | 2.3.23 | 59 |
| | निष्कर्ष | -- | 59 |
| | संस्तुतियॉं | -- | 59-60 |
| | **पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ में राजस्व बिलिंग के लिये सूचना प्रौद्योगिकी सहायता प्रणाली** | 2.4 | |
| | मुख्य अंश | -- | |
| | प्रस्तावना | 2.4.1-2.4.2 | 61-62 |
| | संगठनात्मक ढॉंचा | 2.4.3 | 62 |
| | लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र | 2.4.4 | 62 |
| | लेखा परीक्षा के उद्देश्य | 2.4.5 | 62-63 |
| | लेखा परीक्षा की कसौटी | 2.4.6 | 63 |
| | लेखा परीक्षा प्रक्रिया | 2.4.7 | 63 |
| | लेखा परीक्षा सीमायें | 2.4.8 | 63 |
| | लेखा परीक्षा प्रेक्षण | 2.4.9-2.4.24 | 63-73 |
| | निष्कर्ष | -- | 73-74 |
| | संस्तुतियॉं | -- | 74 |
| | **अध्याय–III** | | |
| | **व्यवहारिक लेखा परीक्षा प्रेक्षण** | 3 | 75 |
| | **सरकारी कम्पनियॉं** | | |
| | **उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड** | | |
| | आवासीय भूखण्डों का कम दर पर आवंटन करने के कारण हानि | 3.1 | 75-76 |
| | अवरूद्ध निधि पर ब्याज की हानि | 3.2 | 76 |
| | निधि की अवरूद्धता पर ब्याज की हानि | 3.3 | 76-77 |
| | कम दरों पर भूखण्डों का अनियमित आबंटन | 3.4 | 77-78 |
| | भूखण्डों के अनियमित आवंटन के कारण हानि | 3.5 | 78-79 |
| | **उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड** | | |
| | प्राक्कलित लागत से कम पर निक्षेप कार्य को स्वीकृत किये जाने से हानि | 3.6 | 79 |
| | **उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड** | | |
| | विद्युत पर परिहार्य व्यय | 3.7 | 80 |
| | **उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड** | | |
| | अव्यावहारिक इकाई के आधुनिकीकरण पर अलाभकारी व्यय | 3.8 | 81-82 |
| | **उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड** | | |
| | मक्का चक्की संयन्त्र पर हानि | 3.9 | 82-83 |

| | अध्याय–III | | |
|---|---|---|---|
| | **विद्युत वितरण कम्पनियाँ** | | |
| | **पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड** | | |
| | दाण्डिक प्रभारों का अनारोपण | 3.10 | 83-84 |
| | उपभोक्ता को अनुचित लाभ | 3.11 | 84-85 |
| | टैरिफ का गलत प्रयोग | 3.12 | 85 |
| | उपभोक्ता को अनुचित लाभ | 3.13 | 86-87 |
| | विद्युत के अनाधिकृत उपयोग पर अल्प निर्धारण | 3.14 | 87 |
| | **मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड** | | |
| | शण्ट कैपेसिटर अधिभार के अनारोपण/अल्प–प्रभारण के कारण राजस्व हानि | 3.15 | 87-88 |
| | त्रुटिपूर्ण मीटर के सुधार में देरी से हानि | 3.16 | 89-90 |
| | टैरिफ के गलत प्रयोग से राजस्व हानि | 3.17 | 90 |
| | टैरिफ के गलत प्रयोग से अल्प प्रभारण | 3.18 | 90-91 |
| | **पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड** | | |
| | विद्युत आपूर्ति के विच्छेदन में देरी से राजस्व हानि | 3.19 | 91-92 |
| | अनियमित भार गुणांक छूट | 3.20 | 92-93 |
| | विद्युत की चोरी एवं अनाधिकृत उपयोग के लिये अल्प निर्धारण | 3.21 | 93-94 |
| | समुचित सुरक्षा उपाय अपनाने में विफलता से हानि | 3.22 | 94-95 |
| | **कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड** | | |
| | परिवर्तन गुणांक के गलत प्रयोग से अल्प प्रभारण | 3.23 | 95 |
| | **उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड** | | |
| | हल्के डीजल तेल के खरीद पर कम छूट प्राप्ति से हानि | 3.24 | 95-96 |
| | **सांविधिक निगम** | | |
| | **उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद** | | |
| | अनियमित व्यय | 3.25 | 96-97 |
| | परिहार्य अतिरिक्त व्यय | 3.26 | 97-98 |
| | **उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम** | | |
| | ब्याज का परिहार्य भुगतान | 3.27 | 98 |
| | **उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम** | | |
| | कर्मचारी भविष्य निधि विलम्बित जमा पर परिहार्य भुगतान | 3.28 | 99 |
| | **सामान्य** | | |
| | **उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी सहायता प्रणाली** | 3.29 | 99-105 |
| | लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही | 3.30-3.32 | 106 |
| | निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट प्रस्तरों एवं समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया | 3.33 | 106-107 |
| | **परिशिष्ट** | **सन्दर्भ** | |
| **क्रम** | **विवरण** | **प्रस्तर** | **पृष्ठ संख्या** |
| 1 | सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2008 को अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बजट बर्हिगमन, बजट से प्राप्त ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाती विवरणी | 1.4, 1.5, 1.6 एवं 1.19 | 109-116 |
| 2 | सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अन्तिम रूप दे दिया गया, के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाती विवरणी | 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.21 एवं 1.22 | 117-125 |
| 3 | वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, देयों की माफी, ऋण जिन पर विलम्बन अनुमन्य किया गया और ऋण का अंशपूँजी में परिवर्तन एवम् मार्च 2008 की समाप्ति पर प्राप्य उपदान तथा बकाया प्रत्याभूतियों को दर्शाती हुई विवरणी | 1.6 एवं 1.19 | 126-127 |
| 4 | सरकार द्वारा समता अंशपूँजी, ऋण, अनुदान/उपादान के रूप में उन कार्यशील सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों में किया गया निवेश जिनके लेखों का अन्तमीकृत नहीं हुआ है। | 1.7 | 128 |
| 5 | सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी | 1.8 | 129-131 |
| 6 | सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी | 1.8 | 132-134 |
| 7 | सांविधिक निगमों के परिचालनात्मक उपलब्धियों को दर्शाती विवरणी | 1.13 | 135-136 |
| 8 | आंतरिक लेखा परीक्षण/आंतरिक नियन्त्रण पर टिप्पणियों को दर्शाती विवरणी | 1.32 | 137 |
| 9 | अद्यतन अन्तमीकृत लेखों के अनुसार 619–बी के अन्तर्गत कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी, निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी | 1.34 | 138 |

| | परिशिष्ट | सन्दर्भ | |
|---|---|---|---|
| क्रम | विवरण | प्रस्तर | पृष्ठ संख्या |
| 10 | श्रेणीवार गैर निष्पादनीय सम्पत्तियॉं | 2.1.8 | 139 |
| 11 | 2006–07 तक के पॉंच वर्षों का वसूली निष्पादन | 2.1.12 | 140 |
| 12 | ऋणदाताओं से देयो की वसूली हेतु किये गये अनुसरण की कमियों के प्रकरण | 2.1.12 | 141-143 |
| 13 | वर्ष 2002–07 के दौरान एकमुश्त समाधान के द्वारा अनिष्पादित सम्पत्तियों के समापन की स्थिति | 2.1.13 | 144 |
| 14 | इकाइयों का विवरण जिनके ओटीएस हेतु बंधक प्रतिभूति तथा शुद्ध मूल्य का सही मूल्यांकन नही किया गया | 2.1.15 | 145-148 |
| 15 | इकाइयों का विवरण जिनके सम्बन्ध में एक मुश्त समाधान सही नही किया गया | 2.1.16 | 149-150 |
| 16 | 2003–04 से 2007–08 की अवधि के दौरान पूर्ण/चालू निविदा कार्यों का विवरण | 2.2.12 | 151 |
| 17 | मूल लागत की वसूली न हो पाने वाले मामले | 2.2.12 | 152 |
| 18 | दोषपूर्ण मीटरो के गलत निर्धारण के विवरण को दर्शाती विवरणी | 2.4.19 | 153 |
| 19 | अल्प शक्ति गुणांक के प्रकरणों में चेतावनी प्रणाली की अनुपस्थिति को दर्शाती विवरणी | 2.4.20 | 154 |
| 20 | स्वीकृत भार के अनुरूप ऊर्जा उपभोग से ज्यादा उपभोग के पहचान न होने वाले प्रकरणों के विवरण को दर्शाती विवरणी | 2.4.21 | 155 |
| 21 | बिल निर्माण हेतु दावों का गलत मापन के विवरण को दर्शाती विवरणी | 2.4.24 | 156 |
| 22 | प्रस्तर/समीक्षा जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे, को दर्शाती विवरणी | 3.30 | 157 |
| 23 | भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निरन्तर अनियमितताओं को दर्शाती विवरणी | 3.32 | 158-161 |
| 24 | भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सरकारी निगमों से सम्बन्धित निरन्तर अनियमितताओं को दर्शाती विवरणी | 3.32 | 162-163 |
| 25 | विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाती विवरणी | 3.33 | 164 |
| 26 | विभागवार प्रस्तरों/समीक्षाओं, जिनके उत्तर प्रतीक्षित थे, को दर्शाती विवरणी | 3.33 | 165 |

# प्राक्कथन

सरकारी वाणिज्यिक संस्थान, जिनके लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, निम्न श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(i) सरकारी कम्पनियॉं,

(ii) सांविधिक निगम, एवं

(iii) विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

2. इस प्रतिवदेन में सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा के परिणामों की चर्चा की गई है। इसे समय–समय पर यथा संशोधित नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है। आठ विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा परिणामों को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित किया गया है।

3. सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है।

4. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और उत्तर प्रदेश जल निगम, जो सांविधिक निगम हैं, के सम्बन्ध में सीएजी एकमात्र लेखा परीक्षक हैं। राज्य वित्तीय निगम (संशोधित) अधिनियम, 2000 के अनुसार, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बन्ध में सीएजी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षकों की सूची में से नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा सम्पन्न की गई लेखा परीक्षा के साथ–साथ उनके लेखों की लेखा परीक्षा सम्पन्न करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के सम्बन्ध में सीएजी को, उसके परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा सम्पन्न की गई लेखा परीक्षा के साथ–साथ उनके लेखों की लेखा परीक्षा सम्पन्न करने का अधिकार है। यू.पी. सरकारी कर्मचारी कल्याण निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम की लेखा परीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के सम्बन्ध में भी सीएजी एकमात्र लेखा परीक्षक है। इन समस्त निगमों/आयोग के वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को अलग से अग्रसारित किये जाते हैं।

5. इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लिखित हैं जो वर्ष 2007–2008 के दौरान की गई लेखा परीक्षा में संज्ञान में आये तथा वे भी जो पहले ही जानकारी में आ गये थे परन्तु जिनकी चर्चा पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में नहीं की गई थी। 2007–2008 के बाद की अवधि के मामलों को भी यथा आवश्यकता सम्मिलित किया गया है।

6. इस प्रतिवेदन में सम्मिलित सामग्री के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा सीएजी द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानको के अनुरूप की गई हैं।

## विहंगावलोकन

### 1. सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों पर विहंगावलोकन

- 31 मार्च 2008 को राज्य में, 88 सरकारी कम्पनियों तथा सात सांविधिक निगमों को सम्मिलित करते हुये, 95 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) थे। 31 मार्च 2007 को सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की संख्या समान थी। 95 पीएसयू, में से 55 पीएसयू (48 सरकारी कम्पनियॉ तथा सात सांविधिक निगम) कार्यरत पीएसयू थे। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2008 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619बी के अन्तर्गत चार कम्पनियॉ (एक कार्यरत एवं तीन अकार्यरत) थीं।

*(प्रस्तर 1.1 एवं 1.34)*

- कार्यरत पीएसयू में कुल निवेश 31 मार्च 2007 के 28,353.37 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2008 को 28,486.95 करोड़ रुपये हो गया।

*(प्रस्तर 1.2)*

- कार्यरत पीएसयू को वितरित की गई पूंजी, ऋण तथा अनुदानों/उपदानों के रूप में बजट सहायता, 2006–07 के 701.97 करोड़ रुपये से बढ़कर 2007–08 में 812.34 करोड़ रुपये हो गयी। राज्य सरकार ने 2007–08 के दौरान पांच कार्यरत कम्पनियों तथा एक सांविधिक निगम द्वारा प्राप्त किये गये 455.30 करोड़ रुपये के ऋणों की प्रत्याभूति दी। पांच कार्यरत कम्पनियों एवं तीन सांविधिक निगमों के विरूद्ध बकाया प्रत्याभूति की कुल राशि 31 मार्च 2008 को 322.80 करोड़ रुपये थी।

*(प्रस्तर 1.6)*

- मात्र पांच कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा एक सांविधिक निगम ने वर्ष 2007–08 के अपने लेखे निर्धारित समय सीमा में अन्तिमीकृत किये। 43 कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा छह कार्यरत सांविधिक निगमों के लेखे 30 सितम्बर 2008 को एक वर्ष से 14 वर्ष की अवधि के लिये बकाया थे। 40 अकार्यरत कम्पनियों में से 12 कम्पनियॉ परिसमापनाधीन थी। शेष 28 अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के लेखे, 30 सितम्बर 2008 को, एक वर्ष से 26 वर्ष की अवधि के लिये बकाया थे।

*(प्रस्तर 1.7 एवं 1.21)*

- अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार, 30 कार्यरत पीएसयू (24 सरकारी कम्पनियॉ तथा छह सांविधिक निगम) ने कुल 551.19 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। इसके विरूद्ध, 25 कार्यरत पीएसयू (24 सरकारी कम्पनियॉ तथा एक सांविधिक निगम) ने अपने अद्यतन लेखों के अनुसार कुल 2,803.83 करोड़ रुपये की हानि उठाई। 24 हानि उठाने वाली सरकारी कम्पनियों में से, 19 कम्पनियों की संचित हानियां कुल 11,083.95 करोड़ रुपये थी जो उनकी 6,275.28 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गई थी।

*(प्रस्तर 1.8 एवं 1.10)*

### 2. सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षायें

इस प्रतिवेदन में दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (पिकप) तथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यूपीएफसी) में गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों का समापन, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा निविदा कार्यों

का अर्जन एवं निष्पादन, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी में ऊर्जा हानियां एवं उनका निवारण तथा पष्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ में राजस्व बिलिंग के लिये सूचना प्रौद्योगिकी सहायता प्रणाली से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षायें सम्मिलित की गयी हैं। प्रमुख प्रेक्षणों में से कुछ निम्नवत् हैं:

**दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम में गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों का समापन**

उत्तर प्रदेष राज्य में मध्यम एवं वृहद स्तर के औद्योगिक उपक्रमों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करने के लिये पिकप का गठन हुआ। यूपीएफसी का गठन लद्यु एवं मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयों को ऋण सहायता प्रदान करने के उद्देष्य से किया गया। समीक्षा की अवधि में दोनों संगठनों (पिकप तथा यूपीएफसी) में गैर निष्पादक सम्पत्तियॉ पूर्णतया भयप्रद करने वाली थी जिसने उनकी वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणामों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। निष्पादन लेखा परीक्षा में ऋणियों/जमानतदाताओं का अनुसरण करने में पायी गई कमियों जिससे ऋणों की वसूली विपरीत रूप से प्रभावित हुई, को प्रकट किया। संज्ञान में आयी कुछ महत्वपूर्ण कमियॉ नीचे दी गई हैं:

- 2002–07 की अवधि के दौरान यूपीएफसी में एनपीएज 462.52 करोड़ रुपये से 637.50 करोड़ रुपये (कुल ऋण एवं अग्रिम का 67.03 प्रतिषत से 90.24 प्रतिषत) के बीच विस्तारित थी तथा पिकप में एनपीएज 304.88 करोड़ रुपये से 375.71 करोड़ रुपये (कुल ऋण एवं अग्रिम का 72.67 प्रतिषत से 93.71 प्रतिषत) के बीच विस्तारित थी। एनपीएज के उच्च स्तर ने यूपीएफसी एवं पिकप की वित्तीय स्थिति पर विपरीत प्रभाव डाले।

- अनुसरण की कमी साथ ही साथ कब्जा लेने एवं आरसीज जारी करने में देरी ने यूपीएफसी के 60.60 करोड़ रुपये तथा पिकप के 112.02 करोड़ रुपये के बकाया देयकों की वसूली को कुप्रभावित किया।

- बन्धक परिसम्पतियों के मूल्य से कम पर एक मुष्त समाधान अनुमोदित करने से यूपीएफसी को 14.15 करोड़ रुपये की हानि हुई।

- ऋणियों/जमानतदाताओं की बन्धक प्रतिभूति तथा शुद्ध मूल्य के त्रुटिपूर्ण मूल्यॉकन के परिणामस्वरूप यूपीएफसी एवं पिकप को क्रमषः 3.54 करोड़ रुपये तथा 27.16 करोड़ रुपये की हानि हुई।

- यूपीएफसी एवं पिकप ने अपात्र ऋणियों के साथ एक मुष्त समाधान में क्रमषः 7.46 करोड़ रुपये तथा 14.23 करोड़ रुपये की बकाया राषि अधित्याग कर दी।

***(अध्याय–2.1)***

**उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा निविदा कार्यों का अर्जन एवं निष्पादन**

उत्तर प्रदेष राज्य सेतु निगम लिमिटेड का गठन सभी प्रकार के सेतुओं तथा पहुँच मार्गों का निर्माण, विकास एवं अनुरक्षण करने, परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऋण प्राप्त करने तथा सिविल, यांत्रिक व विद्युतीय कार्यों को करने के उद्देष्य से किया गया। निविदा कार्यों के लिये तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के नियोजन एवं तैयारी के संबंध में कम्पनी का निष्पादन दोषपूर्ण था। प्राक्कलित लागत से कम दरें उद्धत करने के प्रकरण पाये गये जिससे कार्यों में हानि हुई। संज्ञान में आयी कुछ महत्वपूर्ण कमियॉ नीचे दी गयी हैं:

- 31 मार्च 2008 तक पॉच वर्षों में पूर्ण किये गये 27 कार्यों में से 21 कार्यों में (ग्राहक द्वारा निरस्त किये गये तीन कार्यों को सम्मिलित करते हुए), कम्पनी को 54.42 करोड़ रुपये की हानि वहन करनी पड़ी।

- कम्पनी तीन अनुबन्ध कार्यों का निष्पादन कुषलता/समय से करने में विफल रही और ये अनुबन्ध ग्राहक द्वारा निरस्त कर दिये गये। कम्पनी को इन अनुबन्धों पर 19.37 करोड़ रुपये की हानि हुई।

- पॉच अनुबन्धों में कम्पनी निविदा के समय सही मात्रा बिल के निर्धारण में असफल रही तथा 16.89 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

- कम्पनी नौ अनुबन्ध कार्यों में मूल लागत की वसूली नहीं कर सकी तथा मूल लागत की वसूली में 13.10 करोड़ रुपये की कमी रही।

*(अध्याय–2.2)*

## पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी में ऊर्जा हानियॉ एवं उनका निवारण

कम्पनी का गठन 1 मई 2003 को उत्तर प्रदेष पावर कारपोरेषन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) लखनऊ की सहायक कम्पनी के रूप में हुआ और इसे उत्तर प्रदेष के 21 पूर्वी जिलों को विद्युत वितरण हेतु लाइसेंस प्राप्त हैं। कम्पनी, अपर्याप्त परिवर्तक क्षमता, ऊर्जा बचाने के उपकरणों जैसे सब स्टेषनों पर कैपिसिटर बैंक एवं उपभोक्ताओं के यहाँ शंट कैपिसिटर की स्थापना नही करने के कारण होने वाली ऊर्जा हानियों को रोकने में असफल रही। संज्ञान में आयी कुछ महत्वपूर्ण कमियॉ नीचे दी गई हैं:

- वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक के चार वर्ष की अवधि में कम्पनी की वितरण हानियॉ यूपीईआरसी के लक्ष्यों से 2496.867 एमयू जिनका मूल्य 617.66 करोड़ रुपये था, अधिक थीं।

- मार्च 2008 के अन्त में परिवर्तक क्षमता में उपभोक्ताओं के संयोजित भार के सापेक्ष 2566.837 एमवीए का अन्तर था जो सिस्टम को अतिभारित करने और ऊर्जा हानियों का कारण बना।

- कम्पनी 19351 संयोजनों पर शंट कैपिसिटर जो कि विभव को नियमित करता है और पावर फैक्टर को बढ़ाकर ऊर्जा हानियों को बचाता है, की स्थापना सुनिष्चित नहीं कर सकी। पुनः, 8763 उपभोक्ताओं पर कैपिसिटर स्थापित न किये जाने का अधिभार 1.54 करोड़ रुपये भी न लगा सकी।

*(अध्याय– 2.3)*

## पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ में राजस्व बिलिंग के लिये सूचना प्रौद्योगिकी सहायता प्रणाली

कम्पनी पष्चिमी उत्तर प्रदेष के 26.93 लाख उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण के कार्य में संलग्न है (अगस्त 2003)। कम्पनी ने आईटी नीति तथा सुरक्षा नीति निर्मित एंव अभिलेखित नही की है। कम्पनी ने आईटी सेवायें भुगतान के आधार पर ली जो कम्पनी के स्वंय के कर्मचारियों द्वारा प्रबोधन एवं नियंत्रण की अनुपस्थित के कारण अपेक्षित परिणाम नही दे सकी। संज्ञान में आयी कुछ महत्वपूर्ण कमियॉ नीचे दी गई हैं:

- ऊर्जा बिलिंग प्रणाली (ईबीएस) में कार्यक्रम परिवर्तन नियंत्रण कार्यविधि के अभाव के कारण कम्पनी नयी दर सूची के अनुरूप वृहद एवम् भारी ऊर्जा उपभोक्ताओं की सही बिलिंग नही कर सकी। इसके परिणामस्वरूप तीन वितरण खण्डों में 2.56 करोड़ रुपये की गलत बिलिंग हुयी। अन्य खण्डों ने बिल निर्गत करने से पूर्व त्रुटियों को मैनुअली सही किया।

- एजेन्सियों ने खराब मीटरों वाले उपभोक्ताओं की व्यवसायिक नियमों के अनुसार बिलिंग नही की। इसके परिणामतः बेची गयी यूनिट्स के सन्दर्भ में 1.89 करोड़ रुपये का अल्प निर्धारण हुआ।

- अल्प शक्ति गुणांक के प्रकरणों मे चेतावनी प्रणाली एवम् विहित कार्यवाही के अभाव में 7.21 करोड़ रुपये मूल्य की 1.92 करोड़ विद्युत यूनिट्स का क्षय हुआ।

- आईटी योग्यताओं द्वारा परिवीक्षण के अभाव के कारण उच्च दर वाले उपभोक्ताओं (एलएमवी–4 एवम् एलएमवी–2) को कम दर में बिल किया गया। इसके परिणामस्वरूप दिसम्बर 2004 से नवम्बर 2007 के मध्य 4.42 करोड़ रुपये का अल्प निर्धारण हुआ।

*(अध्याय– 2.4)*

## 3. व्यवहारिक लेखा परीक्षा प्रेक्षण

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखा परीक्षा आपत्तियॉ सार्वजनिक उप्रक्रमों के प्रबन्धन की कमियों को दर्शाती है, जिसके फलस्वरूप गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें हुई। दर्शायी गयी अनियमितताएं व्यापक रूप से निम्नलिखित प्रकृति की है:

आठ प्रकरणों में 3.86 करोड़ रुपये की राजस्व हानि के कारण थे:

- भूखण्डों का अनियमित आवंटन।
- टैरिफ का गलत प्रयोग।
- शंट कैपिसिटर सरचार्ज का न भारित/कम भारित किया जाना।
- मीटरों के सुधार तथा आपूर्ति के विच्छेदन में देरी।
- परिवर्तन गुणॉक का गलत प्रयोग।

*(प्रस्तर 3.5, 3.12, 3.15 से 3.19 तथा 3.23)*

परिहार्य, अधिक व्यय के 7.29 करोड़ रुपये के 11 दृष्टांत निम्न कारणों से थे:

- कोषों को विवेकहीनता से अवमुक्त करने के कारण ब्याज की हानि।
- जमा कार्यों को प्राक्कलित लागत से कम पर स्वीकार करना।
- ग्रिड से सस्ती विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने में असफलता।
- सुरक्षा सुनिष्चित करने में असफलता।
- अधिक छूट के लिये समझौता करने में असफलता।
- ब्याज का परिहार्य भुगतान ।
- अव्यवहार्य इकाई के आधुनिकीकरण पर अलाभकारी व्यय।
- साइनेज बोर्डों एवं सड़क पर अनियमित व्यय।
- कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान जमा करने में देरी।

*(प्रस्तर 3.2, 3.3, 3.6 से 3.8, 3.22 तथा 3.24 से 3.28)*

ठेकेदारों, उपभोक्ताओं एवं आबंटी को अनुचित लाभ पहुँचाने के 1.34 करोड़ रुपये के छः प्रकरण निम्न कारणों से थे:

- दण्ड शुल्क का अप्रभारण।
- औसत उपभोग के आधार पर उपभोक्ता की बिलिंग न करना।
- विद्युत की चोरी/अनधिकृत उपयोग हेतु कम/न्यून निर्धारण।
- अनियमित लोड फैक्टर छूट।

*(प्रस्तर 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, 3.20 तथा 3.21)*

9.85 करोड़ रुपये की राषि के अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन वाले तीन प्रकरण निम्न कारणों से थे:

- आवासीय भूखण्डों का कम दर पर आवंटन।
- कार्यषील पूंजी की व्यवस्था हेतु दोषपूर्ण नियोजन।

*(प्रस्तर 3.1, 3.4 तथा 3.9)*

महत्वपूर्ण प्रस्तरों में से कुछ के सारांष निम्नवत् है;

- **उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड** ने आबंटन तिथि पर लागू दर से कम दर आवासीय भूखण्डों का आबंटन करने के कारण 9.40 करोड़ रुपये की हानि वहन की।

*(प्रस्तर 3.1)*

- **उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड** ने उपकेन्द्र के निर्माण के लिये भूमि की उपलब्धता सुनिष्चित किये बिना यूपीपीसीएल को 1. 69 करोड़ रुपये की धनराषि अवमुक्त की जिसके फलस्वरूप 60.38 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

*(प्रस्तर 3.2)*

- **उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड** ने प्राक्कलित लागत से कम पर जमा कार्य स्वीकार किये जिसके कारण 78.66 लाख रुपये की हानि वहन की।

*(प्रस्तर 3.6)*

- **उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड** ने रामपुर चीनी मिल के आधुनिकीकरण पर 2.60 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय किया।

*(प्रस्तर 3.8)*

- **मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड** ने दोषपूर्ण मीटरों के सुधार में देरी एवं दर सूची के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता की बिलिंग न करने के कारण 73.63 लाख रुपये की हानि वहन की।

*(प्रस्तर 3.16)*

- **मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड** ने टैरिफ के गलत प्रयोग के कारण 80.74 लाख रुपये के राजस्व की हानि वहन की।

*(प्रस्तर 3.17)*

- **पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड** चेकों के बारम्बार अनादरण के बावजूद, आपूर्ति के शीघ्र विच्छेदन में असफल रही एवं 67.02 लाख रुपये की हानि वहन की।

*(प्रस्तर 3.19)*

## अध्याय–I

# सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

## 1.1 प्रस्तावना

31 मार्च 2008 को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन 88 सरकारी कम्पनियॉ (48 कार्यरत कम्पनियॉ तथा 40 अकार्यरत कम्पनियॉ[1]) तथा सात कार्यरत सांविधिक निगम थे 31 मार्च 2007 की सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की संख्या वही थी। वर्ष 2007–08 के दौरान प्राप्त सूचना के अनुसार, दो अकार्यरत कम्पनियॉ[2] संविलियन की प्रक्रिया के अन्तर्गत है एवम् 12 कम्पनियॉ परिसमापनाधीन हैं। सरकारी कम्पनियों के लेखों (जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) का लेखा परीक्षण सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। यह लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा सम्पादित की जाने वाली अनुपूरक लेखा परीक्षा के भी अधीन हैं। सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा व्यवस्थायें नीचे प्रदर्शित की गयी हैं:

| क्र. सं. | निगम का नाम | सीएजी द्वारा लेखा परीक्षा का प्राधिकार | लेखा परीक्षा व्यवस्था |
|---|---|---|---|
| 1. | उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम | सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(2) | सीएजी द्वारा एकल लेखा परीक्षा |
| 2. | उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम | राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(6) | सनदी लेखाकारों तथा सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा |
| 3. | उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम | राज्य भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31(8) | सनदी लेखाकारों तथा सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा |
| 4. | उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद | नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) | सीएजी द्वारा एकल लेखा परीक्षा |
| 5. | उत्तर प्रदेश जल निगम | नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) | |
| 6. | उत्तर प्रदेश वन निगम | नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) | सीएजी द्वारा लेखा परीक्षा[3] |
| 7. | यू पी सरकारी कर्मचारी कल्याण निगम[4] | नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) | सनदी लेखाकारों तथा सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा |

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया तथा इसकी लेखा परीक्षा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(2) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा की जाती है।

## कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

### *कार्यरत पीएसयू में निवेश*

**1.2** 31 मार्च 2008 को कुल 55 कार्यरत पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग (पीएसयू) (48 सरकारी कम्पनियॉ एवं सात सांविधिक निगम) में निवेश 28,486.95 करोड़ रुपये[5]

---

1 अकार्यरत कम्पनियॉ वह है जो कि परिसमापन/बन्दी/संविलयन की प्रक्रिया के अन्तर्गत है।

2 हैण्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (गोरखपुर और बस्ती) लिमिटेड एवं हैण्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड – उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड की सहायक इकाईयॉ।

3 यद्यपि वन कारपोरेशन का लेखा परीक्षा सीएजी के अधीन है, जनवरी 2005 तक का लेखा परीक्षा सम्पादित किया गया है जैसा कि वन निगम अधिनियम में संशोधन किया जाना अपेक्षित है। वर्तमान में कारपोरेशन की लेखा परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा की जा रही है।

4 भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, निगम के नियमों में कोई विशेष प्राविधान न होने के कारण विधायिका में प्रस्तुत नहीं की जाती है क्योंकि निगम का पंजीकरण सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हुआ है।

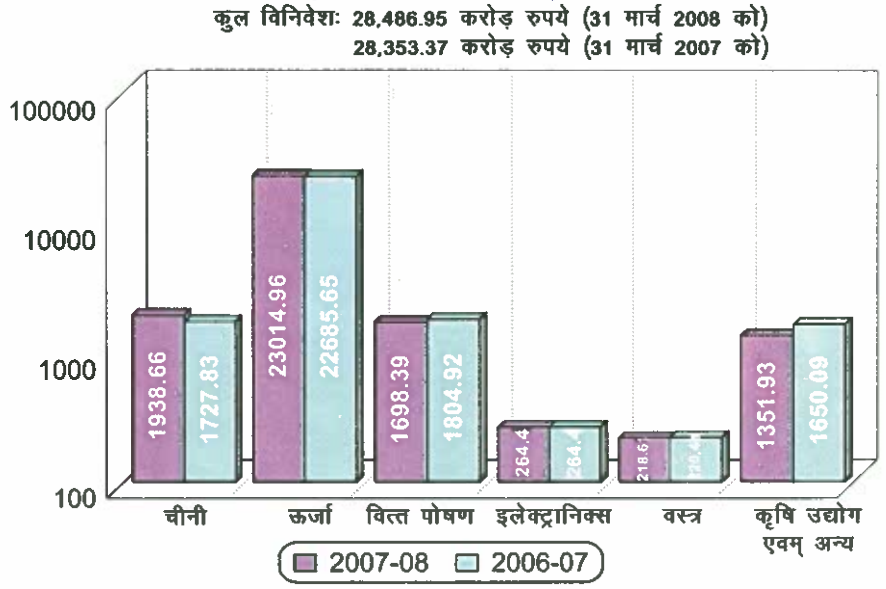
5 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश 18,536.07 करोड़ रुपये (अन्य: 9,950.88 करोड़ रुपये) था। वित्त लेखा 2007–08 के अनुसार यह 13,837.69 करोड़ रुपये है। अन्तर का समाधान किया जा रहा है।

(अंशपूँजीः 11,662.40 करोड़ रुपये, अंश आवेदन राशिः 7,723.95 करोड़ रुपये तथा दीर्घावधि ऋण[1]: 9,100.60 करोड़ रुपये) के विरुद्ध, 31 मार्च 2007 के अन्त में समान कार्यरत पीएसयू (48 सरकारी कम्पनियॉ एवं सात सांविधिक निगमों) में निवेश 28,353.77 करोड़ रुपये (अंशः 11,650.48 करोड़ रुपये, अंश आवेदन राशिः 7,714.18 करोड़ रुपये तथा दीर्घावधि ऋणः 8,988.71 करोड़ रुपये) था। कुल निवेश में बढ़ोत्तरी का कारण मुख्यतः ऊर्जा, एवम् चीनी क्षेत्रों में अंशपूँजी तथा ऋण में बढ़ोत्तरी थी। कार्यरत पीएसयू में निवेश का विश्लेषण अनुवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है।

## कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में क्षेत्रवार निवेश

**1.3** 31 मार्च 2008 तथा 31 मार्च 2007 को विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (अंशपूँजी तथा दीर्घावधि ऋण) तथा उनके प्रतिशत नीचे बार चार्ट में दिये गये हैं:

**31 मार्च 2008 एवम् 31 मार्च 2007 को कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में क्षेत्रवार निवेश**
**(राशिः करोड़ रुपये में)**




### *कार्यरत सरकारी कम्पनियॉ*

**1.4** मार्च 2008 तथा मार्च 2007 के अन्त में कार्यरत सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश निम्नलिखित थाः

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष | कार्यरत पीएसयू की संख्या | अंशपूँजी | अंश आवेदन राशि | ऋण | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 48 | 11100.90 | 7711.97 | 7422.60 | 26235.47 |
| 2007-08 | 48 | 11112.82 | 7721.74 | 7888.89 | 26723.45 |

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में निवेश मुख्यतः ऊर्जा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास एवम् निर्माण क्षेत्रो में अंशपूँजी तथा ऊर्जा एवम् चीनी क्षेत्रों में ऋण में वृद्धि के कारण बढ़ गया हैं।

31 मार्च 2008 को कार्यरत सरकारी कम्पनियों के कुल निवेश में अंश पूँजी और ऋण 31 मार्च 2007 के 71.71 प्रतिशत एवम् 28.29 प्रतिशत की तुलना में क्रमशः 70.48 प्रतिशत एवम् 29.52 प्रतिशत था।

कार्यरत सरकारी कम्पनियों में अंशपूँजी तथा ऋणों के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट–1** में दिया गया है।

---

1 प्रस्तर 1.2, 1.4, 1.5 तथा 1.18 में वर्णित दीर्घकालीन ऋणों में ऐसे ऋणों पर देय और संचित ब्याज सम्मिलित नहीं है।

## कार्यरत सांविधिक निगम

**1.5** सात कार्यरत सांविधिक निगमों में कुल निवेश मार्च 2007 तथा मार्च 2008[1] के अन्त में निम्नवत् था:

(करोड़ रुपये में)

| निगम का नाम | 2006-07 | | 2007-08 | |
|---|---|---|---|---|
| | पूँजी | ऋण | पूँजी | ऋण |
| उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम | 359.13 | 187.07 | 359.13 | 167.18 |
| उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम | 179.28 | 944.62 | 179.28 | 907.56 |
| उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम | 11.17 (2.21) | 39.87 | 11.17 (2.21) | 30.03 |
| उत्तर प्रदेश वन निगम[2] | - | - | - | - |
| उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद[3] | - | शून्य | - | - |
| उत्तर प्रदेश जल निगम[3] | - | 392.90 | - | 98.85 |
| उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम[3] | - | 1.65 | - | 8.09 |
| योग | **549.58 (2.21)** | **1566.11** | **549.58 (2.21)** | **1211.71** |

(कोष्ठक के आंकड़े अंश आवेदन राशि को इंगित करते हैं)

31 मार्च 2008 को कार्यरत सांविधिक निगमों के कुल निवेश में अंशपूँजी और ऋण 31 मार्च 2007 के 26.05 प्रतिशत तथा 73.95 प्रतिशत की तुलना में क्रमशः 31.29 प्रतिशत तथा 68.71 प्रतिशत था।

कार्यरत सांविधिक निगमों में अंशपूँजी और ऋणों के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट–1** में दिया गया है।

### बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपादान, प्रत्याभूतियाँ, देयों की माफी एवं ऋणों का अंशपूँजी में परिवर्तन

**1.6** कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं कार्यरत सांविधिक निगमों के बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपादान, निर्गत प्रत्याभूतियों, देयों की माफी तथा राज्य सरकार द्वारा ऋणों के अंशपूँजी में परिवर्तन सम्बन्धित विवरण **परिशिष्ट–1 एवं 3** में दिये गये हैं।

कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं कार्यरत सांविधिक निगमों को 2007–08 तक के तीन वर्षों में राज्य सरकार से अंशपूँजी और ऋण तथा अनुदान/उपादान के रूप में बजट बहिर्गमन नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

| विवरण | 2005-06 | | | | 2006-07 | | | | 2007-08 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कम्पनियाँ | | निगम | | कम्पनियाँ | | निगम | | कम्पनियाँ | | निगम | |
| | सं0 | राशि | सं0 | राशि | सं0 | राशि | सं0 | राशि | सं0 | राशि | सं0 | राशि |
| अ (i) बजट से अंशपूँजी बहिर्गमन | 4 | 420.86 | - | - | 5 | 423.31 | -- | -- | 5 | 20.20 | -- | -- |
| (ii) बजट से दिये गये ऋण | 12 | 508.98 | 1 | 30.00 | 6 | 126.28 | -- | -- | 4 | 147.19 | 2 | 66.95 |
| **योग अ (i)+(ii)** | **16** | **929.84** | **1** | **30.00** | **11** | **549.59** | **--** | **--** | **9** | **167.39** | **2** | **66.95** |
| ब. अनुदान/उपादान | | | | | | | | | | | | |
| (i) परियोजनाओं/ कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए | 5 | 479.01[4] | 1 | 2.02 | 3 | 145.38 | 01 | 2.62[6] | 3 | 106.16[6] | 1 | 255.63[6] |
| (ii) अन्य | 2 | 3.31[5] | - | - | 1 | 4.38 | -- | -- | 1 | 214.91 | 1 | 1.30 |
| **योग (ब) (i)+(ii)** | **-** | **482.32** | **-** | **2.02** | **-** | **149.76** | **01** | **2.62** | **4** | **321.07** | **2** | **256.93** |
| **कुल बहिर्गमन (अ+ब)** | **21[7]** | **1,412.16** | **2** | **32.02** | **13[7]** | **699.35** | **01[7]** | **2.62** | **10[7]** | **488.46** | **3[7]** | **323.88** |

*स्रोतः कम्पनियों/निगमों द्वारा उपबत्ध करायी गई सूचनायें।*

1 वर्ष 2007–08 के ऑकड़ें अनन्तिम है।
2 निगम द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।
3 इन निगमों में अशंपूंजी नही हैं।
4 3.21 करोड़ रुपये का अनुदान सम्मिलित है।
5 3.25 करोड़ रुपये का अनुदान सम्मिलित है।
6 अनुदान।
7 ये सभी वास्तविक संख्या में वह कम्पनियों/निगम है जिन्होंने सरकार से सम्बन्धित वर्षों में अंशपूँजी, ऋण, अनुदान उपदान के रूप में बजटीय सहयोग प्राप्त किया।

वर्ष 2007–08 के दौरान सरकार ने पॉच कार्यरत कम्पनियों (452.30 करोड़ रुपये) एवम् एक सांविधिक निगम (3.00 करोड़ रुपये) द्वारा लिये गये 455.30 करोड़ रुपये के ऋणों की प्रत्याभूति दी। वर्ष के अन्त में पॉच कार्यरत सरकारी कम्पनियॉ (40.05 करोड़ रुपये) तथा तीन कार्यरत सांविधिक निगम (282.75 करोड़ रुपये) के विरुद्ध 322.80 करोड़ रुपये की राशि की प्रत्याभूति अवशेष थी। दो[1] सांविधिक निगमों द्वारा 2007–08 के दौरान सरकार को चुकाया गया/देय प्रत्याभूति कमीशन क्रमशः 3.91 लाख रुपये था।

### *कार्यरत पीएसयू द्वारा लेखों का अन्तिमीकरण*

**1.7** प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सरकारी कम्पनियों के लेखों को, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 एवं 619बी सपठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के समाप्ति होने से छः माह के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये। उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 9 माह के अन्दर विधायिका के समक्ष प्रस्तुत भी करना होता है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के प्रकरण में, उनके लेखों को सम्बन्धित परिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अन्तमीकृतकरण तथा लेखा परीक्षण कर विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है।

यद्यपि, **परिशिष्ट–2** से सूचित किया जा सकता है, 48 कार्यरत कम्पनियों में केवल पॉच[2] कार्यरत कम्पनियों एवम् एक[2] कार्यरत सांविधिक निगम ने वर्ष 2007–08 के लेखों को संकल्पित अवधि के अन्दर अन्तिमीकृत किया। अक्टूबर 2007 से सितम्बर 2008 तक की अवधि के दौरान 37 कार्यरत सरकारी कम्पनियों ने पूर्व वर्ष के 55 लेखों को अन्तिमीकृत किया। इसी प्रकार, उसी अवधि के दौरान छः कार्यरत सांविधिक निगमों ने पूर्व वर्षों के आठ लेखों को अन्तिमीकृत किया।

30 सितम्बर 2008 को, 43 कार्यरत सरकारी कम्पनियों और छः सांविधिक निगमों के लेखे एक वर्ष से 14 वर्षों तक की अवधि से निम्न विवरण के अनुसार बकाये में थे:

| क्र. सं. | कार्यरत कम्पनियों/निगमों की संख्या | | वर्ष जबसे लेखे बकाया है | वर्षों की संख्या जिनके लिये लेखे बकाया हैं | परिशिष्ट–2 के क्रमांक का संकेत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सरकारी कम्पनियॉ | सांविधिक निगम | | | सरकारी कम्पनियॉ | सांविधिक निगम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | -- | 1994-95 से 2007-08 | 14 | अ-10 | -- |
| 2 | 3 | -- | 1995-96 से 2007-08 | 13 | अ-17, 24, 43 | -- |
| 3 | 1 | -- | 1996-97 से 2007-08 | 12 | अ-14 | -- |
| 4 | 1 | 1 | 1999-2000 से 2007-08 | 9 | अ-46 | ब-4 |
| 5 | 1 | -- | 2000-01 से 2007-08 | 8 | अ-6 | -- |
| 6 | 2 | -- | 2001-02 से 2007-08 | 7 | अ-8, 9 | -- |
| 7 | 1 | -- | 2002-03 से 2007-08 | 6 | अ-23 | -- |
| 8 | 1 | -- | 2003-04 से 2007-08 | 5 | अ-44 | -- |
| 9 | 2 | -- | 2004-05 से 2007-08 | 4 | अ-21, अ-34 | -- |
| 10 | 6 | 1 | 2005-06 से 2007-08 | 3 | अ-1, 7, 36, 37, 38, 39 | ब-7 |
| 11 | 7 | -- | 2006-07 से 2007-08 | 2 | अ-27, 29, 30, 32, 33, 41, 48 | -- |
| 12 | 17 | 4 | 2007-08 | 1 | अ-4, 5, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 40, 42, 45 | ब-1, 2, 3,6 |
| योग | 43 | 6 | | | | |

1 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवम् उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी कल्याण निगम।

2 उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवम् विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवम् विकास निगम लिमिटेड, अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड, श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड, उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश आवास एवम् विकास निगम लिमिटेड (कार्यरत सांविधिक निगम)।

राज्य सरकार ने कार्यरत पीएसयू में जिन वर्षों के लेखों को अन्तिमीकरण नहीं किया है, जैसा कि **परिशिष्ट–4** में विवरण दिया गया है कि अवधि में 2192.06 करोड़ रुपये (अंशपूँजीः 64.42 करोड़ रुपये, ऋणः 721.54 करोड़ रुपये, अनुदान और उपदानः 1406.10 करोड़ रुपये) का निवेश किया। लेखे के अन्तिमीकरण न होने एवम् उनके आगामी लेखा परीक्षा न होने की स्थिति में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि निवेश एवम् खर्चे का लेखांकन उचित किया गया एवम् जिस उद्देश्य हेतु धनराशि का निवेश किया गया वह प्राप्त हुआ अथवा नहीं एवम् इन पीएसयू मे सरकार का निवेश विधायिका के संज्ञान में नहीं आया। लेखों के अन्तिमीकरण में देरी के कारण सरकारी निवेश का छूट जाना एवम् धोखा रहने का सन्देह रहता है तथा यह कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्राविधानों का उल्लघंन है।

प्रशासकीय विभागों को यह देखना और सुनिश्चित करना होता है कि पीएसयू द्वारा लेखे निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण और अंगीकृत कर लिये गये हैं। यद्यपि सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों और सरकारी अधिकारियों को लेखा परीक्षा द्वारा अपूर्ण लेखों के बकाये के बारे में त्रैमासिक रूप से जानकारी दी गयी थी, सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये और परिणामस्वरूप इन पीएसयू के शुद्ध मूल्य का निर्धारण लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका।

### *कार्यरत पीएसयू की वित्तीय स्थिति और कार्य संचालन परिणाम*

**1.8** अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार कार्यरत पीएसयू (सरकारी कम्पनियॉ तथा सांविधिक निगम) के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम **परिशिष्ट–2** में दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कार्यरत सांविधिक निगमों के अद्यतन तीन वर्षों के पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार वित्तीय परिणामों को दर्शाती हुई विवरणी क्रमशः **परिशिष्ट–5 व 6** में दी गयी है।

48 कार्यरत सरकारी कम्पनियों और सात सांविधिक निगमों के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार 24[1] कम्पनियों और एक निगम ने क्रमशः 2,802.14 करोड़ रुपये तथा 1.69 करोड़ रुपये की कुल हानि उठाई, 24 कम्पनियों और छः निगमों ने क्रमशः 218.52 करोड़ रुपये तथा 332.67 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया।

### *कार्यरत सरकारी कम्पनियॉ*
### *लाभार्जन करने वाली कार्यरत कम्पनियॉ और लाभांश*

**1.9** पॉच कार्यरत कम्पनियों में से जिन्होंने सितम्बर 2008 तक 2007–08 के लेखों को अन्तिम रूप दिया था, चार[2] कम्पनियों ने कुल 4.50 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया एवम् लार्भाजन करने वाली कम्पनियों मे से किसी ने भी लाभांश घोषित नहीं किया **(परिशिष्ट–2)**। सरकार ने न्यूनतम लाभांश भुगतान के लिये लाभांश नीति (अक्टूबर 2002) तैयार की तथा पीएसयू को निर्देशित किया कि सरकार द्वारा निवेशित पूँजी पर वित्तीय वर्ष 2002–03 से 5 प्रतिशत का न्यूनतम लाभांश अदा किया जाय। यद्यपि, इन मार्गदर्शेकों का अनुपालन इन कम्पनियों मे से किसी ने भी नही किया।

उसी प्रकार से 43 कार्यरत सरकारी कम्पनियों मे से जिन्होंने सितम्बर 2008 तक अपने पूर्व वर्षों के लेखों को अन्तिम रूप दिया था, 20 कम्पनियों ने कुल 214.02 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया एवम् 16[3] कम्पनियों ने दो अथवा अधिक वर्षों तक लगातार लाभ

---

1 यूपीएसआईडीसी पावर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी) जो कि निर्माणाधीन है, सम्मिलित है।

2 उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवम् विकास निगम लिमिटेड, अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड, श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड एवम् उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड।

3 उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश अनसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिक्लस लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टमस कारपोरेशन लिमिटेड एवम् उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (परिशिष्ट–2)।

अर्जित किया। इन 20 लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों मे से केवल पॉच[1] कम्पनियों ने 0.79 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया।

### *हानि उठाने वाली कार्यरत सरकारी कम्पनियॉ*

**1.10** 24 हानि उठाने वाली सरकारी कम्पनियों में से 19 कम्पनियों की कुल संचित हानियॉ 11,083.95 करोड़ रुपये थी, जो उनकी 6,275.28 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गयी थी **(परिशिष्ट–2)।**

खराब निष्पादन और प्रदत्त पूँजी के पूर्ण क्षरण के बावजूद राज्य सरकार इन कम्पनियों को उपादान, अनुदान तथा ऋण के रूप में लगातार वित्तीय सहायता प्रदान करती रहीं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इनमें से 19 हानि उठाने वाली कम्पनियों में से तीन[2] कम्पनियों को राज्य सरकार ने ऋण तथा उपादान के रूप में वर्ष 2007–08 के दौरान 242.62 करोड़ रुपये का वित्तीय सहयोग किया।

## *कार्यरत सांविधिक निगम*

### *लाभार्जन करने वाले सांविधिक निगम और लाभांश*

**1.11** सात कार्यरत सांविधिक निगमों में से केवल एक निगम (उत्तर प्रदेश आवास एवम् विकास परिषद) ने 2007–08 के लेखों को अन्तिम रूप दिया एवम् कुल 178.58 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया परन्तु लाभांश घोषित नही किया। सरकार ने न्यूनतम लाभांश भुगतान के लिए लाभांश नीति (अक्टूबर 2002) तैयार की एवम् पीएसयू को निर्देशित किया कि सरकार द्वारा निवेशित पूँजी पर वित्तीय वर्ष 2002–03 से 5 प्रतिशत का न्यूनतम लाभांश अदा किया जाये। यद्यपि, इन मार्गदर्शको का अनुपालन निगम द्वारा नही किया गया।

उसी प्रकार से छः कार्यरत सांविधिक निगमों मे सें जिन्होंने सितम्बर 2008 तक अपने पूर्व वर्षों के लेखों का अन्तिम रूप दिया था, पॉच[3] निगमों ने कुल 154.09 करोड़ रुपये **(परिशिष्ट–2)** का लाभ अर्जित किया एवम् इन समस्त निगमों ने दो अथवा अधिक वर्षों तक लगातार लाभ अर्जित किया। इन पॉच लाभ अर्जित करने वाले निगमों मे से केवल एक निगम (उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम) ने 1.51 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया।

### *हानि उठाने वाले सांविधिक निगम*

**1.12** एक निगम (उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम) जिसने सितम्बर 2008 तक अपने पिछले वर्षों के लेखों को अंतिम रूप दिया, ने 1.69 करोड़ रुपये की हानि उठाई, यद्यपि उसका संचित लाभ 13.43 करोड़ रुपये था **(परिशिष्ट–2)**। इस निगम में कोई प्रदत्त पूँजी नही है।

### *कार्यरत सांविधिक निगमों की कार्यचालन उपलब्धियॉ*

**1.13** कार्यरत सांविधिक निगमों[4] का कार्यचालन उपलब्धियॉ **परिशिष्ट–7** में दी गई है।

### *नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ*

**1.14** अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार, 48 कार्यरत कम्पनियों में नियोजित पूँजी[5] की गणना 15,664.35 करोड़ रुपये की गयी तथा उस पर कुल प्रतिलाभ[6] पूर्व वर्ष के

---

1 उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टमस कारपोरेशन लिमिटेड (परिशिष्ट–2)।

2 उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड एवम् दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

3 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, उत्तर प्रदेश आवास एथम् विकास परिषद एवम् उत्तर प्रदेश जल निगम।

4 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम एवम् उत्तर प्रदेश वन निगम।

5 नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पतियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी के योग को प्रदर्शित करती है सिवाय वित्त पोषण कम्पनियों और निगमों को छोड़कर जहॉ यह कुल प्रदत्त पूँजी के पूर्व एवं अंतिम शेषों के मध्यमान, मुक्त आरक्षित निधि, बाण्ड जमा तथा ऋण (पुनर्वित्त पोषण सहित) प्रदर्शित करती है।

6 नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ के आगणन हेतु, ऋण ली गयी निधियों के ब्याज को शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है/हानि से घटाया जाता है, जैसा कि लाभ हानि खाते में प्रदर्शित किया गया।

337.05 करोड़ रुपये की तुलना में (–) 1,503.17 करोड़ रुपये रहा। इसी प्रकार पूर्व वर्ष के 171.75 करोड़ रुपये (2.56 प्रतिशत) के कुल प्रतिलाभ के तुलना में सात कार्यरत सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार (सितम्बर 2008 तक) नियोजित पूँजी और उस पर कुल प्रतिलाभ, क्रमशः 7,267.30 करोड़ रुपये तथा 411.43 करोड़ रुपये (5.66 प्रतिशत) संगणित किया गया। कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में नियोजित पूँजी और नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ के विवरण **परिशिष्ट–2** में दिये गये हैं।

## ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

### *राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच हुए एमओयू के कार्यान्वयन की स्थिति:*

**1.15** उत्तर प्रदेश सरकार व केन्द्र सरकार के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम लागू करने के लिए एक संयुक्त प्रतिज्ञा के रूप में मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टैडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुये (फरवरी 2000)।

एमओयू में लिये गए प्रत्येक प्रतिज्ञा पर सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

| क्र.सं. | एमओयू समझौते के अनुसार सुधार कार्यक्रम | लक्ष्य प्राप्ति की अनुसूची | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|
| I | राज्य सरकार द्वारा | | |
| (i) | 11 के.वी. के सभी फीडरों पर मीटर का लगाया जाना | 30 सितम्बर 2000 | पारेषण नेटवर्क के 97 प्रतिशत पोषकों पर मीटर स्थापित कर दिये गये एवं वितरण नेटवर्क के 99.38 प्रतिशत पोषकों पर मीटर स्थापित किये गये (मार्च 2008)। |
| (ii) | शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं को मीटर द्वारा आपूर्ति | 31 दिसम्बर 2001 | केवल 58.70 प्रतिशत उपभोक्ताओं को मीटरीकृत किया जा सका (जून 2007)। |
| (iii) | 20 चुने गये नगरों की आन लाइन बिलिंग | 31 मार्च 2001 | केवल एक नगर, लखनऊ मे सितम्बर 2006 में लागू किया गया। शेष 17 नगरों में आन लाइन बिलिंग विचाराधीन हैं। |
| (iv) | वितरण प्रणाली को उन्नत करना | शून्य | विभिन्न कार्य जैसे कि– सर्विस लाइन का पुर्नवियोजन, कैपेसीटर बैंक का संयोजन, लाइन का निर्माण, प्रवर्तकों को लगाना और वितरण प्रणाली को सुदृढ कराना, पूर्णता के विभिन्न स्तरों पर हैं (सितम्बर 2008)। |
| (v) | वितरण क्षेत्रों का निजीकरण जो वाणिज्यिक रूप से सक्षम नहीं हैं। | शून्य | अभी तक कोई भी निजीकरण नहीं हुआ (सितम्बर 2008)। |
| II | केन्द्र सरकार द्वारा | | |
| (i) | चालू तापीय तथा जल विद्युत स्टेशनों के नवीनीकरण एवं आधुनीकीकरण हेतु भारत सरकार से वित्तीय सहायता | शून्य | पावर फाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को 1103.98 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 18.06 करोड़ रुपये का ऋण एवं इतनी ही राशि का उपादान स्वीकृत किया गया (मार्च 2006)। |
| (ii) | महत्वपूर्ण पारेषण कार्यों के निर्माण के लिए भारत सरकार से सहयोग | शून्य | उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने 57 परियोजनाओं हेतु पावर फाइनेन्स कारपोरेशन से 986.78 करोड़ रुपये प्राप्त किये (मार्च 2007)। पावर फाइनेन्स कारपोरेशन 79 प्रोजेक्टस हेतु 1178.54 करोड़ रुपये 15 प्रोजेक्टस हेतु प्रदान किये (मार्च 2008)। |

*स्रोतः यूपीपीसीएल द्वारा दी गयी सूचना।*

**1.16** उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन 10 सितम्बर 1998 को विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998[1] की धारा 17 के अधीन किया गया। आयोग एक निगमित निकाय है जिसमें सभापति को लेकर तीन सदस्य होते हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। आयोग के लेखों की लेखा परीक्षा का दायित्व विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(2) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं

[1] विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82(1) से बदल दिया गया।

महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। आयोग ने अगस्त 2008 तक सात टैरिफ आदेश जारी किये हैं। आयोग ने अपने अपने 2006–07 के लेखे को अन्तिमीकृत किया हैं।

## अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

### *अकार्यरत पीएसयू में निवेश*

**1.17** 31 मार्च 2008 को 40 अकार्यरत पीएसयू (सभी सरकारी कम्पनियॉं) में कुल निवेश 878.98 करोड़ रुपये[1] (अंशपूँजीः 394.90 करोड़ रुपये, अंश आवेदन राशिः 45.85 करोड़ रुपये तथा दीर्घावधि ऋणः 438.23 करोड़ रुपये) के सापेक्ष 31 मार्च 2007 के अन्त तक समान संख्या की अकार्यरत पीएसयू (सभी सरकारी कम्पनियॉं) में कुल निवेश 878.96 करोड़ रुपये (अंशपूँजी 391.87 करोड़ रुपये, अंश आवेदन राशिः 48.88 करोड़ रुपये तथा दीर्घावधि ऋण 438.21 करोड़ रुपये) था।

मार्च 2008 के अन्त तक अकार्यरत सरकारी कम्पनियों का वर्गीकरण निम्नानुसार थाः

| अकार्यरत सरकारी कम्पनियों की स्थिति | कम्पनियों की संख्या | निवेश (करोड़ रुपये में) | |
|---|---|---|---|
| | | अंशपूँजी[2] | दीर्घावधि ऋण |
| परिसमापन/बन्दी के अन्तर्गत | 12[3] | 60.12 | 159.02 |
| संविलय के अन्तर्गत | 2[4] | 0.05 | |
| निष्क्रिय/अकार्यरत कम्पनियॉं | 26 | 380.58 | 279.21 |
| **योग** | 40 | 440.75 | 438.23 |

*स्रोतः कम्पनियों द्वारा दी गई सूचना।*

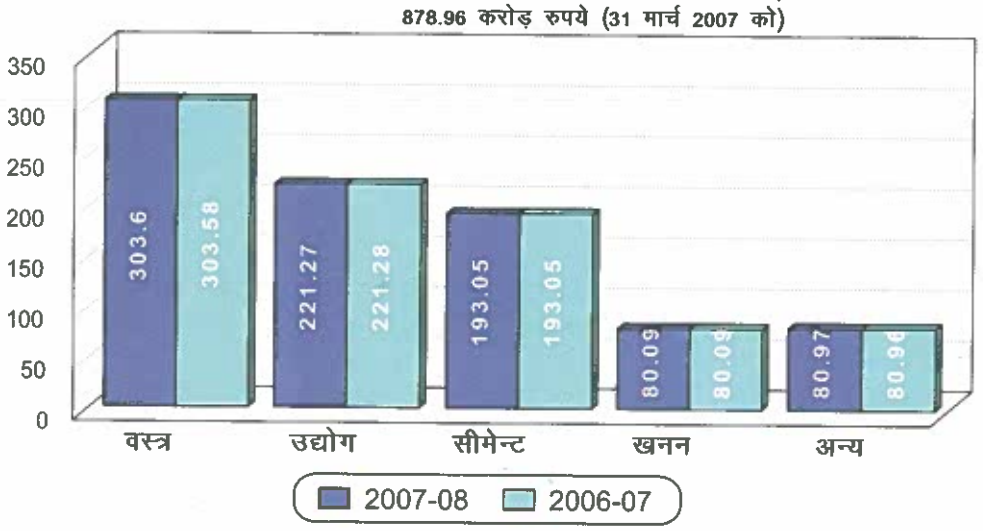
उपरोक्त अकार्यरत सरकारी कम्पनियों में से 12 सरकारी कम्पनियॉं, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत 5 से 33 वर्षों से परिसमापनाधीन/बन्दी के अन्तर्गत थी और इन कम्पनियों में 219.14 करोड़ रुपये का पर्याप्त धन लगा हुआ था।

### अकार्यरत सरकारी कम्पनियों में क्षेत्रवार निवेश

**1.18** 31 मार्च 2008 और 2007 के अन्त में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (अंशपूँजी और दीर्घावधि ऋण) और उनके प्रतिशत को निम्न बार चार्ट में इंगित किया गया हैः

**31 मार्च 2008 एवम् 31 मार्च 2007 को अकार्यरत सरकारी कम्पनियों में क्षेत्रवार निवेश (राशिः करोड़ रुपये में)**

**कुल विनिवेशः 878.98 करोड़ रुपये (31 मार्च 2008 को)**
**878.96 करोड़ रुपये (31 मार्च 2007 को)**




1 राज्य सरकार का निवेश 654.09 करोड़ रूपये (अन्यः 224.89 करोड़ रुपये) था। वित्त लेखे 2007–08 के अनुसार 600.00 करोड़ रुपये है। अन्तर का समाधान किया जा रहा है।

2 निष्क्रिय व अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में 45.85 करोड़ रुपये की अंश आवेदन राशि मिलाकर।

3 परिशिष्ट–1 की क्रमसंख्या सं0–2,3,6,10,11,12,13,14,17,21,33 तथा 37।

4 परिशिष्ट–1 की क्रम संख्या सं0–18 एवम् 19।

## बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपादान, प्रत्याभूतियों, बकायों की माफी तथा ऋणों का अंशपूँजी में परिवर्तन

**1.19** राज्य सरकार द्वारा अकार्यरत सरकारी कम्पनियों में बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपादान, निर्गत प्रत्याभूतियों, बकायों की माफी तथा ऋणों के अंशपूँजी में परिवर्तन के विवरण **परिशिष्ट–1 व 3** में दिये गये हैं।

वर्ष 2007–08 के दौरान ऋण के रूप में 0.02 करोड़ रुपये बजट बहिर्गमन एक[1] अकार्यरत कम्पनी को दिया गया। मार्च 2008 के अन्त में दो[2] अकार्यरत सरकारी कम्पनियों पर 2.02 करोड़ रुपये प्रत्याभूति के रूप में अवशेष थे।

## अकार्यरत पीएसयू पर कुल स्थापना खर्च

**1.20** अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के 2007–08 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल स्थापना व्यय तथा उनके वित्त पोषण के स्रोतों का वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष | पीएसयू की संख्या | कुल स्थापना खर्च | वित्त पोषण | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | निवेश/परिसम्पत्तियों का निस्तारण | निजी पार्टियों से ऋण | सरकार द्वारा | | अन्य |
| | | | | | ऋण | अनुदान | |
| 2005-06 | 3 | 0.52 | - | - | - | - | 0.52 |
| 2006-07 | 2 | 0.51 | - | - | - | - | 0.51 |
| 2007-08 | 3[3] | 0.19 | - | - | - | 0.02 | 0.17 |

*स्रोतः कम्पनियों द्वारा दी गई सूचना।*

## अकार्यरत पीएसयू द्वारा लेखे का अन्तिमीकरण

**1.21** 40 अकार्यरत कम्पनियों में 12 कम्पनियॉ परिसमापन के अन्तर्गत तथा 28 कम्पनियॉ अकार्यरत/निष्क्रिय थी। 30 सितम्बर 2008 को 30 अकार्यरत कम्पनियों के लेखे 1 से 26 वर्षों तक की अवधि के लिये बकाये में थे, जैसा कि **परिशिष्ट–2** से देखा जा सकता है।

## अकार्यरत पीएसयू की वित्तीय स्थिति व कार्यचालन परिणाम

**1.22** अद्यतन पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम **परिशिष्ट–2** में दिये गये हैं।

अद्यतन पूर्ण किये गये लेखे के अनुसार अकार्यरत सरकारी कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी, शुद्ध मूल्य, नकद हानि तथा संचित हानि का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है:

(करोड़ रुपये में)

| विवरण | प्रदत्त पूँजी | शुद्ध मूल्य[4] | नकद हानि[5] | संचित हानि |
|---|---|---|---|---|
| अकार्यरत कम्पनियॉ | 389.20* | (–) 1147.42 | 130.28 | 1182.90 |

* *अकार्यरत कम्पनियों के अद्यतन लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी की राशि दर्शायी गयी है इसमें समवर्ती वर्षों के प्रदत्त पूँजी का समावेश नहीं है।*

## सांविधिक निगमों की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

**1.23** निम्न तालिका सांविधिक निगमों के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत विभिन्न पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को इंगित करती है:

---

1 उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड (परिशिष्ट–1)।

2 इलाहाबाद मण्डल विकास निगम एवम् द इण्डियन टर्पेटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड।

3 40 अकार्यरत कम्पनियों मे से केवल तीन कम्पनियों (उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड एवम् उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड) ने स्थापना व्यय का विवरण उपलब्ध कराया।

4 शुद्ध मूल्य, प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त आरक्षित निधि के योग से संचित हानि को घटाकर प्रदर्शित होती है।

5 नकद हानि, वर्ष की हानि एवं वर्ष के मूल्य ह्रास के योग को प्रदर्शित करती है।

| क्रमांक | सांविधिक निगम का नाम | वर्ष जहाँ तक एसएआर विधायिका में रखी गयी | वर्ष जहाँ तक एसएआर विधायिका में नहीं रखी गयी | |
|---|---|---|---|---|
| | | | एसएआर का वर्ष | सरकार को निर्गत करने की तिथि |
| 1. | उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम | 31.10.2003 से 31.03.2004 | 2004-05<br>2005-06 | 11.06.2007<br>01.10.2007 |
| 2. | उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम | 1992-93 | 1993-94<br>1994-95<br>1995-96<br>1996-97<br>1997-98<br>1998-99<br>1999-2000<br>2000-01<br>2001-02<br>2002-03<br>2003-04<br>2004-05<br>2005-06<br>2006-07 | 07.07.1995<br>18.04.1996<br>28.08.1998<br>17.12.1999<br>27.07.2000<br>20.10.2001<br>25.07.2002<br>20.02.2004<br>28.01.2005<br>21.12.2005<br>08.09.2006<br>01.05.2007<br>12.09.2007<br>17.04.2008 |
| 3. | उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम | 2005-06 | 2006-07 | 17.01.2008 |
| 4. | उत्तर प्रदेश वन निगम* | -- | 1997-98<br>1998-99 | 17.08.2000<br>23.05.2002 |
| 5. | उत्तर प्रदेश आवास एवम् विकास परिषद | 1996-97 | 1997-98<br>1998-99<br>1999-2000<br>2000-01<br>2001-02 | 22.02.2006<br>27.07.2006<br>16.11.2006<br>23.04.2007<br>31.07.2008 |
| 6. | उत्तर प्रदेश जल निगम | 1994-95 | 1995-96<br>1996-97<br>1997-98<br>1998-99<br>1999-2000<br>2000-01<br>2001-02<br>2002-03<br>2003-04<br>2004-05<br>2005-06 | 21.10.1997<br>18.02.1999<br>03.07.2000<br>19.09.2001<br>07.02.2002<br>13.02.2003<br>27.03.2004<br>30.12.2005<br>07.06.2006<br>02.02.2007<br>02.04.2008 |

*स्रोतः कम्पनियों द्वारा दी गई सूचना एवं लेखा पत्रावलियों से संकलित सूचना के आधार पर।*

राज्य सरकार ने 7 माह से 13 वर्षों के अन्तराल के बावजूद भी पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत न करने के कारणों को पूछा गया हैं किन्तु सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग ने सूचना प्रदान नही की हैं।

## सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना**

**1.24** सरकार द्वारा बनायी गयी (जून 1994) पीएसयू के निजीकरण/विनिवेश की नीति में सभी उपक्रमों (सार्वजनिक एवं जनकल्याण की गतिविधियों तथा सार्वजनिक उपादेयता के कार्य में लगे उपक्रमों को छोड़कर) जिनकी वार्षिक हानि 10 करोड़ रुपये से अधिक थी तथा जिन्होंने अपने शुद्ध मूल्य के 50 प्रतिशत या अधिक का क्षरण कर लिया था, की समीक्षा का प्रावधान था।

निजीकरण/विनिवेश/बीआईएफआर को संदर्भित किये जाने वाले प्रकरणों की समीक्षा करने तथा निर्णय लेने एवं अन्य विकल्पों जैसे आंशिक निजीकरण, निजी उद्यमियों द्वारा प्रबन्धन, निजी उद्यमियों को पट्टे पर देने आदि को संस्तुति करने हेतु एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) का गठन किया गया (दिसम्बर 1995)। ईसी की संस्तुतियों को लेखा परीक्षा के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया। ईसी की संस्तुतियों पर राज्य

* लेखा परीक्षण 1997–98 से सौंपा गया।

** पुनर्संरचना में पीएसयू का सम्मिलन और बन्दी सम्मिलित है।

विनिवेश आयोग का गठन किया गया था (नवम्बर 1998) किन्तु यह भंग कर दी गई (जनवरी 2000) और एक विनिवेश कमीशन (डीसी) का गठन किया गया (जनवरी 2000)।

विनिवेश प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिये एक केन्द्रीय कमेटी (सीसी) का भी गठन किया गया (जनवरी 2000)। पीएसयू के कार्य प्रणाली में सुधार, संविलयन, पुनर्संरचना, निजीकरण अथवा बन्दी के मामलों को डीसी को सन्दर्भित करने के लिए सीसी को अधिकृत किया गया। यह विचारित था कि डीसी अपनी संस्तुतियॉ सीसी को सौंपेगा।

डीसी को 27 पीएसयू का संदर्भ प्रस्तुत किया गया तथा डीसी ने इन सभी मामलों पर अपनी संस्तुतियॉ दी। सीसी ने 25 पीएसयू के मामलों पर विचार कर अपनी संस्तुतियों सौंपी। इन सभी संस्तुतियों को लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

पुनः एक उच्च स्तरीय विनिवेश कमेटी (एचपीडीसी) का गठन किया गया (अप्रैल 2003) जिसे पीएसयू के विनिवेश का कार्य सौंपा गया।

सरकार ने सूचित (सितम्बर 2003) किया कि:

- प्रथम चरण में, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की 11 चीनी मिलों तथा उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की आठ बीमार तथा पॉच बन्द चीनी मिलों के लिये विनिवेश प्रक्रिया शुरू हुई।
- 27 पीएसयू, जो कि डीसी को सन्दर्भित किये गये थे, के सम्बन्ध में डीसी की संस्तुतियों पर कार्यवाही की जायेगी।
- विभागों/पीएसयू से विनिवेश की सम्भावना के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही थी तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विनिवेश के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (पिकप) को विनिवेश के लिये सलाहकार चुना गया है। नीतिगत मामलों के निर्णय तथा व्यवहारिक संस्तुतियॉ करने के लिये एचपीडीसी पिकप से सलाह ले रही थी।

राज्य सरकार द्वारा अग्रेतर प्रगति से सम्बन्धित मसौदे को उपलब्ध नहीं कराया गया।

## भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पीएसयू के लेखों की लेखा परीक्षा के परिणाम

**1.25** अक्टूबर 2007 से सितम्बर 2008 की अवधि के दौरान 55 सरकारी कम्पनियों (39 कार्यरत तथा 16 अकार्यरत) तथा पाँच सांविधिक निगमों के लेखे समीक्षा हेतु चयन किये गये। पीएसयू की समीक्षा के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियों का शुद्ध प्रभाव निम्न प्रकार रहा:

| विवरण | लेखों की संख्या | | | करोड़ रुपये में | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सरकारी कम्पनियॉ | | सांविधिक निगम | सरकारी कम्पनियॉ | | सांविधिक निगम |
| | कार्यरत | अकार्यरत | कार्यरत | कार्यरत | अकार्यरत | कार्यरत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (i) लाभ में वृद्धि | 2 | - | 1 | 1.02 | - | 24.42 |
| (ii) लाभ में कमी | 6 | - | 2 | 21.88 | - | 230.00 |
| (iii) हानि में वृद्धि | 4 | 2 | - | 1.69 | 0.31 | - |
| (iv) हानि में कमी | 2 | - | 1 | 77.69 | - | - |
| (v) महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न करना | 5 | - | 1 | 5.09 | - | 1.35 |
| (vi) वर्गीकरण की कमियॉ | 3 | - | - | 7.78 | - | - |

*स्रोतः अक्टूबर 2007 से सितम्बर 2008 तक निर्गत टिप्पणियॉ एवं पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।*

उपरोक्त में से कुछ कम्पनियों और निगमों के वार्षिक लेखों की समीक्षा के दौरान देखी गयी कुछ मुख्य त्रुटियों और चूकों की चर्चा नीचे की गयी है।

### *1.26 कार्यरत सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा पाई गयी त्रुटियाँ/चूकें*

#### *उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (2005–06)*

**1.26.1** 16 जून 2005 से मानव शक्ति की नियुक्ति या सेवा एजेन्सी को आपूर्ति के लेखों पर न तो सर्विस टैक्स दायित्व का दावा किया गया न ही सर्विस टैक्स का भुगतान किया गया और इसको तकनीकी/अन्य सेवा के मद मे दिखाये जाने के कारण भुगतान दायित्व एक करोड़ रुपये से कम दिया गया। जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी की आय एक करोड़ रुपये से अधिक दर्शायी गयी।

#### *उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (2004–05)*

**1.26.2** यूपी हार्टिको के 64.25 लाख रुपये का निवेश सौ रुपये अंकित मूल्य के शेयर पर किया। उपरोक्त कम्पनी ने 1979–80 से अपना समस्त व्यवसाय बन्द कर दिया इस प्रकार शेयर के मूल्यों में स्थायी अवनति के कारण स्थिति पत्रक में निवेश को प्रचलित मूल्य पर दिखाया जाना उचित नही है एवम् इन्स्टीट्यूट आफ चार्टड एकाउन्टेन्ट आफ इण्डिया के द्वारा जारी 'एकाउन्टिग स्टैण्डर्ड–11' तथा 'एकाउन्टिग फार इन्वेस्टमेन्ट' के अनुरूप नही हैं। पुनश्च, कम्पनी द्वारा निवेश को ट्रेड निवेश एवम् अन्य निवेश में वर्गीकृत नही किया है।

#### उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टमस कारपोरेशन लिमिटेड (2006–07)

***1.26.3** कर्मचारियों को देय 'लीव इनकैशमेन्ट' हेतु वर्ष 2004–05 से संभूति आधार पर दायित्वों का लेखों में निर्धारण किया गया तथापि 31 मार्च 2004 को कर्मचारियों को अधिवर्षता पर देय 'लीव इनकैशमेन्ट' 0.75 करोड़ रुपये का प्राविधान नहीं किया गया।*

#### *श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (2007–08)*

***1.26.4** कम्पनी ने 'इन्स्टीट्यूट आफ चार्टड एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया' द्वारा जारी 'एएस 26' की आकांक्षाओं को स्वीकार नहीं किया एवम् 35.90 लाख रुपये के 'टैक्निकल नो हाऊ' को ऋण मुक्त नही किया यद्यपि उस समय 'टैक्निकल नो हाऊ' इस्तेमाल हेतु तैयार थी। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2008 को संचित हानि 35.90 लाख रुपये से कम दर्शायी गयी।*

### *1.27 कार्यरत सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित अनुपूरक लेखा परीक्षक में पाई गयी कमियाँ/चूकें*

#### *उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड (2006–2007)*

**1.27.1** एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड (एएस–7) के प्राविधानों का अनुपालन न करने के कारण पूर्वानुमानित हानि का, निर्माण अनुबन्ध (रेलवे ब्रिज गंगा रिवर एवम् गाइड बॉधः 4.98 करोड़ रुपये एवम् सड़क एवम् ब्रिज प्रोजेक्ट हापुड़ः 8.98 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत कार्यों को अनुमानित आधार प्राविधान न करने के कारण चालू दायित्व एवम् प्राविधान 13.96 करोड़ रुपये से कम दिखाया गया। इस प्रकार चालू दायित्व एवम् प्राविधान कम दिखाया गया एवम् वर्ष लाभ 13.96 करोड़ रुपये से अधिक दिखाया गया।

#### *पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2004–05)*

**1.27.2** कैश एण्ड बैंक बैलेन्स मद मे सितम्बर 1988 से अगस्त 2004 की अवधि में बिना भुनाये चैक की धनराशि 2.67 करोड़ रुपये सम्मिलित है, जिसकी समयावधि (छः माह) समाप्त हो चुकी है और वर्ष 2004–05 में, 0.06 करोड़ रुपये के चैक निक्षेपित किये गये लेकिन बैंक ने अनादृत कर दिया जिसको कि लेखों में पुनरीक्षित नही किया गया। इस प्रकार कैश एण्ड बैंक बैलेन्स को अधिक दिखाया गया और विविध देनदार को 2.73 करोड़ रुपये से कम दिखाया गया।

## 1.28 सांविधिक निगमों से संबंधित सांवधिक लेखा परीक्षक द्वारा पाई गयी त्रुटियॉ/चूकें

### उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (2007–08)

**1.28.1** ऋण एवम् अग्रिम मद में सब स्टैण्डर्ड/सन्दिग्ध/हानि परिसम्पत्तियों हेतु प्राविधान को समायोजित कर नही दिखाया गया जिसके कारण ऋण और अग्रिम के समरूप प्राविधान 302 करोड़ रुपये से अधिक दिखाया गया। पुनश्च निगम की संचित हानि 847.68 करोड़ रुपये हो गई जिसके कारण निगम का शुद्ध मूल्य (नेट वर्थ) पूर्णतया नष्ट हो गया। यद्यपि निगम ने अपने लेखे 'गोइंग कनसर्न' आधार पर तैयार किया जोकि उपरोक्त तथ्यों को प्रमाणित नही करते हैं।

## 1.29 सांविधिक निगमों से संबंधित अनुपूरक/एकल लेखा परीक्षा द्वारा पाई गई कमियॉ/चूकें

### उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (2006–07)

**1.29.1** स्माल स्केल इण्डस्ट्रियल बैंक आफ इण्डिया (सिडबी) के पुनरीक्षित दिशानिर्देशों (27 अप्रैल 2006) के अनुसार समस्त अग्रिमों को 1 अप्रैल 2006 को तीन या अधिक वर्षों की अवधि मे सन्दिग्ध (पूर्व दिशानिर्देशों के अनुसार डी–2 वर्ग) वर्गीकृत कर वर्ष 2006–07 से शत प्रतिशत प्राविधान किया जाना चाहिए था। कारपोरेशन द्वारा ऐसा नही किया गया। जिसके परिणामस्वरूप 'नान परफार्मिंग एसेंट्स हेतु प्राविधान' 141.87 करोड़ रुपये से कम किया गया। यदि यह प्राविधान किया जाता तो वर्ष हेतु लाभ (60.10 करोड़ रुपये) परिवर्तित होकर हानि (81.77 करोड़ रुपये) में बदल जाती।

### उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम (2006–07)

**1.29.2** एमाउन्ट रिकवरेबल फ्राम एक्स–इम्प्लाईज मे एक्स–इम्प्लाईज से वसूली योग्य राशि 43.04 लाख रुपये है। पूर्व कर्मचारियों के समस्त देय निगम द्वारा जारी कर दिये गये एवम् इन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई वाद न्यायालय मे लम्बित नहीं है। इस प्रकार धनराशि वसूली योग्य नही है एवम् 43.04 लाख रुपये को लेखो मे बैड एण्ड डाब्टफुल एडवान्स में दिखाया जाना चाहिए।

### उत्तर प्रदेश जल निगम (2005–06)

**1.29.3** सेन्टेज के क्रेडिट बैलेन्स को कार्यो के मूल्य मे गलत रूप से लेखों मे लेने के कारण सेन्टेज सस्पेंस 1.80 करोड़ रुपये से अधिक प्रर्दशित है तदनुरूप, 'वर्क इन प्रोग्रेस' भी 1.80 करोड़ रुपये से कम दिखाया गया।

**1.29.4** वर्ष के दौरान पूर्ण किये जल कार्य सम्पत्तियों को पूँजीगत न किये जाने के कारण निगम की परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत निगम के ग्रामीण जल प्रोजेक्टस (निगम के स्वतः जल कार्य परिसम्पत्तियॉ–जमुना योजना) को 28.35 करोड़ रुपये से कम दिखाया गया। जिसके परिणामस्वरूप 'वर्क इन प्रोग्रेस' 28.35 करोड़ रुपये से ज्यादा प्रर्दशित है।

### उत्तर प्रदेश आवास एवम् विकास परिषद (2001–02)

**1.29.5** 31 मार्च 2002 को प्रोदभूत ब्याज की धनराशि 62.36 करोड़ रुपये के स्थान पर स्थिति पत्रक मे 31.94 करोड़ रुपये दिखाये जाने के परिणामस्वरूप प्रोदभूत आय 30.62 करोड़ रुपये से कम दिखाया गया।

## पीएसयू के वित्तीय मामलों में सतत् अनियमिततायें एवं प्रणाली कमियॉ

**1.30** पीएसयू के वित्तीय मामलों में निम्नलिखित सतत् अनियमिततायें एवं प्रणाली कमियों को, लेखों के लेखा परीक्षण के समय बार–बार इंगित किया गया किन्तु अभी तक इन पीएसयू ने कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की:

| क्र. सं. | सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों के नाम | अनियमितताओं के प्रकार |
|---|---|---|
| सरकारी कम्पनियॉ | | |
| 1. | उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड | विलम्ब भुगतान अधिभार की आय को उपार्जन आधार पर लेखों में न लेना। |
| 2. | उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवम् विकास निगम लिमिटेड | लेखा परीक्षक 1982–83 से 2002–03 तक जहॉ तक अन्तिम लेखे पूर्ण किये गये हैं, लगातार रिपोर्ट कर रहे है कि कम्पनी के लेखे सही एवम् उचित स्थिति (ट्रू एण्ड फेयर व्यू) प्रदर्शित नही कर रहे है किन्तु फिर भी प्रबन्धन द्वारा इसको ठीक करने हेतु कार्यवाही नही की गई। |
| 3. | उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड | राज्य सरकार से प्राप्त लघु अवधि ऋणों को लेखों में न लेना। |
| 4. | उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड | स्वीकृत मूल्य से अधिक खर्चों को, जो कि 11 वर्ष से 18 वर्ष पूर्व कार्यों को सम्पादित करा कर क्लाइन्ट को हस्तान्तरित किए गए, का प्राविधान नही किया। |
| 5. | उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टमस कारपोरेशन लिमिटेड | ग्राहकों की निधि पर प्राप्त ब्याज को गलती से कम्पनी की आय मे गणना की गई। |
| सांविधिक निगम | | |
| 1. | उत्तर प्रदेश आवास एवम् विकास परिषद | बैंक विवरण के अनुसार विभिन्न बैंको में शेष राशि 'बैंक मे रोकड' मे प्रर्दशित है जोकि सही नहीं है एवम् सामान्यतः लेखो के सिद्धान्तो के विपरीत हैं। बैंक बुक एवम् बैंक समाधान विवरण का रखरखाव नही किया जा रहा है। |
| 2. | उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम | ट्रांजिट हानि के मद मे ग्राहक से काटे गये स्टोरेज चार्जेज एवम् हैण्डलिंग एवम् ट्रांसपोर्ट चार्जेज को आय मे सम्मिलित किया गया। |
| 3. | उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम | शेडयूल बैंको के क्रेडिट शेष को समायोजित करने के कारण 'शेडयूल बैंक में शेष धनराशि कम दर्शायी गयी, जिसे 'अन्य दायित्वों' में अधिविकर्ष के रूप मे दिखाया जाना चाहिए था। |
| 4. | उत्तर प्रदेश जल निगम | (i) ऋण पर ब्याज का प्राविधान नही किया गया जिसकी कि पुर्नभुगतान अवधि समाप्त हो गई यद्यपि ऋण का भुगतान भी नही हुआ।<br>(ii) कान्ट्रैक्टर लेखों में क्रेडिट शेष के विरुद्ध डेबिट शेष का समायोजन किया गया जिसको कि चालू दायित्वों एवम् चालू परिसम्पत्तियों मे अलग–अलग दिखाया जाना चाहिए था। |

*स्रोतः अक्टूबर 2007 से सितम्बर 2008 के मध्य जारी की गई टिप्पणियॉ/पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।*

## लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर वसूली

**1.31** 2007–08 के दौरान पावर सेक्टर कम्पनियों के अभिलेखों की नमूना जॉच में 134 मामलों में कुल 161.19 करोड़ रुपये के राजस्व का निर्धारण न किया जाना/कम निर्धारण किया जाना, वसूल न किया जाना, प्रकट हुआ। कम्पनी ने लेखा परीक्षा में दिखाये गये 82 मामलों में कुल 99.62 करोड़ रूपये मूल्य की आपत्तियों को स्वीकार किया जिसमें से दो लेखा परीक्षा आपत्तियों के सम्बन्ध में 0.40 करोड़ रुपये वसूले गयें।

## आन्तरिक लेखा परीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण

**1.32** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(अ) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षको (सनदी लेखाकार) को उनके द्वारा लेखा परीक्षित कम्पनियों में आन्तरिक लेखा परीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाना होता है, जहॉ सुधार की आवश्यकता है। तद्नुसार, वर्ष 2007–08 के

दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 11 कम्पनियों के मामलों में आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली में खामियों को अवलोकित किया। सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा आन्तरिक लेखा परीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में संभावित सुधार पर महत्वपूर्ण संस्तुतियों/टिप्पणियों का सारांश **परिशिष्ट–8** में दिया गया है। मुख्य टिप्पणियाँ निम्नलिखित प्रकृति की थीः

- आन्तरिक लेखा परीक्षा पद्धति अधिकतर सरकारी कम्पनियों के व्यापार के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नहीं थी।
- कुछ पीएसयू में आन्तरिक लेखा परीक्षा पद्धति विद्यमान नहीं थी।

## सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति

**1.33** 30 सितम्बर 2008 तक सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) में विचार–विमर्श हेतु लम्बित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति निम्नलिखित हैः

| लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि | लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित कुल समीक्षाये एवं प्रतिवेदन | | समीक्षाऐं एवं प्रस्तर जिन पर चर्चा हुयी | |
|---|---|---|---|---|
| | समीक्षा | प्रस्तर | समीक्षा | प्रस्तर |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1982-83 | 5 | 50 | 4 | 49 |
| 1983-84 | 4 | 60 | 2 | 60 |
| 1984-85 | 2 | 14 | 1 | 14 |
| 1985-86 | 6 | 22 | 5 | 22 |
| 1986-87 | 3 | 28 | 2 | 25 |
| 1987-88 | 8 | 23 | 7 | 23 |
| 1988-89 | 5 | 22 | 4 | 22 |
| 1989-90 | 6 | 14 | 6 | 14 |
| 1990-91 | 6 | 21 | 2 | 3 |
| 1991-92 | 4 | 38 | -- | 6 |
| 1992-93 | 5 | 33 | 3 | 9 |
| 1993-94 | 5 | 31 | 2 | 17 |
| 1994-95 | 5 | 41 | 1 | 32 |
| 1995-96 | 7 | 39 | 5 | 20 |
| 1996-97 | 8 | 40 | 2 | 30 |
| 1997-98 | 5 | 67 | 3 | 21 |
| 1998-99 | 5 | 26 | 3 | 14 |
| 1999-2000 | 4 | 41 | 3 | 23 |
| 2000-01 | 5 | 34 | 4 | 33 |
| 2001-02 | 4 | 34 | -- | 3 |
| 2002-03 | 4 | 38 | 2 | 6 |
| 2003-04 | 4 | 26 | 1 | 7 |
| 2004-05 | 4 | 27 | 1 | 7 |
| 2005-06 | 6 | 34 | 1 | 4 |
| 2006-07 | 5 | 32 | -- | -- |
| **योग** | **125** | **835** | **64** | **464** |

अक्टूबर 2007 से 30 सितम्बर 2008 की अवधि के दौरान सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) ने 11 बैठकें की तथा 1991–92 से 2005–06 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में उल्लिखित चार समीक्षाओं तथा 40 प्रस्तरों पर विचार–विमर्श किया।

## 619–ब कम्पनियॉं

**1.34** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ब के अन्तर्गत चार कम्पनियॉं आती थी जिसमें एक कम्पनी कार्यरत थी। **परिशिष्ट–9**, इन कम्पनियों के उनके अद्यतन उपलब्ध लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी, अंशपूँजी, ऋण एवं अनुदान के माध्यम से निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणामों के विवरण को इंगित करता है।

## अध्याय – II

## सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षाएं

### 2.1 दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम में गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों का समापन

**मुख्य अंश**

**2002–07 की अवधि के दौरान यूपीएफसी में एनपीएज 462.52 करोड़ रुपये से 637.50 करोड़ रुपये (कुल ऋण एवं अग्रिम का 67.03 प्रतिशत से 90.24 प्रतिशत) के बीच विस्तारित थी तथा पिकप में एनपीएज 304.88 करोड़ रुपये से 375.71 करोड़ रुपये (कुल ऋण एवं अग्रिम का 72.67 प्रतिशत से 93.71 प्रतिशत) के बीच विस्तारित थी। एनपीएज के उच्च स्तर ने यूपीएफसी एवं पिकप की वित्तीय स्थिति पर विपरीत प्रभाव डाले।**

***(प्रस्तर 2.1.8 एवं 2.1.10)***

**अनुसरण की कमी साथ ही साथ कब्जा लेने एवं आरसीज जारी करने में देरी ने यूपीएफसी के 60.60 करोड़ रुपये तथा पिकप के 112.02 करोड़ रुपये के बकाया देयकों की वसूली को कुप्रभावित किया।**

***(प्रस्तर 2.1.12)***

**बन्धक परिसम्पत्तियों के मूल्य से कम पर एक मुश्त समाधान अनुमोदित करने से यूपीएफसी को 14.15 करोड़ रुपये की हानि हुई।**

***(प्रस्तर 2.1.14)***

**ऋणियों/जमानतदाताओं की बन्धक प्रतिभूति तथा शुद्ध मूल्य के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन के परिणामस्वरूप यूपीएफसी एवं पिकप को क्रमशः 3.54 करोड़ रुपये तथा 27.16 करोड़ रुपये की हानि हुई।**

***(प्रस्तर 2.1.15)***

**लेखाकंन में त्रुटि, एक मुश्त समाधान की राशि का गलत निर्धारण, दूसरें ऋणदाताओं के साथ अनौचित्यपूर्ण समझौता इत्यादि कारणों से पिकप को चार प्रकरणों में 4.50 करोड़ रुपये की हानि हुई।**

***(प्रस्तर 2.1.16)***

**यूपीएफसी एवं पिकप ने अपात्र ऋणियों के साथ एक मुश्त समाधान में क्रमशः 7.46 करोड़ रुपये तथा 14.23 करोड़ रुपये की बकाया राशि अधित्याग कर दी।**

***(प्रस्तर 2.1.19)***

**प्रस्तावना**

**2.1.1** उत्तर प्रदेश में मध्यम एवं बड़े स्तर के औद्योगिक उद्यमों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करने के लिए दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (पिकप) का निगमन राज्य सरकार की कम्पनी के रूप में कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत दिनांक 29 मार्च 1972 को किया गया।

उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यूपीएफसी) की स्थापना, समय–समय पर

संशोधित राज्य वित्तीय निगम (एसएफसीज) अधिनियम, 1951 की धारा 3(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 1954 को की गयी। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं/अथवा संचालन के लिए यूपीएफसी विभिन्न योजनाओं यथा, उपकरण पुर्नवित्त योजना, नर्सिंग होम/इलेक्ट्रो मेडिकल उपकरण योजना, एकल खिड़की योजना, कार्यचालन पूँजीगत साविधि ऋण के अन्तर्गत ऋण की स्वीकृति एवं वितरण करती है।

औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्रदान करने के लिए यूपीएफसी एवं पिकप ने धन की व्यवस्था अपने पूँजी के उपयोग के अतिरिक्त बैंको/संस्थानों को बन्धपत्रों/ऋण–पत्रों को जारी करके, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी), बैंको, गृह एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको), राज्य सरकार एवं स्थिर जमा योजना के अन्तर्गत व्यक्तियों से ऋण लेकर किया।

पिकप का प्रबन्धन 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार छः निदेशकों से गठित निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। प्रबन्ध निदेशक कम्पनी के मुख्य अधिशासी है जो दिन–प्रतिदिन के कार्यकलापों का प्रबन्धन मुख्यालय में नियुक्त संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, महाप्रबन्धक एवं उपमहाप्रबन्धक एवं श्रेत्रीय कार्यालय, नोयडा में नियुक्त क्षेत्रीय प्रबन्धक की सहायता से करते हैं।

यूपीएफसी का प्रबन्धन 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार सात निदेशकों से गठित निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। प्रबन्ध निदेशक निगम के मुख्य अधिशासी है जो दिन–प्रतिदिन के कार्यकलापों का प्रबन्धन निगम के मुख्यालय में नियुक्त महाप्रबन्धक, उपमहाप्रबन्धक, अपर महाप्रबन्धकों एवं मुख्य प्रबन्धकों की सहायता से करते हैं। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवेदनो के मूल्याकंन, स्वीकृति, वितरण एवं ऋणों की वसूली की सुविधा के लिए निगम के राज्य के विभिन्न शहरों में 19 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसके मुखिया क्षेत्रीय प्रबन्धक हैं।

यूपीएफसी एवं पिकप के समग्र निष्पादन की अन्तिम समीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार के क्रमशः 1997–98 तथा 1999–2000 वर्ष के प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित की गयी थी। उक्त समीक्षाओं में सामान्यतः ऋण की स्वीकृति, स्वीकृत ऋण का वितरण, विधिक दस्तावेजों, इत्यादि का मूल्यांकन सम्मिलित था तथा उक्त क्षेत्रों में हुई चूकों के फलस्वरूप एकत्रित गैर निष्पादक परिसम्पत्तियो (एनपीएज) को विशेषतः शामिल किया गया था। यूपीएफसी (1997–98) एवं पिकप (1999–2000) की समीक्षाओं पर कोपू द्वारा अभी तक (अक्टूबर 2008) विचार विमर्श नही किया गया हैं।

## लेखा परीक्षा का क्षेत्र

**2.1.2** सितम्बर 2007 से मार्च 2008 के दौरान सम्पादित वर्तमान निष्पादित समीक्षा वर्ष 2006–07 तक के अन्तिम पॉच वर्षों में यूपीएफसी एवं पिकप की एनपीएज के समापन में निष्पादन को सम्मिलित करती हैं।

यूपीएफसी में वर्ष 2006–07 तक के अन्तिम पॉच वर्षों में एनपीएज की औसत धनराशि 574.76 करोड़ रुपये थी तथा पिकप में 343.54 करोड़ रुपये थी। निष्पादन समीक्षा यूपीएफसी के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में से अनियमित क्रम नमूना से चयनित पॉच क्षेत्रीय कार्यालयों* के बकाया ऋण पर आधारित थी। पिकप के सम्बन्ध में निष्पादन समीक्षा में उसके लखनऊ स्थित मुख्यालय तथा नोयडा स्थित एकमात्र क्षेत्रीय कार्यालय सम्मिलित थे। एनपीएज के 232.19 करोड़ रुपये (यूपीएफसीः 121 ऋण लेखाओं के सम्बन्ध में 126.99 करोड़ रुपये, पिकपः 70 ऋण लेखाओं के सम्बन्ध में 105.20 करोड़ रुपये) के प्रकरणों के 40 लाख रुपये से अधिक धनराशि के बकाया मूलधन के आधार पर अनियमित क्रम में चयनित किया गया।

* कानपुर, गाजियाबाद, नोयडा, आगरा तथा वाराणसी।

## लेखा परीक्षा के उद्देश्य

**2.1.3** निष्पादन लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि:

- एनपीएज के कारक तथा निगम/कम्पनी की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम पर उसके प्रभाव; तथा
- क्या एनपीएज का समापन निगम/कम्पनी की नीति/प्रक्रियाओं के अनुसार प्रभावी एवं सही ढंग से निम्नलिखित के सम्बन्ध में किया गया:
- ऋणियों का अनुसरण,
- ऋणियों के साथ एक मुश्त समाधान,
- बन्धक परिसम्पत्तियों का विक्रय, तथा
- वसूली प्रमाण पत्रों का जारी किया जाना।

## लेखा परीक्षा की कसौटी

**2.1.4** लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के मूल्यांकन के लिए विचारित लेखा परीक्षा की कसौटी निम्नलिखित के अनुपालन के परिणाम की जॉच थी:

- ऋण आवेदनों, ऋण का वितरण, विधिक दस्तावेजों का तैयार किया जाना तथा ऋण की वसूली के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश एवं कार्यप्रणालियॉं;
- ब्याज/मूलधन की अदायगी के सम्बन्ध में ऋण के अनुबन्धों की शर्तों एवं प्रतिबन्ध एवं ऋण की अदायगी में चूक होने की दशा में निगम/कम्पनी के अधिकार;
- चूक करने वाले ऋणी को नोटिस जारी किये जाने सहायतित इकाइयों की परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण एवं विक्रय तथा राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम से बकाया की वसूली से सम्बन्धित एसएफसीज अधिनियम, 1951 के प्रावधान; तथा
- ऋणी के साथ एक मुश्त समाधान तथा सहायतित इकाइयों की परिसम्पत्तियों के विक्रय से भी सम्बन्धित दिशानिर्देश एवं कार्य प्रणालियॉं।

## लेखा परीक्षा प्रक्रिया

**2.1.5** लेखा परीक्षा की कसौटी के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनायी गयी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित की जॉच करना था:

- निदेशक मंडल, क्षेत्रीय एवं मुख्यालय की समितियों, कोर समिति एवं समाधान समिति की बैठकों की कार्यसूची एवम् कार्यवृत्त का अवलोकन।
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एवं सिडबी के द्वारा परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण, एनपीएज का प्रावधान के सम्बन्ध में निर्गत दिशानिर्देश एवं राज्य औद्योगिक नीति।
- ऋण की स्वीकृति का मूल्यांकन, वितरण, विधिक दस्तावेज एवं ऋण की वसूली से सम्बन्धित वितरण मैनुअल, परिपत्र एवं कार्यालय आदेश।
- वसूली के सम्बन्ध में प्रगति प्रतिवेदनों एवं प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के अन्य प्रतिवेदनो की जॉच।

## लेखा परीक्षा प्रेक्षण

**2.1.6** निष्पादन समीक्षा के परिणामस्वरूप लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को प्रबन्धन/सरकार को निर्गत (मई 2008) किया गया एवं राज्य सार्वजनिक उपक्रमों की लेखा परीक्षा समीक्षा समिति (एआरसीपीएसई) की 28 अगस्त 2008 को हुई बैठक में विचार विमर्श किया गया जिसमे पिकप के प्रबन्ध निदेशक एवं यूपीएफसी के महाप्रबन्धक उपस्थित हुए। एआरसीपीएसई की बैठक में भाग लेने के लिए प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग को आमत्रिंत किया गया परन्तु सरकार का कोई भी प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। समीक्षा को अन्तिम रूप देते समय प्रबन्धन द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखा गया है।

लेखा परीक्षा प्रेक्षणों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी हैं:

## गैर निष्पादक परिसम्पत्तियॉ – स्थिति एवं कारण

**2.1.7** एनपीएज ऐसे ऋण एवं अग्रिम हैं जिनके सम्बन्ध में ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिन (31 मार्च 2004 के पूर्व 180 दिन) या उससे अधिक के लिए अतिदेय है। आईडीबीआई/सिडबी के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीएज को पुनः अवमानक (ब्याज तथा मूलधन की किस्तों में चूक 15 माह तक बनी रहती है), संदिग्ध–I (चूक 15 माह से 51 माह तक के बीच), संदिग्ध– II (चूक 51 माह से अधिक बनी रहती है) एवं हानि परिसम्पत्तियॉ, जहॉ पर ऋण एवं अग्रिम के सम्बन्ध में बन्धक प्रतिभूति नहीं है, में श्रेणीबद्ध की गयी है। 31 मार्च 2007 से, संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों को संदिग्ध–1 (चूक 15 माह से 27 माह के बीच), संदिग्ध–2 (चूक 27 माह से 51 माह के बीच) एवं संदिग्ध–3 (चूक 51 माह से अधिक बनी रहती है), तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैं।

एनपीएज की स्थिति तथा कारणों एवं निगम/कम्पनी की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणामों पर उसके प्रभाव पर नीचे चर्चा की गयी है:

### *गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों की स्थिति*

**2.1.8** यूपीएफसी एवं पिकप में 31 मार्च 2007 तक के पिछले पॉच वर्षों में एनपीएज (ऋण एवं अग्रिम) की विभिन्न श्रेणियों की स्थिति **परिशिष्ट–10** में दी गयी है। परिशिष्ट के विवरण के लेखा परीक्षा विश्लेषण में निम्नलिखित पाया गया:

- 2002–07 की अवधि में कुल ऋण एवं अग्रिम में से गैर निष्पादक ऋण एवं अग्रिम (एनपीए) यूपीएफसी में 462.52 करोड़ रुपये से 637.50 करोड़ रुपये (कुल ऋण एवं अग्रिम का 67.03 प्रतिशत से 90.24 प्रतिशत) एवं पिकप में 304.88 करोड़ रुपये से 375.71 करोड़ रुपये (कुल ऋण एवं अग्रिम का 72.67 प्रतिशत से 93.71 प्रतिशत) के बीच विस्तारित था।

- 2002–07 की अवधि में यूपीएफसी में हानि श्रेणी (ऋण एवं अग्रिम के सम्बन्ध में जहॉ बन्धक प्रतिभूतियॉ उपलब्ध नही हैं) का एनपीएज 137.25 करोड़ रुपये से 151.09 करोड़ रुपये (कुल ऋण एवं अग्रिम का 14.88 प्रतिशत से 20.71 प्रतिशत) एवं पिकप में 1.08 करोड़ रुपये से 128.31 करोड़ रुपये (0.22 प्रतिशत से 38.56 प्रतिशत) के बीच विस्तारित था। चूँकि इस श्रेणी के एनपीएज के सम्बन्ध में कोई बन्धक प्रतिभूति उपलब्ध नही थी, उनकी वसूली के अवसर बहुत क्षीण थे।

### *गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों के कारण*

**2.1.9** जैसा कि लेखा परीक्षा में देखा गया एनपीएज के मूलभूत कारण निम्नलिखित थे:

- अव्यवहार्य परियोजनाओं को ऋण की स्वीकृति,

- प्रतिभूतियों के सत्यापन में हुई चूक या अपर्याप्त प्रतिभूति प्राप्त करना,
- ऋणी की विश्वसनीयता का पुष्टीकरण न किया जाना,
- ऋणी की कार्यचालन पूँजी की आवश्यकता की व्यवस्था सुनिश्चित किये बिना ऋणों की स्वीकृति,
- ऋणों की वसूली का खराब अनुसरण,
- एसएफसीज अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत उत्पीड़क कार्यवाही में विफलता, यथा, भौतिक कब्जा लेने मे देरी, सहायतित इकाइयों की मुख्य परिसम्पत्तियों का विक्रय एवं वसूली प्रमाण पत्र इत्यादि का निर्गत नही किया जाना।

उपरोक्त के अतिरिक्त, जैसा कि यूपीएफसी के द्वारा कराये गये एक अध्ययन (जुलाई 2005) में प्रकट हुआ, खराब प्रबन्धन, कार्यचालन पूँजी की समस्या, ढांचागत सुविधाओं की कमी, विपणन से सम्बन्धित समस्याएं, सरकार की नीतियों, इत्यादि के कारण भी सहायतित इकाइयॉ असफल रहीं जिसके परिणामस्वरूप एनपीएज हुआ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋण गैर निष्पादक या अशोध्य न हो जाये, ऋण आवेदनों का मूल्यांकन उन सभी कारकों, जोकि परियोजनाओं की व्यवहार्यता को प्रभावित कर सकते हैं, को ध्यान मे रखकर सावधानी पूर्वक किये जाने की आवश्यकता है। पुनः ऋणों को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि जोखिम के अनुसार ऋणी से पर्याप्त प्रतिभूति प्राप्त कर लिया जाये। वर्तमान निष्पादन समीक्षा में ऋणों के मूल्यांकन एवं प्रतिभूति प्राप्त करने में हुई चूकों को शामिल किया गया है जिसके परिणामस्वरूप ऋणों की खराब वसूली रही जिससे एनपीएज में वृद्धि हुई।

## वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणामों पर एनपीएज का प्रभाव

**2.1.10** यूपीएफसी एवं पिकप ने आईडीबीआई/सिडबी के द्वारा समय–समय पर निर्गत संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार 1993–94 से अपने लाभ–हानि लेखों में एनपीएज के लिए प्राविधान किये। 31 मार्च 2007 को एनपीएज के विरुद्ध कुल 302 करोड रुपये (यूपीएफसी) एवं 283.34 करोड़ रुपये (पिकप) का प्राविधान था। पुनः 2006–07 तक के पिछले पॉच वर्षों में यूपीएफसी एवं पिकप में ऋणों (मूलधन एवं उस पर ब्याज) की खराब वसूली के परिणामस्वरूप क्रमशः 199.08 करोड़ रुपये एवं 92.87 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि प्रतिफलित हुई। एनपीएज के लिए किये गये प्राविधान, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने एवं ऋणों की खराब वसूली के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2007 को संचित हानि 827.94 करोड़ रुपये (यूपीएफसी) एवं 407.84 करोड रुपये (पिकप) हो गयी। परिणामस्वरूप, यूपीएफसी एवं पिकप की प्रदत्त पूँजी पूरी तरह से समाप्त हो गयी जो उनकी खराब वित्तीय स्थिति को दर्शाती थी।

लेखा परीक्षा में पुनः निम्नलिखित अवलोकित किया गया:

- ऋणों एवम् उस पर ब्याज की खराब वसूली के कारण यूपीएफसी एवं पिकप औद्योगिक इकाइयों को पुनः वित्त सहायता के लिए निधि नही बना सके तथा सिडबी एवं आईडीबीआई से लिए गये ऋणों पर 35.56 करोड़ रुपये (यूपीएफसीः 7.92 करोड़ रुपये एवं पिकपः 27.64 करोड़ रुपये) के देय ब्याज की अदायगी में चूक की।

- उद्योग में मन्दी, बैंको द्वारा औद्योगिक इकाइयों को कम दर पर ब्याज के ऋणो को प्रदान करने की प्रतिस्पर्धा, वित्तीय संस्थानों से पुनर्वित्त प्राप्त नही होना, वैधानिक तरलता आरक्षण (एसएलआर) बाण्ड के कोटा में कमी तथा पिछले ऋणों की खराब वसूली के कारण औद्योगिक इकाइयों को नये ऋण की स्वीकृति तथा वितरण में तीव्र कमी आयी। 2001–02 तक के पिछले पॉच वर्षों

में 625.84 करोड़ रुपये के वितरण के विरुद्ध, 2006–07 तक के पिछले पॉच वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत यूपीएफसी 292.01 करोड़ रुपये का वितरण कर सका। 2001–02 तक के पिछले पॉच वर्षों में 418.93 करोड़ रुपये के वितरण के विरुद्ध 2002–07 में पिकप मात्र 7.56 करोड़ रुपये के ऋणों का वितरण कर सका।

## गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों का समापन

**2.1.11** एनपीएज के समापन के लिए, यूपीएफसी/पिकप ने अनुसरण, ऋणी से एक मुश्त समाधान, एसएफसी अधिनियम, 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत बन्धक परिसम्पत्तियों का विक्रय एवं लोकधन वसूली अधिनियम, 1972 की धारा 3 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की पद्धतियॉ अपनायी, जिसपर निम्नवत चर्चा की गयी है:

## ऋणी के साथ अनुसरण

**2.1.12** ऋणी के साथ किये ऋण अनुबन्धो की शर्तों एवं प्रतिबन्धों में यह प्रावधान था कि ऋणी को ब्याज सहित ऋण की अदायगी समय सारणी के अनुसार करनी होगी। ऋण की अदायगी में चूक करने की दशा में, यूपीएफसी/पिकप, ऋणियों/जमानतदाताओं को मांग–कारण–बताओ सूचना जारी करती है और देयों की अदायगी के लिए उनका अनुसरण करती है। अदायगी न होने पर, यूपीएफसी एवं पिकप इकाई का कब्जा लेने के लिए एसएफसी अधिनियम 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत सूचना जारी करती हैं जिससे इनको अर्जित परिसम्पत्तियों का विक्रय करके देयों की वसूली का विकल्प मिलता है। भुगतान की मॉग के विरुद्ध, मूलधन एवं ब्याज की राशि की वसूली का विवरण **परिशिष्ट–11** में दिया गया हैं। परिशिष्ट से यह परिलक्षित होता है कि यूपीएफसी/पिकप के सम्बन्ध में वसूली की उपलब्धि सन्तोषजनक नही थी, जैसा कि निम्नवत संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है:

- यूपीएफसी के सम्बन्ध में, 2006–07 तक के पिछले पॉच वर्षों में 291.09 करोड़ रुपये से 429.07 करोड़ रुपये के बीच विस्तारित मूलधन की अदायगी की मॉग के विरुद्ध वसूली 105.39 करोड़ रुपये से 179.53 करोड़ रुपये (33.75 प्रतिशत से 42.30 प्रतिशत) के बीच विस्तारित थी तथा 1049.63 करोड़ रुपये से 2687.52 करोड़ रुपये के बीच विस्तारित ब्याज की मॉग के विरुद्ध वसूली 30.60 करोड़ रुपये से 78.18 करोड़ रुपये (1.14 प्रतिशत से 7.45 प्रतिशत) के बीच विस्तारित थी।

- पिकप के सम्बन्ध में, 2006–07 तक के पिछले पॉच वर्षों में 310.75 करोड़ रुपये से 347.83 करोड़ रुपये के बीच विस्तारित मूलधन की अदायगी की मॉग के विरुद्ध वसूली 36.79 करोड़ रुपये से 61.16 करोड़ रुपये (11.23 प्रतिशत से 18.39 प्रतिशत) के बीच विस्तारित थी तथा 1339.73 करोड़ रुपये से 2664.96 करोड़ रुपये के बीच विस्तारित ब्याज की मॉग के विरुद्ध वसूली 8.44 करोड़ रुपये से 32.02 करोड़ रुपये (0.32 प्रतिशत से 2.39 प्रतिशत) के बीच विस्तारित थी।

**अनुसरण मे चूक ने 60.60 करोड़ रुपये की यूपीएफसी के देयकों तथा 112.02 करोड़ रुपये की पिकप के देयकों की वसूली को कुप्रभावित किया।**

**परिशिष्ट–12** में दिये गये विवरणानुसार 11 इकाइयों के सम्बन्ध में वसूली के अनुसरण में गम्भीर चूकों, यथा, मॉग कारण बताओ सूचना जारी करने में देरी, कई प्रकरणों में एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत सूचना जारी करने के बाद भी इकाइयों का कब्जा न लेना जिससे संयंत्र एवं मशीनो को हटाने में सहायता मिलना, वसूली प्रमाण पत्रों (आरसीज) को राजस्व अधिकारियों को देर से जारी करना या जारी नही करना, आरसीज के निष्पादन के लिए अनुसरण न करना, इत्यादि लेखा परीक्षा के संज्ञान में आया। परिणामस्वरूप, 172.62 करोड़ रुपये (यूपीएफसी: छः इकाइयों में 60.60 करोड़ रुपये, पिकप: पॉच इकाइयों में 112.02 करोड़ रुपये) की बकाया राशि की वसूली कुप्रभावित रही जिसके परिणामस्वरूप एनपीएज भारी मात्रा में एकत्रित हो गया।

## ऋणी के साथ एक मुश्त समाधान

**2.1.13** एनपीएज के समापन के लिए यूपीएफसी एवं पिकप ने ऋणी के साथ एक मुश्त समाधान (ओटीएस) के लिए नीति विकसित की। यूपीएफसी एवं पिकप ने ओटीएस के लिए विस्तृत, समय–समय पर संशोधित दिशानिर्देश (मार्च 1999) तथा प्रक्रिया (सितम्बर 1999) जारी किये। ओटीएस के लिए बनाये गये दिशानिर्देशों के अनुसार, ऋणी द्वारा दिये जाने योग्य राशि का निर्धारण परिभाषित मैट्रिक्स या बन्धक प्रतिभूति की बाजार में वास्तविक वसूली योग्य मूल्य (आरआरवी) तथा ऋणियों/जमानतदाताओं के शुद्ध मूल्य का योग, जो भी अधिक हो, के अनुसार की जाती है। ओटीएस के दिशानिर्देशों में दिये गये मैट्रिक्स के अनुसार ओटीएस की राशि में सामान्यतः ऋण एवं अग्रिम की श्रेणियों के अनुसार मूलधन, खर्चे तथा ब्याज का एक अंश या कोई ब्याज नही सम्मिलित रहता है। बन्धक प्रतिभूति की आरआरवी के निर्धारण के लिए, यूपीएफसी/पिकप के अधिकारियों तथा बाहरी मूल्य निर्धारक द्वारा वह मूल्य निर्धारित करने के लिए जो यदि खुले बाजार में परिसम्पत्तियॉ विक्रय की जाती, प्राप्त होता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। ओटीएस प्रस्ताव पर, जहॉ ओटीएस की राशि मैट्रिक्स के अनुसार नही होती है, यूपीएफसी एवं पिकप दोनों में एक समिति के द्वारा विचार किया जाता है।

यूपीएफसी एवं पिकप में 2006–07 तक के पिछले पॉच वर्षों में ओटीएस के द्वारा एनपीएज के समापन की स्थिति **परिशिष्ट–13** में दिया गया है। परिशिष्ट से यह परिलक्षित होगा कि:

- ओटीएस के द्वारा यूपीएफसी 2002–07 की अवधि में 1569.58 करोड़ रुपये की बकाया राशि में से 295.35 करोड़ रुपये वसूल सकी तथा 2002–07 की अवधि में पिकप 593.20 करोड़ रुपये की बकाया राशि में से 139.33 करोड़ रुपये वसूल सकी।
- ओटीएस नीति का उल्लंघन करते हुए ओटीएस के मामलों में बकाया मूलधन की राशि से कम पर समझौता किया गया तथा 2002–07 की अवधि में यूपीएफसी के सम्बन्ध में 6.78 करोड़ रुपये तथा पिकप के सम्बन्ध में 34.21 लाख रुपये बट्टे खाते में डाले गये।

ओटीएस के मामलों में लेखा परीक्षा की जॉच में यह प्रकट हुआ कि मामलों का निस्तारण पूरी तरह से ओटीएस के दिशानिर्देशों के अनुसार नही किया गया, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

### *बन्धक परिसम्पत्तियों के मूल्य से कम पर एक मुश्त समाधान*

**बन्धक परिसम्पत्तियों के मूल्य से कम पर ओटीएस के अनुमोदन के कारण यूपीएफसी को 14.15 करोड़ रुपये की हानि हुई।**

**2.1.14** यूपीएफसी के पॉच क्षेत्रों* के ओटीएस के मामलों के विश्लेषण में यह प्रकट हुआ कि कुल 607.74 करोड़ रुपये की बकाया देयों के विरुद्ध प्रबन्धन ने 2002–07 की अवधि में 386 मामलों में देयको का समझौता 109.01 करोड़ रुपये में किया। इसमे से, 72 मामलों (संयुक्त वित्त सहायतित मामलों और परिसमापनाधीन इकाइयों को छोड़कर) के सम्बन्ध में कुल 90.48 करोड़ रुपये की बकाया राशि के विरुद्ध, ओटीएस की कुल राशि (32.52 करोड़ रुपये) बन्धक प्रतिभूति के मूल्य (60.11 करोड़ रुपये) से कम पर अनुमोदित की गयी तथा ओटीएस के दिशानिर्देशों के प्राविधानो को शिथिल करते हुए 57.96 करोड़ रुपये को छोड़ दिया गया। इस प्रकार, बन्धक प्रतिभूति के मूल्य से कम पर ओटीएस के अनुमोदन के कारण, यूपीएफसी ने 14.15 करोड़ रुपये** की हानि वहन की।

---

* आगरा, गाजियाबाद, कानुपर,, नोयडा तथा वाराणसी।

** इसमें (i) 34 मामले में बट्टे खाते में डाली गयी राशि, जिसमें अनुमोदित ओटीएस की राशि एवं छोड़ दी गयी राशि का योग बन्धक प्रतिभूति के मूल्य से कम था, एवं (ii) 38 मामले, जिसमें अनुमोदित ओटीएस की राशि एवं छोड दी गयी राशि का योग बन्धक प्रतिभूति के मूल्य से अधिक था, में ओटीएस की राशि एवं बन्धक प्रतिभूति के मूल्य में अन्तर का योग हैं।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2008) कि जहॉ भी मूल्यांकन अधिक था उसने शत–प्रतिशत साधारण ब्याज वसूलने का प्रयत्न किया तथा छोड़ दी गयी राशि में मुख्यतः दण्ड एवं चक्रवृद्धि ब्याज सम्मिलित था।

लेखा परीक्षा ने देखा कि 2002–07 की अवधि के निस्तारित 386 मामलों के विरुद्ध 72 मामलों में ओटीएस नीति का पालन नही किया गया, इन मामलो में ऋणियों/जमानतदाताओं के शुद्ध मूल्य को संज्ञान में नही लिया गया तथा 15 मामलों में बन्धक परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन एवं मैट्रिक्स दोनों से कम पर ओटीएस किया गया।

### *बन्धक प्रतिभूति एवं शुद्ध मूल्य का त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन*

**बन्धक प्रतिभूतियों एवं शुद्ध मूल्य के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन के कारण यूपीएफसी तथा पिकप को 30.70 करोड़ रुपये की हानि हुई।**

**2.1.15** ओटीएस की राशि की गणना बन्धक प्रतिभूति के मूल्य तथा ऋणियों/जमानतदाताओं के शुद्ध मूल्य के योग के सन्दर्भ में किया जाता है। अतः ओटीएस की उचित राशि की गणना के लिए इनका सही मूल्यांकन आवश्यक है। लेखा परीक्षा ने **परिशिष्ट–14** में दिये गये विवरणानुसार 13 मामलों में देखा कि ऋणी के साथ ओटीएस या तो बन्धक प्रतिभूति के मूल्य को ध्यान में न रखते हुए किया गया या ऋणियों/जमानतदाताओं की बन्धक परिसम्पत्तियों/शुद्ध मूल्य का सही मूल्यांकन नही किया गया। इसके परिणामस्वरूप, ओटीएस कम राशि पर किया गया तथा परिणामतः यूपीएफसी एवं पिकप को 30.70 करोड़ रुपये की हानि हुई (यूपीएफसीः 3.54 करोड़ रुपये, पिकपः 27.16 करोड़ रुपये)।

### *अन्य चूकें*

**2.1.16** लेखा परीक्षा ने पुनः छः इकाइयों (**परिशिष्ट–15** के अनुसार चार इकाइयॉ एवम् प्रस्तर 2.1.17 एवं 2.1.18 में चर्चा की गयी दो इकाइयॉ) के सम्बन्ध में लेखाकंन मे चूक, ओटीएस की राशि का गलत निर्धारण, ऋण के मूल्यांकन के समय प्राप्त किये प्रतिभूति का गलत मूल्यांकन, शुद्ध मूल्य का दस्तावेज/विवरण प्राप्त न करना, ओटीएस के प्रस्तावों की अवहेलना, ऋण की वसूली के लिए कार्यवाही करने में असफलता, इत्यादि देखा जिससे ऋणी के साथ किये गये ओटीएस की राशि प्रभावित हुई। इसके परिणामस्वरूप चार मामलों* में पिकप को 4.50 करोड़ रुपये की हानि हुई (यूपीएफसी की दो इकाइयों** के सम्बन्ध में हानि की राशि का निर्धारण करना सम्भव नही था)।

**2.1.17** यूपीएफसी ने पानी रखने की प्लास्टिक की टंकी के निर्माण की एक इकाई की स्थापना के लिए एआरएस प्लास्टिक (प्राइवेट) लिमिटेड (एआरएसएल) को 58.57 लाख रुपये का स्थायी सम्पत्ति सावधि ऋण तथा 20 लाख रुपये का कार्यचालन पूँजी सावधि ऋण (डब्ल्यूसीटीएल) स्वीकृत (मार्च 1996 एवं अक्टूबर 1997) तथा वितरित किया।

एआरएसएल ने प्रारम्भ से ही ऋण के भुगतान में चूक की। यूपीएफसी ने एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत सूचना जारी की (नवम्बर 1998)। यूपीएफसी ने इकाई का भौतिक कब्जा (फरवरी 2003) देर से लिया तथा संयत्र एवं मशीन (मूल्य 59.41 लाख रुपये) तथा वस्तुएं/भंडार (मूल्य 20 लाख रुपये) गायब पाया। यूपीएफसी ने एआरएसएल की भूमि एवं भवन 41.50 लाख रुपये में बेच दी (मार्च 2003)। 15 जुलाई 2006 को अवशेष बकाया राशि 416.22 लाख रुपये की वसूली के लिए यूपीएफसी ने प्रवर्तको के साथ 41.52 लाख रुपये (मूलधनः 38.49 लाख रुपये, ब्याजः 0.44 लाख रुपये एवं खर्चे 2.59 लाख रुपये) का ओटीएस अनुमोदित किया (सितम्बर 2006)। ओटीएस के विरुद्ध ऋणियों ने आंशिक रूप से (10 लाख रुपये) का भुगतान किया (सितम्बर 2008 की स्थिति)।

---

* तीन मामले परिशिष्ट–15 के क्रम संख्या 2,3, तथा 4 पर तथा एक मामला प्रस्तर 2.1.18 मे उल्लिखित।

** एक मामला परिशिष्ट–15 के क्रम संख्या 1 पर तथा एक मामला प्रस्तर 2.1.17 में उल्लिखित।

लेखा परीक्षा ने एआरएसएल एवं प्रवर्तकों के शुद्ध मूल्य तथा प्रतिभूति के मूल्यांकन में निम्नलिखित कमियों को पाया जिसने ओटीएस की राशि को कुप्रभावित किया:

- मूल्यांकन के समय सम्पार्श्वीय प्रतिभूति का अधिक मूल्यांकन किया गया।
- ओटीएस करते समय प्रवर्तकों द्वारा दिये गये शपथपत्र का सत्यापन प्रवर्तकों के शुद्ध मूल्य में क्षरण को स्थापित करने के लिए नही किया गया।
- यूपीएफसी ने सूचना जारी करने के चार वर्ष पश्चात् इकाई का कब्जा लिया (फरवरी 2003)। देरी करने से प्रवर्तकों को इकाई से संयंत्र एवं मशीन तथा वस्तुए/भंडार हटाने में सुविधा हुई।
- गायब हुए संयंत्र एवं मशीन का मूल्य ओटीएस के समय (सितम्बर 2006) तक ह्रासित लिया गया जबकि इसे हटाने की तिथि (फरवरी 2003) तक ही लिया जाना चाहिए था क्योंकि ऋणियों द्वारा इसका लाभ उसी तिथि तक उठाया गया।
- ओटीएस करने के लिए, गायब हुई वस्तुओं एवं भंडार के मूल्य को ध्यान में नही रखा गया।

प्रबन्धन ने इस तथ्य को कि उस समय प्रचलित मानकों के अनुसार मूल्यांकन नही किया गया, स्वीकार करते हुए (सितम्बर 2008) कहा कि प्रथा के अनुसार प्रवर्तकों से उनकी अचल सम्पत्तियों के विवरण के सम्बन्ध में शपथपत्र लिया जा रहा था। निदेशक (इकाई के) ने यह घोषित कर दिया था कि मदनगीर, नई दिल्ली स्थित सम्पत्ति का हस्तांतरण हो चुका हैं तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा कृषि भूमि की नीलामी की जा चुकी थी। निगम नीलाम में प्राप्त राशि को अवमुक्त कराने के लिए अनुसरण कर रही थी। उन्होने पुनः कहा कि इकाइयों के विक्रय के दिशानिर्देशों के अनुसार इकाई का कब्जा यथोचित प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद लिया जाना था तथा मशीनों के मूल्य का निर्धारण किसी पिछले तिथि से करने का कोई औचित्य नही था।

यह तथ्य है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में कमियॉ रही जिससे ओटीएस प्रभावित हुआ जैसा कि लेखा परीक्षा के निष्कर्ष में उल्लिखित किया गया है।

**2.1.18** पिकप ने गाजियाबाद में क्राफ्ट कागज की निर्माण इकाई की स्थापना/पुर्नवासन के लिए गुप्ता पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड (जीपीएमएल) को कुल 94.25 लाख रुपये के तीन सावधि ऋण स्वीकृत किये (मई 1981 से मई 1987)। ऋणियों ने यूपीएफसी से ऋण (28.09 लाख रुपये) तथा कारपोरेशन बैंक से कार्यचालन पूँजी सहायता (48 लाख रुपये) भी प्राप्त किये।

इकाई को बीआईएफआर में सन्दर्भित किया गया (1989) जिसने इसके परिसमापन का आदेश दिया (मई 1994)। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जीपीएमएल की सभी स्थायी परिसम्पत्तियॉ पिकप द्वारा 391 लाख रुपये में बेच दी गयी (जनवरी 2001)। विक्रय प्राप्ति को स्टेट बैंक आफ पटियाला, लखनऊ में एफडीआर के रुप में जमा किया गया जो ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के पास गैर धारणाधिकार लेखा के रूप में रखा गया। यूपीएफसी एवं कारपोरेशन बैंक की संयुक्त बैठक (25 अक्टूबर 2005) में 325 लाख रुपये की बकाया राशि पर, उनसे सम्बन्धित बकाया मूलधन की राशि (पिकप का अंशः 169.29 लाख रुपये) के अनुपात में, समझौता करने पर सहमति हुई। एफडीआर का मूल्य 510.44 लाख रुपये था (मार्च 2006 को)। अक्टूबर 2005 के समझौते के अनुसार, 325 लाख रुपये पिकप, यूपीएफसी एवं बैंक के मध्य बॉट दिये गये तथा एफडीआर की 185.44 लाख रुपये (510.44 लाख रुपये घटा 325 लाख रुपये) की अवशेष राशि का भुगतान जीपीएमएल को कर दिया गया।

**दूसरे ऋणदाताओं के साथ अनुचित समझौता करने के कारण पिकप ने 2.12 करोड़ रुपये की हानि उठाई।**

लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि केवल 325 लाख रुपये के बॅटवारे का अक्टूबर 2005 का अनुबन्ध न्यायोचित नही था क्योंकि जीपीएमएल की परिसम्पत्तियों पर यूपीएफसी एवं पिकप का प्रथम प्रभार था तथा बैंक का द्वितीय प्रभार था। इसलिए, 510.44 लाख

रुपये की सम्पूर्ण राशि पिकप एवं यूपीएफसी के मध्य उनके बकाया मूलधन के अनुपात में बॉटी जानी चाहिए थी। इस प्रकार से, पिकप का अंश 381.10 लाख रुपये होना चाहिए था। अतः परिसम्पत्तियों के विक्रय की राशि तथा जीपीएमएल की परिसम्पत्तियों पर प्रभार की वरीयता की उपेक्षा के परिणामस्वरूप पिकप को 211.81 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रबंधन ने अन्य बातों के साथ कहा (जुलाई 2008) कि चूँकि ऋणियों के विरुद्ध एफआईज/बैंक के कानूनी अधिकार को लागू करने के सभी प्रयास दायित्वों के निर्धारण की अन्तिम अवस्था तक नही पहुँच पा रहे थे, एफआईज/बैंक द्वारा यह अनुभव किया गया कि अंश की सबसे अच्छी तथा जल्दी प्राप्ति के लिए एक समझौता किया जाये। उन्होने पुनः कहा कि बैंक एवं डीआरटी यह प्रतिरोध कर रहे थे कि कम्पनी की परिसम्पत्तियों पर उनके बराबर के प्रभार थे तथा उक्त मत लम्बे समय से न्यायालय में विचाराधीन था।

तथापि, जबकि अकेले पिकप का कुल बकाया 19.59 करोड़ रुपये था (जनवरी 2005 को) तथा पिकप के पास जीपीएमएल की परिसम्पत्तियों पर प्रथम प्रभार के दस्तावेज भी थे, अतः केवल 325 लाख रुपये के बॅटवारे के समझौते का कोई औचित्य नही था।

### *अपात्र ऋणियों के साथ एक मुश्त समाधान*

**2.1.19** यूपीएफसी की ओटीएस नीति में प्रावधान था कि केवल निष्कपट प्रकरणों पर विचार किया जायेगा और ऐसी इकाइयों जो धोखाधड़ी, अपराधिक कार्यवाही, चोरी और कुवृत्तियों में संलिप्त हो उन पर समान्यतः ओटीएस के लिये विचार नही किया जाना चाहिए। पिकप की ओटीएस नीति में यह भी प्रावधान था कि निष्कपट प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य प्रकरण चाहे वे ओटीएस नीति की सीमा के अन्तर्गत आते हों, ओटीएस के लिये विचारित नही किये जायेंगे। निम्नलिखित प्रकरणों में, पात्रता नहीं होने पर भी ओटीएस की स्वीकृति दी गयीः

- यूपीएफसी ने एशियाटिक पेट्रोलियम कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के सम्बंध मे ओटीएस की स्वीकृति (दिसम्बर 2006) दी और 7.46 करोड़ रुपये के ब्याज का त्याग किया। यद्यपि ऋणी के विरुद्ध वित्तपोषित उपकरणों को अनाधिकृत रूप से हटाने का प्रकरण लम्बित था।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2008) कि एक मुश्त समझौते के दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्यतः ऐसे ऋणी, ओटीएस के अन्तर्गत नही आने चाहिये परन्तु निगम को सभी ऋणी इकाइयों से लोकधन की वसूली करनी थी एवम् जब इकाई के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही के परिणाम नही मिल रहे थे तब ओटीएस द्वारा समझौते का प्रयास किया गया।

- पिकप ने लूनर डायमण्डस लिमिटेड के सम्बंध मे ओटीएस की स्वीकृति (जून 2007) दी और 14.23 करोड़ रुपये के ब्याज का त्याग किया जबकि एक याचिका {पुलिस प्राधिकारियों के अंतिम प्रतिवेदन (एफआर) के विरुद्ध सितम्बर 2002 मे दायर की गयी} उच्च न्यायालय में निर्णय हेतु लम्बित थी।

प्रबंधन ने अन्य बातों के साथ कहा (अगस्त 2008) कि नवम्बर 1998 में दर्ज की गई प्राथमिक सूचना के विरुद्ध पुलिस प्राधिकारियों ने छानबीन के पश्चात् अपना अन्तिम प्रतिवेदन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजीएम), गौतम बुद्ध नगर के समक्ष दर्ज किया, जोकि न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि पिकप ने उच्च न्यायालय के समक्ष अन्तिम प्रतिवेदन के विरुद्ध एक याचिका दायर की जोकि लम्बित थी, अतः कोई आपराधिक कार्यवाही लम्बित नही थी।

निष्कपट ऋणियों के अतिरिक्त अन्य पक्षों के साथ किये गये एक मुश्त समाधान, ओटीएस नीति में प्रतिपादित सिद्धान्तो के विरुद्ध थे।

### *ऋणियों/जमानतदाताओं के शुद्ध मूल्य के क्षरण होने के सम्बन्ध में निष्क्रियता*

**2.1.20** ऋण स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, ऋण वितरण से पूर्व ऋणी/जमानतदाताओं से एक शपथ पत्र उनकी व्यक्तिगत सम्पत्तियों के संबंध में प्राप्त किया जाता है एवं इस तथ्य हेतु कि घोषित सम्पत्तियॉ उनकी हैं तथा वे उन्हे बिना यूपीएफसी/पिकप की पूर्व लिखित अनुमति के घोषित सम्पत्तियों को न बेचेंगे, बंधक करेंगे, निस्तारित करेंगे ओर न कोई प्रभार स्थापित करेंगे। इसके अतिरिक्त यूपीएफसी/पिकप की ओटीएस नीतियों के अनुसार, ऋणी के साथ ओटीएस की धनराशि, ओटीएस नीति में दी गयी मैट्रिक्स की राशि के अनुसार अथवा इकाई की बंधक सम्पत्तियों के मूल्य एवं ऋणियों/जमानतदाताओं की शुद्ध मूल्य का योग, जो भी अधिक हो, होगी।

लेखा परीक्षा के संज्ञान में यह आया कि 22 प्रकरणों में (यूपीएफसीः 9 इकाइयॉ, पिकपः 13 इकाइयॉ) घोषित सम्पत्तियों पर प्रभार स्थापित करने की धारा शपथ पत्र में सम्मिलित नही थी। ऐसी धारा की अनुपस्थिति ने ऋणियों/जमानतदाताओं को यूपीएफसी/पिकप की लिखित स्वीकृति के बिना घोषित सम्पत्तियों को बेचने, निस्तारित करने, या प्रभार स्थापित करने हेतु सक्षम बना दिया। ऋणियों/जमानतदाताओं को या तो ऐसा करने से रोकने या शपथ पत्र में दिये गये वायदे को भंग करने के लिये कोई कार्यवाही नही की गई। परिणामतः यह सामान्यतया पाया गया कि ओटीएस के समय या तो अल्प या कोई सम्पत्ति उपलब्ध नही थी। इन 22 इकाइयों में कुल बकाया धनराशि (व्ययों को छोड़कर) 196.62 करोड़ रुपये (यूपीएफसीः 33.24 करोड़ रुपये, पिकपः 163.38 करोड़ रुपये) के विरुद्ध, ओटीएस कुल 31.69 करोड़ रुपये (यूपीएफसीः 5.53 करोड़ रुपये, पिकपः 26.16 करोड़ रुपये) का किया गया।

**ऋणियों/जमानतदाताओं के शुद्ध मूल्य में क्षरण के सम्बन्ध में निष्क्रियता ने यूपीएफसी एवं पिकप के कुल 196.62 करोड रुपये के देयकों के सापेक्ष ओटीएस की राशि को कुप्रभावित किया।**

पिकप के प्रबंधन ने अन्य बातों के साथ कहा (जुलाई 2008) कि प्रवर्तकों/जमानतदाताओं से शपथ पत्र निगम को आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तिगत जमानत से वसूली करने हेतु, सक्षम बनाने हेतु लिये जाते थे और शपथ पत्र मे घोषित सम्पत्तियॉ पिकप को अधिकृत, वैधानिक रूप से चिन्हित या बन्धक नहीं थी।

यूपीएफसी के प्रबंधन ने अन्य बातों के साथ कहा (सितम्बर 2008) कि निगम ने विकास बैंक की भूमिका निर्वाह की और बहुत लघु, लघु और मध्यम इकाइयों को ऋण प्रदान किया, उनके द्वारा घोषित व्यक्तिगत सम्पत्तियॉ बंधक नही थी जब तक कि वे सम्पार्श्वीय जमानत के रूप में न दी गयी हों। मूल्यांकन के समय घोषित व्यक्तिगत अचल सम्पत्तियॉ अधिकतर पैतृक संयुक्त सम्पत्तियॉ थी जिन्हे बेचना कठिन था एवं चूँकि व्यक्तिगत सम्पत्तियॉ बंधक नही थी अतः ऋणियों को स्वामित्व हस्तांतरित करने से रोकना संभव नहीं था।

चूँकि ऋण संविदा की शर्तें ऋणदाता के वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिये होती है, इसलिये यदि शपथ पत्र घोषित सम्पत्तियों के अन्तरण, विक्रय या प्रभार की स्थापना को रोकने मे सक्षम नहीं है तो शपथ पत्र प्राप्त करने का उद्देश्य निर्रथक हो जाता हैं।

### बंधक सम्पत्तियों का विक्रय

**2.1.21** एसएफसी अधिनियम, 1951 की धारा 29 यूपीएफसी तथा पिकप को ऋणियों द्वारा देयकों का भुगतान न करने पर बंधक सम्पत्ति को विक्रय करने की शक्ति प्रदान करती हैं। दोषी इकाइयों की बंधक सम्पत्ति के विक्रय के प्रकरणों की लेखा परीक्षा की जॉच में निम्नलिखित ज्ञात हुआः

- वर्ष 2002–07 में यूपीएफसी 207.96 करोड़ रुपये (877 इकाइयॉ) के बकाया मूलधन के विरुद्ध, इकाइयों की बिक्री से 139.11 करोड़ रुपये (66.89 प्रतिशत) की वसूली कर सका,
- वर्ष 2002–07 मे पिकप 70.94 करोड़ रुपये (69 इकाइयॉ) की बकाया मूलधन के विरुद्ध, इकाइयों की बिक्री के माध्यम से 27.10 करोड़ रुपये (38.20 प्रतिशत) की वसूली कर सका।

## *पट्टे की परिसम्पत्तियों के विक्रय की अलाभकारी नीति*

**2.1.22** पिकप ने कार्यरत इकाइयो के वित्तपोषण हेतु पट्टे पर उपकरण योजना (ईएलएस) प्रारम्भ की (अक्टूबर 1983)। इस योजना के अन्तर्गत, पिकप ने पट्टेदार की प्रार्थना पर उपकरण क्रय किये और उन्हे निश्चित समय (पॉच से आठ वर्षों) के लिये मासिक पट्टा किराया पर पट्टे पर दिया। पट्टे की सम्पत्तियों पर स्वामित्व पट्टादाता का बना रहता था। नियत तिथि पर पट्टेदार द्वारा पट्टा किराया भुगतान में चूक की स्थिति मे पट्टादाता (पिकप) पट्टे के पूरे समय के किराये की वसूली के अतिरिक्त पट्टा सम्पत्तियों का कब्जा वापस ले सकता था।

पिकप ने 37 कम्पनियों को (पट्टेदार) स्वीकृत पट्टे पर वित्त पोषण के अन्तर्गत उपकरणों के क्रय हेतु पॉच या आठ वर्ष की पट्टावधि के लिये 32.01 करोड़ रुपये वितरित (मई 1986 से अप्रैल 1997) किये। पिकप के निदेशक मण्डल ने पट्टे की अवधि की समाप्ति पर पट्टे की सम्पत्ति की क्रय लागत के एक प्रतिशत पर तृतीय पक्ष को अन्तरित/विक्रय करने की प्रक्रिया को स्वीकृति दी (21 मई 1999)।

निम्नलिखित सारणी में छः पट्टा वित्तपोषण के प्रकरणों के सम्बन्ध में पट्टे की परिसम्पत्तियों के विक्रय का विवरण दिया गया है:

| क्रम संख्या | पट्टेदार कम्पनी का नाम | उपकरण का नाम/पट्टा प्रारम्भ होने की तिथि | उपकरण की लागत (पट्टा सम्पत्तियों के लिये वितरित धन) (रुपये में) | विक्रय मूल्य (रुपये में) | विक्रय मूल्य का प्रतिशत | विक्रय की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कुमाऊ गैसेस लिमिटेड | गैस सिलेण्डर्स (संख्या 900)/अप्रैल 1991 | 21,19,123.75 | 22,000.00 (24.44 रुपये प्रति सिलेण्डर) | 1 | जनवरी 2006 |
| 2. | कुमार आक्सीजन लिमिटेड | आक्सीजन गैस सिलेण्डर्स (सख्या 1000)/मई 1989 | 20,72,233.88 | 21,500.00 (21.50 रुपये प्रति सिलेण्डर) | 1 | अप्रैल 2005 |
| 3. | कृष्णा सोसाइटी फार मेडिकल रिलीफ एण्ड रुलर डेवलपमेन्ट | सर्जिकल उपकरण/जुलाई 1994 | 16,47,000.00 | 16,470.00 | 1 | दिसम्बर 2004 |
| 4. | यूनाइटेड व्हीलस लिमिटेड | सील्ड क्वैंच फरनेस/अगस्त 1997 | 1,25,86,000.00 | 10,00,000.00 | 7.95 | मार्च 2003 |
| 5. | रेवा गैसेस (प्राइवेट) लिमिटेड | आक्सीजन/नाइट्रोजन गैस प्लान्ट, 1500 आक्सीजन गैस सिलेण्डर्स, इत्यादि/दिसम्बर 1988 | 1,26,40,000.00 | 20,80,000.00 | 16.46 | अक्टूबर 2002 |
| 6. | अरिहन्त स्टील | डीजी सेट्स, ट्रान्सफारमर, कूलिंग टावर्स/दिसम्बर 1995 | 2,06,14,000.00 | 51,00,000.00 | 24.74 | मई 2003 |

*स्रोत: प्रकरण पत्रावली एवं पट्टा वित्तपोषण नीति।*

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि पिकप ने, कोटेशन आमंत्रित किए बिना या वर्तमान वसूली योग्य मूल्य निर्धारित किये बिना, पट्टा अवधि की समाप्ति पर पट्टे की सम्पत्ति के निस्तारण हेतु एक प्रतिशत का बहुत कम विक्रय मूल्य निर्धारित किया। इसने तीन पट्टे की सम्पत्तियों (उपरोक्त सारणी में क्रम संख्या 1 से 3 पर इंगित) को उपकरण की लागत के एक प्रतिशत पर विक्रय किया जबकि तीन पट्टे की सम्पत्तियों (उपरोक्त सारणी में क्रम संख्या 4 से 6 पर इंगित) को, जहॉ पर कोटेशन आमंत्रित किये गये थे, वहॉ उपकरण की लागत के लगभग 8 प्रतिशत से 25 प्रतिशत पर विक्रय किया।

प्रबंधन ने अन्य बातों के साथ कहा (जुलाई 2008) कि जहॉ पट्टा खातो का पूर्ण रूप से समाधान हुआ वहॉ पट्टा सम्पत्तियों को एक प्रतिशत पर बेचा गया और जहॉ पट्टा किराया बाकी था वहॉ मूल लागत के 8 से 25 प्रतिशत पर पट्टे की सम्पत्तियों का विक्रय किया गया।

उत्तर आपत्ति से सम्बन्धित नही है क्योंकि पट्टा सम्पत्तियों पर पट्टा किराये की वसूली एवं उनके विक्रय मूल्य में कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। पुनः, चूँकि पट्टा सम्पत्तियों का स्वामित्व पिकप के पास रहा, अतः पट्टे की सम्पत्तियों को उनके वसूली योग्य मूल्य पर खुले बाजार में विक्रय किया जाना चाहिये था।

## वसूली प्रमाण पत्रों का निर्गमन

**2.1.23** देयको के भुगतान करने में चूक या भुगतान न करने पर, यूपीएफसी तथा पिकप ऋणियों/जमानतदाताओं से देयकों की वसूली करने के लिये राजस्व प्राधिकारी को लोकधन वसूली अधिनियम 1972 की धारा 3 के अन्तर्गत भू राजस्व के बकाया के रूप मे वसूली करने हेतु वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) निर्गत करते है। राजस्व प्राधिकारियों द्वारा देयकों की वसूली ऋणियों और जमानतदाताओं की बंधक प्रतिभूतियों और व्यक्तिगत सम्पत्तियों की नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है और यूपीएफसी तथा पिकप को प्रेषित की जाती है। लेखा परीक्षा जॉच में ज्ञात हुआ कि वसूली प्रमाण पत्र के निर्गमन के माध्यम से वसूली नगण्य थी जैसा कि नीचे सारांश रूप मे दिया गया हैं:

- यूपीएफसी के सम्बन्ध में, वर्ष 2002–07 की अवधि में 178.58 करोड़ रुपये से 295.15 करोड़ रुपये के बीच विस्तारित बकाया मूलधन के सापेक्ष, वसूली मात्र 1.16 करोड़ रुपये से 3.31 करोड़ रुपये (वसूली प्रमाण पत्र के मूल्य का 0.49 प्रतिशत से 1.55 प्रतिशत) के बीच विस्तारित रही। वर्ष 2002–07 की अवधि में 971.71 करोड़ रुपये से 1267.03 करोड़ रुपये के बीच विस्तारित बकाया ब्याज के सापेक्ष वसूली 0.36 करोड़ रुपये से 3.39 करोड़ रुपये (0.03 प्रतिशत से 0.35 प्रतिशत) के बीच विस्तारित रही।
- पिकप के सम्बन्ध मे वर्ष 2002–07 की अवधि मे कुल 708.52 करोड़ रुपये से 998.07 करोड़ रुपये के बीच विस्तारित बकाया राशि के सापेक्ष वसूली शून्य से 0.53 करोड़ रुपये मात्र के बीच विस्तारित रही।

वसूली प्रमाण पत्र के माध्यम से नगण्य वसूली के मुख्य कारण ऋणियों/जमानतदाताओं की परिसम्पत्तियों की अनुपलब्धता, राजस्व प्राधिकारियों द्वारा वसूली प्रमाण पत्रों पर कार्यवाही में देरी या कार्यवाही न करना रहा।

## आंतरिक नियंत्रण

**2.1.24** आतंरिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो कार्यों की दक्षता, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता और लागू विधानों एवं कानूनों के पालन की तर्कसंगत सुनिश्चितता प्राप्त करने के लिये तैयार की जाती है जिससे प्रबंधन के उद्देश्य, कुशलता व प्रभावकारी तरीके से प्राप्त किये जा सके। आंतरिक नियंत्रण कार्य की शुद्धता व विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हेतु कार्य का कर्मचारियों के मध्य विभाजन, प्रबंध सूचना तंत्र और आंतरिक लेखा परीक्षा को सम्मिलित करता है।

लेखा परीक्षा ने निम्नलिखित के सम्बन्ध में आंतरिक नियंत्रण मे कमियों को पाया:

- वित्त पोषित की जाने वाली परियोजनाओं का उनकी व्यवहार्यता को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में मूल्यांकन (यूपीएफसी)।
- प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एवं सत्यापन जिससे ऋणियों द्वारा भुगतान मे चूक होने पर देयको की वसूली की जा सके (यूपीएफसी)।
- सहायता प्राप्त इकाइयों के वार्षिक खातों की नियमित प्राप्ति एवं पर्यवेक्षण जिससे सहायता प्राप्त इकाइयों की वित्तीय स्थिति ज्ञात की जा सके और समय पर उपचारात्मक कार्यवाही की जा सके। (यूपीएफसी तथा पिकप)।
- सहायता प्राप्त इकाइयों का समय से भौतिक कब्जा प्राप्त करना (यूपीएफसी तथा पिकप)।
- वसूली प्रमाण पत्रों/व्यक्तिगत वसूली प्रमाण पत्रों का समय से निर्गमन एवम् राजस्व प्राधिकारियों के साथ उनका अनुसरण करना (यूपीएफसी तथा पिकप)।
- ऋण के मूल्यांकन के समय ऋणी द्वारा घोषित सम्पत्तियों के अस्तित्व पर निगरानी रखना (यूपीएफसी तथा पिकप)।

- ऋणियों के साथ ओटीएस एवम् उनके विक्रय के समय प्रधान व सम्पार्श्वीय प्रतिभूतियों का मूल्यांकन (यूपीएफसी तथा पिकप)।

## अभिस्वीकृति

**2.1.25** निष्पादन लेखा परीक्षा सम्पादित करने के विभिन्न स्तरों पर कम्पनी/निगम के अधिकारियों द्वारा प्रदान किये गये सहयोग एवम् सहायता के लिये लेखा परीक्षा आभार व्यक्त करता है।

उपरोक्त लेखा परीक्षा जॉच परिणामों को मई 2008 में सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2008)।

## निष्कर्ष

**समीक्षा की अवधि में दोनो संगठनों (पिकप तथा यूपीएफसी) मे गैर निष्पादक परिसम्पत्तियॉं भयप्रद करने वाली थी जिसने उनकी वित्तीय स्थिति व कार्य चालन परिणामों को विपरीत रूप से प्रभावित किया। निष्पादन लेखा परीक्षा में ऋणियों/जमानतदाताओं का अनुसरण करने में पायी गयी कमियों, जिससे ऋणों की वसूली विपरीत रूप से प्रभावित हुई, को प्रकट किया। ऐसे कई प्रकरण थे जिसमे नोटिस निर्गत करने के बाद कब्जा लेने में देरी की गई जिससे बहुत से प्रकरणों मे संयत्र एवं मशीनरी को अनाधिकृत रूप से हटाने मे सहायता प्रदान की। ऋणियों के साथ एक मुश्त समाधान या तो बंधक प्रतिभूतियों के मूल्यांकन से कम पर किये गये या ऋणियों एवम् जमानतदाताओं की बंधक प्रतिभूतियों एवं शुद्ध मूल्य का सही मूल्यांकन नहीं किया गया जिससे एक मुश्त समाधान कम मूल्य पर हुए। ऋणियों/जमानतदाताओं से ऋण के वितरण के समय घोषित शुद्ध मूल्य को बेचने, समाप्त करने या प्रभार स्थापित करने से रोकने के लिये कोई कार्यवाही नही की गयी जिससे मूल्यांकन व समझौते की राशि विपरीत रूप से प्रभावित हुई। वसूली प्रमाण पत्र के माध्यम से वसूली या तो ऋणियों/जमानतदाताओं की सम्पत्तियों की अनुपलब्धता या राजस्व प्राधिकारियों द्वारा वसूली प्रमाण पत्रों पर कार्यवाही न करने के कारण, नगण्य रही।**

## संस्तुतियां

- **वसूली के अनुसरण की प्रणाली जैसे, मॉंग कारण बताओ नोटिस का निर्गमन, संयत्र एवं मशीनरी का तत्परता से कब्जा लेना, राजस्व प्राधिकारियों को वसूली प्रमाण पत्रों का निगर्मन प्रवाह पूर्ण बनाने की आवश्यकता है;**
- **ब्याज दर, वस्तु की मांग, लागू की गयी तकनीक और कार्यशील पूँजी की व्यवस्था इत्यादि को ध्यान मे रखते हुए परियोजना की व्यवहार्यता ऋण वितरण के पूर्व सुनिश्चित की जानी चाहिये;**
- **ऋण वितरण के पूर्व ऋण के सापेक्ष पर्याप्त प्रतिभूति प्राप्त करनी चाहिये;**
- **एक मुश्त समाधान उपलब्ध प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के अनुसार किये जाने चाहिये; तथा**
- **वसूली प्रमाण पत्र के माध्यम से ऋण की वसूली की प्रणाली जिला प्राधिकारियों/राजस्व प्राधिकारियों के साथ उचित सम्पर्क के माध्यम से मजबूत की जानी चाहिये।**

## 2.2 उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा निविदा कार्यों कां अर्जन एवं निष्पादन

### मुख्य अंश

**वर्ष 2007–08 के विगत पॉच वर्षों में कम्पनी द्वारा भाग ली गयी 57 निविदाओं मे से केवल सात निविदा कार्य कम्पनी को प्राप्त हो सके, सफलता की दर मात्र 12.28 प्रतिशत रही।**

*(प्रस्तर 2.2.11)*

**31 मार्च 2008 तक पॉच वर्षों में पूर्ण किये गये 27 कार्यों में से 21 कार्यों में (ग्राहकों द्वारा निरस्त किये गये तीन कार्यों को सम्मिलित करते हुये) कम्पनी को 54.42 करोड़ रुपये की हानि वहन करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त कम्पनी नौ अनुबन्ध कार्यों में मूल लागत की वसूली नहीं कर सकी तथा मूल लागत वसूली में 13.10 करोड़ रुपये की कमी रही।**

*(प्रस्तर 2.2.12)*

**कम्पनी तीन अनुबन्ध कार्यों का निष्पादन कुशलता/समय से करने मे विफल रही परिणामतः अनुबन्धों को ग्राहकों द्वारा निरस्त कर दिया गया। कम्पनी को इन अनुबन्धों पर 19.37 करोड़ रुपये की हानि हुई।**

*(प्रस्तर 2.2.21, 2.2.22 व 2.2.23)*

**पॉच अनुबन्धों में निविदा के समय कम्पनी सही मात्रा बिल के निर्धारण में असफल रही तथा 16.89 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।**

*(प्रस्तर 2.2.8)*

**कम्पनी पटना स्थित, रेल सेतु हेतु किये गये अनुबन्ध में मूल्य विचलन का परिमूल्यांकन करने मे असफल रही जिससे 6.76 करोड़ रुपये की हानि हुई।**

*(प्रस्तर 2.2.14)*

**कम्पनी ने निविदा प्रक्रिया के बिना पत्थर गिट्टी की आपूर्ति का कार्य प्रदान किया। अग्रतः आपूर्तिकर्ता के समझौते के प्रतिबन्धो के अनुरूप पत्थर गिट्टी की सहमत मात्रा की आपूर्ति मे विफल रहने के कारण कम्पनी को 67.90 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।**

*(प्रस्तर 2.2.15)*

**कम्पनी ने तीन कार्यों के निष्पादन मे सामग्री के अतिरिक्त उपयोग के कारण 1.11 करोड़ रुपये की हानि सही।**

*(प्रस्तर 2.2.13)*

### प्रस्तावना

**2.2.1** उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड (कम्पनी) का गठन 18 अक्टूबर 1972 को राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः स्वामित्व कम्पनी के रूप मे किया गया था। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के सेतुओं तथा पहुँच मार्गों का निर्माण, विकास व अनुरक्षण करना, परियोजनाओं के क्रियान्यवन हेतु ऋण प्राप्त करना तथा सिविल, यान्त्रिक व विद्युतीय कार्यों को करना था।

कम्पनी में कार्य पद्धति को मोटे तौर पर 'विभागीय निर्माण पद्धति' के रूप में जाना जाता है। निर्माण कार्यों को सामान्यतः विभागीय रूप मे कम्पनी के तकनीकी व अन्य

स्टाफ के द्वारा किया जाता हैं। कार्यों का निष्पादन प्रत्यक्षतः तथा पीस रेट कार्य पद्धति पर वॉछित श्रमिकों को लगाकर किया जाता है। इस प्रकार कम्पनी का गठन कार्य के निष्पादन मे मध्यस्थों व ठेकेदारों के विलोपन के उद्देश्य से किया गया है। कम्पनी ने कार्यों का निष्पादन दो श्रेणियों यथा अनुबन्ध/निविदा कार्यों व जमा कार्यों (लागत जमा कार्य) के अन्तर्गत किया।

कम्पनी द्वारा अनुबन्ध कार्यों को निविदाओं मे भागीदारी व बातचीत के द्वारा प्राप्त किया गया। निविदाओं में भाग लेने का निर्णय प्रबन्ध निदेशक द्वारा लिया जाता हैं। जमा कार्य मुख्यतः राज्य सरकार तथा राज्य सरकार के अन्य शासकीय विभागों द्वारा लागत जमा आधार अर्थात वास्तविक लागत मे सेन्टेज चार्जेज जोड़ कर सौपें जाते हैं। वर्तमान में कम्पनी राज्य सरकार व भारत मे अन्य सरकारी अभिकरणों के सेतुओं के निर्माण से कार्यरत है।

सितम्बर 2008 में कम्पनी का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा नामित नौ सदस्यीय संचालक मण्डल मे विहित हैं 19 नवम्बर 2007 तक प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (उप्रलोनिवि) कम्पनी के पदेन अध्यक्ष थे परन्तु उसके बाद मंत्री, लोक निर्माण विभाग को कम्पनी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। प्रबन्ध निदेशक, जोकि उप्रलोनिवि के मुख्य अभियन्ता श्रेणी का अभियन्ता होता हैं, मुख्य कार्यकारी होता है, उनकी सहायता के लिये एक संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, दस महाप्रबन्धक तथा एक वित्तीय सलाहकार होते हैं।

कम्पनी ने वर्ष 2006–07 तक के अपने खातों को अन्तिम रूप दे दिया है। कम्पनी ने वर्ष 2003–04 में हानि तथा 2004–05 से 2006–07 तक लाभ अर्जित किया। कम्पनी ने 2007–08 समाप्त होने वाले पॉच वर्षों की अवधि के दौरान निविदा कार्यों में 75.40 करोड़ रुपये की हानि की परन्तु राज्य सरकार के जमा कार्यों के निष्पादन मे लाभ अर्जित किया।

कम्पनी की गतिविधियों की अन्तिम बार समीक्षा 2002–03 तक की गयी थी, जो कि वर्ष 2002–03 के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) के प्रतिवेदन मे सम्मिलित की गयी थी। कोपू द्वारा समीक्षा पर आंशिक विचार विमर्श किया जा चुका है तथा कोपू की संस्तुतियॉ प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2008)।

## लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

**2.2.2** अक्टूबर 2007 से मार्च 2008 तक सम्पादित की गयी वर्तमान निष्पादन समीक्षा, 31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले पॉच वर्षों के कम्पनी के निविदा कार्यों के अर्जन व निष्पादन से सम्बन्धित क्रियाकलापों को समाहित करती है। लेखा परीक्षा ने कम्पनी के लखनऊ स्थित निगमित कार्यालय पर बनाये गये अभिलेखों तथा 759.49 करोड़ रुपये का मूल्य समाहित करने वाले 30 अनुबन्धों मे से 240.27 करोड़ रुपये के मूल्य वाले 13 पूर्ण अनुबन्ध कार्यों व 393.65 करोड़ रुपये के मूल्य वाले तीन चालू अनुबन्ध कार्यों का परीक्षण किया।

## लेखा परीक्षा के उद्देश्य

**2.2.3** निष्पादन समीक्षा निर्धारित करने के लिये की गयी क्याः

- निविदाओं मे भाग लेने के लिये बनायी गईं मूल्य बोलियॉ वास्तविक आगणनो पर आधारित थी तथा बहुतायत कार्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्देशित थी;
- कार्यों के निष्पादन की योजना लक्ष्यों की संगति में थी तथा एक प्रभावी प्रबोधन पद्धति रखी गई थी;

- कार्यों को ग्राहकों के साथ निष्पादित किये गये कार्य अनुबन्धों के प्रावधानो के अनुरूप मितव्ययता, गुणवत्ता व प्रभाविकता के साथ निष्पादित किया गया था; तथा
- कम्पनी मे आन्तरिक नियंत्रण पद्धति पर्याप्त व प्रभावी थी।

## लेखा परीक्षा की कसौटी

**2.2.4** लेखा परीक्षा उद्देश्यों की उपलब्धियों के निर्धारण के लिये परिरक्षित की गई लेखा परीक्षा की कसौटियॉ निम्नवत् थी:

- ग्राहको के साथ किये गये कार्य अनुबन्धों के बन्ध व शर्तें;
- कम्पनी के कार्यचालन मैनुअल के प्रावधान;
- ग्राहकों द्वारा विभिन्न कार्यों के लिये निर्धारित किये गये समय सूची/दिशानिर्देश/निर्देशन;
- लागत आगणन;
- राज्य सरकार/कम्पनी द्वारा जारी किये गये अनुदेश/दिशानिर्देश; तथा
- प्रबन्ध निदेशक द्वारा स्वीकृत व्ययों हेतु विभागीय निर्माण इकाई (डीसीयू)* पद्धति आगणन।

## लेखा परीक्षा प्रक्रिया

**2.2.5** लेखा परीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित लेखा परीक्षा प्रक्रिया का अनुसरण किया गया:

- निदेशक मण्डल की बैठकों की कार्यसूची व कार्यवृत्त की जॉच;
- निविदाओं मे भाग लेने से सम्बन्धित अभिलेख व मूल्य बोली फाइलें;
- निविदा फाइलें तथा ग्राहकों के साथ किये गये अनुबन्ध;
- प्रबोधन तथा कार्यों के प्रगति प्रतिवेदन;
- कार्य के लिये कोष प्रबन्धन;
- चुने गये निविदाओं के निष्पादन का विस्तृत विवेचन; तथा
- ग्राहकों के साथ वसूली हेतु लम्बित मॉगों से सम्बन्धित अभिलेख व पत्राचार।

## लेखा परीक्षा प्रेक्षण

**2.2.6** निष्पादन समीक्षा के परिणामस्वरूप लेखा परीक्षा आपत्तियों को प्रबन्धन/शासन को (मई 2008) प्रतिवेदित किया गया तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखा परीक्षा समीक्षा समिति (एआरसीपीएसई) की बैठक में (28 अगस्त 2008) उन पर विचार विमर्श किया गया। बैठक मे विशेष सचिव (लोक निर्माण विभाग), उत्तर प्रदेश शासन तथा कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक उपस्थित हुये। समीक्षा के अन्तिमीकरण में प्रबन्धन/शासन के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखा गया हैं।

लेखा परीक्षा प्रेक्षणों की चर्चा अग्रलिखित प्रस्तरों मे की गई हैं:

---

* विभागीय तौर पर कार्य के निष्पादन हेतु प्राक्कलन।

## कार्यों के लिये योजना व बोली लगाना

**2.2.7** कम्पनी में निविदा कार्यों को बोली लगाने की प्रक्रिया भाग लेते हुये प्राप्त करने के लिये अपने मुख्यालय पर एक निविदा सेल का गठन किया हैं। सेल निविदा आमंत्रण सूचनाओं (निआसू) के परीक्षण, नवीन निविदा कार्यो के प्रस्ताव व तकनीकी बोली की तैयारी तथा अपनी संस्तुतियों को प्रबन्ध निदेशक (प्रनि) जोकि कार्य की निविदा में भाग लेने के लिये निर्णय लेने वाला सक्षम प्राधिकारी होता हैं, को सौंपने के लिये उत्तरदायी होती हैं। निर्णय कम्पनी की क्षमता व पूर्व अनुभव के आधार पर लिये जाते हैं। फील्ड का महाप्रबन्धक निविदा कार्य के लिये मूल्य बोली तैयार करने और उसके मुख्यालय को सौंपने हेतु उत्तरदायी होता हैं। मूल्य बोली कार्य की अनुमानित लागत तथा लागू दरों पर उपरिव्ययों को समाहित करती है। तत्पश्चात अपेक्षित लाभ का अनुमान किया जाता है और उसको कार्य की लागत मे बोली की कुल राशि निकालने के लिये जोड़ दिया जाता है। मुख्यालय पर बोली मूल्य के अंतिमीकरण के लिये गठित समित द्वारा बोली मूल्य का परीक्षण किया जाता है तथा इसकी संस्तुंतियों प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन के अधीन होती हैं।

पिछले पॉच वर्षो मे 2007–08 तक कम्पनी ने 759.49 करोड़ रुपये का अनुबन्ध मूल्य रखने वाले 30 अनुबन्ध कार्यों को प्राप्त किया। लेखा परीक्षा ने 30 अनुबन्धों मे से 633.92 करोड़ रुपये का अनुबन्ध मूल्य रखने वाले 16 अनुबन्धों (तीन चालू कार्यो का समाहित करते हुये)का परीक्षण किया। कमी वाली योजना तथा बोली प्रक्रिया के सम्बन्ध में निम्नलिखित मामलों को देखा गया:

### *मात्रा बिल (मा.बि.) का अनुचित निर्धारण*

**कम्पनी कार्य हेतु सही मात्रा बिल के निर्धारण मे असफल रही तथा 16.89 करोड़ रुपये की हानि सहन करनी पड़ी।**

**2.2.8** कम्पनी ने पॉच ऐसी निविदाओं में भाग लेने का निर्णय लिया जहॉ कम्पनी को अपने अभिकल्पों के आधार पर एक मुश्त प्रस्ताव देना था। कम्पनी ने इसी उद्देश्य के लिये नियुक्त किये गये सलाहकार के परामर्श के साथ तथा अपने स्वयं के निर्धारण के अनुसार दरों को प्रस्तावित किया।

लेखा परीक्षा मे यह देखा गया कि कम्पनी व सलाहकार दोनो ही निविदा के समय कार्य हेतु सही मात्रा बिल (कंक्रीट करना) के निर्धारण मे असफल रहे इसलिये कम्पनी को अतिरिक्त कंक्रीट निष्पादित करनी पड़ी। कम्पनी द्वारा किया गया अतिरिक्त कंक्रीट कार्य 16.89 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय मे फलित हुआ, जैसा निम्नवर्णित है:

| क्रम संख्या | कार्य का नाम | मात्रा बिल (निविदा के समय अनुमानित कंक्रीट कार्य) (घन मीटर में) | निष्पादन के दौरान किया गया वास्तविक कंक्रीट कार्य (घन मीटर में) | अतिरिक्त कंक्रीट कार्य (घन मीटर में) | प्रति घन मीटर की दर (रुपये) | अतिरिक्त व्यय (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | फ्लाईओवर एअरपोर्ट रोड, बंगलौर | 22910 | 23687 | 777 | 16474 | 1.28 |
| 2 | श्रेणी विभाजक, डेरी सर्किल, बंगलौर | 11964 | 14080 | 2116 | 13800 | 2.92 |
| 3 | जयदेव संस्थान के पास श्रेणी विभाजक, बंगलौर | 15555 | 20883 | 5328 | 13926 | 7.42 |
| 4 | रेलवे उपरगामी सेतु, मोरिण्डा | 6890 | 7780 | 890 | 11910 | 1.06 |
| 5 | श्रेणी विभाजक, मोती नगर दिल्ली | 10062 | 12442 | 2380 | 17689 | 4.21 |
| | योग | | | | | 16.89 |

यह देखा गया कि कम्पनी 16.89 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय की मॉग ग्राहको से नहीं कर सकी क्योंकि सभी पॉच अनुबन्ध एक मुश्त अनुबन्ध थे।

प्रबन्धन ने सलाहकार की असफलता को स्वीकार करते हुये कहा कि (अगस्त 2008) कि कम्पनी ने मात्रा का निर्धारण अपने सर्वोत्तम ज्ञान, अनुभव तथा बाजार की प्रतिस्पर्धा को ध्यान मे रखते हुये किया था।

### प्राक्कलित लागत से कम पर दर प्रस्तावित करना

**2.2.9** कम्पनी ने ग्राहको द्वारा निविदा हेतु रखी गयी प्राक्कलित लागत के संदर्भ में निविदा कार्यो मे दरें प्रस्तावित करने के लिये कोई नीति नही बना रखी हैं। कार्य की प्राक्कलित लागत की गणना दर सूची (एसओआर) के अनुसार की जाती है जोकि दस प्रतिशत ठेकेदार का लाभ सम्मिलित करती हैं। इसलिये वित्तीय दूरदर्शिता के मामले में अनुरूप प्राक्कलित लागत के दस प्रतिशत से नीचे दरें नही प्रस्तावित करनी चाहिये। नीचे दी गयी सारणी ऐसे मामले इंगित करती है जिनमे कम्पनी ने 11.28 से 15.07 प्रतिशत की सीमा तक प्राक्कलित लागत से कम दरें प्रस्तावित किया तथा कार्यों के निष्पादन में हानि वहन की:

| क्रम संख्या | कार्य का नाम | ग्राहक का नाम | निविदा हेतु रखी गई प्राक्कलित लागत (करोड़ रुपये में) | कार्य में भाग लेने का माह | प्रस्तावित दर (करोड़ रुपये में) | प्राक्कलित लागत से दरों मे कमी का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्रेणी विभाजक, डेरी सर्किल बंगलौर | बंगलौर विकास प्राधिकरण | 19.50 | दिसम्बर 2002 | 17.30 | 11.28 |
| 2. | रेलवे उपरगामी सेतु, लुधियाना | म्यूनिसिपल कारपोरेशन, लुधियाना | 15.00 | जुलाई 2000 | 12.74 | 15.07 |
| 3. | राप्ती नदी पुल, गोरखपुर | एनएचएआई | 16.50 | नवम्बर 2003 | 14.60 | 11.52 |
| 4. | हापुड़ में गंगा नदी पर पुल का निर्माण सड़क का कार्य समाहित करते हुये[1] | एनएचएआई | 230.00 | मई 2004 | 195.51 | 15.00 |

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2008) कि निविदा में दरें प्रस्तावित करने से पहले विभागीय निर्माण इकाई (विनिई) पद्धति पर एक प्राक्कलन बनाया जाता हैं प्राक्कलित लागत के दस प्रतिशत से नीचे प्रस्तावित न करना सदैव कम्पनी के लिये साध्य नहीं होता है।

तथ्य, तथापि, शेष रहता है कि कम्पनी प्राक्कलित लागत की गणना करते समय वित्तीय विवक्षा का निर्धारण करने मे असफल रही तथ परिणामतः दो[2] पूर्ण कार्यों पर 4.68 करोड़ रुपये की तथा दो[3] चालू कार्यों पर 10.55 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

**2.2.10** हापुड़ कार्य (उपरोक्त सारणी की क्रम संख्या 4) की लेखा परीक्षा जॉच ने उदघृत किया कि ग्राहक (एनएचएआई) ने निआसू मे कार्य के लिये प्राक्कलित लागत 230 करोड़ रुपये उल्लिखित किया। इसके समक्ष कम्पनी ने 195.51 करोड़ रुपये की दर प्रस्तावित किया (कार्य लागत 173.55 करोड़ रुपये तथा लाभ 21.96 करोड़ रुपये[4] उपरिव्यय समाहित करते हुये) जोकि प्राक्कलित लागत से 15 प्रतिशत नीचे थी। यह प्रदर्शित करता है कि कम्पनी ने कार्य की लागत का उचित रूप मे निर्धारण नही किया और साधारण तौर पर अपनी कार्य लागत पर 12.65 प्रतिशत भारित कर दिया। आगे, कार्य लागत की गणना पत्थर गिट्टी की बाजार दर 46.90 रुपये के समक्ष 31.50 रुपये से 32.50 रुपये प्रति कुन्तल की दर से तथा मौरंग की बाजार दर 47 रुपये प्रति कुन्तल के समक्ष 36.69 रुपये प्रति कुन्तल को ध्यान में रखते हुये की गयी। यह प्रदर्शित करता है कि कम्पनी ने कार्य लागत का निर्धारण उचित रूप से नहीं किया और कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर कतई कार्य करने योग्य नही थी तथा परिणामस्वरूप कम्पनी इस कार्य पर हानि वहन कर रही है।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2008) कि प्रस्तावित दरें तर्कसंगत थी तथा कार्य करने योग्य थी परन्तु निविदा तिथि के बाद बाजार दरों में अप्रत्याशित व असामान्य वृद्धि हुई थी।

---

1 लेखा परीक्षा द्वारा समीक्षा के दोरान परीक्षण किये गये अनुबन्ध कार्य।

2 ग्रिड सेपरेटर डेरी सर्किल, बंगलौर तथा रेलवे ओवर ब्रिज, लुधियाना।

3 राप्ती रिवर ब्रिज, गोरखपुर तथा हापुड़ में गंगा नदी पर पुल का निर्माण सड़क का कार्य समाहति करते हुये।

4 कार्य लागत का 12.65 प्रतिशत की दर से।

मामले के तथ्य स्पष्टतया इंगित करते हैं कि कम्पनी द्वारा प्रारम्भिक स्तर पर प्रस्तावित दरें कार्य करने योग्य नहीं थी क्योंकि बोली के समय मदों के बाजार मूल्य प्रस्तावित दरों से बहुत अधिक थे।

## निविदा कार्यों का अर्जन

**2.2.11** वर्ष 2003–04 से 2007–08 की पॉच वर्षों की अवधि में कम्पनी द्वारा निविदाओं में भाग लेने तथा उसके सापेक्ष अनुबन्धों की वास्तविक प्राप्ति की स्थिति निम्नवत थी:

| वर्ष | भाग ली गई निविदायें | | प्राप्त किये गये अनुबन्ध | | सफलता की दर (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | मूल्य (करोड़ रुपये में) | संख्या | मूल्य (करोड़ रुपये में) | |
| 2003-04 | 35 | 772.80 | 06 | 68.95 | 17.14 |
| 2004-05 | 12 | 773.67 | 01 | 230.00 | 8.33 |
| 2005-06 | 06 | 114.35 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2006-07 | 01 | 65.82 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2007-08 | 03 | 27.04 | शून्य | शून्य | शून्य |
| **योग** | **57** | **1753.68** | **07** | **298.95** | **12.28** |

**कम्पनी अपने द्वारा भाग लिये गये 57 कार्यों मे से केवल सात अनुबन्ध प्राप्त कर सकी।**

इस प्रकार 31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले पिछले पॉच वर्षों के दौरान कुल 57 निविदाओं जिनमे कम्पनी ने भाग लिया, मे से केवल 7 अनुबन्धों को कम्पनी प्राप्त कर सकी। बोली में असफलता की दर 12.28 प्रतिशत थी जोकि इस तथ्य की ओर इंगित करती है कि कम्पनी अन्य निविदादाताओं से प्रतिस्पर्धा में असफल रही। आगे कम्पनी 2004–05 के बाद कोई अनुबन्ध नहीं प्राप्त कर सकी। लेखा परीक्षा ने यह देखा कि राज्य सरकार द्वारा जमा कार्यों के आबंटन मे वृद्धि होने के कारण कम्पनी ने 2005–06 से 2007–08 मे कम संख्या मे निविदाओं मे भाग लिया।

नीचे दी गयी सारणी मार्च 2008 को समाप्त होने वाले विगत पॉच वर्षों मे कम्पनी द्वारा किये गये जमा कार्यों के मूल्य की तुलना में निविदा कार्यो को इंगित करती है:

(करोड़ रुपये में)

| क्रम संख्या | वर्ष | जमा कार्य | निविदा कार्य | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2003-04 | 96.91 | 125.18 | 222.09 |
| 2. | 2004-05 | 188.86 | 125.22 | 314.08 |
| 3. | 2005-06 | 218.27 | 97.58 | 315.85 |
| 4. | 2006-07 | 415.60 | 102.45 | 518.05 |
| 5. | 2007-08 | 342.00 | 58.00 | 400.00 |

*स्रोत: कम्पनी के लेखा।*

उपरोक्त सारणी से यह देखा जायगा कि कम्पनी ने मुख्यतः जमा कार्यों की ओर परिवर्तन किया जोकि 2003–04 के 96.91 करोड़ रुपये से बढ़कर 2007–08 मे 342 करोड़ रुपये हो गये।

प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये कहा (अगस्त 2008) कि 2003–04 से आगे राज्य सरकार ने पर्याप्त मात्रा मे पुलों व सड़क कार्य प्रदान किये थे तथा इसलिये वे निविंदा कार्यों में रुचि नही ले रहे थे।

## निविदा कार्यों का निष्पादन

**2.2.12** समीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी ने 759.49 करोड़ रुपये के 30 अनुबन्ध निष्पादित किये। मार्च 2008 को समाप्त होने वाले विगत पॉच वर्षों की अवधि के दौरान अनुबन्ध कार्यों की पूर्णता की प्रगति निम्नवत थी:

(संख्या)

| वर्ष | कार्यों का प्रारम्भिक शेष | वर्ष के दौरान आरम्भ किये गये कार्य | हाथ में कुल कार्य | वर्ष के दौरान पूर्ण किये गये कार्य | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | 22 | 06 | 28 | 02 | 26 |
| 2004-05 | 26 | 02 | 28 | 04 | 24 |
| 2005-06 | 24 | शून्य | 24 | 11 | 13 |
| 2006-07 | 13 | शून्य | 13 | 06 | 07 |
| 2007-08 | 07 | शून्य | 07 | 04 | 03 |

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि कम्पनी ने 2005–06 से 2007–08 के दौरान कोई तथा निविदा कार्य नही प्राप्त किया। 2003–04 से 2007–08 की अवधि के दौरान निष्पादित किये गये 30 अनुबन्ध कार्यों मे से कम्पनी ने 27* अनुबन्ध कार्यों को पूर्ण किया जबकि 3 निविदा कार्य 31 मार्च 2008 को प्रगति मे थे। पूर्ण किये गये कार्यों के सम्बन्ध मे कम्पनी ने 21* कार्यों मे 54.42 करोड़ रुपये की हानि सहन किया तथा केवल छः कार्यों में 3.82 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया जैसा कि **परिशिष्ट–16** में इंगित किया गया है। आगे, कम्पनी ने मार्च 2008 तक तीन चालू परियोजनाओं पर 24.80 करोड़ रुपये की हानि सहन की थी। कम्पनी पूर्ण किये गये नौ अनुबन्ध कार्यों के सम्बन्ध मे मूल लागत तक वसूल न कर सकी तथा 13.10 करोड़ रुपये की भी कमी रही जैसा कि **परिशिष्ट–17** मे इंगित किया गया है।

**नौ अनुबन्धो मे मूल लागत वसूली मे 13.10 करोड़ करोड़ रुपये की कमी रही।**

भारी हानियॉ कम्पनी की कार्यों का निष्पादन मितव्ययिता तथा कुशलता पूर्वक करने की अक्षमता को इंगित करती हैं। हानियों के कारणों को मात्रा बिलों के प्राक्कलन के सम्बन्ध मे कमतर योजना, अवास्तविक दरो का प्रस्ताव इत्यादि को आरोपित किया जासकता है। साथ ही निर्माण सामग्री का अधिक उपयोग, कार्य की पूर्णता मे विलम्ब मे परिणित होने वाले समयाधिक तथा लागताधिक्य एवं आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ आदि निविदा कार्यों के निष्पादन मे नकारात्मक कार्य फलों को बढ़ावा देने वाले अन्य कारणों मे थे जैसा आगे के प्रस्तरों मे विवेचित किया गया है।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2008) कि सामग्री व श्रम के मूल्य मे वृद्धि के कारण वे कार्यो को लागत सीमा के अन्दर पूर्ण नही कर सके तथा मामले पंचनिर्णयाधीन हैं।

उत्तर संतुष्ट करने योग्य नही है क्योंकि मूल्य वृद्धि कार्य के निष्पादन मे देरी के कारण थी जिसने प्रभावस्वरूप कार्यों की लागत मे वृद्धि कर दी। यदि कार्यों को समय अनुसूची के अन्दर पूर्ण कर लिया जाता तो हानियों से बचा जा सकता था।

### *निर्माण सामग्री का अधिक उपयोग*

**2.2.13** 2007–08 तक विगत पॉच वर्षों के दौरान निष्पादित किये गये 30 निविदा कार्यो मे लेखा परीक्षा ने 16 का परीक्षण किया। सामग्री के अधिक उपयोग के निम्नवत मामले लेखा परीक्षा द्वारा देखे गये:

- दीघाघाट, पटना मे गंगा नदी पर रेल पुल की नींव, उपढांचा व गाईडबन्ध के निर्माण के अनुबन्ध मे पूर्व मध्य रेलवे (पूमरे) ने अनुमोदित अभिकल्प मिश्रण के अनुरूप सीमेन्ट का उपयोग 400 किलोग्राम प्रति घन मीटर कंक्रीटिंग के लिये मंजूर किया था।

**कम्पनी ने तीन अनुबन्धों मे सामग्री के अधिक उपयोग के कारण 1.11 करोड़ रुपये की हानि वहन किया।**

लेखा परीक्षा द्वारा यह देखा गया कि कम्पनी पूमरे द्वारा सीमेन्ट के उपयोग के किये निर्धारित की गई सीमा को मानने मे असफल रही तथा कम्पनी ने नवम्बर 2002 से जुलाई 2004 की अवधि के दौरान 407 किलोग्राम से 492 किलोग्राम प्रति घनमीटर कंक्रीटिंग की दर से 34389.088 मीट्रिक टन सीमेन्ट का उपयोग किया। तथापि पूमरे ने 400 किलोग्राम प्रति घन मीटर कंक्रीटिंग की सीमा के आधार पर केवल 33504.819 मीट्रिक टन सीमेन्ट को ही प्रमाणित किया (नवम्बर 2004)। यह 884.269 मीट्रिक टन सीमेन्ट के अधिक उपयोग मे परिणामित हुआ जोकि पूमरे के द्वारा भुगतान/प्रमाणित नही किया गया। इस प्रकार, कम्पनी को स्वीकृत सीमाओं से अधिक सीमेन्ट के उपयोग के कारण 24.76 लाख रुपये का हानि वहन करनी पड़ी।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2008) कि कंक्रीटिंग मे सीमेन्ट का अधिक उपयोग ग्राहक के निर्देशो के अनुसार किया गया था।

---

* धीमी प्रगति के कारण ग्राहकों द्वारा निरस्त किये गये तीन अनुबन्धों (परिशिष्ट–16 की क्रम संख्या 6,17 व 21) को सम्मिलित करते हुये।

उत्तर संतुष्ट होने योग्य नही है क्योंकि कम्पनी सीमेन्ट का उपयोग इस समयावधि मे निश्चित की गयी सीमा के अनुरूप नियंत्रित करने मे असफल रही जोकि ग्राहक द्वारा भी अमान्य कर दिया गया।

- डेरी सर्किल उपरगामी सेतु के अनुबन्ध मे यह देखा गया कि अभिकल्प के अनुसार इस्पात के उपयोग की गणना 1554.569 मीट्रिक टन की गयी थी परन्तु फरवरी 2003 से नवम्बर 2004 तक कार्य पर इस्पात का वास्तविक उपयोग 1678.694 मीट्रिक टन था। इस प्रकार 124.125 मीट्रिक टन इस्पात का अधिक उपयोग था जिसे बंगलौर की औसत दर 23752 रुपये प्रति मीट्रिक टन पर 29.48 लाख रुपये मूल्यांकित किया गया था।

- एअरपोर्ट रोड आईआरआर जंक्शन उपरगामी सेतु के अनुबन्ध मे यह देखा गया कि अभिकल्प के अनुसार इस्पात के उपयोग की गणना 3690.361 मीट्रिक टन की गई थी परन्तु कार्य पर वास्तविक इस्पात उपयोग 3929.046 मीट्रिक टन था। इस प्रकार 238.685 मीट्रिक टन इस्पात का अधिक उपयोग था जिसे 23752 रुपये प्रति मीट्रिक टन की औसत दर पर 56.69 लाख रुपये मूल्यांकित किया गया था।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2008) कि अधिक उपयोग सतह परिवहन मंत्रालय (एमओएसटी) द्वारा निर्धारित मानकों के अन्दर हैं।

उत्तर कार्य के प्राक्कलन मे दिये गये उपयोग से अधक सामग्री उपयोग के कारणों की व्याख्या नहीं करता है। एमओएसटी के मानक इस मामले में संगत नहीं है।

## कार्यों के निष्पादन में अन्य त्रुटियाँ

### *मूल्य परिवर्तन उपबन्ध का अनुचित निर्धारण*

**2.2.14** पटना के निकट दीघाघाट में गंगा नदी पर रेलपुल की नींव, उपढॉचा व गाईडबन्ध* के निर्माण का कार्य कम्पनी को पूर्वोत्तर रेलवे कोलकाता द्वारा 183.54 करोड़ रुपये की अनुबन्धित लागत पर प्रदान (नवम्बर 2002) किया गया था। कार्य का आरम्भ 20 नवम्बर 2002 को हुआ था। कार्य को कार्यसूची के अनुसार 19 नवम्बर 2006 को पूर्ण होना था। रेलवे के साथ 27 जून 2003 को अनुबन्ध निष्पादित किया गया। अनुबन्ध मे मूल्य परिवर्तन उपबन्ध समाहित था जोकि यह व्यवस्था करता था कि ठेकेदार को दी जाने वाली राशि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर प्रकाशित किये गये विभिन्न मूल्य सूचकांको की कमी/वृद्धि से परिलक्षित सम्पूर्ण बाजार स्थिति के आधार पर समायोजित किया जायेगा। कम्पनी ने कार्य के निष्पादन के लिये तीन इकाईयॉ (नवम्बर 2002 से अक्टूबर 2005) खोली थी। कार्य कम्पनी के नियंत्रण से बाहर के कई कारणों से विलम्बित हुआ जैसे कि सोनपुर की ओर की भूमि अधिग्रहण मे देरी, 2003 की अप्रत्याशित बाढ़, रेलवे द्वारा समय से अभिकल्प न उपलब्ध कराया जाना, नींव तथा उपढांचो के अभिकल्प मे वृहत बदलाव, गाईडबन्ध के लिये भूमि की उपलब्धता आदि।

**कम्पनी द्वारा मूल्य परिवर्तन सम्बन्ध के मूल्यांकन मे विफल रहना मुख्य सामग्री की लागत मे वृद्धि के कारण 6.76 करोड़ रुपये की हानि मे फलित हुआ।**

कम्पनी दिसम्बर 2007 तक केवल आठ प्रतिशत की सीमा तक कार्य पूर्ण कर सकी तथा 31 जनवरी 2009 तक समय की बढ़ोत्तरी प्रदान कर दी गई हैं यह देखा गया कि कम्पनी अनुबन्ध को पूर्णता देते समय मूल्य परिवर्तन उपबन्ध की भविष्य मे सामग्री के मूल्यों पर असामान्य वृद्धि के कारण होने वाले लागताधिक्य के सम्बन्ध मे पर्याप्तता व उपयुक्तता का मूल्यांकन नही कर सकी। अतः कम्पनी को नवम्बर 2006 से दिसम्बर 2007 तक अर्थात पूर्णता की अवधि के बाद इस्पात तथा सीमेन्ट पर प्राप्त मूल्य परिवर्तन समायोजित करने के बाद भी निविदा दरों की तुलना मे इस्पात (3.32 करोड़

* गाईडबन्ध जहॉ पुल समाप्त होता हैं वहॉ नदी के दोनो किनारों पर गोलाश्म से संरक्षित ढालू तटबन्ध होता हैं।

रुपये) तथा सीमेन्ट (3.44 करोड़ रुपये) की मूल्य वृद्धि पर 6.76 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (अगस्त 2008) कि कार्य मे विलम्ब पूर्व मध्य रेलवे के कारण हुई परन्तु उन्होने 31 जनवरी 2009 तक समयवृद्धि प्रदान कर दी हैं आगे कहा गया कि इस्पात की दरों मे अप्रत्याशित वृद्धि के कारण उन्होने मध्यस्थता उपबन्ध का आछान (अगस्त 2006) कर दिया है तथा मध्यस्थता का कार्यकलाप अभी आरम्भ होना था।

उत्तर तथापि मुख्य सामग्री के मूल्य मे असामान्य वृद्धि को संरक्षित करने वाले मूल्य परिवर्तन उपबन्ध की पर्याप्तता व उपयुक्तता के मूल्यांकन के कम्पनी द्वारा की गयी भूलों को नही संदर्भित करता था।

### *आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ*

**2.2.15** एनएचएआई के साथ निष्पादित किये गये हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर परियोजना तक के सड़क कार्यो के अनुबन्ध (6 जनवरी 2005) की शर्तों के अनुसार कम्पनी को एक कोन क्रशर की तरह की क्रंशिंग व स्क्रीनिंग इकाई (क्षमता 200 मीट्रिक टन प्रति घण्टा लगभग) की उपलब्धता आश्वस्त करनी थी तथा वहॉ परियोजना (सड़क कार्य तथा पुल कार्य) के लिये भारी मात्रा मे एग्रीगेट्स (पत्थर गिट्टी) की आवश्यकता थी। एग्रीगेट की कार्य के लिये मितव्ययी दरो पर समयानुसार आपूर्ति आश्वस्त करने के लिये मुख्य परियोजना प्रबन्धक, हापुड़ ने संयुक्त प्रबन्ध निदेशक को सूचित किया (नवम्बर 2005) कि उन्होने एक फर्म यथा प्रमोद कुमार पाण्डेय एण्ड कम्पनी, पाकुर, झारखण्ड (आपूर्तिकर्ता) जिसने कम्पनी की भागलपुर/पटना परियोजना के लिये एग्रीगेट की आपूर्ति की थी, को इस परियोजना के लिये डेडीकेटड क्रशर की स्थापना हेतु प्रस्ताव किया है। आपूर्तिकर्ता ने 6 से 40 मिमी एग्रीगेट 41.50 रुपये प्रति कुन्तल की दर से तथा पत्थर चूर्ण/धुलाई बालू 42.50 रुपये प्रति कुन्तल की दर से कार्य स्थान पर आपूर्ति हेतु सहमति प्रदान की। संयुक्त प्रबन्ध निदेशक ने दरें तथा शर्तें व बाध्यतायें अनुमोदित की (दिसम्बर 2005)। आपूर्तिकर्ता के साथ इस परियोजना हेतु डेडीकेटेड क्रशर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के एग्रीगेट की आपूर्ति हेतु 29.82 करोड़ रुपये की अनुबन्धित मूल्य का 71.54 लाख कुन्तल के लिये (58.41 लाख कुन्तल एग्रीगेट तथा 13.13 लाख कुन्तल पत्थर चूर्ण) 24 महीनों में आपूर्ति हेतु अनुबन्ध निष्पादित (30 जनवरी 2006) किया गया।

आपूर्ति आदेश के प्रदान करने व निष्पादन मे निम्नलिखित त्रुटियॉ देखी गयी:

- कम्पनी के कार्यकारी मैनुअल के पैरा 80 के अनुसार सामग्री का क्रय निविदा/मोहर बन्द प्रस्ताव को मॉगने के बाद अन्तिमीकृत की गयी दरों पर किया जाना चाहिये। मुख्य परियोजना प्रबन्धक, हापुड़ ने, तथापि पत्थर गिट्टी की आपूर्ति के लिये आपूर्तिकर्ता को सीधे प्रस्तावित करके आपूर्तिकर्ता का चयन किया तथा पत्थर गिट्टी की दरों का अन्तिमीकरण बिना निविदाओं के आमंत्रण के किया गया।

**कम्पनी ने पत्थर गिट्टी के उँचे मूल्य पर क्रय पर 67.90 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।**

- अनुबन्ध की मॉग थी कि आपूर्तिकर्ता 175 से 200 टन क्षमता का क्रशर स्थापित करे। आपूर्तिकर्ता ने केवल 80 टन क्षमता का क्रशर स्थापित किया तथा अप्रैल 2006 से एग्रीगेट की आपूर्ति आरम्भ कर दी। आपूर्तिकर्ता को 243375 कुन्तल प्रति महीना आपूर्ति करनी थी परन्तु वह वांछित मात्रा प्रति माह आपूर्ति करने मे विफल रहा। आपूर्तिकर्ता ने अगस्त 2007 तक केवल 326315 कुन्तल पत्थर गिट्टी की आपूर्ति 58.41 लाख कुन्तल की अनुबन्धित आपूर्ति के समक्ष की। अक्टूबर 2007 के बाद आपूर्तिकर्ता ने कोई मात्रा की आपूर्ति नहीं किया। परिणामस्वरूप आवश्यकता की पूर्ति हेतु इकाई ने दिसम्बर 2007 तक

285525 कुन्तल 20 मिमी पत्थर गिट्टी 55.69 रुपये प्रति कुन्तल की औसत दर पर तथा 174960 कुन्तल 10 मिमी पत्थर गिट्टी 57.15 रुपये प्रति कुन्तल की औसत दर पर क्रय किया। इस प्रकार कम्पनी को 67.90 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय पत्थर गिट्टी की विभेदीय उँची लागत पर क्रय के कारण करना पड़ा। इस तरह कम्पनी का डेडीकेटड क्रशर के माध्यम से मितव्ययी दरों पर गिट्टी अर्जित करने का उद्देश्य परास्त हो गया।

- आपूर्तिकर्ता के साथ अनुबन्ध की बाध्यताओं मे कम्पनी को अनुबन्ध के अनुसार एग्रीगेट की आपूर्ति में विफल रहने के कारण दिसम्बर 2007 तक 3.14 करोड़ रुपये (पेनाल्टीः 2.29 करोड़ रुपये तथा मोबलाईजेशन/सुरक्षित अग्रिमः 0.85 करोड़ रुपये) की वसूली करनी थी परन्तु कम्पनी निष्पादन बैंक गारण्टी को भुनाकर 29.82 लाख रुपये तथा अन्य कार्यों के बाकी बिलो से व कम्पनी के पास उपलब्ध सिक्योरिटी से 26 लाख रुपये की ही वसूली कर सकी।

- कार्य के क्षेत्र के अनुसार क्रशर इकाई को नियोजित समय सूची के अन्दर तोड़े हुये एग्रीगेट की पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिये कम्पनी को सर्मपित होना था। आपूर्तिकर्ता ने क्रशर की स्थापना हरिद्वार मे किया। क्योंकि यह समर्पित क्रशर था, कम्पनी को यह निश्चित करने के लिये कि उन्होने पूरे उत्पादन की केवल कम्पनी को ही आपूर्ति दी है, उनके उत्पादन पर निगाह रखनी चाहिये थी। कम्पनी के पास उनके उत्पादन का कोई लेखा नहीं था तथा क्रशर पर किसी कर्मचारी को लगाकर आपूर्तिकर्ता पर कोई नियन्त्रण भी नही किया था। ऐसी स्थिति में आपूर्तिकर्ता द्वारा अन्य पार्टियों/बाजार को उत्पादन की आपूर्ति की सम्भावना को नही नकारा जा सकता हैं।

- अनुबन्ध के अनुसार अनुबन्ध राशि की एक प्रतिशत निष्पादन बैंक गारण्टी आपूर्तिकर्ता से ली जानी थी जबकि कम्पनी ने ठेकेदार के रूप में ग्राहक को अनुबन्ध मूल्य के 10 प्रतिशत की निष्पादन बैंक गारण्टी समर्पित की थी। आपूर्तिकर्ता द्वारा अनुबन्ध के अ–निष्पादन की घटना मे एक प्रतिशत की निष्पादन बैंक गारण्टी हानि को संरक्षित करने मे पूर्णतया अपर्याप्त थी।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2008) कि उन्होने प्रमोद कुमार पाण्डे का प्रस्ताव निर्गमित किये गये निविदाओं मे दी गयी शर्तों व बाध्यताओं के अनुसार स्वीकार किया था तथा उन्होने 55.82 लाख रुपये आपूर्तिकर्ताओ से वसूल कर लिया है (अगस्त 2008)।

उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है जैसे प्रमोद कुमार पाण्डे ने निर्गमित किये गये निविदा के समक्ष प्रस्ताव नही किया तथा कम्पनी वसूली योग्य राशि 3.14 करोड़ रुपये के समक्ष केवल 55.82 लाख रुपये ही वसूल सकी । साथ ही, उत्तर आपूर्तिकर्ता से प्राप्त की गई निष्पादन बैंक गारण्टी की अपर्याप्तता पर शान्त था।

### *मोबलाईजेशन अग्रिम पर ब्याज का परिहार्य भुगतान*

**2.2.16** ग्राहक ठेकेदारो को या तो ब्याज पर या ब्याज मुक्त मोबलाईजेशन अग्रिम प्रदान करते हैं। मोबलाइेजशन अग्रिम की सुविधा उठाने का विकल्प कम्पनी के साथ रहता है। लेखा परीक्षा जॉच मे दर्शाया कि कम्पनी ग्राहको से मोबलाईजेशन अग्रिम प्राप्त करने मे वित्तीय दूरदर्शिता का प्रयोग करने मे असफल रही जोकि परिहार्य ब्याज के भुगतान मे परिणित हुई जैसा विम्नवत मामलों मे विवेचित किया गया है:

**कम्पनी कोषों की मितव्ययी ब्याज दरों पर व्यवस्था करने मे असफल रही तथा 43.37 लाख रुपये की ब्याज की हानि वहन किया।**

**2.2.17** दीघाघाट पटना मे गंगा नदी पर रेल पुल की नींव, उपढॉचा व गाईडबन्ध के निर्माण के अनुबन्ध कार्य के लिये कम्पनी के पूर्व मध्य रेलवे (पूमरे) से 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 4.20 करोड. रुपये का 20 दिसम्बर 2002 को तथा 76 लाख रुपये का 13 मार्च 2003 को मोबलाईजेशन अग्रिम प्राप्त किया। कम्पनी ने इस प्रकार

प्राप्त किया गया अग्रिम दिसम्बर 2003 मे 82.01 लाख़ रुपये ब्याज के साथ वापस कर दिया।

यह देखा गया कि कम्पनी के पास 9.50 प्रतिशत की ब्याज दर पर बैंक से नकद साख का विकल्प था। इसलिये 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर मोबलाईजेशन अग्रिम का उपभोग कम्पनी के वित्तीय हित मे नहीं था। इस प्रकार कम्पनी ने मोबलाईजेशन अग्रिम पर 38.73 लाख रुपये के ब्याज का परिहार्य भुगतान किया।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2008) कि मोबलाईजेशन अग्रिम अनुबन्ध के शर्तों के अनुरूप लिया गया था तथा कम ब्याज दर रखने वाले नकद साख ऋण को प्राप्त करने के लिये नियमित प्रयास किये गये थे। उत्तर तथापि जब कम ब्याज दर पर नकद साख सुविधायें उपलब्ध थी तब उँची ब्याज दर पर मोबलाईजेशन अग्रिम की स्वीकृति के कारणों को उचित नही सिद्ध करता है।

**2.2.18** कम्पनी ने एअरपोर्ट रोड पर फ्लाईओवर, डेरी सर्किल पर ग्रेड सेपरेटर तथा एमआईसीओ जंक्शन (जयदेव संस्थान) के निकट ग्रेड सेपरेटर के निर्माण के लिये बंगलौर विकास प्राधिकरण से क्रमशः एक करोड़ रुपये, 86 लाख रुपये तथा 88 लाख रुपये का मोबलाईजेशन अग्रिम 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर प्राप्त (फरवरी 2003) किया। कम्पनी ने इस प्रकार किये गये अग्रिम को जुलाई 2003 से मार्च 2004 की अवधि के दोरान 22.27 लाख रुपये के ब्याज के साथ वापस कर दिया। यह देखा गया कि कम्पनी के लिये 9.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर की नकद साख पर कोष उपलब्ध थे। इस प्रकार कम्पनी ने मोबलाईजेशन अग्रिम के ब्याज के भुगतान पर 4.64 लाख रुपये का परिहार्य व्यय वहन किया।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (अगस्त 2008) कि उन्होने मोबलाईजेशन अग्रिम पर उँची दर पर ब्याज का भुगतान किया तथा व्याख्या दी कि आगे की हानि को बचाने के लिये अग्रिमों को शीघ्रता से वापस कर दिया गया।

### *बीमा प्रीमियम के भुगतान मे देरी*

**कम्पनी की बीमा प्रीमियम समय से जमा करने मे विफलता 12.16 लाख रुपये की हानि की अप्रतिपूर्ति मे परिणित हुई।**

**2.2.19** दमन गंगा नदी पर पुल के अनुबन्ध के लिये कम्पनी ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड सामान्य बीमा कम्पनी से एक ठेकेदार के सभी जोखिम (सीएआर) वाली बीमा पालिसी ली (अप्रैल 2004)। 13 जुलाई 2004 को देय 1.90 लाख रुपये की राशि की प्रीमियम की द्वितीय किश्त देरी के साथ 19 अगस्त 2004 को भुगतान की गयी। इस बीच 3 अगस्त 2004 को आकस्मिक बाढ़ के कारण मशीने व सामग्री पानी मे डूब गये तथा कम्पनी ने 12.16 लाख रुपये की हानि वहन किया। बीमा कम्पनी ने कम्पनी की मॉग को अस्वीकार कर दिया क्योंकि प्रीमियम देय तिथि पर जमा नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप बीमा पालिसी लेने के बाद भी कम्पनी बीमा कम्पनी से 12.16 लाख रुपये की हानि के लिये क्षतिपूर्ति पाने मे असफल रही।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2008) कि बीमा प्रीमियम परियोजना की नकद प्रवाह की समस्या के कारण समय से जमा नही की गयी थी।

उत्तर, तथापि, कम्पनी की बुरी वित्तीय योजना को झलकाता है क्योंकि उसे पर्याप्त नकद प्रवाह की व्यवस्था प्रीमियम के भुगतान न होने के मामले में संलिप्त जोखिम को ध्यान मे रखते हुये, करनी चाहिये थी।

### अनुबन्धों का निरस्तीकरण

**2.2.20** लेखा परीक्षा जॉच ने दर्शाया कि कम्पनी अनुबन्ध कार्यों को कुशलतापूर्वक व समय से निष्पादित करने से असफल रही जोकि तीन अनुबन्धों के निरस्तीकरण मे फलित हुआ जैसा बाद के प्रस्तरों में विवेचित किया गया है:

**2.2.21** सूरत जिले मे विद्यमान मुख्य पुल के सुधार तथा अतिरिक्त तीन लेन पुल का उसके पहुँचो के साथ निर्माण का कार्य कम्पनी को भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 30.36 करोड़ रुपये के अनुबन्धित मूल्य पर प्रदान किया था। कम्पनी ने एनएचएआई के साथ अनुबन्ध का निष्पादन (4 जून 2003) किया। कार्य को 24 महीनों मे अर्थात 30 जून 2005 तक पूर्ण होना था।

कम्पनी ने कार्य आरम्भ किया (जुलाई 2003) परन्तु कार्य को पूर्णता की सूचीबद्ध तिथि के अन्दर पूर्ण नहीं कर सकी। कार्य को पूर्ण करने मे देरी को मुख्यतः कुओं को डालने मे देरी को अध्यारोपित किया गया। समय सीमा को 11 सितम्बर 2005 तक एनएचएआई द्वारा बढ़ाया गया परन्तु कम्पनी कार्य को बढ़े हुये समय से पूर्ण करने मे विफल रही। एक लोकहित याचिका मे माननीय उच्च न्यायालय ने एनएचएआई को (सितम्बर 2006) उचित कार्यवाही करने के लिये या तो समय से कार्य पूर्ण कराने या ठेकेदार को बदलने हेतु निर्देशित किया। इसके बावजूद भी कार्य की प्रगति बहुत धीमी रही तथा कार्य की वास्तविक प्रगति अक्टूबर 2006 तक मात्र 45.39 प्रतिशत थी।

कम्पनी ने इस आधार पर कि चट्टानी परत से कुऐं डालने मे अनिश्चितता रहती है तथा वहॉ अगस्त 2006 मे अप्रतयाशित व विनाशकारी बाढ़ थी, एक परिवर्तित कार्य योना परियोजना की पूर्णता 31 मार्च 2008 तक प्रस्तावित करते हुये प्रस्तुत किया (नवम्बर 2006)। कार्य की धीमी प्रगति के कारण एनएचएआई ने परिवर्तित कार्य योजना को स्वीकार नही किया। कम्पनी को कार्यक्षेत्र से हटाने के लिये एनएचएआई ने जनवरी 2007 मे 14 दिन की नोटिस देकर अनुबन्ध के उपबन्ध 63.1 का आछान किया तथा कम्पनी से किसी यन्त्र, अस्थायी कार्यो व सामग्रियों को कार्यक्षेत्र से न हटाने की याचना किया। एनएचएआई ने 7.57 करोड़ रुपये की निष्पादन सुरक्षा, मशीन अग्रिम व मोबलाईजेशन अग्रिम से सम्बन्धित बैंक गारण्टियों भी भुनवा ली (जनवरी 2007)। कम्पनी ने मध्यस्थता उपलब्ध का आछान किया (मार्च 2007) वर्तमान मे कम्पनी ने कार्यक्षेत्र को छोड़ दिया है तथा मध्यस्थता कार्यवाहियॉ चल रही हैं (अगस्त 2008)।

**नदी में कुओं को डालने मे अत्यधिक समय लेने के कारण एनएचएआई ने अनुबन्ध निरस्त किया तथा कम्पनी ने 13.02 करोड़ रुपये की हानि वहन किया।**

लेखा परीक्षा जॉच ने दर्शाया कि कम्पनी कार्यक्षेत्र, परिवेश जल विज्ञान सम्बन्धी ऑकड़ो व सतही स्थितियों तथ एनएचएआई द्वारा किये गये अनुसंधानो का निविदा जमा करने से पहले परीक्षण करने मे विफल रही। आगे, कम्पनी को जानकारी थी कि उसे कड़ी चट्टानी परत पर कुल 71 मीटर की मात्रा तक कुओं को डालना था तथा केवल अगस्त 2006 से अक्टूबर 2006 की अवधि तक कार्य अव्यवस्थित रहा। कुयें डालने मे लिये गये अतिरिक्त समय को अतिरिक्त मानवशक्ति व संसाधनो को लगाकर घटाया जा सकता था। इसके साथ ही प्रबन्धन ने कार्य प्रभारी को तीन बार बदला जिसने कार्य की प्रगति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। इस प्रकार, कम्पनी के पक्ष पर विफलता कम्पनी से कार्य वापस लिये जाने मे परिणित हुई। कार्य पर कम्पनी के द्वारा वहन की गई कुल हानि 13.02 करोड़ रुपये थी जिसे कार्य निष्पादन पर (3.32 करोड़ रुपये) तथा कार्य क्षेत्र से निकाले जाने (9.70 करोड़ रुपये) पर अध्यारोपित किया गया।

प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा (अगस्त 2008) कि कम्पनी ने कार्य को ईमानदारी से आरम्भ किया था तथा परियोजना की आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक संसाधनो को लगाया था परन्तु ग्राहक के सहालकार से असहयोग धीमी प्रगति से परिणित हुआ था।

प्रबन्धन का उत्तर संतुष्ट होने योग्य नहीं है क्योंकि निविदा जमा करने से पहले, कम्पनी कार्यक्षेत्र, परिवेश, जल विराम सम्बन्धी आकंड़ो तथा उपसतही स्थितियों आदि का परीक्षण करने मे असफल रही। साथ ही कुओं में डालने मे लगे अतिरिक्त समयको घटाने के लिये अतिरिक्त मानवशक्ति व संसाधनो का न लगाया जाना एवं इकाई प्रभारी के बार–बार बदलाव ने कार्य की प्रगति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया जोकि अंततः अनुबन्ध के निरस्तीकरण मे परिणित हुआ।

**2.2.22** फगवाड़ा जान्डियाला नकोदर प्लान मार्ग पर स्तरपार के प्रतिस्थापन हेतु फगवाड़ा कस्बे मे दिल्ली अमृतसर रेलवे लाईन पर रेलवे उपरगामी सेतु के निर्माण का कार्य कम्पनी को 16.18 करोड़ रुपये की अनुबन्धित लागत पर पंजाब सार्वजनिक निर्माण विभाग (बीएण्डआर) चंडीगढ़ (पंसानिवि) द्वारा प्रदान (अप्रैल 2002) किया गया था। अनुबन्ध 27 जून 2002 को निष्पादित किया गया था तथा 11 मई 2002 से प्रभावी था। कार्य को 12 महीनो अर्थात 10 मई 2003 तक पूर्ण होना था।

फगवाड़ा स्थित, कम्पनी की पुल निर्माण इकाई ने कार्य आरम्भ किया (11 मई 2002) परन्तु कार्य की प्रगति बहुत धीमी थी तथा इकाई कार्य को सूचीबद्ध समय से नहीं पूर्ण कर सकी। पसानिवि ने यद्यपि 30 अप्रैल 2004 तक निष्पादन मे विस्तार स्वीकृत किया परन्तु कार्य की प्रगति तब भी धीमी रही। कम्पनी ने 30 अप्रैल 2004 तक 3.70 करोड़ रुपये के मूल्य का कार्य निष्पादित किया। कम्पनी की आगे 30 जून 2005 तक की समय विस्तार की याचना (अगस्त 2004) को पसानिवि द्वारा नही माना गया क्योंकि कम्पनी सूचीबद्ध अवधि मे कार्यों के निष्पादन मे विफल रही। अतः पंसानिवि ने अनुबन्ध को निरस्त कर दिया तथा 1.27 करोड़ रुपये मूल्य की कम्पनी की मशीनों व सामग्री पर कब्जा ले लिया (मई 2005)। कम्पनी द्वारा निष्पादन तथा मोबिलाईजेशन अग्रिम के लिये दी गयी 2.42 करोड़ रुपये के मूल्य की तीन बैंक गारण्टियों को पंसानिवि द्वारा भुना (दिसम्बर 2006) लिया गया। इसके समक्ष, कम्पनी मध्यस्था मे गयी थी तथा मामला अभी भी मध्यस्थता के अधीन था (अगस्त 2008)।

**कार्य की धीमी प्रगति व सड़क निर्माण यन्त्रो की व्यवस्था मे असफल रहने के कारण कम्पनी को 4.14 करोड़ रुपये की कार्य पर क्षति उठानी पड़ी।**

लेखा परीक्षा मे यह देखा गया कि कम्पनी ने एक वर्ष मे 16.18 करोड़ रुपये के कार्य निष्पादन की अपनी क्षमता का निर्धारण किये बिना निविदा मे भाग लिया। वहॉ उचित योजना, समन्वय तथा देख–रेख का भी अभाव था क्योंकि कम्पनी कार्य को सूचीबद्ध समय/विस्तारित समय मे पूर्ण करने के लिये कार्य के सभी तत्वों को एक साथ आरम्भ नही कर सकी। धीमी प्रगति कार्यक्षेत्र कार्यालय के स्थापना मे देरी के कारण थी तथा आगे कम्पनी न तो सड़क निर्माण यन्त्र/मशीनरी कार्यक्षेत्र पर व्यवस्थित कर सकी तथा न ही किसी बाहरी एजेन्सी को सड़क कार्य जोकि कार्य का बड़ा हिस्सा बना, को निष्पादित करने हेतु लगा सकी। यह कार्य के निष्पादन मे कम्पनी के पक्ष पर ढीलेपन को दर्शाता है। ये सब अनुबन्ध के निरस्तीकरण की ओर गये। परिणामस्वरूप कम्पनी ने इस कार्य पर 4.14 करोड़ रुपये की हानि वहन करी। कार्य की कुल हानि की गणना करते समय कम्पनी ने 1.27 करोड़ रुपये की पंसानिवि के कब्जें के अधीन, मशीनरी व सामग्री को नहीं शामिल किया।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2008) कि देरी रास्ते का अधिकार हस्तगत करने मे देरी, अभिकल्पों की उपलब्धता मे देरी तथा मूल्यवृद्धि, इस्पात के दाम मे असामान्य वृद्धि, अनुबन्ध के विस्तारित समय मे स्थिर व्ययों व उपरिव्ययों के भुगतान न होने के कारण हुई। उन्होने आगे कहा कि हानि पंसानिवि के असहयोग के कारण हुई जिसके लिये कम्पनी ने मध्यस्था ट्रिब्युनल के समक्ष निस्तारण हेतु मॉग समर्पित कर दी।

यह तथापि देखा गया कि कम्पनी को मई 2002 मे कार्यक्षेत्र हस्तगत किया गया था तथा मुख्य ढांचे के अभिकल्प जनवरी 2003 मे हस्तगत किये गये थे। आगे मूल्य वृद्धि तथा स्थिर व्ययों/उपरिव्ययों का भुगतान अनुबन्ध के अनुसार स्वीकार्य नही था। हानि पंसानिवि मे असहयोग के कारण नही थी वरन कम्पनी द्वारा सड़क निर्माण यन्त्रों की व्यवस्था न करने व धीमी प्रगति के कारण थी।

**पानी की गहराई व कार्यक्षेत्र की स्थितियों की अनुचित निर्धारण के कारण कम्पनी ने एनएचसी द्वारा निरस्त किये गये अनुबन्ध पर 2.21 करोड़ रुपये की हानि वहन करी।**

**2.2.23** दमन ने दमनगंगा नदी पर पुल के उसक पहुॅचों के साथ निर्माण का कार्य कम्पनी को (फरवरी 2004) राष्ट्रीय राजमार्ग सर्किल, सड़क व भवन विभाग, गुजरात सरकार (एनएचसी) द्वारा 15.03 करोड़ रुपये के अनुबन्धित मूल्य पर प्रदान किया गया था जिसे फरवरी 2006 तक पूर्ण होना था। कम्पनी ने 27 फरवरी 2004 को कार्य प्रारम्भ किया। अगस्त 2004 मे कम्पनी ने ग्राहक को सूचित किया कि छः लाख क्यूसेक से अधिक पानी मधुबन बॉध से छोड़ा गया था तथा उस विशिष्ट भाग पर पहले भी

ऐसी घटना हुई थी, छोड़े जाने वाले पानी तथा नींव के अनुसंधान का पुर्ननिरीक्षण किया जायेगा। उसके बाद कम्पनी ने सुझाव दिया (मार्च 2005) कार्यक्षेत्र मे पानी की गहराई मे असामान्य वृद्धि के कारण निष्पादन के लिये प्रस्तावित निर्माण प्रक्रिया उपयुक्त नही थी तथा कार्य केवल इस्पात फ्लोटिंग कैसन प्रक्रिया द्वारा ही सम्भव था जोकि पूर्णतया अलग तरह का कार्य था। इस प्रकार कार्यक्षेत्र की स्थितियों मे परिवर्तन के कारण परियोजना की लागत बढ़नी थी। प्रतिक्रिया मे एनएचसी ने कहा (मार्च 2005) कि पानी की गहराई जोकि निविदा सूचना मे दी थी, के लिये कम्पनी को पहले से ही निविदा देते समय ही फ्लोटिंग कैसन प्रक्रिया को ध्यान मे रखना चाहिये था। एनएचसी ने कम्पनी की याचना को अस्वीकार कर दिया तथा कार्य को बिना देरी के निष्पादित करने का निर्देश दिया (मार्च 2005)। उसके बाद कम्पनी ने कार्य आरम्भ नही किया परिणामस्वरूप एनएचसी ने अनुबन्ध को 12 सितम्बर 2005 को निरस्त कर दिया।

यह देखा गया कि कम्पनी अपनी वित्तीय बोली लगाने से पहले कार्यक्षेत्र के स्थितियॉ अर्थात नदी मे पानी की गहराई तथा निर्माण प्रक्रिया के निर्धारण से असफल रही। बाद मे कम्पनी ने बढ़ी हुई कार्य लागत का निर्धारण किया लेकिन एनएचसी सहमत नही हुई। यह अनुबन्ध के निरस्तीकरण की ओर गया तथा कम्पनी को 2.21 करोड़ रुपये की हानि अनुबन्ध कार्य पर वहन करनी पड़ी। आगे एनएचसी ने 10.02 लाख रुपये परिनिर्धारित क्षति के कारण कम्पनी के सत्यापित बिलो से काट लिये।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2008) कि कम्पनी कार्यक्षेत्र की स्थितियों में बोली लगाते समय निर्धारित करने मे असफल नही रही। उन्होने आगे कहा अगस्त 2004 की अप्रत्याशित बाढ़ ने महत्वपूर्ण ढंग से जमीनी स्थितियॉ को परिवर्तित कर दिया जिससे कार्य के क्षेत्र तथा निर्माण प्रक्रिया मे बदलाव वॉछित था।

उत्तर संतुष्ट होने योग्य नही है क्योंकि कम्पनी को कार्य फरवरी 2004 मे प्रदान किया गया था तथा नदी मे बाढ़ का उपान्त कम्पनी का पता था। बोली मे भाग लेते समय इस महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान मे रखना चाहिये था।

## आन्तरिक नियंत्रण तथा आन्तरिक लेखा परीक्षा

### *आन्तरिक नियंत्रण*

**2.2.24** आन्तरिक नियंत्रण कार्य की कुशलता हेतु वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता तथा लागू कानूनो व विधानो के अनुपालन को उचित आश्वासन प्रदान करने के लिये अभिकल्पित एक प्रक्रिया हैं। लेखा परीक्षा ने निम्नवत देखा:

- कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 292 अ के अधीन प्रावधानो के अनुपालन मे फरवरी 2001 मे निर्मित लेखा परीक्षा समिति को वैधानिक अंकेक्षकों के साथ आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के बारे मे सांविधिक विचार विमर्श करने थे। परन्तु कोई ऐसे विचार विमर्श नही हुये।

- प्रत्येक अनुबन्ध कार्य के सम्बन्ध में डीसीयू पद्धति आगंणन कार्य पर व्यय की योजना हेतु अनुमोदित किये जाते हैं। अनुमोदित व्यय की तुलना मे कार्य पर विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक व्यय को प्रति माह निविदा इकाई द्वारा मुख्यालय को प्रतिवेदित किया जाता है। व्ययों के विचलन को मुख्यालय पर निविदा इकाइयों द्वारा किये गये व्ययों के नियंत्रण हेतु उपचार कार्यवाही करने के लिये विचलन के कारणों को जानने हेतु विवेचित नही किया जाता हैं।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2008) कि नियंत्रण अधिकारी प्रतिवेदनों का प्रबोधन करते है तथा इकाइयों मे निर्देश जारी करते हैं।

जैसा लेखा परीक्षा मे देखा गया कि प्रबन्धन तथापि मुख्यालय मे मासिक प्रबोधन प्रतिवेदनों का विवेचन तथा उन पर उपचार की कार्यवाही नही करता।

- निविदा मे भाग लेने के लिये ग्राहकों के पास जमा किये गये ब्याज जमा धन को अनुबन्ध प्राप्त करने मे विफल रहने के मामले मे ग्राहकों से वापस प्राप्त करने के लिये, उचित रूप से प्रबोधित नही किया जाता है।

*आन्तरिक लेखा परीक्षा*

**2.2.25** आन्तरिक लेखा परीक्षा एक संस्था मे बनायी गयी एक मूल्यांकन कार्यवाही है जिसका उद्देश्य लेखाकर्म तथा आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता व प्रभाविकता का परीक्षण, मूल्यांकन तथा प्रबोधन करना होता है। कम्पनी का आन्तरिक अंकेक्षण विभागीय तौरपर किया जाता है। कम्पनी के आन्तरिक लेखा परीक्षा मैनुअल के अनुसार एक करोड़ या अधिक के कारोबार की चालू कार्यक्षेत्र रखने वाली इकाइयों की लेखा परीक्षा वार्षिक होनी चाहिये। यह देखा गया कि कम्पनी की आन्तरिक लेखा परीक्षा का क्षेत्र अपर्याप्त था तथा निविदा इकाइयों की आन्तरिक लेखा परीक्षा अप्रभावी थी। यह समय–समय पर वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा अपने प्रतिवेदनों मे भी प्रतिवेददित किया गया था।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (अगस्त 2008) कि निविदा इकाइयों की आन्तरिक लेखा परीक्षा अनुभवी कर्मचारियों की कमी के कारण आवश्यकता के अनुसार नही की जा सकी।

**अभिस्वीकृति**

**2.2.26** निष्पादन लेखा परीक्षा सम्पन्न करने के विभिन्न चरणों पर कम्पनी के अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर दी गई सहायता व सहयोग के लिये लेखा परीक्षा आभार व्यक्त करता हैं।

उपरोक्त लेखा परीक्षा प्रेक्षण शासन को मई 2008 मे प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नही हआ था (अक्टूबर 2008)।

**निष्कर्ष**

**कम्पनी का निविदा कार्यों के लिये तकनीकी व वित्तीय बोलियों के नियोजन व तैयारी के सम्बन्ध मे त्रुटिपूर्ण था। कम्पनी निविदा के समय कार्य के लिये सही मात्रा बिलों के सही निर्धारण मे असफल रही तथा अतिरिक्त व्यय वहन किया जो कि ग्राहको से माँगा नही जा सका। निविदा के लिये दी गई प्राक्कलित लागत के संदर्भ मे दरें प्रस्तावित करने हेतु कोई नीति विद्यमान नही थी। वहाँ कार्यों मे हानि की ओर ले जाने वाले प्राक्कलित लागत से कम दरें प्रस्तावित करने के मामले थे। कम्पनी अनुबन्ध मे दिये गये समय सूची का पालन नही कर सकी। त्रुटिपूर्ण निष्पादन तथा कार्य की धीमी प्रगति ने अनुबन्धो का निरस्तीकरण कराया जोकि प्रभवस्वरूप हानियों मे परिणित हुये। साथ ही निर्माण सामग्री के अधिक उपयोग के मामलें भी लेखा परीक्षा के दौरान देखे गये।**

**संस्तुतियाँ**

- **कार्य क्षेत्र का ब्योरेवार सर्वेक्षण, वास्तविक कार्य का निर्धारण तथा बोली समर्पित किये जाने के पहले मात्रा बिलों का सही निर्धारण आश्वस्त किया जाना चाहिये;**

- निविदा के लिये रखी गयी प्राक्कलित लागत के संदर्भ मे दरें प्रस्तावित करने के लिये एक नीति बनायी जानी चाहिये;
- निविदा कार्यों की पूर्णता मे समय सूची का कड़ाई से अनुसरण किया जाना चाहिये; तथा
- आन्तरिक लेखा परीक्षा पक्ष मजबूत किया जा सकता है।

## 2.3 पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी में ऊर्जा हानियां एवं उनका निवारण

### मुख्य अंश

**वर्ष 2004–05 से 2007–08 के चार वर्ष की अवधि में कम्पनी की वितरण हानियां यूपीईआरसी के लक्ष्यों से 2496.867 एमयू जिनका मूल्य 617.66 करोड़ रुपये था, अधिक थीं।**

*(प्रस्तर 2.3.8)*

**मार्च 2008 के अन्त में परिवर्तक क्षमता में उपभोक्ताओं के संयोजित भार के सापेक्ष 2566.837 एमवीए का अन्तर था जो सिस्टम को अतिभारित करने और ऊर्जा हानियों का कारण बना।**

*(प्रस्तर 2.3.9)*

**एक्सीलेरेटेड पावर डेवलपमेन्ट रिफार्म प्रोग्राम (ए पी डी आर पी) स्कीम 203.04 करोड़ रुपये खर्च करके कार्यान्वित किये जाने के बावजूद टी एण्ड डी हानियों के कम करने एवं परिवर्तक वार ऊर्जा का लेखांकन/लेखा परीक्षा करने के उद्देश्य अधिकतम अप्राप्य रहें।**

*(प्रस्तर 2.3.10)*

**कम्पनी 19351 संयोजनों पर शंट कैपिसिटर जो कि विभव को नियमित करता है और पावर फैक्टर को बढ़ाकर ऊर्जा हानियों को बचाता है, की स्थापना सुनिश्चित नहीं कर सकीं। पुनः, 8763 उपभोक्ताओं पर कैपिसिटर स्थापित न किये जाने का अधिभार 1.54 करोड़ रुपये भी न लगा सकी।**

*(प्रस्तर 2.3.14)*

### प्रस्तावना

**2.3.1** पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी (कम्पनी) जो कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ (यू. पी. पी. सी. एल.) की एक सहायक कम्पनी है का गठन, कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत दिनांक 1 मई 2003 को हुआ था और इसे उत्तर प्रदेश के 21 जिलों[•] को विद्युत वितरण हेतु लाइसेंस प्राप्त है। कम्पनी ने अगस्त 2003 में अपने व्यावसायिक कियाकलापों को प्रारम्भ किया। विद्युत के सब–पारेषण एवं वितरण हेतु बुनियादी ढांचा का विकास एवं अनुरक्षण, विद्युत की खरीद, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर एवं आजमगढ़ जोन के विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण एवं प्रदाय और देयकीकरण एवं राजस्व का संग्रहण तथा ऊर्जा हानियों (तकनीकी एवं गैर–तकनीकी) को रोकना कम्पनी के मुख्य कियाकलाप हैं।

आर्थिक प्रगति मुख्य रूप से विद्युत के विश्वसनीय एवं गुणवत्तापरक प्रदाय पर आधारित होती है। विश्वसनीयता को बढ़ाने हेतु विद्युत उत्पादन एक मुख्य कारक है। फिर भी, ऊर्जा हानियों का रोकना भी इसकी विश्वसनीयता बढ़ाने एवं गुणवत्तापरक प्रदाय की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। वितरण सिस्टम के कुशलतापूर्वक कार्य करने

---

• 1. वाराणसी, 2. चन्दौली, 3. गाजीपुर, 4. भदोही, 5. मिर्जापुर, 6. सोनभद्र, 7. जौनपुर, 8. आजमगढ़, 9. मऊ, 10. बलिया, 11. गोरखपुर, 12. महराजगंज, 13. देवरिया, 14. कुशीनगर, 15. बस्ती, 16. संतकबीरनगर, 17. सिद्धार्थनगर, 18. कौशाम्बी, 19. फतेहपुर, 20. प्रतापगढ़ 21. इलाहाबाद ।

के लिए ऊर्जा हानियों का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी. ई. ए.) के द्वारा तय किये गये मानक तक कम होना चाहिए।

ऊर्जा हानि में तकनीकी एवं गैर–तकनीकी दोनों ही हानियां शामिल होती हैं। तकनीकी हानि को निम्नानुसार कम किया जा सकता है:

- प्रत्येक सब स्टेशन की परिवर्तक क्षमता को उपयुक्त रखकर
- उच्च विभव पर विद्युत प्रदाय करके (निम्न विभव रहित उच्च विभव वितरण सिस्टम द्वारा)
- सब स्टेशनों एवं उपभोक्ताओं के छोर पर कैपिसिटर बैंक स्थापित कर; और
- विद्युत ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों को बढ़ावा देकर ।

गैर तकनीकी हानियों को निम्नानुसार कम किया जा सकता है:

- मीटरीकृत उपभोक्ताओं का सही देयकीकरण करके।
- विद्युत चोरी को रोकने के लिए उपभोक्ताओं के संयंत्रों की प्रभावी जांच करके।

विद्युत चोरी रोकने/गैर–तकनीकी हानियों को कम करने के लिए दोहरा मीटर स्थापित करना, इलेक्ट्रानिक मीटरों का प्रयोग में लाना, इनसुलेटेड केबिल एवं एरियल बन्च्ड कण्डक्टर द्वारा विद्युत प्रदाय किया जाना इत्यादि बहुत से अन्य उपाय हैं।

कम्पनी का प्रबन्धन चार सदस्यों वाले एक निर्देशक मण्डल में निहित है। प्रबन्ध निर्देशक के पास सम्पूर्ण प्रभार है और मुख्यालय पर उनकी सहायता के लिये एक निर्देशक (तकनीकी), छः मुख्य अभियन्ता, एक उपमहाप्रबन्धक (लेखा), एक सहायक पुलिस अधीक्षक और नौ अधीक्षण अभियन्ता व क्षेत्र में चार मुख्य अभियन्ता, नौ अधीक्षण अभियन्ता व चार उप मुख्य लेखाधिकारी हैं।

## लेखा परीक्षा का क्षेत्र

**2.3.2** निष्पादन समीक्षा जो अगस्त 2007 से मार्च 2008 के बीच निष्पादित की गई में ऊर्जा हानियों (तकनीकी तथा गैर तकनीकी) को रोकने के लिये किये गये प्रबन्धन और इन हानियों को वर्ष 2004–05 से 2007–08 के पांच वर्ष में कम करने संबंधी अपनाए गए उपायों को शामिल करती है।

कम्पनी में कुल 11 वितरण वृत्त और 63 खण्ड थे जिसमें से 15 इकाइयॉ नमूना जॉच के लिये सिम्पल रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर चुनी गयीं। चुना गया नमूना, वर्ष 2006–07 में कम्पनी के कुल ऊर्जा हानि का 17.77 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है।

## लेखा परीक्षा के उद्देश्य

**2.3.3** समीक्षा इस उद्देश्य के साथ निष्पादित की गई कि क्या:

- ऊर्जा हानियों को उद्धित सीमा तक सीमित किया गया है और सब स्टेशन पर परिवर्तक क्षमता अर्थात् भार वहन/भार सहने की उपयुक्त क्षमता है।
- तकनीकी हानियों को कम करने के उपकरण अर्थात् उपयुक्त क्षमता के कैपिसिटर बैंक लगे हैं और सिस्टम की तकनीकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कैपिसिटर बैंकों का समय पर मरम्मत/प्रतिस्थापन हो रहा है।
- गैर तकनीकी हानियों को कम करने के लिए अपनाए गए उपाय उपयुक्त हैं और

- इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 एवं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड, 2005 के उपबन्धों के अनुसार विद्युत चोरी को रोकने के लिये उपभोक्ताओं के संयंत्रों की प्रभावी जांच और उन पर अनुगामी कार्रवाई हो रही है।

## लेखा परीक्षा की कसौटी

**2.3.4** लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का आकलन करने के लिए लेखा परीक्षा की निम्न कसौटियॉ थीः

- ऊर्जा हानियों के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यू. पी. ई. आर. सी.) द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देश/विनिर्देश
- विद्युत अधिनियम 2003 एवं विद्युत प्रदाय संहिता 2005
- वाणिज्यिक एवं राजस्व मैनुअल और
- मीटर लगाने एवं उपभोक्ताओं के देयकीकरण के सम्बन्ध में मेमोरैण्डम ऑफ अण्डरस्टैडिंग (एम.ओ.यू.)

## लेखा परीक्षा प्रक्रिया

**2.3.5** लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति संबंधी लेखों/आंकड़ों के विश्लेषण हेतु निम्न मिश्रित लेखा परीक्षा विधियां अपनाई गईं:

- यू पी ई आर सी द्वारा जारी किये गये निर्देश/विनिर्देश, यू. पी. पी. सी. एल. के आदेश/वाणिज्यिक एवं राजस्व मैनुअल, विद्युत अधिनियम 2003 एवं विद्युत प्रदाय संहिता 2005 का अध्ययन
- रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन सेकेण्डरी सिस्टम प्लानिंग आर्गेनाइजेशन (आर. ई. एस. पी. ओ.), लखनऊ और मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) से आंकड़ों का केन्द्रीय रूप से इकट्ठा करना
- कम्पनी मुख्यालय वाराणसी से आकड़ों का इकट्ठा करना, वार्षिक रिपोर्टों, कार्यकम और निर्देशक मण्डल की सभाओं के कार्यवृत्त की जांच करना
- ऊर्जा हानियों को कम करने के लिए जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन के आकलन हेतु सर्किल/खण्ड स्तर पर विभिन्न लेखों की जांच करना।
- ऊर्जा हानियों के लक्ष्यों एवं प्राप्तियों का विश्लेषण करना।

## लेखा परीक्षा प्रेक्षण

**2.3.6** निष्पादन समीक्षा के परिणामस्वरूप लेखा परीक्षा के निष्कर्षो को प्रबन्धन एवं सरकार को सूचित (मई 2008) किया गया और आडिट रिव्यू कमेटी फार स्टेट पब्लिक सेक्टर इण्टरप्राइजेज (ए. आर. सी. पी. एस. ई.) की बैठक में चर्चा की गई (6 अक्टूबर 2008)। बैठक में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निर्देशक वितरण एवं कम्पनी के निर्देशक वित्त ने मांग लिया था। बैठक में, सरकार के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। समीक्षा के अन्तिमीकरण करते समय प्रबन्धन के प्रतिनिधियों के द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखा गया।

लेखा परीक्षा के निष्कर्षों की अनुगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

### *ऊर्जा हानि एवं सब स्टेशनों पर परिवर्तक क्षमता की उपयुक्तता*

**2.3.7** खरीदी गयी ऊर्जा एवं उपभोक्ताओं को बेची गयी ऊर्जा के अन्तर को ऊर्जा हानि से शाब्दिक किया जाता है। यह तकनीकी एवं गैर तकनीकी दोनों कारणों से

होता है। ऊर्जा हानियों को एक आवश्यक सीमा तक रखने के लिए प्रबन्धन को निम्नलिखित उपायों को अपनाना चाहिए:

- क्रय, विक्रय एवं ऊर्जा हानि का उचित लेखांकन जिससे कि प्रबन्धन उचित निर्णय ले सके।
- सब स्टेशनों पर परिवर्तक क्षमता उपयुक्त होनी चाहिए जिससे कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और विभव के गिरने तथा उपकरणों का पूर्ति से अलग होने जैसी समस्याओं, जो अत्यधिक ऊर्जा हानियों के कारक हैं, को भी टाला जा सके।

कम्पनी के ऊर्जा हानियों के स्तर एवं परिवर्तक क्षमता को निम्नलिखित प्रस्तरों में चर्चा की गई हैं:

### *ऊर्जा हानियां*

**2.3.8** निम्नलिखित सारणी, कम्पनी के वर्ष 2007–08 तक के बीते हुए पांच वर्षों के ऊर्जा हानियों को प्रदर्शित करती है:

| क्र0सं0 | विवरण | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ऊर्जा क्रय (मि.यू.) | 8833.020 | 9103.218 | 9651.033 | 10822.476 | 11266.529 | 49676.276 |
| 2. | ऊर्जा विक्रय (मि.यू.) | 6661.603 | 6536.493 | 6884.980 | 7554.198 | 8195.259 | 35832.533 |
| 3. | ऊर्जा हानि (मि.यू.) | 2171.417 | 2566.725 | 2766.053 | 3268.278 | 3071.270 | 13843.743 |
| 4. | ऊर्जा हानि का प्रतिशत | 24.58 | 28.20 | 28.66 | 30.20 | 27.26 | 27.87 |
| 5. | यू पी ई आर सी द्वारा निर्धारित ऊर्जा हानि की अधिकतम सीमा (प्रतिशत) | 24.82 | 22.31 | 18.81 | 25.51 | 22.8 | - |
| 6. | यू पी ई आर सी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक वितरण हानि (मि. यू.) (4–5)/100X1 | शून्य | 536.180 | 950.626 | 507.574 | 502.487 | 2496.867 |
| 7. | औसत विक्रय दर (रुपये प्रति यूनिट) | 2.39 | 2.65 | 2.49 | 2.35 | 2.38 | - |
| 8. | यू पी ई आर सी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हुई वितरण हानि की लागत (रुपये करोड़ में) (6X7) | शून्य | 142.09 | 236.70 | 119.28 | 119.59 | 617.66 |

**मार्च 2008 के अन्त तक के चार वर्षों में यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित सीमा से 2496.867 एमयू अधिक ऊर्जा हानि हुई जिसका मूल्य 617.66 करोड़ रुपये था**

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि कम्पनी की ऊर्जा हानियां यू. पी. ई. आर. सी. द्वारा तय की गई अधिकतम हानियों से काफी अधिक थीं। वर्ष 2004–05 से 2007–08 के दौरान यू पी ई आर सी के लक्ष्यों से अधिक ऊर्जा हानि की संगणित मात्रा 2496.867 एम यू थी जिसका मूल्य 617.66 करोड़ रुपये था। जैसा कि लेखा परीक्षा में विश्लेषित किया गया कि अत्यधिक ऊर्जा हानि के मुख्य कारक परिवर्तक क्षमता का कम होना, कैपिसिटर बैंक की कार्य क्षमता का अनुपयुक्त होना, कम पावर फैक्टर का होना, भारी मात्रा में बिना मीटर के उपभोक्ताओं का होना और विद्युत चोरी आदि हैं जिन्हें आगामी प्रस्तरों में चर्चित किया गया है।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2008) कि ऊर्जा हानियों को कम करने संबंधी उपायों के लिये 2012–13 तक की पांच वर्षीय व्यावसायिक योजना का अन्तिमीकरण होना था।

तथ्य यह है कि अत्यधिक ऊर्जा हानियों को कम करने के लिये कोई भी निश्चित कदम अब तक नहीं उठाये गये है।

### *परिवर्तक क्षमता का अनुपयुक्त होना*

**2.3.9** उपभोक्ताओं के प्रयोग योग्य बनाने के लिए, उच्च विभव पर (132 के वी, 66 के वी, 33 के वी) पारेषण कम्पनी के प्राथमिक सब स्टेशन से प्राप्त ऊर्जा को 11 के वी के निम्न विभवन पर वितरण कम्पनी के 33/11 के वी सब स्टेशन पर परिवर्तित किया जाता है। सम्पूर्ण संयोजित भार के सम्भरण हेतु परिवर्तक क्षमता का उपयुक्त होना चाहिए। परिवर्तक क्षमता और संयोजित भार का आदर्श अनुपात 1:1 माना गया है।

परिवर्तक क्षमता की अनुपयुक्तता सिस्टम को अतिभारित करती है जो कि प्रदाय किये गये विभव को कम करती है। फलस्वरूप ऊर्जा की हानि होती है।

नीचे दी गयी सारिणी, 2004–05 से 2007–08 के दौरान 33/11 के वी के सब स्टेशन पर परिवर्तक क्षमता एवं उपभोक्ताओं के संयोजित भार के विवरण को प्रकट करती है।

| वर्ष | परिवर्तक क्षमता | संयोजित भार (एमवीए) | परिवर्तक क्षमता का अन्तर (एमवीए) | परिवर्तक क्षमता व संयोजन भार का अनुपात |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | 3057.000 | 5090.552 | 2033.552 | 0.60:1 |
| 2005-2006 | 3360.650 | 5265.856 | 1905.206 | 0.64:1 |
| 2006-2007 | 3624.500 | 5777.652 | 2153.152 | 0.63:1 |
| 2007-2008 | 3720.500 | 6287.337 | 2566.837 | 0.59:1 |

**33/11 के.वी. सब स्टेशन पर परिवर्तक क्षमता और संयोजन भार के मध्य 0.59:1 से 0.64:1 का अनुपात रहा जो मार्च 2008 के अन्त तक 2566.837 एम.वी.ए. का अन्तर प्रदर्शित करता है।**

उपर्युक्त सारिणी से देखा जा सकता है कि कम्पनी के 33/11 के वी के सब स्टेशन पर वितरण परिवर्तक की क्षमता का अनुपात कुल संयोजित भार के विरूद्ध 0.59:1 से 0.64:1 के बीच रहा। यह एक बड़े रिक्तता को प्रकट करता है। वर्ष 2007–08 के अन्त तक अन्तर बढ़कर 2566.837 एम वी ए हो गया। इस प्रकार का परिवर्तक क्षमता के बड़े अन्तर ने सिस्टम को अतिभारित किया जो कि उच्च ऊर्जा हानियों के कारणों में से एक था।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2008) कि भार को कम करने के लिए वर्तमान परिवर्तक क्षमता की वृद्धि एवं नये परिवर्तकों की स्थापना जैसे कदम उठाये जा रहे थे।

### *ए पी डी आर पी के तहत निर्धारित पैरामीटरस का प्राप्त न किया जाना।*

**2.3.10** भारत सरकार (जी ओ आई) द्वारा 10वी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ (2002–03) में शहरी/औद्योगिक क्षेत्रों के पारेषण एवं वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण करने के लिए एक्सीलेरेटेड पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम (ए पी डी आर पी) प्रारम्भ किया गया था। स्कीम मुख्यतया नये 33/11 केवी, 11/0.4 के वी सब स्टेशन और संबंधित 33 एवं 11 के वी लिंक लाइन का निर्माण, वर्तमान 33/11 के वी, 11/0.4 के वी सब स्टेशन की क्षमता वृद्धि, मेकैनिकल इनर्जी मीटरों का इलेक्ट्रानिक मीटरों से प्रतिस्थापना, भौगोलिक सूचना तंत्र (जी आई एस) मैपिंग वितरण परिवर्तकों पर मीटर के लगाने इत्यादि के कार्य को शामिल करती है। इसका उद्देश्य कम्पनी की वित्तीय क्षमता को बढ़ाना, पारेषण एवं वितरण हानियों को 10 प्रतिशत तक कम करना, परिवर्तक वार ऊर्जा का लेखांकन एवं ऊर्जा प्रदाय की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता को बढ़ाना था।

यह स्कीम वाराणसी, इलाहाबाद और गोरखपुर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित की गयी। स्कीम के विभिन्न कियाकलापों को जनवरी 2008 तक पूरा किया गया और कुल 203.04 करोड़ रुपये व्यय किया गया। पारेषण एवं वितरण हानियों के लिए लिया गया पैरामीटर, आधारवर्ष में संबंधित शहरी वितरण सर्किल की वास्तविक पारेषण एवं वितरण हानियां, पारेषण एवं वितरण हानियों की यथाप्राप्ति की स्थिति और स्कीम की समाप्ति पर वास्तविक पारेषण एवं वितरण हानियां निम्नलिखित सारिणी में दिया गया है।

(आकड़े प्रतिशत में)

| शहरी क्षेत्र का नाम | पारेषण एवं वितरण हानियों संबंधी बेंच मार्क पैरामीटर (आधार वर्ष 2003–04) | वास्तविक पारेषण एवं वितरण हानियां (2003–04 | पारेषण एव वितरण हानि की स्थिति जैसा कि योजना के विकास पत्र में दर्शाया गया | वास्तविक पारेषण एवं वितरण हानियां (2007–08) |
|---|---|---|---|---|
| वाराणसी | 39.90 | 39.90 | 28.85 | 28.89 |
| इलाहाबाद | 34.29 | 34.29 | 34.92 | 35.64 |
| गोरखपुर | 30.49 | 21.80 | 19.78 | 19.93 |

*स्रोत: योजना की प्रगति प्रतिवेदन एवं वाणिज्यिक प्रपत्र ।*

इस संबंध में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

- कम्पनी द्वारा अपने वाणिज्यिक प्रपत्र में सूचित किये गये वास्तविक पारेषण एवं वितरण हानियों के सापेक्ष गोरखपुर हेतु बेंचमार्क पैरामीटर के लिए लिया गया पारेषण एवं वितरण हानियों का प्रतिशत निश्चित रूप से अधिक (30.49) था। वर्ष 2007–08 के अन्त तक योजना के कार्यान्वित होने के बाद गोरखपुर का

पारेषण एवं वितरण हानियों की स्थिति 19.78 प्रतिशत थी। हानियों में वास्तविक कमी 1.87 प्रतिशत थी जबकि ए. पी. डी. आर. पी. के प्रगति पत्र में 10.71 प्रतिशत संसूचित किया गया था।

- इलाहाबाद की हानियां घटने के बजाय वास्तव में 1.35 प्रतिशत बढ़ गयीं जबकि उसके लिए 81.58 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे।
- कम्पनी के 33/11 के वी सब स्टेशनों पर परिवर्तक क्षमता के 2003–04 के 3057.000 एम वी ए से बढ़कर 2007–08 तक 3720.500 एम वी ए हो जाने के बावजूद परिवर्तक क्षमता और संयोजित भार के बीच की रिक्तता 2003–04 के 2033.552 एम वी ए से बढ़कर 2007–08 तक 2566.837 एम वी ए हो गयी।
- यद्यपि वितरण परिवर्तकों पर मीटर लगाने का कार्य शहरी क्षेत्रों में जहां योजना कार्यान्वित की गयी थी पूरा हो चुका है फिर भी प्रत्येक परिवर्तक से भेजी गयी ऊर्जा के आंकड़ों को डाउनलोड करके समकक्ष देयकीकृत ऊर्जा का मिलान कर इनर्जी आडिट नहीं किया जा रहा था।

इस प्रकार योजना के कार्यान्वित हो जाने के बाद भी पारेषण एवं वितरण हानियों के कम करने एवं वितरण परिवर्तक वार ऊर्जा का लेखांकन/लेखा परीक्षा करने संबंधी योजना के उद्देश्य अभी तक प्राप्त होने बाकी थे।

### *तकनीकी हानियां*

**2.3.11** तकनीकी हानियां पावर सिस्टम की आन्तरिक कार्य पद्धति के कारण होती हैं और मुख्यतया परिवर्तक एवं वितरण हानियों को शामिल करती हैं जो कि विद्युत के परिवर्तन करने वाले उपकरणों में निहित प्रवृत्ति के कारण एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत के वितरण/होने के लिये प्रयोग में लाये गये तारों में अवरोधों के कारण होती है। तकनीकी हानियां, जहां तक संभव हो सके उच्च विभव पर विद्युत प्रदाय करके एवं उपयुक्त पावर फैक्टर प्राप्त करने के लिए कैपिसिटर बैंक की आवश्यक कार्यशील क्षमता सब स्टेशनों एवं उपभोक्ताओं के छोर पर उपलब्ध कराके कम की जा सकती हैं।

लेखा परीक्षा के दौरान निम्न कमियां पाई गयीं:

### *निम्न विभव पर ऊर्जा प्रदाय करना*

**2.3.12** निम्न विभव (11 के वी से कम) पर विद्युत प्रदाय करने के लिए ऊर्जा को उच्च विभव से निम्न विभव पर परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। विद्युत परिवर्तन से ऊर्जा की हानि होती है जिसे उच्च विभव (11 के वी एवं उससे ऊपर) पर विद्युत प्रदाय को रखकर बचाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2002 एवं 2005 (प्रदाय संहिता) विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के विभिन्न भार के लिए अलग–अलग प्रदाय विभव निर्धारित करती है। प्रदाय संहिता के अनुसार 63 के वी ए से ऊपर के भार के उपभोक्ताओं को 11 के वी पर और 3000 के वी ए से 10000 के वी ए भार तक को 33 के वी पर विद्युत प्रदाय करना है। कम्पनी वर्तमान उपभोक्ताओं के निम्न विभव के विद्युत प्रदाय को उच्च विभव पर या तो अपने खर्च पर या उपभोक्ताओं के खर्च पर बदलने के लिए प्राधिकृत थी। इस संबंध में निम्नलिखित कमियां पाई गयीं:

- वर्ष 2003–04 के अन्त तक 14 वितरण खण्डों में 63 के वी ए से अधिक भार वाले 192 उपभोक्ताओं को निम्न विभव पर ऊर्जा प्रदाय की जा रही थी जबकि नवम्बर/दिसम्बर 2007 के अन्त तक ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 224 हो गयी। यह निम्न विभव को उच्च विभव में बदलने के खराब निष्पादन को प्रदर्शित करता है। प्रदाय संहिता के उपबन्धों को पालन न करना ऊर्जा हानियों में परिणित हुई।
- ऊर्जा हानियों की मात्रा को निर्धारित करने के लिए 11 के वी प्रदाय छोर पर एवं 0.4 के वी प्राप्ति के छोर पर मीटर का लगाये जाने की आवश्यकता होती

है। न.वि.वि.खं.–I, गोरखपुर के दो उपभोक्ताओं[1] को छोड़कर खण्ड के पास प्रत्येक उपभोक्ताओं के लिए 11 के वी प्रदाय छोर की रीडिंग उपलब्ध नहीं थी। लेखा परीक्षा में देखा गया कि उपर्युक्त दो उपभोक्ताओं के 11 के वी छोर पर जुलाई से दिसम्बर 2007 के बीच दर्ज हुए 152762 के डब्ल्यू एच के विरूद्ध 0.4 के वी प्राप्ति छोर पर 141794 के डब्ल्यू एच दर्ज हुआ था। इस प्रकार उपर्युक्त दो उपभोक्ताओं को 11 के वी (एच टी) पर विद्युत प्रदाय करने के समकक्ष 0.4 के वी (एल टी) पर विद्युत प्रदाय करने पर औसत रूप से 7.18 प्रतिशत[2] ऊर्जा की हानि हुई।

**निम्न विभव पर विद्युत प्रदाय करने के कारण 9.68 लाख केडब्ल्यूएच ऊर्जा हानि हुई जिसका मूल्य 33.96 लाख रुपये था।**

लेखा परीक्षा में संगणित 7.18 प्रतिशत के औसत ऊर्जा हानि को आधार मानते हुए पांच वितरण खण्डों में 63 के वी ए से अधिक भार के 43 उपभोक्ताओं जिन्हें 0.4 के वी पर विद्युत प्रदाय किया गया था जिसके कारण 9.68 लाख के डब्ल्यू एच ऊर्जा की हानि हुई जिसका मूल्य 33.96 लाख रुपये था। इस प्रकार 33.96 लाख रुपये की ऊर्जा हानि को टाला जा सकता था यदि इन उपभोक्ताओं की विद्युत प्रदाय को एल टी (0.4 के वी) से एच टी के (11 के. वी.) में बदल दिया गया होता।

प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा के तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (सितम्बर 2008) कि उपभोक्ता अपनी विद्युत प्रदाय को एल टी से एच टी में बदलने के खर्च जमा नहीं कर रहे हैं और कम्पनी की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के बाद कम्पनी अपने ही स्रोतों से इन उपभोक्ताओं को एच टी में बदलने के लिये धन खर्च करेगी।

### *सब स्टेशन पर कैपिसिटर बैंक की कार्यशील क्षमता का अनुपयुक्त होना*

**कम्पनी आवश्यक क्षमता के कैपेसिटर बैंक लगाने में असफल रही।**

**2.3.13** सिस्टम के विभव के सामान्य से नीचे गिरने की स्थिति में सिस्टम में पर्याप्त क्षमता के कैपिसिटर बैंक लगाकर के ठीक किया जा सकता है क्योंकि यह सिस्टम के विभव में सुधार करता है और सिस्टम में समाहित हो जाने वाली ऊर्जा को बड़े स्तर तक कम करता है और इस प्रकार होने वाली ऊर्जा हानियों को बचाता है। कैपिसिटर बैंक एक मेगा वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव पावर (एम वी ए आर) की अपनी क्षमता पर 0.04959 एम यू ऊर्जा की बचत करता है। यू पी ई आर सी 15 के वी ए की क्षमता के परिवर्तक के लिए 12 के वी ए आर क्षमता के कैपिसिटर बैंक लगाने को उद्धित करती है। इस प्रकार 31 मार्च 2008 के अन्त तक के 3720.5 एम वी ए के वर्तमान परिवर्तक क्षमता के विरूद्ध 2976.4 एम वी ए आर[3] के अनुमानित स्थापित कैपिसिटर बैंक की क्षमता की आवश्यकता थी। कम्पनी कैपिसिटर बैंक की पर्याप्त क्षमता को स्थापित करने में और खराब कैपिसिटर बैंक को मरम्मत कराने में असफल रही। फलस्वरूप कम्पनी ऊर्जा की बचतों के फायदे को न प्राप्त कर सकी।

**कैपेसिटर बैंक के खराब रहने के कारण पांच वितरण कम्पनियां 16.238 मि.यू. ऊर्जा हानि को बचा नहीं पाई जिसका मूल्य 3.82 करोड़ रुपये आता है।**

11 के वी के कुल स्थापित कैपिसिटर बैंक एवं उनकी उपयोग की गयी क्षमता से संबंधित सूचना लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी। फिर भी सूत्रधारी कम्पनी (यू. पी. पी. सी. एल.) के अभिलेखों के अनुसार 31 मार्च 2007 के अन्त तक कैपिसिटर बैंक की कुल स्थापित क्षमता (सभी पांचों[4] वितरण कम्पनियों को शामिल करके) 800.14 एम वी ए आर थी। इसमें से केवल 472.70 एम वी ए आर की क्षमता प्रयोग में लाई जा रही थी और 327.44 एम वी ए आर की बची हुई क्षमता के कैपिसिटर खराब पड़े थे। कैपिसिटर बैंक की कम क्षमता का प्रयोग पांच वितरण कम्पनियों में कुल 16.238 एम यू[5] ऊर्जा हानियों को न बचा पाने में परिणित हुई। जिसका मूल्य औसत 2.35 रुपये प्रति यूनिट के दर पर 3.82 करोड़ रुपये थी।

---

1 बेनी माधव कोल्ड स्टोरेज एवं विक्टर आइस फैक्टरी, दोनों उपभोक्ता एच वी–2 के थे और 0.4 के वी पर विद्युत प्रदाय थी।

2 (152762–141794) के डब्ल्यू एच/152762 के डब्ल्यू एचx100

3 3720.5 एम वी ए/15 के वी एx12 के वी ए आर =2976.4 एम वी ए आर

4 1.पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, 2. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 3. दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, 4. मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, 5. कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइ कम्पनी

5 0.04959 एम यू प्रति एम वी ए आर x 327.44 एम वी ए आर = 16.238 एम यू

### उपभोक्ताओं के छोर पर शंट कैपिसिटर का न लगाया जाना

**2.3.14** शंट कैपिसिटर एक ऐसा उपकरण है जो विभव को रेगुलेट करता है और इस प्रकार ऊर्जा हानि को पावर फैक्टर बढ़ाकर बचाता है। दिसम्बर 2004 से लागू टैरिफ आदेश ने औसत पावर फैक्टर को 0.85 पर बनाए रखना उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य किया। पुनः मोटिव पावर के 3 वी एच पी के ऊपर के संयोजनों पर उपयुक्त क्षमता का कैपिसिटर स्थापित किया जाना था। ऐसे उपभोक्ताओं जिन पर ट्राई वेक्टर मीटर नहीं लगा है, यदि उपयुक्त क्षमता का कैपिसिटर बैंक न लगा हो या कार्यशील न हो तो मासिक बीजक में 10 प्रतिशत शंट कैपिसिटर सरचार्ज (अगस्त 2007 से 15 प्रतिशत) लगाया जाना था। सरकारी उपभोक्ताओं को जारी किये गये बीजक की धनराशि हेतु संबंधित उपभोक्ता द्वारा सत्यापित होना होता है। लेखा परीक्षा में निम्न कमियां पाई गईं:

- पांच खण्डों[1] ने शंट कैपिसिटर सरचार्ज तो लगाया गया परन्तु ऊर्जा हानियों को टालने के लिए विभिन्न श्रेणी के 10,588 उपभोक्ताओं पर शंट कैपिसिटर लगाना सुनिश्चित नहीं किया, जिसकी पूर्ण क्षतिपूर्ति सरचार्ज न लगाने के कारण नहीं हो सकी।

**8763 उपभोक्ताओं पर 1.54 करोड़ रुपये के शंट कैपेसिटर सरचार्ज नहीं लगाये गये।**

- नौ खण्डों ने 8763 उपभोक्ताओं पर न तो शंट कैपिसिटर लगाये न तो दिसम्बर 2004 से फरवरी 2008 की अवधि में शंट कैपिसिटर सरचार्ज के रूप में 1.54 करोड़ रुपये लगाये/कम लगाये।
- सात खण्डों[2] में 13 सरकारी उपभोक्ताओं ने शंट कैपिसिटर्स नहीं लगाये जिन पर अप्रैल 2004 से फरवरी 2008 की अवधि में सरचार्ज लगाया गया। उक्त खण्डों ने यद्यपि 2.85 करोड़ रुपये शंट कैपिसिटर सरचार्ज के रूप में लगाये परन्तु बिल किये गये सरचार्ज के भुगतान के लिए उसे संबंधित उपभोक्ता द्वारा सत्यापित नहीं किया गया। सरचार्ज का उपभोक्ताओं द्वारा सत्यापित न किया जाना, 2.85 करोड़ रुपये के वसूली न किये जाने में परिणित हुयी और इस प्रकार हुई ऊर्जा हानियों की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकी।

ए. आर. सी. पी. एस. ई. की बैठक में प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2008) कि कम लगाये गये सरचार्ज को बिल किया जायेगा व उसकी वसूली उपभोक्ताओं से की जायेगी।

### गैर तकनीकी हानियां

**2.3.15** ज्यादातर गैर तकनीकी हानियों में वास्तविक मीटरीकृत उपभोग पर उपभोक्ताओं की बिलिंग न किये जाने के कारण हुई हानि व विद्युत चोरी पर अंकुश के अभाव में होने वाली हानियां शामिल होती हैं। इन हानियों को शत–प्रतिशत मीटरिंग करके इलेक्ट्रानिक मीटर व डबल मीटर (उपभोक्ता के परिसर के बाहर पोल पर लगाया गया दूसरी मीटर) मीटरीकृत उपभोग की परिशुद्धता को सुनिश्चित करके, तदर्थ आधार पर बिलिंग का कम करके और चोरी रोकने के उपायों को अपनाकर रोका जा सकता है। इस संबंध में पाई गई कमियों की आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

### बिना मीटर के उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या

**2.3.16** उत्तर प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2005 लाइसेंसी को बिना मीटर के नये संयोजन जारी करने से रोकती है। यह पुनः अमीटरीकृत वर्तमान संयोजनों पर मीटर लगाना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करती है (18 फरवरी 2005)। यूपीईआरसी ने भी अपने टैरिफ आर्डर (2004–05 व 2006–07) में समय–समय पर सभी

---

1 वि.वि.खं.–II, बलिया, वि.वि.खं. कुशीनगर, वि.वि.खं.–I, आजमगढ़, वि.वि.खं. संत कबीरनगर और वि.वि.खं.–I, जौनपुर

2 वि.वि.खं. कुशीनगर, न.वि.वि.खं.–I, II और III गोरखपुर, वि.वि.खं. संत कबीरनगर, , न.वि.वि.खं.–IVवाराणसी वि.वि.खं.–I, मिर्जापुर

अमीटरीकृत संयोजनों पर मीटर लगाने को निर्देशित किया। इस सम्बन्ध में, लेखा परीक्षा में निम्न कमियां पाई गईं:

आधे से अधिक उपभोक्ताओं को बिना मीटर के विद्युत प्रदाय किया जा रहा था।

- 31 मार्च 2008 को कम्पनी द्वारा सम्भरित कुल 26,17,795 उपभोक्ताओं में से केवल 11,25,798 उपभोक्ताओं पर मीटर लगे थे जो कि केवल 43 प्रतिशत संयोजनों पर ही की गयी मीटरिंग को प्रकट करती है। कम्पनी वर्ष 2008–09 तक 770000 सिंगिल फेज एवं 4000 तीन फेज के मीटर लगाने की योजना बनाई है और इसमें से 13359 सिंगिल फेज के व 956 तीन फेज के मीटर जुलाई 2008 तक उपभोक्ताओं के परिसर पर स्थापित करना था। मीटरों की स्थापना में धीमी प्रगति उपभोक्ताओं द्वारा किये गये वास्तविक उपभोग के न दर्ज किये जाने में परिणित हुई और बेहिसाब विद्युत उपभोग की भी छूट दी गयी।

विद्युत अधिनियम 2003 के विरूद्ध नये संयोजन भी बिना मीटर के जारी किये जा रहे थे।

- निर्धारित नियमों के अनुसार नये संयोजन को संबंधित वितरण खण्ड द्वारा मीटर लगाने के बाद ही जारी करना होता है। 16 खण्डों[1] के नमूना जांच में प्रकट हुआ कि मार्च 2005 से फरवरी 2008 के बीच रोक लगाये जाने के बावजूद विभिन्न श्रेणी के 23074 नये संयोजन जारी किये गये। उक्त संयोजन को फ्लैट दर पर बिल किया जा रहा था जो प्रदाय संहिता के उपबन्धों के पालन न किये जाने के अतिरिक्त बेहिसाब विद्युत प्रदाय में परिणित हुआ।

- शहरी उपभोक्ताओं पर संयोजन जारी करते समय यदि मीटर नहीं लगाया गया तो कम्प्यूटर उनके मासिक बीजक को नहीं बनाता है। मासिक बीजक को बनाने के लिए एक काल्पनिक/फर्जी मीटर नम्बर डालना पड़ता है।

नौ[2] खण्डों के नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 13273 संयोजनों को बिना मीटर सुनिश्चित किये जारी किया गया था और उनके बीजक तदर्थ आधार पर फर्जी मीटर नम्बर (एल एफ 9999, एल एफ 0000 या सर्विस कनेक्शन के भाग से मिलती जुलती संख्या/संबंधित उपभोक्ता का सिक्वेंस नम्बर) डालकर निर्मित किये गये। उपभोक्ताओं का उक्त स्थिति दो से 99 महीनों तक बनी रही (मार्च 2008)। यद्यपि उक्त संयोजनों पर मीटर नहीं लगाये गये थे फिर भी उन्हें यू पी ई आर सी को जमा किये गये वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) में मीटरीकृत दिखाया गया।

इस तरह कम्पनी शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं की मीटरिंग करने में असफल रही। मीटरिंग न होने से बेहिसाब विद्युत प्रदाय असामान्य रूप से उच्च हानि का एक मुख्य कारण रहा है।

### *इलेक्ट्रो मेकैनिकल मीटरों की इलेक्ट्रानिक मीटर द्वारा प्रतिस्थापना में धीमी प्रगति*

**2.3.17** इलेक्ट्रानिक मीटर इलेक्ट्रो मेकैनिकल मीटर से ज्यादा शुद्धता से ऊर्जा की माप करते हैं। यू. पी. पी. सी. एल. (सभी पांचों वितरण कम्पनियों की होल्डिंग कम्पनी) ने उपभोक्ताओं के परिसरों पर स्थापित इलेक्ट्रो मेकैनिकल मीटरों को इलेक्ट्रानिक मीटर द्वारा प्रतिस्थापित करने के निर्देश दिये (सितम्बर 2004)।

यह पाया गया कि 31 मार्च 2008 के अन्त तक 1066176 बदले जाने वाले मीटरों में से 138201 मीटर (12.96 प्रतिशत) अभी भी प्रतिस्थापित किये जाने थे। इस प्रकार उपभोग को सही–सही दर्ज किये जाने का कम्पनी का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2008) कि मीटर की कमी के कारण कार्य में देरी हुई फिर भी तथ्य यह है कि तीन वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद इलेक्ट्रो मेकैनिकल

---

1 वि.वि.खं.–II,वाराणसी, न.वि.वि.खं.–V,वाराणसी न.वि.वि.खं.–III,गोरखपुर वि.वि.खं. कुशीनगर, वि.वि.खं.–I आजमगढ़, वि.वि.खं.–II बलिया, न.वि.वि.खं.–I गोरखपुर न.वि.वि.खं.–II गोरखपुर, वि.वि.खं. संत कबीरनगर न.वि.वि.खं.–IV वाराणसी, वि.वि.खं.–I वाराणसी, वि.वि.खं.–I गाजीपुर, वि.वि.खं.–II गाजीपुर, वि.वि.खं. चन्दौली, वि.वि.खं. जौनपुर वि.वि.खं.–I,मिर्जापुर

2 वि.वि.खं.–II, बलिया, वि.वि.खं. कुशीनगर न.वि.वि.खं.–I गोरखपुर न.वि.वि.खं.–II गोरखपुर, वि.वि.खं. संत कबीरनगर न.वि.वि.खं. –IV वाराणसी, वि.वि.खं.–I जौनपुर, वि.वि.खं.–I मिर्जापुर ईटीडी–I गोरखपुर

मीटरों को इलेक्ट्रानिक मीटर से प्रतिस्थापित करने में कम्पनी की असफलता के कारण कम्पनी के उपभोग को सही–सही दर्ज करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

### *डबल मीटर लगाने में धीमी प्रगति*

**2.3.18** अधिक भार वाले उपभोक्ताओं के परिसरों पर स्थापित मीटर द्वारा सही–सही उपयोग दर्ज किये जाने को सुनिश्चित करने एवं किसी भी सम्भावित विद्युत चोरी को रोकने के विचार से यू. पी. पी. सी. एल. ने (अगस्त 2005 और तत्पश्चात्) सभी पांचों वितरण कम्पनियों को उपभोक्ताओं के परिसर के बाहर एक दूसरा मीटर लगाने (डबल मीटर से उद्धत) लगाने को निर्देशित किया। यदि डबल मीटर द्वारा दर्ज किया गया उपभोग तीन प्रतिशत की अनुमति की सीमा का पार करता है तो अन्तर के कारणों की जांच किया जाना था और उपभोक्ता के मुख्य मीटर को यदि आवश्यक हो प्रतिस्थापित करना था। इस सम्बन्ध में निम्न कमियां पाई गईं:

- नीचे दी गयी सारिणी कम्पनी के विभिन्न जोनों में 2006–07 और 2007–08 की अवधि में 10 से 100 के वी ए एवं 100 के वी ए से ऊपर के उपभोक्ताओं के संबंध में डबल मीटरों की स्थापना की प्रगति को इंगित करती है :

| वितरण जोन | वर्ष | प्रतिस्थापित होने वाले मीटरों की संख्या (आकड़े प्रगामी है) | | प्रतिस्थापित मीटरों की संख्या (आकड़े प्रगामी है) | | शेष अप्रतिस्थापित मीटरों की संख्या (आकड़े प्रगामी है) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 से 100 केवीए | 100 केवीए से अधिक | 10 से 100 केवीए | 100 केवीए से अधिक | 10 से 100 केवीए | 100 केवीए से अधिक |
| वाराणसी | 2006-07 | 6579 | 351 | 717 | 165 | 5862 | 186 |
| | 2007-08 | 6800 | 346 | 1050 | 156 | 5750 | 190 |
| आजमगढ | 2006-07 | 1355 | 44 | 686 | 44 | 669 | -- |
| | 2007-08 | 1372 | 44 | 963 | 29 | 409 | 15 |
| गोरखपुर | 2006-07 | 2834 | 196 | 1385 | 95 | 1449 | 101 |
| | 2007-08 | 2867 | 197 | 1564 | 114 | 1303 | 83 |
| इलाहाबाद | 2006-07 | 3552 | 247 | 1141 | 105 | 2411 | 142 |
| | 2007-08 | 3578 | 247 | 1325 | 103 | 2253 | 144 |
| **योग (प्रतिशत कोष्ठक में)** | **2006-07** | **14320** | **838** | **3929 (27.44)** | **409 (48.81)** | **10391 (72.56)** | **429 (51.19)** |
| | **2007-08** | **14617** | **834** | **4902 (33.54)** | **402 (48.20)** | **9715 (66.46)** | **432 (51.80)** |

*स्रोत : कम्पनी द्वारा प्रदत्त प्रगति प्रतिवेदन*

उपर्युक्त सारिणी से यह देखा जा सकता है कि 10 से 100 के वी ए भार वाले कुल 14617 संयोजनों में से, 4902 संयोजनों (33.54 प्रतिशत) पर डबल मीटर लगाया गया था। पुनः 100 के वी ए ऊपर के भार वाले 834 संयोजनों में 402 संयोजनों पर डबल मीटर लगाये गये थे जो 48.20 प्रतिशत की प्रगति को इंगित करता है। इस प्रकार तीन वर्ष की समाप्ति के बाद कुल प्रगति केवल 34.33 प्रतिशत थी।

- विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, जौनपुर में तीन एच वी–2 उपभोक्ताओं के मुख्य मीटर फरवरी 2007 से जनवरी 2008 की अवधि में डबल मीटर के सापेक्ष 53560 के वी ए एच उपभोग कम दर्ज किये।

इस प्रकार मुख्य मीटर और डबल मीटर के ऊजा उपभोग के मिलान करने में असफल रहने से ऊर्जा हानियों के न पता चल पाने और उपभोक्ताओं द्वारा किये गये ऊपभोग की शुद्धता की माप सुनिश्चित करने के कम्पनी के उद्देश्य विफलता में परिणित हुए।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2008) कि तीन में से एक उपभोक्ता को डबल मीटर की रीडिंग के अनुसार बिल कर दिया गया है और दो अन्य उपभोक्ताओं के बीजक परीक्षण द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद कर दिये जायेंगे। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि निर्धारण की कार्यवाही खण्ड द्वारा बिना चेक मीटर से स्थिति को निश्चय किये की गयी है जो कि प्रदाय संहिता 2005 के प्रावधानों के विपरीत है।

### *मीटरीकृत उपभोक्ताओं की तदर्थ बिलिंग की अत्याधिक प्रवृत्ति*

**2.3.19** ऊर्जा हानियों का सही निश्चय करने के लिए उपभोक्ताओं की बिलिंग मीटरीकृत उपभोग के आधार पर करनी चाहिए। यदि मीटर खराब हो जाये तो उसे प्रदाय संहिता के अनुसार 15 दिन के अन्दर बदल दिया जाना चाहिए। एन ए/एन आर (पहुंच का न होना/रीडिंग का न होना) की स्थिति भी एक बिलिंग साइकिल से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

- मार्च 2005, मार्च 2006, मार्च 2007 एवं मार्च 2008 के अन्त में कम्पनी में तदर्थ बिलिंग या तो मीटर रीडिंग के उपलब्ध न होने के कारण (एन ए/एन आर) या तो मीटर के खराब होने कारण (आई डी एफ/ए डी एफ/सी डी एफ/आर डी एफ) की स्थिति नीचे दी गयी सारिणी में इंगित है:

| माह | उपभोक्ता की श्रेणी | बिल जारी किये गये उपभोक्ताओं की संख्या | तदर्थ बिलिंग की स्थिति | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | रीडिंग उपलब्ध नहीं (एन.ए.) | सूचित डिफेक्टिव (आई.डी.एफ./ए. डी.एफ.) | योग | तदर्थ बिलिंग का प्रतिशत |
| मार्च 2005 | एलएमवी–2 | 154368 | 35202 | 30729 | 65931 | 42.71 |
| | एलएमवी–6 | 23635 | 3904 | 2662 | 6566 | 27.78 |
| मार्च 2006 | एलएमवी–2 | 114558 | 27079 | 21750 | 48829 | 42.62 |
| | एलएमवी–6 | 5910 | 1551 | 762 | 2313 | 39.14 |
| मार्च 2007 | एलएमवी–2 | 99631 | 27961 | 25877 | 53838 | 54.04 |
| | एलएमवी–6 | 29005 | 9262 | 3253 | 12515 | 43.15 |
| मार्च 2008 | एलएमवी–2 | 134022 | 24915 | 24191 | 49106 | 36.64 |
| | एलएमवी–6 | 26610 | 3813 | 3063 | 6876 | 25.84 |

*स्रोत : मीटर एक्सेप्शन रिपोर्ट*

जैसा कि उपर्युक्त सारिणी से देखा जा सकता है कि कामर्शियल एवं इण्डस्ट्रियल श्रेणी के उपभोक्ताओं की तदर्थ बिलिंग 25.84 से 54.04 प्रतिशत के बीच रही। इसके फलस्वरूप वास्तविक ऊर्जा खपत एवं ऊर्जा हानि का आकलन नहीं किया जा सका।

- पांच खण्डों[1] के नमूना जांच में प्रकट हुआ कि मार्च 2008 में, 39082 मीटरीकृत उपभोक्ताओं में से 19845 (50.78 प्रतिशत) उपभोक्ताओं की बिलिंग 1–99 महीनों तक तदर्थ आधार पर जारी किये गये।
- खण्डों ने अब तक (मार्च 2008) एन ए/एन आर आई डी एफ की रीडिंग नहीं की और खराब मीटरों को प्रतिस्थापित नहीं किया। इस प्रकार कम्पनी प्रदाय संहिता की आवश्यकता के अनुसार 15 दिन के अन्दर खराब मीटरों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाई।

[1] वि. वि. ख.–II , बलिया, वि. वि. ख.–कुशीनगर, वि. वि. ख.–सन्तकबीरनगर, वि. वि. ख.–Iजौनपुर, वि. वि. ख.–I मिर्जापुर

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2008) कि एन ए/एन आर/आई डी एफ की संख्या कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसने पुनः कहा कि स्टाफ की कमी भी मीटर एक्सेप्शन की ऐसी स्थिति का एक कारण है।

**चार बड़े पम्प कैनालों के ऊर्जा मीटर खराब पड़े रहे फलतः 35.63 लाख के.डब्ल्यू.एच. ऊर्जा हानि हुई जिसका मूल्य 1.36 करोड़ रुपये था।**

- तीन खण्डों[1] में 100 वी एच पी भार से अधिक के चार पम्प कैनालों (दर सूची एच वी–4 में बिल योग्य) के मीटर काफी लम्बे समय से खराब थे। फिर भी ये उपभोक्ता नियत प्रभार पर अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की लोअर दर सूची एल एम वी–8 में बिल किये गये थे। परिणाम स्वरूप 35.69 लाख के डब्ल्यू एच ऊर्जा (एल एच एफ डी[2] फार्मूला के अनुसार संगणित) जिसका मूल्य 1.36 करोड़ रुपये थी का बिल नहीं किया जा सका और वह ऊर्जा हानियों में बदल गयी।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2008) कि वि.वि.खं., संत कबीरनगर में एक उपभोक्ता को 43.40 लाख रुपये बिल किये हैं। तथापि तथ्य यह है कि जो भी धनराशि बिल की गयी थी उसी की वसूली नहीं हुई और अन्य तीन उपभोक्ताओं के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

### *चोरी रोकने के उपाय*

**2.3.20** विद्युत चोरी/लीकेज पर नियंत्रण रखने के लिए उपभोक्ताओं के संयंत्रों, उनके मीटरों की आवधिक जांच, विद्युत चोरी या बिना प्राधिकार के विद्युत के उपयोग के लिये पेनाल्टी का लगाया जाना और चोरी की गयी ऊर्जा के मूल्य की वसूली करना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में पाई गई कमियों की आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

### *मीटरों का अप्रभावी आवधिक जांच*

**2.3.21** प्रदाय संहिता 2005 की क्लाज 5.5, सिंगिल फेज मीटरों की पांच साल में एक बार और तीन फेज के एवं एच टी मीटरों के वर्ष में एक बार आवधिक जांच निर्धारित करती है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि कम्पनी मीटरों की आवधिक जांच निर्धारित सूची के अनुसार नहीं कर रही थी। परिणामस्वरूप खराब मीटरों का सही समय से पता नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2008) कि एच टी मीटरों की आवधिक जांच की जा रही है और एल टी मीटरों को पांच वर्ष में एक बार जांच के लिए बिजनेस प्लान 2012–13 में प्रावधान किया गया है। उत्तर संतोषजनक नहीं हैं क्योंकि एच टी मीटरों की आवधिक जांच की खण्डों के अभिलेखों के जॉच में पुष्टि नहीं हो सकी है।

### *विद्युत चोरी से हानि*

**2.3.22** 15 जून 2007 से लागू विद्युत (संशोधित) अधिनियम 2003 के सेक्शन 135 के अनुसार विद्युत चोरी अधिनियम के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध है। दण्ड के अलावा चोरी की गई ऊर्जा को एल एच एफ डी फार्मूले के अनुसार निर्धारित किया जाता है। ऊर्जा हानियों को क्षतिपूर्ति करने के लिये लागू दर के दो गुने दर पर बारह मास[3] के लिए बिल जारी किये जाते है। इस प्रकार निर्धारित की गयी धनराशि को उपभोक्ता को 15 दिन की नोटिस देकर वसूल करना चाहिए। इसके बाद त्वरित वसूली हेतु जिला अधिकारी के ध्यान में लाया जाता है। निम्न कमियॉ संसूचित हुईः

---

[1] 1. वि. वि. ख.–II, वाराणसी महादेव पम्प कैनाल एवं छितौनी पम्प कैनाल 2. वि. वि. ख. संतकबीरनगर–बखीरा पम्प कैनाल 3. न वि वि ख–III गोरखपुर रामबाग पम्प कैनाल

[2] एल एच एफ डी प्रकट करता है लोड x फैक्टर x प्रदाय के घंटे x दिनों की संख्या

[3] विद्युत (संशोधित) अधिनियम 2007 (26 अगस्त 2007), 15 जून 2007 से लागू ।

चोरी के कारण 29.03 लाख के.डब्ल्यू.एच. ऊर्जा हानि हुई जिसका मूल्य 68.21 रुपये था।

- पांच खण्डों[1] द्वारा जून 2007 से जनवरी 2008 की अवधि में चोरी के 274 प्रकरणों में 146.82 लाख रुपये के निर्धारण योग्य धनराशि के विरूद्ध 78.61 लाख रुपये निर्धारित किये। यह 68.21 लाख रुपये के कम निर्धारण में और 29.03 लाख के. डब्ल्यू. एच. समकक्ष ऊर्जा के हानि में परिणित हुई।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2008) कि लेखा परीक्षा के द्वारा संसूचित किये जाने के बाद चार खण्डों ने आवश्यक निर्धारण किये और उसके विरूद्ध वसूली बाकी है (अक्टूबर 2008)।

63 चोरी के दोषी उपभोक्ताओं से 44.28 लाख रुपये के शमन शुल्क की वसूली नहीं हुई।

- ऊर्जा हानियों को क्षतिपूर्ति करने के विद्युत चोरी के संबंध में केवल निर्धारण करना पर्याप्त नहीं होगा। पांच खण्डों/सर्किल में यह संसूचित हुआ कि अप्रैल 2003 से अगस्त 2007 के दौरान 3.93 करोड़ के निर्धारण के विरूद्ध मार्च 2008 तक केवल 1.22 करोड़ रुपये की वसूली किये जाने से 2.71 करोड़ रुपये वसूली हेतु बाकी रहे। इस प्रकार वसूली करने की प्रकियाओं का पालन करने में असफल रहने के कारण चोरी के कारण हुई ऊर्जा हानियों की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकी।

- चार खण्डों में यह सूचित हुआ कि जून 2006 से जनवरी 2008 की अवधि में विद्युत चोरी के 63 प्रकरणों में न तो एफ आई आर दर्ज करायी गयी न ही 44.28 लाख रुपये का शमन शुल्क दोषी उपभोक्ताओं पर लगाया गया।

इस प्रकार विद्युत चोरी के खोजे गये प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही नहीं हुई जिससे कि ऊर्जा हानियों की क्षतिपूर्ति की जा सके और जनमानस में एक मजबूत संदेश भेजकर विद्युत चोरी को हतोत्साहित किया जा सके, करने में असफल रही।

## अभिस्वीकृति

**2.3.23** निष्पादन लेखा परीक्षा को विभिन्न स्तर पर संचालित करते समय कम्पनी के अधिकारियों द्वारा दिये गये सहयोग एवं मदद के लिए लेखा परीक्षा धन्यवाद देती है। उपर्युक्त लेखा परीक्षा निष्कर्षों को सरकार को मई 2008 में रिपोर्ट किये गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2008)।

## निष्कर्ष

**कम्पनी ऊर्जा हानियों को रोकने में परिवर्तक क्षमता को अनुपयुक्त होने, ऊर्जा बचाने के उपकरणों जैसे सब स्टेशनों पर कैपिसिटर बैंक एवं उपभोक्ताओं के छोर पर शंट कैपिसिटर के न लगाये जाने, उपभोक्ताओं को निम्न विभव पर विद्युत प्रदाय करने, पावर फैक्टर का पता लगाने के लिये स्टैटिक ट्राई वेक्टर मीटरों की स्थापना न करने/उपभोक्ताओं द्वारा आवश्यक पावर फैक्टर को न बनाये रखने के कारण, असफल रही। विद्युत प्रदाय के लिये शत–प्रतिशत मीटरिंग करने की कम्पनी की असफलता तदर्थ बिलिंग के अधिक प्रकरणों में परिणित हुई। कम्पनी ने विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपयुक्त कार्यवाही भी नहीं की। एक्सीलेरेटेड पावर डेवलपमेंट रिफार्म प्रोग्राम (ए. पी. डी. आर. पी.) के तहत पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के उद्देश्य प्राप्त नहीं किये जा सके।**

## संस्तुतियाँ

**ऊर्जा हानियों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाना कम्पनी के लिए आवश्यक है:**

[1] वि. वि. ख., संतकबीरनगर, न वि. वि. ख.–II गोरखपुर,, न वि. वि. ख.–V वाराणसी,, वि. वि. ख.–I जौनपुर, और वि. वि. ख.–I मिर्जापुर

- परिवर्तक क्षमता एवं संयोजित भार के बीच के अन्तर को कम करना;
- सब स्टेशनों पर कैपिसिटर बैंक एवं उपभोक्ताओं के छोर पर शंट कैपिसिटर लगाये जाने चाहिए;
- उपयुक्त विभव पर विद्युत प्रदाय किया जाय;
- उपभोक्ताओं के यहॉ शत–प्रतिशत इलेक्ट्रानिक मीटर लगाया जाये; और
- विद्युत चोरी रोकने के लिए मानिटरिंग मेकैनिज्म को और दुरुस्त करना चाहिए।

## 2.4 पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ में राजस्व बिलिंग के लिये सूचना प्रौद्योगिकी सहायता प्रणाली

### मुख्य अंश

ऊर्जा बिलिंग प्रणाली (ईबीएस) में कार्यक्रम परिवर्तन नियंत्रण कार्यविधि के अभाव के कारण कम्पनी नयी दर सूची के अनुरूप वृहद एवम् भारी ऊर्जा उपभोक्ताओं की सही बिलिंग नही कर सकी। इसके परिणामस्वरूप तीन वितरण खण्डों में 2.56 करोड़ रुपये की गलत बिलिंग हुयी। अन्य खण्डों ने बिल निर्गत करने से पूर्व त्रुटियों को मैनुअली सही किया।

*(प्रस्तर 2.4.13 एवम् 2.4.14)*

सहायित साफ्टवेयरों एवम् डाटा बैंक से लिंकेज की अनुपस्थिति के कारण भौगोलिक सूचना प्रणाली के विकास पर 94.66 लाख रुपये का व्यय अनुत्पादक रहा।

*(प्रस्तर 22.4.16)*

अपर्याप्त इनपुट नियंत्रणो तथा वैधता परीक्षणों के अभाव के कारण डाटा बैंक में बड़ी मात्रा में दोहरे एवम् कल्पित रिकार्ड पाये गये। महत्वपूर्ण क्षेत्र या तो गायब या रिक्त पाये गये एवम् कई क्षेत्रों में अप्रमाणित ऑकड़ा प्रवेशन हुआ जबकि अन्य कई मामलों में डाटा बैंक से प्रविष्टियॉ नष्ट कर दी गयी।

*(प्रस्तर 2.4.18)*

एजेन्सियों ने खराब मीटरों वाले उपभोक्ताओं की व्यवसायिक नियमों के अनुसार बिलिंग नही की। इसके परिणामतः बेची गयी यूनिट्स के सन्दर्भ में 1.89 करोड़ रुपये का अल्प निर्धारण हुआ।

*(प्रस्तर 2.4.19)*

अल्प शक्ति गुणांक के प्रकरणों मे चेतावनी प्रणाली एवम् विहित कार्यवाही के अभाव में 7.21 करोड़ रुपये मूल्य की 1.92 करोड़ विद्युत यूनिट्स का क्षय हुआ।

*(प्रस्तर 2.4.20)*

उपभोक्ता संस्थापनाओ के संयोजित भार की जॉच हेतु प्रणाली द्वारा सही मीटरों की आधिक्य उपभोग प्रवृति के लिये चेतावनी नही दी गयी। ऊर्जा के इस आधिक्य उपभोग के कारण स्थायी प्रभारों की हानि हुयी।

*(प्रस्तर 2.4.21)*

आईटी योग्यताओं द्वारा परिवीक्षण के अभाव के कारण उच्च दर वाले उपभोक्ताओं (एलएमवी–4 एवम् एलएमवी–2) को कम दर में बिल किया गया। इसके परिणामस्वरूप दिसम्बर 2004 से नवम्बर 2007 के मध्य 4.42 करोड़ रुपये का अल्प निर्धारण हुआ।

*(प्रस्तर 2.4.22)*

### प्रस्तावना

**2.4.1** पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ (पविविनिलि) का गठन, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ (यूपीपीसीएल) की सहायक के रूप मे, 1 मई 2003 को किया गया। पविविनिलि (अगस्त 2003 से) लगभग 26.93 लाख

उपभोक्ताओं को लगभग 826.07 मेगावाट के औसत विद्युत भार के वितरण मे संलग्न थी। कम्पनी का कार्यक्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तीन जोनों, 16 मंडलो एवम् 49 वितरण खण्डों में विभक्त हैं।

**2.4.2** वृहद एवम् भारी उपभोक्ताओं (एचवी–2) हेतु, प्राइस वाटर हाउस कूपर (पीडब्ल्यूसी) द्वारा विकसित 'इनर्जी बिलिंग सिस्टम' (ईबीएस) वर्ष 2000 से प्रचलन में था। मीटर रीडिंग इन्स्ट्रूमेन्ट (एमआरआई) द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से प्राप्त तकनीकी एवम् वाणिज्यिक ऑकड़ो को ईबीएस प्रणाली द्वारा संसाधित कर स्वचालित रूप में बिलों का निर्माण किया जाता है। लघु एवम् मध्यम उपभोक्ताओं (एचवी–2 के अलावा), का बिलिंग कार्य तीन निजी एजेन्सियों द्वारा किया जाता था जिसके लिये द्विवर्गीय बिलिंग प्रणाली थी। प्रथम जिसे आईबीएम प्रतिमान कहते हैं, के अन्तर्गत कम्प्यूटर बिलिंग सेवा केन्द्र, मेरठ (सीबीएससी) द्वारा इनपुट ऑकड़ो को इन एजेन्सियों के पास बिलों के निर्माण एवम् कैश स्टब्स के लेखांकन हेतु भेजा जाता है। दूसरी प्रणाली जिसे 'हैण्ड हेल्ड (एचएच) प्रतिमान कहते है, के अन्तर्गत एजेन्सियों के कर्मचारी एचएच मशीनों के द्वारा बिलो का निर्माण एवम् चेको का संग्रहण उपभोक्ताओं के घरों पर करते है।

## संगठनात्मक ढांचा

**2.4.3** पविविनिलि के निदेशक मण्डल में एक पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक एवम् दो अन्य निदेशक (तकनीकी एवं वित्त) सम्मिलित है। कम्पनी की सूचना प्रौद्योगिकी आवश्यकतओं की देखभाल निदेशक (तकनीकी) के पूर्णाधीन मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) द्वारा की जाती है।

## लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

**2.4.4** लेखा परीक्षा के कार्य क्षेत्र में मेरठ, बुलन्दशहर, नोएडा एवं गाजियाबाद शहरों के 18[1] चयनित खण्डों के डाटा बैंको की विश्लेषणात्मक समीक्षा छोटे एवम् मध्यम उपभोक्ताओं की दशा में तीन एजेन्सियों[2] द्वारा एवम् स्वयं के ईबीएस साफ्टवेयर (एचवी–2 उपभोक्ताओं के लिये) द्वारा त्रृटि रहित बिल निर्माण के लिये डाटा बैंक की विश्वसनीयता, शुद्धता एवम् पूर्णता की जॉच सम्मिलित थी। संबंधित कार्यकलापों की विस्तृत विवेचना हेतु मेरठ[3], बुलन्दशहर[4], खुर्जा[5], नोएडा[6] एवम् गाजियाबाद[7] शहरों से एक–एक खण्ड का चयन किया गया एवम् हार्ड प्रतियों, बिलिंग लेजरों, स्थायी विच्छेदन रजिस्टरों, नव संयोजन रजिस्टरों, प्रतिवेदनो, भुगतान बाउचरों, माप पुस्तिकाओं इत्यादि मे उपलब्ध भौतिक ऑकड़ो को उत्पादित नतीजों की शुद्धता की जॉच करने के उद्देश्य से विश्लेषित किया गया।

## लेखा परीक्षा का उद्देश्य

**2.4.5** लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- कम्पनी के पास पर्याप्त सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना, अभिलिखित रणनीति एवम् आईटी योजना, मुख्य नियंत्रण एवम् परिवीक्षण व्यवस्था है जिससे सूचना प्रौद्योगिकी सहायता प्रणाली के लाभ प्राप्त किये जा सके।

---

1 मेरठ (ईयूडीडी–I, II एवम III), ईडीडी– I एवम् II), गाजियाबाद ( ईयूडीडी– I, II, III, IV एवम् V), बुलन्दशहर ( ईडीडी – I, II एवम् III), ईडीडी–खुर्जा, नोएडा ( ईयूडीडी– I, II एवम् III एवम् ईडीडी–नोयडा)= 18 खण्ड।

2 सीएसएमसी, नई दिल्ली, साई इलेक्ट्रिकल्स, मेरठ एवम् सीएस साफ्टवेयर, नोएडा।

3 विद्युत वितरण खण्ड– II, मेरठ।

4 विद्युत वितरण खण्ड– I, बुलन्दशहर।

5 विद्युत वितरण खण्ड, खुर्जा।

6 विद्युत नगरीय वितरण खण्ड– II, नोएडा।

7 विद्युत नगरीय वितरण खण्ड– I, गाजियाबाद।

- कम्पनी का स्वयं का ईबीएस एवम् बाह्य एजेन्सियों की योग्यता एवम् प्रणालियॉं, प्रबन्धन को आपूर्ति संहिता 2005 में वर्णित बिलिंग कार्यों के निष्पादन में सुधार के मानकों को पूरा करने मे सहायक थी।

## लेखा परीक्षा की कसौटी

**2.4.6** उक्त वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये निम्नांकित लेखा परीक्षा कसौटियों का प्रयोग किया गया:

- वित्तीय हितों एवम् निष्पादन की सुरक्षा हेतु कम्पनी एवम् बाह्य एजेन्सी के मध्य हुये अनुबन्ध;
- आपूर्ति संहिता 2005 में निर्दिष्ट शर्तें;
- यूपीइआरसी द्वारा समय–समय पर अधिसूचित टैरिफ आदेश;
- सूचना प्रौद्योगिकी सुशासन की उत्तम प्रथा; एवम्
- आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था द्वारा प्रणालीगत कमियों की पहचान हेतु प्रणालीबद्ध अभिगम

## लेखा परीक्षा प्रक्रिया

**2.4.7** जनवरी से अप्रैल 2008 के मध्य, राजस्व बिलिंग से सम्बन्धित डाटा बैंक का कम्प्यूटर सहायित लेखा परीक्षा उपकरण 'आइडिया'[8] द्वारा विश्लेषण किया गया ताकि ऑकड़ो की शुद्धता, पूर्णता, एवम् अक्षुण्णता का परीक्षण किया जा सके। उक्त ऑकड़ो के परीक्षण के अतिरिक्त, आईटी नियंत्रणों के अस्तित्व एवम् पर्याप्तता, पविविनिलि के कर्मचारियों की योग्यता/भागीदारी, आईटी सहायता प्रणाली की दक्षता एवम् प्रभाविता का भी मूल्यांकन किया गया। कम्प्यूटर जनित ऑकड़ो का खण्डों में उपलब्ध हस्तलिखित ऑकड़ो से मिलान किया गया एवम् प्रबन्धन के विचारो को भी समावेशित किया गया।

## लेखा परीक्षा सीमायें

**2.4.8** बाह्य एजेन्सियों के असहयोग[9] के कारण उनके प्रणाली अनुविन्यास, कर्मचारी योग्यताओं, सुरक्षा एवम् नियंत्रण मानको को पूर्णतः मूल्यांकित नही किया जा सका। प्रबन्धन अपनी आईटी सम्पत्तियों (हार्डवेयर एवम् साफ्टवेयर), प्रणाली अनुविन्यासों, आईटी सम्पत्तियों में निवेश एवम् सूचना प्रौद्योगिकी पर होने वाले आवर्ती व्यय (संविदागत कर्मचारी, बाह्य एजेन्सियों एवम् अन्य व्यय) के विवरण उपलब्ध कराने को सहमत हुआ (अप्रैल 2008) परन्तु लेखा परीक्षा समाप्त होने तक तथा उसके बाद भी (अक्टूबर 2008) यह लेखा परीक्षा को उपलब्ध नही था।

## लेखा परीक्षा प्रेक्षण

**2.4.9** कम्पनी के राजस्व बिलिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सहायता प्रणाली पर निष्पादन समीक्षा के परिणामस्वरूप लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को प्रबन्धन/शासन को मई 2008 में प्रतिवेदित किया गया एवम् 9 सितम्बर 2008 को राज्य सार्वजनिक उपक्रमों की लेखा परीक्षा समीक्षा समिति (एआरसीपीएसई) की बैठक मे चर्चा की गयी। कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक एवम् निदेशक (वित्त) ने बैठक में भाग लिया। राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि बैठक में सम्मिलित नही हुआ। समीक्षा को अन्तिम रूप देते समय प्रबन्धन द्वारा दिये गये उत्तरों को ध्यान में रखा गया है। लेखा परीक्षा में निम्नांकित कमियॉं पायी गईं:

---

[8] इन्ट्रेक्टिव डाटा एक्सट्राक्शन एण्ड एनालेसिस पैकेज।

[9] प्रबन्धन एवम् एजेन्सियों से अनेक बार अनुरोध करने पर भी मामले को सुलझाया नही जा सका।

## सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण वातावरण की अपर्याप्तता

**2.4.10** सफलतापूर्वक बिलिंग हेतु कम्पनी के पास नियंत्रण व्यवस्था, अभिलिखित आईटी योजना, डाटा बैंक के रखरखाव के लिये मुख्य नियन्त्रणों, सभी खण्डों में एक रूप ऑकड़ा ढॉचा, सूचना की सुरक्षा एवम् त्रुटि निवारण प्रक्रिया तथा लेखा परीक्षा ट्रेल आवश्यक है। लेखा परीक्षा में पायी गयी कमियों की आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई हैं:

- कम्पनी के कार्यकलापों में आईटी नीति, आईटी सुरक्षा नीति, परिवर्तन प्रबन्ध नियंत्रण प्रक्रिया दस्तावेजीकरण, डाटा बैक–अप योजनाओं इत्यादि की कमी पायी गयी। कम्पनी का अभियन्त्रण, बिलिंग एवम् आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्मिक, कम्पनी की उत्तरजीविता के लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुख्य कार्य, सम्पूर्ण बाह्य बिलिंग एवम् संग्रहण कार्यों का अनुश्रवण, नियंत्रण तथा परीक्षण करने में तकनीकी रूप से अक्षम था।

- विभिन्न एजेन्सियों द्वारा प्रयुक्त किसी भी साफ्टवेयर की सफलता ऑकड़ा संग्रह हेतु एक रूप बिलिंग ढॉचे पर निर्भर है। पीडब्ल्यूसी ने बिलिंग एजेन्सियों द्वारा एक रूप बिलिंग ढॉचा अपनाने मे सुविधा हेतु क्षेत्र, क्षेत्र का विवरण, ऑकड़े की इकाई, क्षेत्र का प्रकार, क्षेत्र की लम्बाई, अंकीय क्षेत्र की लम्बाई एवम् सन्दर्भ तालिका को परिभाषित करते हुये एकरूप इनपुट बिलिंग ढॉचा विकसित किया। बिलिंग एजेन्सियों के साथ किये गये अनुबन्धों में उक्त ऑकड़ा ढॉचा या अन्य किसी उचित ऑकड़ा ढॉचे को शामिल नही किया गया। पीडब्ल्यूसी द्वारा तैयार प्रयोक्ता नियमावली में यह बताया गया है कि ऑकड़ो को खण्डवार एवम् उपभोक्तानुसार रखा जाय। ऑकड़े निर्धारित तालिका में दिये क्रमानुसार होने चाहिये। निर्धारित क्षेत्र की लम्बाई का पालन किया जाना चाहिए। अनुबन्धों में निर्धारित शर्त न होने के कारण, एजेन्सियों द्वारा विविध ऑकड़ा ढॉचो को अपनाया गया। किसी भी एजेन्सी ने पीडब्ल्यूसी के ऑकड़ा ढॉचे में उपबन्धित भारों के लिये प्रयुक्त इकाइयों (बीएचपी/किलोवाट/केवीए) को नही दर्शाया। इस कारण विभिन्न खण्डों से प्राप्त ऑकड़ो को अर्थपूर्ण ढंग से समेकित नही किया जा सका ताकि कम्पनी के समस्त खण्डों की सही तस्वीर प्रदर्शित की जा सके।

- सूचना सम्पत्तियों की सुरक्षा, सूचना की निरन्तर उपलब्धता एवम् ऑकड़ो की गोपनीयता एवम् अक्षुण्णता के लिये अनिवार्य कारक है। सूचना सम्पत्तियों की सुरक्षा एवम् त्रुटि निवारण प्रक्रिया के लिये कोई अभिलिखित कार्यविधि उपलब्ध नही थी। लेखा परीक्षा मे सुरक्षा नियंत्रण में निम्नांकित कमियॉ पायी गयी:

  - यद्यपि ऑकड़ो में उपभोक्ताओं, सेवाओं, मीटरों एवम् मीटर रीडिंग, भुगतानो, अनादृत चेकों, उपभोक्ताओं की वृद्धि, बकायों एवम् निर्धारण के समायोजन इत्यादि से संबधित संशोधनो को डाटाबेस मे पृथक रूप से रखा जाता है परन्तु डाटाबेस में इन्हे स्वीकार करने से पहले, संशोधन अधिकृत है या नही यह सुनिश्चित करने हेतु समय–समय पर पर्यवेक्षण समीक्षा की व्यवस्था उपलब्ध नही थी।

  - ऑकड़ो को एक बाह्य एजेन्सी से दूसरी एजेन्सी को स्थानान्तरित करते समय, यह सुनिश्चित करने के लिये की ऐसे स्थानान्तरण पर एक एजेन्सी के अन्तिम ऑकड़ो का दूसरी एजेन्सी के प्रारम्भिक ऑकड़ो से मिलान हो सके, कोई व्यवस्था अनुबन्ध में नही थी। ऐसे स्थानान्तरण किसी भी नियमित पर्यवेक्षकीय समीक्षा के अधीन नही थे।

  - प्रारम्भिक शेष, निर्धारणो, संग्रहण, समायोजनों, आदि का रोकड़ बही से मास्टर मिलान न करने से ऑकड़ो में हेरफेर, छल एवम् गबन आदि की संभावना थी।

- कल्पित पुस्तक संख्याओ[10] की रचना, मास्टर डाटा बैंक से उपभोक्ताओं के नाम हटाना नकली एवम् अनाधिकृत रिकार्डों को स्वीकार करना, अधिक बकाये वाले उपभोक्ताओं की गलत स्थिति बताना इत्यादि अनेक प्रकरण देखे गये।

- गाजियाबाद के खण्डों में हैण्ड हेल्ड प्रणाली के डाटा बैंक में स्टाप बिलिंग, अदेयकीकृत उपभोक्ताओं या निष्क्रिय उपभोक्ताओं के प्रकरण नही पाये गये। अन्य खण्डों के कई अन्य मामलों में, नाम एवम् पते तथा क्षेत्र विवरण उपलब्ध नही होने से उपभोक्ताओं को पहचानना कठिन था। कई डुप्लीकेट एवम् अप्रमाणित रिकार्डस के पाये जाने से डाटाबेस भरोसेमंद नही रहा। इसके कारण, ऐसे डाटाबेस से तैयार प्रतिवेदनो के प्रस्तुतीकरण के सत्य एवम् उचित होने पर भी प्रभाव पड़ा।

- एक सुपरिभाषित एवम् पूर्ण लेखा परीक्षा ट्रेल, आंकड़ो की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिये पूर्व आवश्यकता है एवम् यह एक प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण तंत्र के रूप में भी कार्य करता है। समीक्षित प्रणाली में लेखा परीक्षा ट्रेल की कमी पायी गयी। परिणामतः अल्प या अधिक निर्धारण के प्रकरण जवाबदेही निर्धारण के दृष्टिकोण से सुनिश्चित नही किये जा सके।

**गलत बिलों के निर्माण से बचने हेतु एचएच प्रकार की बिलिंग के अनुबन्धों में कम से कम दो डमी खण्डों जिनमे 150 से ज्यादा उपभोक्ता न हों की रचना कर सतत प्रणाली जॉच के प्रावधान नही किये गये।**

- आईबीएम बिलिंग के अनुबन्ध में कम से कम दो डमी खण्डों का क्लब बनाकर जिसमें प्रत्येक खण्ड मे 150 से ज्यादा उपभोक्ता न हो की रचना कर निरन्तर प्रणाली परीक्षण किये जाने का प्रावधान था। इस हेतु ऑकड़े कम्पनी द्वारा प्रदान किये जाने थे तथा इन डमी ऑकड़ो की बिलिंग अन्य खण्डों के साथ प्रत्येक बिलिंग चक्र में नियमित आधार पर की जानी थी। डमी खण्डो के ऐसे बिल्स एवम् प्रतिवेदनों की जॉच कम्पनी को कार्यक्रम की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिये निरन्तर आधार पर करनी थी एवम् कार्यान्वित करने से पहले जरूरी प्रणाली बदलावों की भी जॉच की जानी थी। एचएच बिलिंग प्रणाली के अनुबन्धों मे ऐसे उपबन्ध करने वाले कोई प्रावधान नही थे। एक विस्तृत एवम् सतत जॉच प्रणाली, सही बिल निर्माण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यथोचित आश्वासन प्रदान करती है। तथापि, बाह्य एजेन्सियों द्वारा प्रयुक्त कम्प्यूटराइज्ड साफ्टवेयर प्रणाली की न तो कभी नियमित जॉच हुयी और न ही बिलिंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन से पूर्व इसका कोई स्वीकार्यता परीक्षण हुआ। उचित परीक्षण के अभाव में, डाटा बैंक में कमियॉ थी जिससे गलत बिलों का निर्माण हो सकता था।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2008) कि आईटी वातावरण एवम् नियन्त्रण तंत्र की कमी का प्रमुख कारण कर्मचारियों की कमी, एवम् वर्तमान कर्मचारियों में आईटी योग्यता का अभाव हैं। साफ्टवेयर की उक्त कमियों को दूर करने के लिये, कम्पनी ने जुलाई 2008 में आन–लाइन बिलिंग हेतु एक्सप्रेसन आफ इनट्रेस्ट जारी किया है ताकि आईटी सम्बन्धी समस्याओं का सही–सही निदान किया जा सके।

### *ऊर्जा बिलिंग प्रणाली*

**2.4.11** सफल बिलिंग के लिये, प्रणाली साफ्टवेयर को अभिलिखित तकनीकी एवम् प्रयोक्ता पुस्तिका आवश्यक है ताकि साफ्टवेयर के संचालनकर्ता व्यवसाय नियमों मे हुये परिवर्तनो के कारण नियन्त्रण क्रियाविधि मे परिवर्तन कर सके। इसके अतिरिक्त, पर्याप्त प्रमाणन जॉचे भी हो ताकि प्रणाली अप्रमाणित इनपुटस को स्वीकार न करे जिससे त्रुटि रहित ऊर्जा बिलों का निर्माण सम्भव हो सके।

---

[10] (ईडीडी, खुर्जा: जेड999 (अप्रैल 07: 2 प्रकरण) (जेड998: अक्टूबर 07: 1), सितम्बर 07 (9999: 4 प्रकरण एवम् 9998: 93 प्रकरण))।

इस सम्बन्ध में, लेखा परीक्षा में पाया गया कि स्वयं के ईबीएस बिलिंग साफ्टवेयर एवम् बाह्य एजेन्सियों के मुख्य अनुविन्यासों में निम्न कमियों के कारण डाटाबेस मे अनेक अनाधिकृत एवम् अविश्वसनीय रिकार्डों के अलावा ईबीएस मे 2.56 करोड़ रुपये की गलत बिलिंग एवम् बाह्य एजेन्सी के साफ्टवेयर से 9.10 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई। जिनकी आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है:

### *ऊर्जा बिलिंग प्रणाली में ऑकड़ा अक्षुण्णता नियन्त्रणों को दरकिनार करना*

**2.4.12** ऊर्जा बिलिंग प्रणाली (ईबीएस) साफ्टवेयर का विकास राज्य में सुधार प्रक्रिया के अधिकतर पहलुओं से सलाहकार के रूप मे जुड़े प्राइस वाटर हाउसकूपर द्वारा वृहद एवम् भारी ऊर्जा उपभोक्ताओं (एचवी–2 दर सूची) की बिलिंग के लिये किया गया था। मीटर रीडिंग इन्स्ट्रूमेन्ट (एमआरआई) की सहायता से मीटर (एल एण्ड टी एवम् सिक्योर मार्का मीटर्स) में एकत्रित बिलिंग माह के तकनीकी एवम् वाणिज्यिक ऑकड़ो को इलेक्ट्रानिक माध्यम से डाउनलोड करने के पश्चात एवम् यूएसबी पोर्ट के द्वारा खण्ड की प्रणाली में प्रवेश के बाद, इस साफ्टवेयर द्वारा स्वचालित रूप से बिलो का निर्माण किया जाता है। विनकाम (एल एण्ड टी मार्का मीटरों के लिये) एवम् स्मार्ट 2000 (सिक्योर मार्का मीटरों के लिये) दोनो साफ्टवेयर ईबीएस प्लेटफार्म का अनुगमन करते है जिनके माध्यम से एमआरआई ऑकड़े ग्रहण किये जाते हैं एवम् बिलों का निर्माण स्वचालित रूप से होता हैं। बिनकाम/स्मार्ट 2000 साफ्टवेयर मे एमआरआई ऑकड़े एमआरडी फाइलों के रूप में संग्रहित होते है एवम् एमआरआई ऑकड़ो के आधार पर मूल बिलों का निर्माण होता हैं। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि उक्त महत्वपूर्ण ऑकड़ो को पुनः एमएस एक्सेस प्लेटफार्म पर छायाप्रति के रूप में संग्रहित किया गया। डुप्लीकेट या बाद मे बिल निर्माण हेतु, खण्डों द्वारा छाया प्रति में उपलब्ध ऑकड़ों (एमएस एक्सेस ऑकड़ा) का प्रयोग किया गया न कि प्रणाली में एमआरडी फाइलों के रूप में उपलब्ध मूल एमआरआई ऑकड़ों का। इस तथ्य के बावजूद कि मीटर रीडिंग से सम्बन्धित सभी नियन्त्रणों को दरकिनार कर एमएस एक्सेस ऑकड़ो में परिवर्तन किया जा सकता हैं, अतः उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से बिलों में हेरा–फेरी की सम्भावना को नकारा नही जा सकता।

इस सम्बन्ध में, निम्न अतिरिक्त जोखिम भी शामिल थे:

- ईबीएस साफ्टवेयर सभी खण्डों में एक सार्वभौमिक एकल अक्षरीय पासवर्ड से सुरक्षित किया गया था एवम् प्रयोक्ताओं को उक्त पासवर्ड में परिर्वतन की कोई सुविधा उपलब्ध नही थी। अतः छेड़छाड़ की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता विशेषतः उन दशाओं मे जबकि सभी खण्डों मे ईबीएस प्रणाली का संचालन बाह्य कार्मिको द्वारा किया जा रहा था।

- कम्पनी के पास इस साफ्टवेयर की तकनीकी, संचालन एवम् प्रयोक्ता पुस्तिकायें उपलब्ध नही थीं। तकनीकी पुस्तिका के अभाव में, कम्पनी सही ऊर्जा बिल निर्माण हेतु विविध प्रतिमानो को अपडेट करने के लिये कार्यक्रम परिर्वतन नियन्त्रणों को लागू नही कर सकी।

परिर्वतन नियन्त्रण व्यवस्था के अभाव में, ईबीएस ने अशुद्ध बिलों का निर्माण किया जिन्हें खण्डों द्वारा मैनुअल ढंग से सही किया गया।

**कार्यक्रम परिर्वतन नियंत्रणो की अपर्याप्तता के कारण, सही बिलों का निर्माण नही हुआ एवम् 6429 उपभोक्ताओं, जिनका ऊर्जा उपभोग 1177.05 लाख यूनिटस का था, को गलत दरो के कारण 1.51 करोड़ रुपये के अधिक धनराशि के बिल निर्गत किये गये।**

### *एचवी–2 उपभोक्ताओं के लिये गलत दर का प्रयोग*

**2.4.13** वृहद एवम् भारी ऊर्जा उपभोक्ताओं (एचवी–2) के लिये उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीइआरसी) ने स्थायी प्रभारों एवम् ऊर्जा प्रभारों में संशोधन किया (13 अगस्त 2007)। आयोग ने दिवस का समय आधार (टीओडी) दरों में 22 बजे से 06 बजे के मध्य आपूर्ति की मूल दरों से 7.5 प्रतिशत से कम (पूर्व टैरिफ में 5 प्रतिशत) 17 बजे से 22 बजे के मध्य आपूर्ति की मूल दरों से 15 प्रतिशत ज्यादा दर पर (पूर्व टैरिफ आदेश में 20 प्रतिशत) संशोधन किया। जिसके अनुरूप, 0.4 केवी एवम् 11 केवी पर

नगरीय समय सारिणी के आधार पर आपूर्ति प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के लिये लागू आपूर्ति की दरे निम्न थी:

| विवरण | टीओडी दर 22 से 06 बजे तक (रुपये) | टीओडी दर 06 से 17 बजे तक (रुपये) | टीओडी दर 17 से 22 बजे तक (रुपये) |
|---|---|---|---|
| पूर्व टैरिफ के अनुसार | 3.3250 | 3.50 | 4.2000 |
| वर्तमान टैरिफ के अनुसार | 3.2375 | 3.50 | 4.0250 |

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि अर्पयाप्त कार्यक्रम परिर्वतन नियंत्रणों के कारण, सही बिल निर्मित नही किये गये। जबकि विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–चतुर्थ, नोएडा ने अपने उपभोक्ताओं को बिल जारी करने से पूर्व उन्हें मैनुअली सही किया, नोएडा के अन्य तीन खण्डों ने नवम्बर 2007 से फरवरी 2008 के मध्य 6429 प्रकरणों में (0.4 केवी एवम् 11 केवी आपूर्ति वाले उपभोक्ता) गलत दर पर बिल जारी कर 1177.05 लाख विद्युत यूनिटस के लिये 151.18 लाख रुपये अधिक प्रभारित किया जिसका विवरण निम्न है:

| नोएडा के खण्ड | प्रकरणों की संख्या | टीओडी स्लाट 22 से 06 बजे के अनुसार कुल यूनिट (लाख केवीएएच) | अधिक भारित (लाख रुपये में) | टीओडी स्लाट 17 से 22 बजे के अनुसार कुल यूनिट (लाख केवीएएच) | अधिक भारित (लाख रुपये में) | कुल अधिक भारित (लाख रुपये में) [कालम 4 + 6] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ईयूडीडी-I | 3221 | 313.55 | 27.44 | 282.85 | 49.50 | 76.94 |
| ईयूडीडी-II | 1149 | 142.20 | 12.44 | 106.81 | 18.69 | 31.13 |
| ईयूडीडी-III | 2059 | 161.07 | 28.19 | 170.57 | 14.92 | 43.11 |
| योग | **6429** | **616.82** | **68.07** | **560.23** | **83.11** | **151.18** |

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2008) कि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित की गयी कमियों को मेसर्स साई कम्प्यूटर्स लिमिटेड द्वारा विकसित नये साफ्टवेयर में ध्यान में रखा गया है।

### *एचवी–2 उपभोक्ताओं के प्रकरणों में अल्प शक्ति गुणांक अधिभार की गलत संगणना*

**2.4.14** कम्पनी मे एचवी–2 उपभोक्ताओं के बिलों में ऊर्जा प्रभार की गणना केवीएएच यूनिटस के आधार पर की जाती है। उक्त प्रभारों में उपभोक्ता के परिसर मे व्यर्थ ऊर्जा जिससे अल्प शक्ति गुणांक की समस्या उत्पन्न होती है, पर प्रभार भी सम्मिलित है। उपभोक्ताओं को दोहरे गैर प्रोत्साहनो से बचाने हेतु, यूपीइआरसी ने अल्प शक्ति गुणांक अधिभार (पूर्व की टैरिफ में 5 प्रतिशत की दर से यदि शक्ति गुणांक 0.85 से कम हो तथा 10 प्रतिशत की दर से यदि शक्ति गुणांक 0.80 से कम हो) को वापस (13 अगस्त 2007) ले लिया ताकि व्यर्थ ऊर्जा जिससे अल्प शक्ति गुणांक की समस्या उत्पन्न होती है पर उपभोक्ता को पुनः दण्ड न देना पड़े क्योंकि ऐसी व्यर्थ ऊर्जा पहले ही प्रभारित कर ली जाती थी। तथापि, साफ्टवेयर अभी भी पॉच एवम् दस प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं से (0.4 एवम् 11 केवी आपूर्ति पर) अधिभार के रूप मे 105.26 लाख रुपये अधिक प्रभारित किया गया, जिसका विवरण निम्न है:

**नोएडा के तीन वितरण खण्डों ने एचवी–2 उपभोक्ताओं पर 5 एवम् 10 प्रतिशत की दर से अल्प शक्ति गुणांक प्रभारित किया जोकि यूपीईआरसी द्वारा 13 अगस्त 2007 से वापस ले लिया गया था, परिणामतः उपभोक्ताओं से 1.05 करोड़ रुपये अधिक प्रभारित किया गया।**

| नोएडा के खण्ड | प्रकरणों की संख्या | गलत भारित राशि (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| ईयूडीडी-I | 865 | 51.99 |
| ईयूडीडी-II | 357 | 23.14 |
| ईयूडीडी-III | 560 | 30.13 |
| योग | **1782** | **105.26** |

कम्पनी के सभी खण्डों के समेकित ईबीएस बिलिंग ऑकड़े उपलब्ध न होने से अन्य खण्डों में बिलिंग की उक्त कमियों का परीक्षण नही किया जा सका।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2008) कि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित कमियों को मेसर्स साई कम्प्यूटर्स द्वारा विकसित नये साफ्टवेयर में ध्यान में रखा गया है।

### *छोटे एवम् मध्यम उपभोक्ताओं के लिये बाह्य बिलिंग गतिविधियां*

**2.4.15** पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद वर्ष 1975 से ही आंशिक रूप से सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता था जब उसने लो टेन्शन उपभोक्ताओं की बिलिंग को बाह्य एजेन्सियों को शुद्ध एवम् दक्ष बिल निर्माण हेतु सौंपा। वितरण सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत, सूत्रधारी कम्पनी ने शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के मास्टर डाटाबेस तैयार करने, हैण्ड हेल्ड मशीनों द्वारा बिल निर्माण (चेकों के संग्रहण सहित), रोकड़ संग्रहण पर कम्प्यूटीकृत पावती देने एवम् लेजर तथा अपवाद प्रतिवेदनों के हार्ड कापी निर्माण आदि कार्यों को बाह्य एजेन्सियों को सौंपा। नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवम् भुगतान हेतु सम्बन्धित विद्युत नगरीय वितरण मण्डलों को नोडल अधिकारी बनाया गया। साथ ही साथ, अन्य खण्डों के लिये बाह्य एजेन्सियों द्वारा बिल निर्माण की पूर्व प्रणाली (आईबीएम प्रणाली) को जारी रखा गया। आईबीएम प्रणाली में, मीटर रीडिंग, उपभोक्ताओं के विवरण में घटाव एवम् बढ़ाव, भार में कमी या वृद्धि एवम् अन्य परिवर्तन के कार्यों को बिलिंग एजेन्सियों को सौंप दिया गया। बिल निर्मित होने के पश्चात, बिल सम्बन्धित खण्डों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे खण्डों द्वारा उपभोक्ताओं को वितरित किया जाता है एवम् भुगतान प्राप्त करने के पश्चात भुगतान विवरणों को मास्टर डाटा बैंक में दर्ज करने हेतु भेजा जाता है। खण्डों एवम् एजेन्सियों के मध्य आगत/निर्गत के प्रवाह के समन्वय का कार्य कम्प्यूटर बिलिंग सेवा केन्द (सीबीएससी), मेरठ द्वारा किया जाता है। इस कार्य हेतु कम्पनी के सभी खण्डों के बिलो का भुगतान केन्द्रीकृत रूप में कम्प्यूटर बिलिंग केन्द्र, नोएडा द्वारा होता है। हैण्ड हेल्ड तथा आईबीएम प्रणाली से बिल निर्माण हेतु सितम्बर 2003 से फरवरी 2005 के मध्य अलग–अलग अनुबन्ध किये गये। आईबीएम बिलिंग के लिये 'कोबोल' एवम् हैण्ड हेल्ड बिलिंग के लिये 'विदुषी' (बैक–एन्ड) के साथ अग्रान्त के रूप मे 'विजुअल बेसिक' साफ्टवेयर प्रयुक्त किया गया।

कम्पनी की मितव्ययिता, दक्षता एवम् प्रभाविता बढ़ाने के उद्देश्य से आईटी योग्यताओं, आईटी उपकरणों तथा आईटी प्रयोग हेतु जागरूकता के अभाव के परिणामस्वरूप बाह्य एजेन्सियों पर पूर्ण निर्भरता से तमाम कमियॉ उत्पन्न हुयी जैसे भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मानचित्रण का उपयोग न होना, गलत बिलों का निर्माण, धोखाधड़ी की आशंका या राजस्व की हानि इत्यादि।

### भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मानचित्रण का उपयोग न होना

**किसी भी कार्यालय में जीआईएस मानचित्रण की साफ्ट प्रतियॉ सहायित साफ्टवेयरों के साथ उपलब्ध न होने के कारण कम्पनी ने 94.66 लाख रुपये का अनुत्पादक व्यय वहन किया।**

**2.4.16** कम्पनी भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मानचित्रण का उपयोग नही कर सकी जिसके परिणामस्वरूप उस पर हुआ व्यय (संविदागत लागतः 94.66 लाख रुपये, वास्तविक व्यय उपलब्ध नही) अनुत्पादक सिद्ध हुआ। सितम्बर 2003 से फरवरी 2005 के मध्य हुये अनुबन्धों के अनुसार, एजेन्सियों को घर–घर जाकर सर्वेक्षण करना था एवम् जीआईएस मानचित्रण (मार्गों, पथों, गलियों, एवम् घरो या बहुभुजों को दर्शाते हुये) सहित मास्टर डाटाबेस को अद्यतन करना था तथा वितरण परिवर्तकों (डीटी), खम्भों, धारा परिवर्तकों (सीटी), डीटी के लो–टेन्शन तरफ पर स्थापित मीटरों को चिन्हित करना था। सर्वेक्षण में मीटर स्थिति की पहचान (भौतिक एवम् संक्रियात्मक स्थिति, टूटे शीशे, सील की स्थिति, मीटर मार्का, निर्माण तिथि, अंको की संख्या, इत्यादि), मीटर संख्या की शुद्धता/पठनीयता, उपभोक्ता संख्या, पता इत्यादि सम्मिलित था। इसमे उपभोक्ता के भवन (या अन्यथा) को जा रही ऊर्जा लाइनों की पहचान, स्थलीय निरीक्षण के समय वास्तविक भौतिक क्रयों के अनुसार क्रमांको का आवंटन भी शामिल था। यह पाया गया कि जीआईएस मानचित्रण यदि एजेन्सी द्वारा तैयार किया गया था, तब भी यह किसी भी कार्यालय में सहायित साफ्टवेयरों के साथ एवम् एजेन्सी के सर्वर या डाटा बैंक से अन्यथा लिंकेज के साथ साफ्ट प्रतियों मे उपलब्ध नही था।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2008) कि एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध कराया गया जीआईएस मानचित्रण समस्याओं का पूर्ण समाधान करने में सक्षम नही था। तथापि, सभी समस्याओं को दूर करने हेतु उचित कार्यवाही की जा रही थी। यह महत्वपूर्ण क्षेत्र के सन्दर्भ में प्रबन्धन की भावशून्यता को प्रदर्शित करता हैं।

### विभिन्न एजेन्सियों द्वारा अपनाये गये ऑकड़ो में एकरूपता न होना

**2.4.17** आगत नियन्त्रण यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रसंस्करण के लिये प्राप्त ऑकड़े, असली, सम्पूर्ण, वैध, परिशुद्ध एवम् उचित ढंग से अधिकृत है एवम् ऑकड़ो का प्रवेशन बिना किसी दोहराव के परिशुद्धता से किया जा रहा हैं एवम् प्रणाली मे आने से पहले ऑकड़ो के सभी क्षेत्र पूरी तरह भरे हुये है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, यह आवश्यक था कि मास्टर डाटाबैंक की रचना, प्रत्येक उपभोक्ता के लिये अद्वितीय पहचान संकेत के साथ सावधानी पूर्वक हो, मीटरों की अद्वितीय पहचान संख्या हो तथा उपभोक्ताओं के विवरण पूर्ण हो ताकि कानूनी या अन्य कार्यवाहियों इत्यादि के लिये पहचान सुनिश्चित की जा सके।

तथापि, यह पाया गया कि तीनो बाह्य एजेन्सियों द्वारा रखे गये डाटा बैंक मे क्षेत्र एवम् प्रारूप इत्यादि के सन्दर्भ में एकरूप ऑकड़ा ढॉचे का अभाव है। एक एजेन्सी (सीएस साफ्टवेयर, हैदराबाद) ने दूसरी एजेन्सी द्वारा अपनाये गये ढॉचे की तुलना में अपने ऑकड़ा ढॉचा में विभिन्न क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण परिर्वतन कर रखे थे। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न खण्डों द्वारा रखे गये ऑकड़ो को समेकित नही किया जा सकता।

### *डाटाबैंक में दोहरे तथा कल्पित रिकार्ड*

**2.4.18** साफ्टवेयर में आगत नियन्त्रण पर्याप्त नही थे जिसके द्वारा डाटाबैंक में उपभोक्ताओं के दोहराव, दोहरे पुस्तकों/सेवा संख्याओं, कल्पित मीटर के प्रकरणों या मीटर कालमों का रिक्त रहने से बचा जा सके। मीटर क्रंमाक, फेज, मार्का एवम् श्रेणी स्वयं में विलक्षण होने चाहिये। प्रणाली द्वारा समान प्रचालों के द्वारा कोई अन्य मीटर प्रविष्टी स्वीकार्य नही होनी चाहिये। एजेन्सी के साथ किये गये अनुबन्धों में इस प्रकार का कोई विशिष्ट प्रावधान नही किया गया। एक ही उपभोक्ता को एक से ज्यादा संकेत आंबटित करने के कारण मास्टर फाइल में उपभोक्ताओं का दोहराव हो गया। दोनो संकेतो के विरुद्ध मॉग जारी होने से कम्पनी की अर्जित आय ज्यादा प्रदर्शित हो रही थी।

5,19,455 उपभोक्ताओं[11] वाले उपलब्ध कराये गये अद्यतन डाटाबैंक के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 4,69,114 सक्रिय उपभोक्ताओं मे से 187 प्रकरणों में दोहरे पुस्तक/सेवा संख्या, 1741 प्रकरणों में दोहरे उपभोक्ता समान नाम एवम् पते के साथ, 68,790 प्रकरणों में मीटर कालम रिक्त पाये गये, 15,527 प्रकरणों में कल्पित मीटर एवम् 55,955 मीटर 1,46,120 परिसरों में संस्थापित (दोहराव 2 से 23 बार तक विस्तारित) पाये गये।

यह भी पाया गया कि बाह्य एजेन्सियों को रिपोर्ट एवम् बिलिंग ऑकड़े एक सीडी में उपलब्ध कराने थे परन्तु खण्डो द्वारा उन्हे बैक–अप या परिवीक्षण एवम् नियन्त्रण के लिये प्राप्त नही किया जा रहा था।

डाटाबैंक में भारी संख्या में दोहरे रिकार्डों का प्राप्त होना इस बात का द्योतक है कि बाह्य एजेन्सी ने रोड मैप तैयार करने हेतु घर–घर किये जाने वाले सर्वेक्षण में समुचित प्रयास नही किये ताकि दक्ष सेवा निष्पादनों की प्राप्ति सुनिश्चत की जा सके। आगत नियन्त्रण एवम् स्वीकार्यता जॉच की अपर्याप्तता के अतिरिक्त यह इस तथ्य की तरफ भी संकेत करते है कि जहॉ प्रारम्भिक शेष, निर्धारणों, संग्रहण, समायोजनो/माफी एवम्

[11] आईबीएम एवम् हैण्ड हैल्ड सिस्टम के लिये मेरठ, बुलन्दशहर एवम् खुर्जा के डाटा बैंक अलग से उपलब्ध नही थे, अतः कम्पोजिट डाटा बैंक के साथ विश्लेषण किया गया।

अन्तिम शेषों का राजस्व रोकड़ पुस्तिका से आवधिक आधार पर मास्टर मिलान नही होता तब राजस्व के अपवंचन की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2008) कि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये गये कुछ प्रकरणों मे भौतिक सत्यापन के पश्चात् परामर्श जारी कर दिये गये हैं। दोहरे मीटरों के सन्दर्भ में, उन्होने बताया कि इसका कारण एजेन्सियों द्वारा अपनायी गयी अपर्याप्त क्षेत्र की लम्बाई है। उत्तर नियन्त्रण एवम् परिवीक्षण तंत्र का अभाव इंगित करता है।

### *दोषपूर्ण मीटरों के मामलों मे गलत निर्धारण*

**2.4.19** अनुबन्ध में सम्बन्धित दर सूची के अनुरूप साफ्टवेयर एवम् डाटाबेस के विकास का प्रावधान है। दोषपूर्ण मीटर के प्रकरणों में, समय–समय पर लागू दर सूची के अनुसार, पिछले तीन बिलिंग चक्रो के औसत उपभोग के आधार पर बिलिंग का प्रावधान है अथवा उक्त ऑकड़ो के अभाव मे, सही मीटर स्थापित होने के बाद के तीन बिलिंग चक्रो के औसत उपभोग के आधार पर बिलिंग की जा सकती है। इस विधि का प्रयोग खराब मीटर की मरम्मत/प्रतिस्थापन होने तक होना था एवम् तत्पश्चात बिलिंग मीटर द्वारा अभिलिखित वास्तविक खपत के आधार पर की जानी थी।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि बिलिंग लेजरों में उपभोक्ताओं की बिलिंग स्थिति 'खराब मीटर' थी परन्तु अधिकतर मामलों में, बिल निर्माण हेतु वांछित पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग से सम्बन्धित ऑकड़े नही थे। पुनः, कई प्रकरणों में, बिलिंग लेजर्स में अन्तिम रीडिंग तिथि मे नवम्बर 1986 से मार्च 1994 के मध्य की तारीखें प्रदर्शित थी जो इंगित करता है कि बिलिंग हेतु वास्तविक उपभोग का विवरण उस समय से उपलब्ध नही था।

कम्पनी ने दोषपूर्ण मीटरों को 'संकेतिक दोषपूर्ण (आईडीएफ)', 'प्रतीत दोषपूर्ण (एडीएफ)' एवम् 'रीडिंग दोषपूर्ण (आरडीएफ)' के रूप मे वर्गीकृत किया है एवम् इलेक्ट्रानिक बिलिंग लेजर मे उक्त को 'बिल आधार' शीर्षक के अधीन प्रदर्शित किया जाता है।

एजेन्सी ने एलएमवी–1 एवम् एलएमवी–2 श्रेणी के दोषपूर्ण मीटरों वाले उपभोक्ताओं की व्यवसायिक नियमों के अनुरूप बिलिंग नहीं की जिसके परिणामस्वरूप 1.89 करोड़ रुपये का अल्प प्रभारण हुआ।

घरेलू बत्ती पंखा (दर सूची एलएमवी–1) के उपभोक्ताओं को बेची गयी यूनिट्स आईडीएफ/एडीएफ/ आरडीएफ मामलों में तदर्थ आधार पर 80 यूनिट्स निर्धारित है परन्तु इस आधार पर 163 रुपये (दिसम्बर 2004 से) प्रभारित करने के बजाय, पहुँच नही (एनए) एवम् रीडिंग नही (एनआर) उपभोक्ताओं को लागू 120 रुपये की तदर्थ राशि से इलेक्ट्रिसिटी प्रभार की बिलिंग की गयी। बिलिंग की यह विधि यूपीइआरसी द्वारा अनुमोदित नही हैं। एलएमवी–2 के मामलों में, ऊर्जा की बिलिंग नियत यूनिट्स अर्थात 104 यूनिट्स प्रति केडब्ल्यू प्रति माह एवम् उसी आधार पर की गई। मई 2007 के डाटाबैंक के आधार पर इस असंगत बिलिंग से 1.89 करोड़ रुपये की वित्तीय हानि आगंणित की गयी जिसका विवरण **परिशिष्ट–18** मे हैं।

प्रबन्धन ने प्रकरण की तह मे जाने एवम् एजेन्सी से तथ्यों के सत्यापन के पश्चात आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करने पर सहमति जताई (सितम्बर 2008)।

### *अल्प शक्ति गुणांक के प्रकरणों में चेतावनी प्रणाली की अनुपस्थिति*

चेतावनी प्रणाली एवम् विहित कार्यवाही के अभाव में अल्प शक्ति गुणांक के प्रकरणों में 7.21 करोड़ रुपये मूल्य की 1.92 करोड़ यूनिट्स का एलएमवी–6 उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा क्षय हुआ।

**2.4.20** उत्तर प्रदेश विद्युत की कमी से जूझ रहा है एवम् अन्य राज्यों से विद्युत आयात कर रहा हैं। अतः आवश्यक है कि विद्युत को क्षय से बचाने हेतु उपाय किये जाये। ऐसे क्षय को रोकने का एक उपाय संजाल पर प्रतिक्रियाशील शक्ति क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना (जैसा भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता में भी उपबन्धित) है ताकि शक्ति गुणॉक 0.85 या अधिक के वॉछित स्तर पर बरकरार रहे। केवीएएच आधारित टैरिफ में, अल्प शक्ति गुणांक से हुये ऊर्जा क्षय की वित्तीय हानि की वसूली उपभोक्ताओं से कर ली जाती है। शक्ति गुणांक के वॉछित स्तर से कम रहने पर, नयी दर सूची विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 139 एवम् 140 के अधीन (ऊर्जा का कपटपूर्ण अमूर्तीकरण) कार्यवाही का प्रावधान करती हैं। इसके अलावा, 0.70 से कम (नयी दर सूची में 0.75) होने पर आपूर्ति विच्छेदन का भी प्रावधान है। विद्युत की पुनः आपूर्ति तभी सम्भव है जब शक्ति

गुणांक में सुधार हेतु उचित उपकरणों की स्थापना हो गयी हो। इस सीमा तक बचायी गयी ऊर्जा का प्रयोग आपूर्ति स्थिति के सुधार में या कम मात्रा मे विद्युत की खरीद में किया जा सकता था।

बिलिंग हेतु निर्मित साफ्टवेयर अल्प शक्ति गुणांक हेतु न तो स्वतः बिलों पर चेतावनी अकिंत करता है न ही प्रत्येक माह में अपवाद रिर्पोटों का सृजन करता है। कम्पनी के 16 खण्डों के इलेक्ट्रानिक डाटा बैंक के विश्लेषण में लेखा परीक्षा में पाया गया कि विद्युत क्षय रोकने हेतु 10691 अल्प शक्ति गुणांक (0.01 से 0.69 तक विस्तारित) के प्रकरणों में यथाविहित कार्यवाही अपेक्षित थी। इनमे हुयी ऊर्जा क्षय से हानि एलएमवी–6 के प्रकरणों में 1.92 करोड़ यूनिट्स के लिये 7.21 करोड़ रुपये एवम् एचवी–2 श्रेणी की दशा में 5.87 करोड़ यूनिट्स आंकलित की गयी। विवरण **परिशिष्ट–19** में दिया गया हैं।

ऐसी दशा में जब विद्युत की भारी कमी से जूझ रहा राज्य विद्युत का आयात मॅहगी दरों पर कर रहा हो या राज्य मे विद्युत कटौती का सामना करना पड़ रहा हो, यह आवश्यक है कि औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु ऊर्जा की प्रत्येक विद्युत इकाई को बचाया जाय।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2008) कि दोषी उपभोक्ताओं को नोटिसें जारी कर दी गयी हैं एवम् उपचारात्मक कार्यवाही भी की जा रही है। इसी आधार पर विच्छेदन भी किये जा रहे हैं। पुनः, विद्युत अधिनियम, 2003 मे विहित आवश्यक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी ताकि ऊर्जा क्षय की सम्भावनाओ को समाप्त किया जा सकें।

### *अनुमोदित भार के अनुसार स्वीकृत उपभोग से ज्यादा विद्युत उपभोग के प्रकरणो की पहचान न होना*

**2.4.21** मीटर रीडिंग उपलब्ध होने पर सही मीटरों की उपभोग प्रवृति का आगणन स्वीकृत भार[12] के आधार पर किया गया। यह 720 यूनिट्स प्रति किलोवाट प्रति माह अर्थात 1440 (जिसे अद्वितीय विद्युत उपभोग कहते है) यूनिट्स 2 माह के लिये आंगणित किया गया। एक उपभोक्ता जिसके पास 1 किलोवाट का भार है वह दो माह में 1440 यूनिट्स से अधिक उपभोग नही कर सकता। यदि, उपभोग उक्त सीमा से ज्यादा है तो इसका अर्थ है कि या तो उपभोक्ता का भार ज्यादा है या मीटर विद्युत उपभोग का सही अभिलेखन नही कर रहा हैं।

एलएमवी–1 (घरेलू बत्ती एवम् पंखा) उपभोक्ताओं जिनका भार 1 किलोवाट था, के जनवरी से नवम्बर 2007 (जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर 2007 के महीनों को छोड़कर, जिनके डाटा बैंक नही दिये गये) के आईबीएम बिलिंग सम्बन्धी डाटा बैंक की जॉच में यह पाया गया कि उपभोक्ताओं ने स्वीकृत सीमा से ज्यादा (एलएचएफडी सूत्र) यूनिट्स का उपभोग किया। विवरण **परिशिष्ट–20** में दिया गया हैं।

यह इंगित करता है कि वास्तविक भार के निर्धारण हेतु उपभोक्ताओं के संस्थापनाओं की जॉच एवम् अधिक भारों को संहिता 2005 में विहित प्रक्रिया से नियमित करने की आवश्यकता है ताकि अधिक भार पर स्थायी प्रभार की हानि को रोका जा सके। यह प्रकरण केवल संकेत मात्र है एवम् सुधारात्मक कार्यवाही हेतु कम्पनी को ऐसे सभी प्रकरणों की जॉच नियमित आधार पर करने की आवश्यकता है।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2008) कि 74 उपभोक्ताओं को संशोधित आदेश जारी कर दिये गये हैं एवम् अधिक भार पर दण्ड को प्रभारित कर लिया गया है। तथापि, तथ्य यह है कि तुरन्त सुधारात्मक कार्यवाही हेतु आईटी वातावरण में कोई चेतावनी प्रणाली विद्यमान नही है।

---

[12] स्वीकृत भार x 24 घण्टा x महीनों की संख्या x 30 दिन = 720 यूनिट्स एक माह के लिये।

### *सूचना प्रौद्योगिकी के परिवीक्षण हेतु पर्यवेक्षणीय योग्यता के अभाव के कारण गलत दर का प्रयोग*

आईटी उपकरणों द्वारा परिवीक्षण के अभाव के कारण, मँहगे दर वाले उपमोक्ताओं (एलएमवी–4 एवम् एलएमवी–2) को कम दर (एलएमवी–1) पर बिल किया गया जिसके परिणामतः दिसम्बर 2004 से नवम्बर 2007 तक 4.42 करोड़ रुपये का अल्प निर्धारण हुआ।

**2.4.22** आईटी उपकरणों द्वारा निगरानी न रखने से उच्च दर वाले उपभोक्ताओ (एलएमवी–4 एवम् एलएमवी–2) की पहचान नही हुयी जिससे उनकी बिलिंग निम्न दरों (एलएमवी–1) में हुयी जिसके परिणामतः दिसम्बर 2004 से अल्प निर्धारण हुआ।

जब घरेलू बत्ती एवम् पंखा श्रेणी (एलएमवी–1) के उपभोक्ताओं के नाम एवम् पतों को छॉटा गया, तब यह देखा गया कि 1641 उपभोक्ता एलएमवी–2 (दुकान, होटल, निजी अतिथि गृह, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, सिनेमा इत्यादि) या एलएमवी–4 श्रेणी (सोसाइटी, सार्वजनिक एवम् निजी संस्थान, छात्रावास इत्यादि) के अर्न्तगत थे। इस प्रकार, ये निम्न दर श्रेणी के अधीन प्रभारित किये जा रहे थे। चूंकि प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा उपभोगित यूनिट्स उपलब्ध नही थी, अतः अल्प निर्धारण की गणना एलएमवी–1 उपभोक्ताओं के लिये 80 यूनिट प्रति केडब्ल्यूएच/माह तथा एलएमवी–2 एवम् एलएमवी–4 उपभोक्ताओं के लिये 104 यूनिट प्रति केडब्ल्यूएच /माह मानकर की गयी। दिसम्बर 2004 या संयोजन की तिथि, जो भी बाद मे हो, से नवम्बर 2007 तक स्थायी प्रभार (80 रुपये घटाया 50 रुपये) एवम् विद्युत प्रभारों के लिये अल्प निर्धारण 4.42 करोड़ रुपये आंकलित किया गया, जिसका विवरण निम्न है:

| खण्ड | माह | एलएमवी–1 के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की संख्या | भार (केडब्ल्यू) | अल्प निर्धारण (लाख रुपये में) |
|---|---|---|---|---|
| ईडीडी-I, बुलन्दशहर | अक्टूबर - नवम्बर 2007 | 61 | 126 | 11.68 |
| ईडीडी -II, बुलन्दशहर | अक्टूबर - नवम्बर 2007 | 84 | 161 | 17.51 |
| ईडीडी, खुर्जा | नवम्बर 2007 | 89 | 123 | 12.81 |
| ईडीडी -II, मेरठ | जनवरी – दिसम्बर 2007 | 21 | 51 | 4.15 |
| ईयूडीडी -II, मेरठ | नवम्बर 2007 | 21 | 163 | 10.80 |
| ईयूडीडी -III, मेरठ | नवम्बर 2007 | 06 | 22 | 2.16 |
| ईयूडीडी -I नोएडा | नवम्बर 2007 | 654 | 1308 | 121.23 |
| ईयूडीडी -II, नोएडा | नवम्बर 2007 | 135 | 270 | 50.05 |
| ईयूडीडी -III, नोएडा | नवम्बर 2007 | 570 | 1140 | 211.33 |
| योग | | 1641 | 3364 | 441.72 |

खण्डो को ऐसे उपभोक्ताओं की सूची उपलब्ध करायी गयी ताकि वे इन उपभोक्ताओं के परिसरों का भौतिक सत्यापन करके डाटाबैंक में आवश्यक सुधार कर लें। ऐसे खण्ड जो इस समीक्षा के अधीन नही है उन्हे चाहिये कि वे सही दर प्रावधानों को लागू करने हेतु ऐसे सत्यापन कर लें।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2008) कि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित 1641 प्रकरणों में से 128 प्रकरणों मे कम्पनी एवम् संस्थानों के नाम से आवासीय परिसर थे। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित कुछ मामलों मे सुधारात्मक कदम उठाये गये। तथापि, प्रबन्धन को चाहिये कि ऐसे सभी मामलों की जॉच कर डाटाबैंक को सही कर लें। इसके अतिरिक्त, ऐसा सन्देह ही नही उठता यदि कम्पनी ने विस्तृत जीआईएस विकसित कर लिया होता जिसके लिये कम्पनी ने अन्यथा 94.66 लाख रुपये व्यय कर दिया।

### *निष्क्रिय उपभोक्ताओं का विश्लेषण*

**2.4.23** निष्क्रिय श्रेणी के अर्न्तगत वह मामले होते हैं जहॉ अस्थाई विच्छेदन होता है एवम् बिल नही बनता (बिल आधार एनबी) या स्थायी विच्छेदन हुआ हो और बिलिंग बन्द हो (बिल आधार एसबी) या जिनकी बिल स्थिति निष्क्रिय (आई) दर्शित हो रही हो। उत्तर प्रदेश राजकीय विद्युत उपक्रम (देयो की वसूली) अधिनियम 1958 की धारा–5 के अधीन नोटिसे जारी करने के पश्चात्, बकाया वसूलने या शेष बकाये की वापसी के लिये ऐसे प्रकरणों का उचित अनुसरण नही किया जाता। विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय, मेरठ के सबसे बड़े 10 दोषी उपभोक्ताओं का माहवार विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि ये सभी उपभोक्ता डाटा बैंक में प्रत्येक माह में सम्मिलित नही थे। इसके अतिरिक्त, इन उपभोक्ताओं का बिल आधार जो 'एसबी' श्रेणी मे वर्गीकृत था अर्थात स्थायी रूप से विच्छेदित वह बाद में आईडीएफ श्रेणी में, मीटर्ड इकाइयों (एमयू)

एवम् इसी प्रकार अन्य श्रेणियों मे बिना किसी समुचित आधार के दिखाये जाने लगे। इसी प्रकार, इनमे से कुछ उपभोक्ताओं के बकाये डाटा बैंक में प्रदर्शित नही हो रहे थे या कुछ अन्य को एक से अधिक बार प्रदर्शित किया गया था।

उक्त विसंगतियॉ यह संकेत करती है कि मास्टर डाटा फाइल में पर्याप्त नियंत्रण तंत्र का अभाव है जिससे बीबी स्थिति एसबी या अन्य स्थितियों में परिवर्तित हो जाती है जो सम्भव नही है।

पुनः, कम्पनी ने निष्क्रिय उपभोक्ताओं के बकायों (अगस्त 2007 के ऑकड़े उपलब्ध नही है) का, इनमे कमी, वृद्धि तथा प्राप्त भुगतान का आवधिक आधार पर मिलान नही किया। विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–प्रथम, गाजियाबाद के जनवरी से नवम्बर 2007 तक ऐसे निष्क्रिय उपभोक्ताओं के कुल योग में वृद्धि, बिना वृद्धि अथवा संग्रहण के मिलान के, भारी विसंगतियों को इंगित करती है, जिसका विवरण निम्न है:

| माह | जनवरी | फरवरी | मार्च | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | सितम्बर | अक्टूबर | नवम्बर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उपभोक्ताओं की संख्या | 442 | 581 | 467 | 665 | 502 | 680 | 500 | 1278 | 685 | 569 |
| बकाया (लाख रुपये में) | 242.24 | 269.24 | 253.14 | 317.93 | 274.77 | 325.08 | 271.35 | 566.01 | 325.42 | 276.19 |

इसलिए यह आवश्यक है कि ऑकड़ो का मिलान इलेक्ट्रानिक रूप में किया जाय तब ऑकड़ो की अनियमितता एवम् उनमे हेरफेर की सम्भावनाओं से बचा जा सकता है।

प्रबन्धन ऐसे प्रकरणों की जॉच के पश्चात् उचित कार्यवाही करने पर सहमत हुआ (सितम्बर 2008)।

### *बिल निर्माण हेतु बाह्य एजेन्सी द्वारा गलत दावा किया जाना*

**2.4.24** सीएस साफ्टवेयर इण्टरप्राइजेज लिमिटेड, नोएडा द्वारा रखे गये विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–द्वितीय, नोएडा के जनवरी से मई 2007 तक के डाटा बैंक की जॉच में यह पाया गया कि भुगतान हेतु जितने बिल निर्माण का दावा किया गया वह डाटा बैंक मे प्रदर्शित बिलो से ज्यादा था। इसके अतिरिक्त, डाटा बैंक में एनए/एनआर (पॅहुच नही/रीडिंग नही) का कोई मामला नही था परन्तु एजेन्सी ने कम्पनी को प्रस्तुत दावो में ऐसे प्रकरणों को शामिल कर लिया। अवर अभियन्ताओं द्वारा कम्प्यूटरीकृत डाटा बैंक से दावों का सत्यापन किये बिना ही माप पुस्तिकाओं में अभिलिखित किया जा रहा था एवम् निर्मित बिलों की संख्या के लिये एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गए ऑकड़ो को स्वीकार किया जा रहा था।

जनवरी से मार्च 2007 के मध्य (8838 उपभोक्ताओ का अधिक मापन) डाटा बैंक में प्रदर्शित उपभोक्ताओं, सम्बन्धित दावों एवम् भुगतान का विवरण **परिशिष्ट–21** में दर्शाया गया है।

प्रबन्धन ने ऐसे प्रकरणों की जॉच के पश्चात् उचित कदम उठाने पर सहमति दी (सितम्बर 2008)।

उक्त प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2008); उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2008)।

**निष्कर्ष**

**कम्पनी द्वारा किसी अभिलिखित आईटी नीति एवम् सुरक्षा नीति का सृजन नही किया गया। स्वयं के कर्मचारियों द्वारा परिवीक्षण एवम् नियन्त्रण के अभाव मे बिलिंग कार्यों के निमित्त सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का वहिस्त्रोतन अपेक्षित परिणाम देने में असफल रहा। कम्पनी सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों का दोहन एवम् प्रभावी नियंत्रण हेतु बाह्य बिलिंग गतिविधियों की दक्षता में सुधार हेतु अपने कार्मिको की योग्यताओं को विकसित करने मे असफल रही। कम्पनी सभी बाह्य बिलिंग एजेन्सियों के लिये एकरूप ऑकड़ा ढॉचा अपनाने में**

विफल रही। मुख्य नियन्त्रण तंत्र के अभाव में अनुप्रयोग पैकेजो द्वारा अनाधिकृत रिकार्ड स्वीकार किये गए एवम् कम विश्वसनीय परिणाम दिए गए। स्वीकार्यता जॉचो एवम् कार्यक्रम परिर्वतन नियंत्रण क्रियाविधि के अभाव के परिणामस्वरूप गलत बिलिंग हुयी।

## संस्तुतियॉ

- कम्पनी को भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मानचित्रण प्राप्त कर उन्हे डिजीटल माध्यम में सहायित साफ्टवेयरों एवम् डाटा बैंक से लिंक करना चाहिये ताकि संजाल एवम् संयोजित उपभोक्ताओं के सूक्ष्मतम विवरण निर्णय की सहायता के लिये उपलब्ध हों। जीआईएस मानचित्रण को आवधिक रूप से आद्यतन भी करना चाहिये।

- कम्पनी को एकरूप ऑकड़ा ढॉचा अपनाना चाहिये एवम् बिलिंग साफ्टवेयर में मुख्य नियंत्रण तंत्र की स्थापना करनी चाहिये (प्रणाली लॉग सहित) जो अप्रमाणिक एवम् अनाधिकृत ऑकड़ो के प्रवेश पर चेतावनी दे सके।

- कम्पनी को एजेन्सियों द्वारा की गयी गलतियों को रोकने, पहचानने एवम् संशोधन करने हेतु स्वयं के आन्तरिक नियंत्रण एवम् परिवीक्षण तंत्र की स्थापना करनी चाहिये।

## अध्याय – III

## 3. व्यवहारिक लेखा परीक्षा प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य की सरकारी कम्पनियों/निगमों द्वारा किये गये व्यवहारों की नमूना जांच के दौरान पाये गये महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित है।

## सरकारी कम्पनियॉं

## उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

### 3.1 आवासीय भूखण्डों का कम दर पर आवंटन करने के कारण हानि

**आवंटन तिथि पर लागू दर से कम दर पर आवासीय भूखण्डों का आवंटन करने के कारण कम्पनी ने 9.40 करोड़ रुपये की हानि वहन की।**

कम्पनी ने एडवान्स्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम (एआरएस) के अन्तर्गत, भूखण्डों के आवंटन के लिये निर्धारित उपबन्ध एवं शर्तों पर सामान्य जन एवं ट्रोनिका सिटी के आवासीय भूखण्डों के आवंटियों से आवासीय भूखण्डों (360 भूखण्ड) के आवंटन के लिये आवेदन पत्र आमन्त्रित किये (मई 2005)। सामान्य जन के लिये योजना की अवधि 17 मई 2005 से 25 मई 2005 तक खुली थी तथा औद्योगिक भूखण्डों के विद्यमान आवंटियों के लिये यह योजना 24 अक्टूबर 2005 तक बढ़ा दी गई थी। आवंटियों से अपेक्षित था कि वे आवंटन के समय भूखण्ड के प्रीमियम (लागत) का 25 प्रतिशत एवं शेष राशि दस समान अर्द्धवार्षिक किश्तों में भुगतान करें।

कम्पनी ने विज्ञापन के विरूद्ध, सामान्य जन से 175 आवेदन पत्र एवं औद्योगिक भूखण्डों के आवंटियों से 209 आवेदन पत्र प्राप्त किये। आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात भूखण्डों का आवंटन न किये जाने से श्री जे. एल. जैन एवं लक्ष्मण सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिकाएँ दायर करने के कारण, कम्पनी मई 2007 तक आवेदकों को भूखण्डों के आवंटन कार्य को अन्तिम रूप न दे सकी। दोनों याचिकाओं में निर्णय लम्बित है। यद्यपि दोनों याचिकाओं के स्थगनादेश निष्प्रभावी हो गये थे (जनवरी 2007) और इसलिये मई 2005 के उपर्युक्त विज्ञापन के सम्बन्ध में कम्पनी ने, भूखण्डों के आवंटन के लिये पात्रता के उपबन्ध एवं शर्तों के प्रति बिना शर्त स्वीकृति हेतु आवेदकों से शपथपत्र प्राप्त करने का निर्णय लिया (मई 2007)। उपबन्ध एवं शर्तों में, अन्य बातों के साथ–साथ, निहित था कि आवंटन की तिथि पर भूमि की प्रचलित दर ही लागू होगी। तद्नुसार, 16 जून 2007 तक आवेदकों द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये विज्ञापन प्रकाशित किया गया (जून 2007)। इस विज्ञापन के विरूद्ध, सामान्य वर्ग के 165 आवेदकों एवं समस्त 209 विद्यमान आवंटियों ने अपने शपथपत्र प्रस्तुत किये। 374 आवेदन पत्रों के विरूद्ध, कम्पनी ने आवेदकों को 3150 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर 245 आवासीय भूखण्ड (40,020 वर्ग मीटर) आवंटित किये (सितम्बर 2007) तथा शेष 129 आवासीय भूखण्ड राज्य सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखते हुये आवंटित नहीं किये गये।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि कम्पनी ने प्रीमियम की दर 3150 रुपये प्रति वर्ग मीटर से 5500 रुपये प्रति वर्ग मीटर संशोधित की जो कि 19 जून 2007 से प्रभावी थी। कम्पनी ने, विज्ञापन के उपबन्ध एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुये, आवंटन के समय 5500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्रचलित दर के स्थान पर 3150 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 245 भूखण्ड (कुल क्षेत्र 40,020 वर्गमीटर) आवंटित किये (सितम्बर 2007)। परिणामस्वरूप, कम्पनी में 9.40* करोड़ रुपये की हानि वहन की।

---

* 40020 वर्ग मीटर x (5500 रुपये – 3150 रुपये)

प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (सितम्बर 2008) और बताया कि यद्यपि भूखण्डों का आवंटन 5500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से किया जाना चाहिये था परन्तु विधिक जटिलताओं से बचने के लिये आवंटन 3150 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर किया गया। प्रबन्धन ने यह भी बताया कि शेष अन्य भूखण्डों का आवंटन राज्य सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखते हुये रोक दिया गया है तथा प्रकरण में जांच की जा रही है।

प्रकरण प्रबन्धन तथा शासन को मई 2008 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2008)।

## 3.2 अवरूद्ध निधि पर ब्याज की हानि

**उपकेन्द्र के निर्माण के लिये भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना यूपीपीसीएल को धनराशि अवमुक्त करने के कारण 1.69 करोड़ रुपये की कम्पनी की निधि अवरूद्ध रही; जो 60.38 लाख रुपये ब्याज की हानि में भी फलीभूत हुई।**

कम्पनी अपने द्वारा विकसित किये जा रहे औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के लिये अपेक्षित वोल्टेज/विभव का उपकेन्द्र तथा सम्बद्ध लाइनें प्रदान करती है। कम्पनी उपकेन्द्र तथा सम्बद्ध लाइनों के निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) को सौंपती है। कम्पनी से अपेक्षित है कि वह यूपीपीसीएल को उपकेन्द्रों का निर्माण करने के लिये भूमि प्रदान करे।

कम्पनी ने विकास केन्द्र, दिबियापुर के लिये 33 केवी उपकेन्द्रों तथा सम्बद्ध लाइनों के निर्माण की अपनी आवश्यकता यूपीपीसीएल को सूचित की (दिसम्बर 2002)। यूपीपीसीएल ने विकास केन्द्र के लिये 33 केवी उपकेन्द्र तथा सम्बद्ध लाइनों के निर्माण के लिये 1.69 करोड़ रुपये का प्राक्कलन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया (2003)। कम्पनी ने निक्षेप कार्य के आधार पर उक्त निर्माण के लिये यूपीपीसीएल के पास 1.69 करोड़ रुपये जमा किये (फरवरी 2004)।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि भूमि, जिस पर उपकेन्द्र का निर्माण प्रस्तावित था, कम्पनी के अधिकार में नही थी तथा यूपीपीसीएल को अग्रिम दिये जाने के समय विवादित थी। कम्पनी यूपीपीसीएल को भूमि साढ़े तीन से अधिक वर्ष व्यतीत होने के बाद सितम्बर 2007 में ही उपलब्ध करा सकी। इस प्रकार, कम्पनी ने उपकेन्द्र के निर्माण के लिये भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना ही, यूपीपीसीएल को 1.69 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की। फलस्वरूप, कम्पनी की 1.69 करोड़ रुपये की निधि, बिना किसी कार्य के फरवरी 2004 से सितम्बर 2007 तक यूपीपीसीएल के पास अवरूद्ध रही, जिस पर कम्पनी को 60.38 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई (10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ऋण पर ब्याज संगणित)।

प्रकरण प्रबन्धन तथा शासन को मई 2008 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2008)।

## 3.3 निधि की अवरूद्धता पर ब्याज की हानि

**पांच से सात वर्ष के लिय 73.14 लाख रुपये की निधि अवरूद्ध हो जाने पर कम्पनी ने 39.54 लाख रुपये के ब्याज की हानि वहन की।**

शासन द्वारा स्वीकृत होने की शर्त पर, कम्पनी के निदेशक मण्डल ने 11.10 करोड़ रुपये की लागत पर (लागत का 40 प्रतिशत यूपीएसआईडीसी द्वारा वित्त पोषण तथा 60 प्रतिशत वित्तीय संस्थाओं से ऋण द्वारा किया जाना था) उत्तर प्रदेश–बिहार सीमा पर स्थित नौबतपुर में एक इन्टीग्रेटेड इलेक्ट्रानिक चेक पोस्ट (योजना) की स्थापना

करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया (जून 2001)। कम्पनी ने योजना के क्रियान्वयन के लिये 12.52 करोड़ रुपये का संशोधित विस्तृत योजना प्रतिवेदन स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया जिस पर व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा विचार किया गया (दिसम्बर 2003)। ईएफसी ने निर्णय किया (फरवरी 2004) कि योजना प्रतिवेदन/योजना लागत को संबंधित विभागों (परिवहन एवं व्यापार कर विभाग) द्वारा संशोधित ले–आउट की स्वीकृति के पश्चात अन्तिम रूप दिया जायेगा। तथापि, निदेशक मण्डल ने समय–समय पर प्राप्त शासन के निर्देशों के आधार पर योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिये प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया (फरवरी 2004)।

लेखा परीक्षा में देखा कि ईएफसी / राज्य सरकार की स्वीकृति लिये बिना कम्पनी ने मई 2001 में स्वयं भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी। बरथी कमरौर गांव में 18.36 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने के लिये, कम्पनी ने विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ) वाराणसी को 73.14 लाख रुपये दो किश्तों में (मई 2001 में 16.25 लाख रुपये तथा मार्च 2003 में 56.89 लाख रुपये) भुगतान किये। साथ ही, यह अवलोकित किया गया कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया (अगस्त 2004) कि इलेक्ट्रानिक चेक पोस्ट के कम्प्यूटरीकरण कार्य के क्रियान्वयन एवं परिचालन हेतु कम्पनी उचित निकाय नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में कम्पनी के पास अपेक्षित दक्षता एवं विशेषज्ञता नहीं हैं तथा उपरोक्त कार्य के लिये बीओटी आधार पर इच्छुक निजी संस्थाओं से अभिव्यक्ति प्राप्त करने का निर्णय लिया। तद्नुसार, निदेशक मण्डल ने उक्त योजना को क्रियान्वित न करने का निर्णय लिया (अप्रैल 2005) तथा प्रबन्ध निदेशक को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के निरस्तीकरण के लिये अधिकृत किया। कम्पनी ने भूमि अधिग्रहण के लिये जमा की गयी धनराशि की वापसी के लिये जिला मजिस्ट्रेट, चनौली से अनुरोध किया (मार्च 2006 से नवम्बर 2007) लेकिन उक्त राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई है (जुलाई 2008)।

इस प्रकार, योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार की विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही मई 2001 में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का प्रबन्धन का अविवेकपूर्ण निर्णय पिछले पांच से सात वर्षों तक 73.14 लाख रुपये की निधि की अवरूद्धता में फलीभूत हुआ जिसके परिणामस्वरूप 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की ऋण दर पर 39.54 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई (मार्च 2008)।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2008) कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया, मार्च 2001 में परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई सभा के आधार पर प्रारंभ की गयी थी। तथ्य यह रह जाता है कि कम्पनी ने योजना को प्रदान करने के सम्बन्ध में, राज्य सरकार की किसी दृढ़ वचनबद्धता के बिना भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की।

प्रकरण मई 2008 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2008)।

## 3.4 कम दरों पर भूखण्डों का अनियमित आवंटन

**वाणिज्यिक भूखण्डों का औद्योगिक भूखण्डों के रूप में कम दर पर अनियमित आवंटन करने के कारण कम्पनी ने 26.86 लाख रुपये की हानि वहन की।**

औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये भूमि अधिग्रहण करने के पश्चात, कम्पनी विभिन्न उद्देश्यों के लिये आवंटित किये जाने वाले क्षेत्रों को विशिष्टीकृत करने वाले ले–आउट प्लान तैयार करती है। कम्पनी ने, 16.88 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र में से 0.42 हेक्टेयर भूमि वाणिज्यिक भूखण्डों (नौ भूखण्ड) के रूप में आरक्षित करते हुये, ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद के सेक्टर बी–2 का ले–आउट प्लान स्वीकृत किया (दिसम्बर 2000)। कम्पनी ने निर्णय लिया (मार्च 2004) कि ट्रोनिका सिटी के सेक्टर बी–2 में बोली आमन्त्रित करके निपटारा किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों का आरक्षित मूल्य 3,000

रुपये प्रति वर्ग मीटर होना चाहिये। औद्योगिक भूखण्डों की दर 1750 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गयी। इसके अतिरिक्त, भूखण्डों की अवस्थिति के आधार पर अवस्थिति के लिये पांच प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी प्रभारित किया जाना था तथा किनारे के भूखण्डों के लिये पांच प्रतिशत अतिरिक्त प्रभारण किया जाना था।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि परियोजना अधिकारी, ट्रोनिका सिटी ने पॉच वाणिज्यिक भूखण्ड (माप 1941 वर्ग मीटर) 1837 रुपये प्रति वर्ग मीटर (1750 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा पांच प्रतिशत अवस्थिति शुल्क) तथा एक भूखण्ड (400 वर्ग मीटर) 1925 रुपये प्रति वर्ग मीटर (1750 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा अवस्थिति एवं किनारे के लिये 10 प्रतिशत शुल्क) की दर से औद्योगिक भूखण्डों के रूप में आवंटित किये (अक्टूबर 2005 से दिसम्बर 2005)। इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि परियोजना अधिकारी ने भूमि के उपयोग अर्थात् वाणिज्यिक से औद्योगिक में परिवर्तन के लिये सक्षम अधिकारी (मुख्यालय) की स्वीकृति प्राप्त नहीं की। इस प्रकार, परियोजना अधिकारी ने वाणिज्यिक भूखण्डों के लिये निर्धारित न्यूनतम दर 3,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के विरूद्ध नीची दर (1837 रुपये/1925 रुपये प्रति वर्ग मीटर) पर भूमि आवंटित की। फलस्वरूप, कम्पनी ने वाणिज्यिक भूखण्डों के न्यूनतम आरक्षित मूल्य 3,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की तुलना में 26.86 लाख रुपये की हानि वहन की।

प्रकरण अप्रैल 2008 में प्रबन्धन तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2008)।

## 3.5 भूखण्डों के अनियमित आवंटन के कारण हानि

**कम्पनी ने 2164.50 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि अनियमित रूप से आवंटित की जिसके फलस्वरूप 12.99 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।**

कम्पनी की कार्यविधि नियमावली (1995) के प्रस्तर 2.08(i) के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, अब उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) को उनके अनुरोध पर औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के लिये 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र हेतु 6000 वर्ग मीटर तथा 132/33 केवी विद्युत उपकेन्द्रों हेतु 12,000 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड का आवंटन निशुल्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यूपीपीसीएल द्वारा सामान्य दर से भूमि की लागत (प्रीमियम) का भुगतान करने पर, कम्पनी 6000 वर्ग मीटर एवं 12,000 वर्ग मीटर की निर्धारित सीमा से अधिक भूमि का आवंटन कर सकती है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीएसआईडीसी, मेरठ (इकाई) की लेखा परीक्षा में देखा गया कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, यूपीपीसीएल, सहारनपुर के अनुरोध पर (जुलाई 2007), कम्पनी ने 132 केवी विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण के लिये पिलखनी (सहारनपुर) के औद्योगिक क्षेत्र में 14,164.50 वर्ग मीटर भूमि (प्लाट संख्या 1–ए) निशुल्क आवंटित की (अगस्त 2007)। नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी 132/33 केवी विद्युत उपकेन्द्र हेतु 12,000 वर्ग मीटर तक भूखण्ड निशुल्क आवंटित कर सकती है परन्तु इन प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये, कम्पनी ने यूपीपीसीएल को 14,164.50 वर्ग मीटर भूमि निशुल्क आवंटित की जो 2,164.50 वर्ग मीटर अधिक थी। इस प्रकार, अधिक भूमि की लागत 12.99 लाख रुपये (2164.50 वर्ग मीटर x 600 रुपये प्रति वर्ग मीटर) यूपीपीसीएल से वसूल की जानी थी परन्तु यह अभी तक वसूल नहीं की गई है (जुलाई 2008)। इसके परिणामस्वरूप यूपीपीसीएल को आवंटित अधिक भूमि की लागत की वसूली न करने के कारण कम्पनी को 12.99 लाख रुपये की हानि हुई।

इकाई प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2007) कि 132 केवी उपकेन्द्र हेतु 14164.50 वर्ग मीटर भूमि कम्पनी के मुख्यालय द्वारा स्वीकृत की गई थी। उत्तर कार्यविधि नियमावली

के प्रावधानों के उल्लंघन में अधिक भूमि का निशुल्क आवंटन करने के तथ्य के सम्बन्ध में मौन है।

प्रकरण प्रबन्धन तथा शासन को मई 2008 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2008)।

## उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड

### 3.6 प्राक्कलित लागत से कम पर निक्षेप कार्य को स्वीकृत किये जाने से हानि

**प्राक्कलित लागत से कम पर निक्षेप कार्य स्वीकृत किये जाने के कारण कम्पनी ने 18.66 लाख रुपये की हानि वहन की।**

राज्य सरकार ने 'त्वरित आर्थिक विकास योजना' (टीएवीवाई) के अन्तर्गत लखनऊ जिले निगोहा में वाक नाला के ऊपर सेतु के निर्माण के लिये 54.56 लाख रुपये एवं धरौरा गांव के निकट नाले के ऊपर सेतु का निर्माण करने के लिये 58.43 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की (अगस्त 2005)। स्वीकृति आदेश के अनुसार, सेतुओं पर व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जाना था तथा कम्पनी से अपेक्षित था कि वह कार्य को आरम्भ करने से पूर्व विस्तृत सर्वेक्षण कराये। शासन ने क्रमशः अप्रैल 2006 से मार्च 2007 के दौरान दोनों कार्यों हेतु क्रमशः 54.56 लाख रुपये एवं 58.43 लाख रुपये अवमुक्त किये। इसके अतिरिक्त, शासन ने कम्पनी को कार्यों के लिये अवमुक्त निधि से उपयोगिता स्तर तक कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश (जून 2007) दिये।

सेतु निर्माण इकाई–II (इकाई), लखनऊ की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया कि इकाई द्वारा कम्पनी के मुख्यालय को कार्य के लिये विस्तृत प्राक्कलन, 102.53 लाख रुपये (वाक नाला) एवं 75.80 लाख रुपये (धरौरा सेतु) हेतु प्रस्तुत किये गये (जुलाई 2006)। इसके अतिरिक्त यह अवलोकित किया गया कि अनुमोदन प्रदान करते समय कम्पनी के सक्षम प्राधिकारी ने कार्य की लागत कम कर दी तथा अगस्त 2006 में 54.56 लाख रुपये (वाक नाला सेतु) तथा 58.43 लाख रुपये (धरौरा सेतु) की तकनीकी स्वीकृति निर्गत की। इकाई ने कार्य प्रारंभ (मई 2006) किया तथा 102.17 लाख रुपये का व्यय करने के पश्चात वाक नाला सेतु का कार्य पूर्ण किया (अगस्त 2007) तथा धरौरा नाला का कार्य आरंभ किया गया (अप्रैल 2006) एवं 89.48 लाख रुपये का व्यय करने के पश्चात पूर्ण हुआ (अक्टूबर 2007)।

इस प्रकार, निधि तक व्यय को प्रतिबन्धित करने के जून 2007 के शासन के निर्देशों के उल्लंघन में तथा साथ ही साथ तकनीकी स्वीकृति के विपरीत, कम्पनी ने वाक नाला सेतु के निर्माण पर 47.61 लाख रुपये तथा धरौरा नाला सेतु के निर्माण पर 31.05 लाख रुपये अधिक व्यय किये।

प्राक्कलित लागत से कम पर निक्षेप कार्य स्वीकार करने के कारण, कम्पनी ने प्रक्रिया में 78.66 लाख रुपये की हानि वहन की तथा उद्देश्य के लिये अवमुक्त की गयी निधि तक व्यय को सीमित रखने के शासन के निर्देशों का उल्लंघन किया।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2008) कि उपरोक्त कार्यों के सम्बन्ध में अधिक व्यय की स्वीकृति तथा उसके भुगतान के लिये फार्म–44 एवं फार्म–45 10 जून 2008 को मुख्य अभियन्ता पीडब्ल्यूडी को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिये गये हैं। तथापि, तथ्य यह है कि कार्यों की प्राक्कलित लागत स्वीकृत लागत से बहुत अधिक थी तथा कम्पनी द्वारा कार्य आरंभ करने से पूर्व इसे शासन से स्वीकृत कराया जाना चाहिये था।

प्रकरण अप्रैल 2008 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2008)।

## उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड

### 3.7 विद्युत पर परिहार्य व्यय

**डीजी सेट्स के माध्यम से विद्युत उत्पादन की तुलनात्मक लागत विश्लेषण करने तथा ग्रिड से सस्ती विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने में प्रबन्धन की असफलता के परिणामस्वरूप 35.79 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।**

कम्पनी की बुलंदशहर चीनी मिल (मिल) के पास विद्युत के तीन स्रोत थे अर्थात् (i) विद्युत वितरण कम्पनी की ग्रिड से उपलब्ध विद्युत (550 केवीए औद्योगिक विद्युत तथा 200 केवीए प्रकाश एवं पंखा), (ii) डी जी सेट (300 केवीए का एक सेट तथा 320 केवीए के दो सेट) तथा (iii) 1996–97 में प्रतिस्थापित स्वजनित विद्युत संयन्त्र (2578 केवीए का एक टरबाइन)।

पेराई सत्र (सामान्यतः नवम्बर से मार्च) के दौरान मिल एवं नगर क्षेत्र की विद्युत आवश्यकता, स्वजनित विद्युत संयन्त्र से पूरी की जा रही थी और गैर मौसमी सत्र के दौरान विद्युत आवश्यकता की पूर्ति ग्रिड (यूपीपीसीएल) से आपूर्तित विद्युत से की जा रही थी। ग्रिड से मिल को विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर डीजी सेट का प्रयोग किया जा रहा था। विद्युत आपूर्ति में अनिश्चितता, प्रायः विद्युत केन्द्र पर होने वाली खराबी तथा सत्र के दौरान स्वजनित विद्युत संयन्त्र होने के कारण ग्रिड की विद्युत प्रयोग न करने के आधार पर कम्पनी ने ग्रिड से विद्युत संयोजन समर्पित कर दिया (अगस्त 1999)। विद्युत संयोजन के समर्पण के पश्चात, मिल ने डीजी सेट का प्रयोग मुख्यतः गैर मौसमी सत्र के दौरान विद्युत उत्पादन के लिये किया।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2004–05 तक डीजी सेट के माध्यम से विद्युत उत्पादन की लागत, ग्रिड से आपूर्तित विद्युत से थोड़ी कम थी। तथापि वर्ष 2005–06 से डीजल की कीमत में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण, डीजी सेट के माध्यम से विद्युत उत्पादन की लागत वर्ष 2005–06 के दौरान 7.67 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच एवं वर्ष 2006–07 के दौरान 8.44 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच तक बढ़ी जबकि ग्रिड से प्राप्त विद्युत की लागत, वर्ष 2005–06 के दौरान 4.91 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच एवं वर्ष 2006–07 के दौरान 5.04 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच थी। वर्ष 2005–06 से डीजी सेट के माध्यम से विद्युत उत्पादन की लागत बढ़ने के बावजूद कम्पनी ने ग्रिड से विद्युत का चुनाव नहीं किया एवं केवल डीजी सेट के माध्यम से विद्युत प्राप्त करती रही। फलस्वरूप, कम्पनी ने वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के दौरान डीजी सेट का उपयोग जारी रखने पर 35.79 लाख रुपये का परिहार्य व्यय किया।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2008) कि ग्रिड से संयोजन न लेकर तथा गैर मौसमी सत्र के दौरान ग्रिड आपूर्ति उपलब्ध न होने पर सात महीने तक औसतन सात घंटे प्रतिदिन केवल डीजी सेट का परिचालन करके कम्पनी ने 11.15 लाख रुपये की बचत की है। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि डीजी सेट के माध्यम से उत्पादन लागत में वृद्धि के बावजूद प्रबन्धन ने ग्रिड से विद्युत का चुनाव नहीं किया तथा 35.79 लाख रुपये का परिहार्य व्यय किया जोकि वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के दौरान 18 घंटे प्रतिदिन की दर से विद्युत आपूर्ति मानकर डीजी सेट के माध्यम से विद्युत उत्पादन की लागत एवं ग्रिड से विद्युत की लागत का अन्तर है। इसके अतिरिक्त ग्रिड से विद्युत संयोजन का समपर्ण करने के लिए विद्युत आपूर्ति में अनिश्चितता, प्रायः होने वाली खराबी इत्यादि के तर्क भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ग्रिड से प्राप्त विद्युत गैर मौसमी सत्र के दौरान नगर क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये थी, न कि उत्पादन उद्देश्यों के लिये।

प्रकरण मई 2008 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2008)।

## उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड

### 3.8 अव्यावहारिक इकाई के आधुनिकीकरण पर अलाभकारी व्यय

**कम्पनी ने रामपुर चीनी मिल के आधुनिकीकरण पर 2.60 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय किया तथा 10.20 करोड़ रुपये के वसूल नहीं किये गये अग्रिमों पर, 0.69 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि वहन की।**

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के कम्पनी की 10 बन्द इकाइयों तथा 8 अव्यावहारिक इकाइयों को उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड (यूपीएस एससीएल) की एक सहायक कम्पनी को हस्तान्तरित करने एवं इनका एक चरणबद्ध तरीके से निजीकरण करने हेतु संस्तुति दी (जुलाई 2001)। तद्नुसार सभी बन्द/अव्यावहारिक इकाइयों का अधिग्रहण करने एवं उनका निजीकरण करने के लिये उ0 प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड (यूपीआरसीईजीवीएनएल) का समामेलन मई 2002 में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी के रूप में किया गया। सभी 18 बन्द/अव्यावहारिक इकाइयों को नई सृजित कम्पनी को हस्तान्तरित कर दिया गया। 2200 टीसीडी (पेराई प्रतिदिन टन में) क्षमता वाली रामपुर मिल 10 बन्द इकाइयों में से एक थी तथा नवम्बर 1999 से गैर क्रियान्वित थी।

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने यूपीएसएससीएल एवं यूपीआरसीईजीवीएनएल हेतु संशोधित पुनर्वसन पैकेज, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली (बीआईएफआर द्वारा नियुक्त क्रियान्वयन एजेन्सी) को प्रस्तुत किया (दिसम्बर 2003) जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित था कि चीनी उद्योग के वर्तमान परिवेश के अन्तर्गत, 5000 टीसीडी से कम क्षमता वाली मिलें, व्यावहारिक/लाभकारी नहीं थी। राज्य सरकार के अनुरोध पर कम्पनी ने रामपुर मिल को 2500 टीसीडी क्षमता पर आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया (दिसम्बर 2005) जो कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्धारण के अनुसार व्यवहारिक नहीं था। आधुनिकीकरण योजना पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (फरवरी 2006) तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा (जून 2006) 61.51 करोड़ रुपये की लागत पर 2500 टीसीडी हेतु स्वीकृत की गई (जून 2006) जिसकी 50:50 के अनुपात में समता अंश पूँजी एवं ऋण के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्त व्यवस्था की जानी थी। राज्य सरकार ने 11.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 12.50 करोड़ रुपये ऋण के रूप में अवमुक्त किये (नवम्बर 2006)।

लेखा परीक्षा में देखा गया (नवम्बर 2007) कि कम्पनी ने आधुनिकीकरण कार्य नवम्बर 2006 में प्रारम्भ किया तथा जून 2007 तक 13.51 करोड़ रुपये (मशीन आपूर्तिकर्ता को 10.55 करोड़ रुपये तथा सिविल ठेकेदार को अग्रिम 0.36 करोड़ रुपये सम्मिलित करते हुये) व्यय किये। मशीन आपूर्तिकर्ता को अग्रिम के विरूद्ध, निगम 10.55 करोड़ रुपये की बैंक गारण्टी धारित करता है, जो दिसम्बर 2008 तक वैध है तथा सिविल ठेकेदार को अग्रिमों के विरूद्ध 0.36 करोड़ रुपये की बैंक गारण्टी फरवरी 2009 तक वैध है। तथापि, कम्पनी ने अब तक (जून 2008), सिविल कार्यों/मशीन की आपूर्ति के अनुबन्धों के निरस्तीकरण तथा बैंक गारण्टी के नकदीकरण द्वारा 10.20 करोड़ रुपये* के अग्रिम की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जिसके कारण कम्पनी की निधि अवरूद्ध थी। राज्य सरकार ने कम्पनी की बीमार इकाइयों के निजीकरण/विक्रय का निर्णय लिया (जून 2007) और तद्नुसार, निदेशक मण्डल ने शासन के निर्णय को ध्यान में रखते हुये, आगे से रामपुर मिल में निवेश न करने का निर्णय लिया (जून 2007)। परिणामस्वरूप जून 2007 तक रामपुर चीनी मिल के आधुनिकीकरण पर हुआ 2.60 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी हो गया तथा कम्पनी ने जुलाई 2007 से

* 10.55 करोड़ रुपये के अग्रिम से मशीनरी आपूर्ति हेतु समायोजित 0.62 करोड़ रुपये घटाकर तथा 0.36 करोड़ रुपये के अग्रिम से किये कार्य की लागत हेतु समायोजित 0.09 करोड़ रुपये घटाकर ।

ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के पास अवरूद्ध 10.20 करोड़ रुपये के अग्रिम पर 0.69 करोड़ रुपये की ब्याज हानि (जुलाई 2007 से मार्च 2008 तक 10.20 करोड़ रुपये पर 9 प्रतिशत* वार्षिक की दर से) वहन की। रामपुर चीनी मिल के आधुनिकीकरण पर व्यय से बचा जा सकता था यदि योजना की स्वीकृति के समय राज्य सरकार/बीआईएफआर की अनुशंसाओं को ध्यान में रखा गया होता।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2008) कि रामपुर मिल के आधुनिकीकरण एवं परिचालन से संबंधित निर्णय शासन के संज्ञान में लाया गया था तथा सभी कार्य राज्य सरकार के निर्देश पर क्रियान्वित किये गये थे। प्रबन्धन का उत्तर तार्किक नहीं है क्योंकि राज्य सरकार के निर्धारण को ध्यान में रखते हुये रामपुर मिल के आधुनिकीकरण कार्य का क्रियान्वयन आरम्भ से ही अव्यावहारिक था तथा बन्द/अव्यावहारिक चीनी मिलों के आधुनिकीकरण से संबंधित बीआईएफआर के दिशा–निर्देश (जुलाई 2001) के भी विरूद्ध था।

प्रकरण, अप्रैल 2008 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2008)।

## उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड

### 3.9 मक्का चक्की संयन्त्र पर हानि

**मक्का चक्की संयन्त्र के परिचालन हेतु कार्यशील पूँजी एवं उपयुक्त स्टाफ की व्यवस्था के दोषपूर्ण नियोजन के कारण, कम्पनी को 18.04 लाख रुपये की हानि हुई।**

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के अन्तगत उत्तर प्रदेश में मक्का चक्की संयन्त्र को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा तथा संयन्त्र की स्थापना के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल की स्वीकृति प्राप्ति करने हेतु कम्पनी को निर्देश दिया (जनवरी 2002)। मण्डल ने, गोरखपुर में संयन्त्र की स्थापना की स्वीकृत दी (मार्च 2002)। संयन्त्र की स्थापना, प्रतिफल दायक खेती का वृहद प्रचार करने तथा मक्का के प्रयोग तथा उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से की गई थी। परियोजना की प्राक्कलित लागत 91.16 लाख रुपये थी। इसमें से, कम्पनी को 54.11 लाख रुपये भूमि, भवन एवं कार्यशील पूँजी पर व्यय करने थे तथा भारत सरकार को 37.05 लाख रुपये मूल्य के संयन्त्र एवं मशीनरी उपलब्ध करानी थी।

भारत सरकार ने कम्पनी को संयन्त्र एवं मशीनरी उपलब्ध करायी तथा अप्रैल 2005 से इसका परिचालन प्रारम्भ करने का निर्देश दिया। संयन्त्र की स्थापना एवं परिचालन हेतु 43.32 लाख रुपये के ऋण के लिये कम्पनी राज्य सरकार के कृषि विभाग के पास गई (मई 2004) लेकिन राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया (जुलाई 2004) क्योंकि कम्पनी ने परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता पर कोई अध्ययन नहीं किया था। कम्पनी ने 6.35 लाख रुपये का व्यय करके अपने पशु आहार कारखाना, गोरखपुर के परिसर में मशीन एवं संयन्त्र स्थापित किये (नवम्बर 2005) तथा इसके अतिरिक्त विद्युत संयोजन/देयों पर 11.69 लाख रुपये का व्यय किया (2004–08)।

लेखा परीक्षा में देखा गया (अप्रैल 2008) कि आधारभूत सुविधायें तथा निधि की उपलब्धता को सुनिश्चित किये बिना मशीनरी एवं संयन्त्र की स्थापना आरम्भ की। परिणामस्वरूप कार्यशील पूँजी तथा तकनीकी एवं प्रबन्धकीय कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण कम्पनी संयन्त्र से वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ नहीं कर सकी। विद्युत देयों का भुगतान न किये जाने के कारण, अक्टूबर 2007 में विद्युत संयोजन विच्छेदित कर

* बैंकों द्वारा सावधि जमा पर प्रदान की जाने वाली ब्याज दर ।

दिया गया। इस प्रकार, कार्यशील पूँजी आवश्यकता तथा उपयुक्त तकनीकी एवं प्रबन्धकीय कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु पर्याप्त व्यवस्था करने में असफलता के कारण, संयन्त्र वाणिज्यिक रूप से परिचालित नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, योजना के उद्देश्य पूर्ण नहीं किये जा सके। फलस्वरूप, कम्पनी को सिविल कार्यों (6.35 लाख रुपये) तथा विद्युत शुल्क (11.69 लाख रुपये) के कारण 18.04 लाख रुपये की हानि हुई। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा आपूर्तित 37.05 लाख रुपये मूल्य की मशीनरी एवं संयन्त्र भी पिछले तीन वर्षों से अप्रयुक्त रहे।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2008), मशीनरी एवं संयन्त्र की स्थापना पर व्यय निदेशक मण्डल की स्वीकृति के पश्चात किया गया। प्रबंधन ने इसके अतिरिक्त बताया कि व्यय की प्रतिपूर्ति एवं शेष कार्यों के लिये निधि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कई पत्र राज्य सरकार को प्रेषित किये गये। वर्तमान में प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है तथा निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश को अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 43.32 लाख रुपये के ऋण से संबंधित प्रस्ताव कृषि विभाग द्वारा इस आधार पर पहले ही निरस्त कर दिया गया था (जुलाई 2004) कि कम्पनी ने परियोजना का आर्थिक व्यवहार्यता पर कोई अध्ययन नहीं किया था।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2008); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2008)।

## विद्युत वितरण कम्पनियॉं

## पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

### 3.10 दाण्डिक प्रभारों का अनारोपण

**अनुबन्धित मांग से आधिक्य पर प्रभारों के अनारोपण के कारण कम्पनी द्वारा 23.92 लाख रुपये का राजस्व वसूली नहीं किया गया।**

1 दिसम्बर 2004 से प्रभावी, दर सूची एच वी–4 श्रेणी का खण्ड 9 (ii), जो 100 बीएचपी (75 किलोवाट) से ज्यादा भार वाले मध्यम एवं बड़े पम्प कैनालों पर लागू हैं, उपबन्धित करता है कि यदि टी.वी.एम./एम.डी.आई./टी.ओ.डी• मीटर वाले उपभोक्ताओं की अधिकतम मांग किसी माह में अनुबन्धित मांग से ज्यादा हो तो ऐसी आधिक्य मांग सामान्य दर के दोगुना से प्रभारित की जायेगी। पुनः यह उपबन्धित करता है कि अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति के विच्छेदन सहित किसी अन्य उचित कार्यवाही का अधिकार होगा जो उपभोक्ता को, अनुबन्धित मांग से ज्यादा उपभोग को रोकने के लिये आवश्यक समझी जाए।

विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय, मऊ (खण्ड) में यह देखा गया (जुलाई 2007) कि एक उपभोक्ता (अधिशासी अभियन्ता, लिफ्ट इरिगेशन डिवीजन, दोहरीघाट पम्प कैनाल प्रथम एवं द्वितीय चरण) जिसके दो संयोजनों के अनुबन्धित मांग क्रमशः 3089 केवीए (प्रथम चरण) तथा 2019 केवीए (द्वितीय चरण) थे, 11 केवी से आपूर्ति प्राप्त कर रहा था। उपभोक्ता की वास्तविक अधिकतम मांग उसके अनुबन्धित भार से ज्यादा रही जो जून 2006 से जून 2007 की अवधि के दौरान 3103.20 केवीए से 3811.20 केवीए के बीच एवं अप्रैल 2006 से फरवरी 2007 के दौरान 2511 केवीए से 3691 केवीए के बीच क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिये थी। परन्तु, न तो उक्त अविध में, अनुबन्धित भार से 6645.60 केवीए ज्यादा मांग के लिए उपभोक्ता पर सामान्य दर के दोगुने के

• ट्राई वेक्टर मीटर/अधिकतम मांग निर्देशक/टाईम ऑफ डे

आधार पर संगणित रुपये 23.92 लाख प्रभारित किया गया न ही उसकी विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन किया गया ताकि उसे अनुबन्धित भार से आधिक्य उपभोग से रोका जा सके। इस प्रकार, अनुबन्धित मांग से आधिक्य पर प्रभारों के अनारोपण से 23.92 लाख रुपये राजस्व वसूल नहीं किया जा सका।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर यद्यपि खण्डीय अधिकारी ने 23.92 लाख रुपये के बिल निर्गत किये (अक्टूबर 2007) परन्तु अभी तक (जून 2008) इस राशि की वसूली नहीं की जा सकी है।

प्रकरण, शासन एवं प्रबन्धन को मार्च 2008 में प्रतिवेदित किया गया, जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2008)।

## 3.11 उपभोक्ता को अनुचित लाभ

**दोषपूर्ण मीटर वाले उपभोक्ता की बिलिंग, पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग के आधार पर न करने से कम्पनी को 21.66 लाख रुपये हानि हुई।**

उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 (संहिता) का खण्ड 6.2 जो मीटर रीडिंग न होने पर बिलों के निर्गमन से संबंधित है, यह उपबन्धित करता है कि उन सभी दशाओं में जो तत्काल बिलिंग तंत्र से आच्छादित नहीं है, यदि अनुज्ञप्तिधारी मीटर रीडिंग में असमर्थ है तब पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग के आधार पर एक तदर्थ बिल जारी किया जा सकेगा। 1 दिसम्बर 2004 से प्रभावी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की बड़े एवं भारी उपभोक्ताओं को लागू दर सूची एच वी–2 भी यह उपबन्धित करती है कि इन दशाओं में जब किसी उपभोक्ता का मीटर दोषपूर्ण पाया जाय तब उपभोक्ता की बिलिंग पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग के आधार पर की जायेगी। इस विधि का पालन तब तक किया जायेगा जब तक मीटर की मरम्मत/प्रतिस्थापन न हो जाये एवं तब मीटरिंग वास्तविक उपभोग के आधार पर होगी। पुनः यह उपबन्धित करता है कि यदि टी.वी.एम./एम.डी.आई./टी.ओ.डी.* मीटर वाले उपभोक्ताओं की अधिकतम मांग किसी माह में अनुबन्धित मांग से ज्यादा हो तो ऐसी आधिक्य मांग सामान्य दर के दोगुने दर से प्रभारित की जायेगी

विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, बस्ती (खण्ड) की लेखा परीक्षा में यह देखा गया (दिसम्बर 2007) कि बस्ती शुगर मिल (बीएसएम) अब गोविन्दनगर शुगर मिल, वाल्टरगंज, बस्ती (एचवी–2 उपभोक्ता) जिसका अनुबन्धित भार 278 केवीए था का 8 दिसम्बर 2006 से 7 सितम्बर 2007 की अवधि के लिये खण्ड द्वारा मीटर रीडिंग नहीं लिया जा सका क्योंकि मीटर रीडिंग कक्ष गन्ना खोई से भरा हुआ था। उपभोक्ता का मीटर, जांच एवं वितरण खण्ड की एक टीम द्वारा खराब पाया गया (8 सितम्बर 2007) जिसे उसी दिन एक नये मीटर से बदल दिया गया। तथापि, खण्ड ने पिछले तीन बिलिंग चक्रों (सितम्बर 2006, अक्टूबर 2006 एवं नवम्बर 2006) के औसत उपभोग के आधार पर 60140 केवीएएच तथा 441 केवीए औसत मांग के लिये 32.29 लाख रुपये (विद्युत प्रभार : 19.87 लाख रुपये, मांग प्रभार : 7.14 लाख रुपये तथा आधिक्य मांग प्रभार 5.28 लाख रुपये) की बिलिंग करने के बजाय, उपभोक्ता की बिलिंग दिसम्बर 2006 से अगस्त 2007 के लिये न्यूनतम प्रभार आधार (425 रुपये प्रति केवीए प्रति माह) पर 10.63 लाख रुपये की। इस प्रकार, उक्त वर्णित संहिता एवं दर सूची के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण कम्पनी को दिसम्बर 2006 से अगस्त 2007 की अवधि में 21.66 लाख रुपये (32.29 लाख रुपये–10.63 लाख रुपये) की हानि हुई।

---

* ट्राई वेक्टर मीटर/अधिकतम मांग निर्देशक/टाईम ऑफ डे

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर, खण्डीय अधिकारी ने उपभोक्ता के विरुद्ध पूरक बिल निर्गत किया (जनवरी 2008) एवं पुनः उत्तर प्रदेश सरकारी उपक्रम (देयों की वसूली) अधिनियम 1958 की धारा 3 के अधीन मांग पत्र जारी किया जिसके विरूद्ध उपभोक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली (अप्रैल 2008) और प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख विचाराधीन है।

प्रकरण, शासन एवं प्रबन्धन को अप्रैल 2008 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2008)।

## 3.12 टैरिफ का गलत प्रयोग

**अल्प निर्धारण के कारण कम्पनी को 11.21 लाख रुपये की राजस्व हानि उठानी पड़ी।**

13 अगस्त 2007 से प्रभावी, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी वर्ष 2006–07 के लिये रिटेल टैरिफ के सामान्य प्रावधान का वाक्यांश 5 उपबन्धित करता है कि एलएमवी –1 श्रेणी के उपभोक्ताओं को छोड़कर, अन्य सभी उपभोक्ता जिनका संयोजित भार 75 केडब्ल्यू से ज्यादा है तथा जो 11 केवी या ज्यादा वोल्टेज से आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं, को एचवी–2 दर सूची के अधीन बिल किया जायेगा। इस टैरिफ आदेश को लागू करने के लिये अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं (एलएमवी–1 को छोड़कर) जिनका अनुबन्धित भार 75 केडब्ल्यू से ज्यादा है के लिये टाइम आफ डे (टीओडी)* मीटर की स्थापना सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित किया गया है।

नगरीय विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय, गोरखपुर (खण्ड) में यह देखा गया कि सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.), जिसका अनुबन्धित भार 1500 केवीए (1350 केडब्ल्यू) था एवं जो 11 केवी वोल्टेज पर आपूर्ति प्राप्त कर रहा था, को दर सूची एलएमवी–4ए के अधीन विद्युत प्रभारों (3.25 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच) तथा स्थायी प्रभारों (75 रुपये प्रति केडब्ल्यू प्रति माह) के लिये बिल किया जा रहा था। 13 अगस्त 2007 से प्रभावी नये दर प्रावधानों के अनुसार, उपभोक्ता की उसके टीओडी उपभोग के लिये एचवी–2 श्रेणी में, विद्युत प्रभारों के लिये घंटा आधारित टैरिफ (06.00 बजे से 17.00 बजे के दौरान 3.50 रुपये प्रति केवीएएच की दर से, 17.00 बजे से 22.00 बजे के दौरान 4.025 रुपये प्रति केवीएएच की दर से तथा 22.00 बजे से 06.00 बजे के दौरान 3.328 रुपये प्रति केवीएएच की दर से) के साथ मांग प्रभारों (180 रुपये प्रति केवीए प्रति माह की दर से) की बिलिंग 13 अगस्त 2007 से ही अपेक्षित थी क्योंकि उपभोक्ता के भवन में टी ओ डी मीटर, पहले से ही स्थापित थे (12 मार्च 2006)। खण्ड ने टैरिफ के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उपभोक्ता की बिलिंग 13 अगस्त 2007 से 31 अक्टूबर 2007 की अवधि के लिये बिलिंग एचवी–2 श्रेणी के बजाय एलएमवी–4ए श्रेणी में ही जारी रखी जिसके फलस्वरूप 11.21 लाख रुपये की कम बिलिंग हुई। इस प्रकार गलत टैरिफ के प्रयोग के कारण उपभोक्ता को 11.21 लाख रुपये अल्प निर्धारण हुआ। हालांकि, नवम्बर 2007 के बाद से उपभोक्ता की बिलिंग एचवी–2 दर सूची के अधीन सही की गयी।

उत्तर में खण्डीय अधिकारी ने बताया (जून 2008) कि एचवी–2 एवं एलएमवी–4ए टैरिफ के मध्य अन्तर का बिल निर्गत किया गया है (जनवरी 2008) जिसकी वसूली अभी प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2008)।

प्रकरण, शासन एवं प्रबन्धन को अप्रैल 2008 में प्रतिवेदित किया गया; जिसका उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2008)।

---

* मीटर जो कि पीक अवधि व नान पीक अवधि में किये गये विद्युत उपभोग को अलग से रिकार्ड करता है।

## 3.13 उपभोक्ता को अनुचित लाभ

**विद्युत की प्रत्यक्ष चोरी के विरूद्ध विद्युत उपभोग के लिये 17.60 लाख रुपये का अल्प निर्धारण कर कम्पनी ने उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुँचाया।**

19 फरवरी 2005 से प्रभावी, उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता–2005 (संहिता) का खण्ड 8.2 (iv) उपबन्धित करता है कि विद्युत चोरी के प्रकरण में, पिछली अवधि के विद्युत उपभोग का यूनिट निर्धारण एलएफएचडी** सूत्र के अनुसार ज्ञात किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त यूनिटों पर लागू दरों के तीन गुने दरों से बिलिंग कर अर्थदण्ड लगाया जायेगा। प्रत्यक्ष चोरी की दशा में 'एफ' 1 लिया जायेगा। पुनः विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 152 की उपधारा (1) एवं (2) उपबन्धित करते हैं कि विद्युत चोरी की दशा में दोषी उपभोक्ता आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन दण्डित किया जायेगा। हालांकि उल्लंघनकर्ता, आपराधिक प्रक्रिया के स्थान पर अपराध दोष के शमन के लिये विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं/व्यक्तियों के लिये लागू निर्दिष्ट दरों पर शमन शुल्क (जैसे–कृषि : 2000 रुपये प्रति एचपी, औद्योगिक : 20,000 रुपये प्रति एच पी, वाणिज्यिक : 10,000 रुपये प्रति के डब्ल्यू या उसके अंश के लिये) का भुगतान कर सकेगा। शमन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात उपभोक्ता को दोषमुक्त कर दिया जायेगा और तत्पश्चात उसके विरुद्ध किसी आपराधिक न्यायालय में कोई वाद न तो संस्थित किया जायेगा न ही उसे जारी रखा जायेगा।

मुख्य अभियन्ता, आजमगढ़ की लेखा परीक्षा में यह देखा गया (अक्टूबर 2007) कि प्रदीप कुमार गोयल (विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, आजमगढ़ का एक उपभोक्ता जिसका संयोजित भार 97.7 एचपी/73 केडब्ल्यू था) के संयोजन की जांच में, (10 दिसम्बर 2005) उपभोक्ता को परिवर्तक से सीधे विद्युत चोरी में लिप्त पाया गया। खण्डीय अधिकारी ने प्रावधानों के अनुसार सीधी चोरी के लिये एफ को '1' मानकर 20.45 लाख रुपये का निर्धारण करने के बजाय एफ को 0.5 मानकर उपभोक्ता का निर्धारण 5.50 लाख रुपये किया (दिसम्बर 2005) उपभोक्ता के अनुरोध पर, उसके फरवरी एवं मार्च 2006 माह के उपभोग को आधार मानते हुये, निर्धारण को 2.85 लाख रुपये संशोधित कर दिया गया (जुलाई 2006) जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा कर दिया गया। फलस्वरूप 17.60 लाख रुपये का अल्प निर्धारण एवं राजस्व हानि हुई।

पुनः खण्ड द्वारा पुलिस के पास उपभोक्ता के विरूद्ध आपराधिक प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिये न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करायी गयी न तो संहिता में निहित अपराध दोष के शमन के लिये 19.54 लाख रुपये• (97.7 एचपी पर 20,000 रुपये प्रति एचपी की दर से) का शमन शुल्क वसूल किया गया।

इस प्रकार, खण्ड ने विद्युत की सीधी चोरी के लिये 17.60 लाख रुपये का अल्प निर्धारण करके एवं आपराधिक प्रक्रिया का संस्थापन या उसके स्थान पर 19.54 लाख रुपये का शमन शुल्क प्राप्त न करके उपभोक्ता को अनुचित लाभ प्रदान किया।

खण्डीय अधिकारी ने बताया (अप्रैल 2008) कि प्रकरण की पुनर्परीक्षा की गयी तथा यह पाया गया कि विद्युत की चोरी नहीं हुई थी। अतः अनुबन्धित भार पर निर्धारण के लिये एलएफएचडी सूत्र का प्रयोग न्यायसंगत नहीं है। पुनः खण्ड ने जुलाई 2006 में निर्धारण को संशोधित कर 2.85 लाख रुपये कर दिया गया था जिसे उपभोक्ता से प्राप्त कर लिया गया। उत्तर संतोषजनक नहीं हैं क्योंकि भार का अनुमोदन रोलिंग मिल के लिये था जबकि जांच रिपोर्ट स्पष्ट दर्शाती है कि 25 मीमी के तीन अलग–अलग कोर

---

** एल–भार, एफ–गुणांक, एच–आपूर्ति घण्टे एवं डी–दिन

• इस प्रकार वसूल किया गया शमन शुल्क राज्य सरकार को जमा किया जाता है अतः यह कम्पनी को हानि नहीं है।

केबिलों के माध्यम से सीधा संयोजन ले कर रोलिंग मिल को सीधा परिचालित किया जा रहा था जो कि विद्युत चोरी है।

प्रकरण, शासन एवं प्रबन्धन को अप्रैल 2008 में प्रतिवेदित किया गया। जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2008)।

## 3.14 विद्युत के अनधिकृत उपयोग पर अल्प निर्धारण

**विद्युत के अनधिकृत उपयोग पर अल्प निर्धारण के फलस्वरूप कम्पनी को 19.57 लाख रुपये की हानि वहन करनी पड़ी।**

उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता–2005 का वाक्यांश 8.1(ब)(iv) उपबन्ध करता है कि विद्युत के अनधिकृत उपयोग के प्रकरण में पिछली अवधि के विद्युत उपभोग का यूनिट निर्धारण एलएफएचडी• सूत्र के अनुसार होगा। इस प्रकार प्राप्त यूनिटों पर लागू दरों के डेढ़ गुने दरों से बिलिंग कर अर्थदण्ड लगाया जायेगा। 15 जून 2007 से प्रभावी, अनाधिकृत विद्युत उपभोग के निर्धारण से सम्बन्धित, विद्युत अधिनियम–2003 की धारा 126 उपधारा 5 का संशोधन (जून 2007) यह उपबन्धित करता है कि विद्युत उपभोग की गणना, अनाधिकृत विद्युत उपभोग की सम्पूर्ण अवधि के लिये की जायेगी एवं जब अनधिकृत उपभोग की वास्तविक अवधि ज्ञात न की जा सके तब यह अवधि जांच की तिथि से पिछले 12 माह की अवधि तक सीमित होगी। पुनः यह उपबन्धित करता है कि निर्धारण लागू दरों के दो गुने दरों पर किया जायेगा।

नगरीय विद्युत वितरण खण्ड–कल्याणी देवी, इलाहाबाद की लेखा परीक्षा में यह देखा गया (अगस्त 2007) कि खण्ड के छापा प्रवर्तन दल द्वारा 21 जून 2007 से 17 जुलाई 2007 के मध्य डाले गये छापों में 10 उपभोक्ता (1 एलएमवी–6 श्रेणी का एवं 9 एलएमवी–2 श्रेणी से) विद्युत के अनाधिकृत उपभोग में लिप्त पाये गये। खण्ड (8 जुलाई 2007 से 26 जुलाई 2007 तक) द्वारा एलएचएफडी सूत्र में 12 माह अवधि एवं सामान्य लागू दरों के दोगुना लेकर 28.43 लाख रुपये (विद्युत कर सहित) का निर्धारण करने के बजाय 180 दिन की अवधि एवं सामान्य लागू दरों का डेढ़ गुना लेकर 8.86 लाख रुपये (विद्युत कर सहित) का निर्धारण किया गया। इस प्रकार, अल्प निर्धारण के फलस्वरूप 19.57 लाख रुपये की हानि हुई।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर खण्डीय अधिकारी ने सभी 10 उपभोक्ताओं के निर्धारण संशोधित किये (दिसम्बर 2007) एवं उत्तर प्रदेश सरकारी उपक्रम (देयों की वसूली) अधिनियम, 1958 की धारा–3 के अधीन मांग पत्र जारी की (जनवरी 2008)। यद्यपि अभी तक कोई वसूली नहीं की जा सकी (जुलाई 2008)।

प्रकरण, शासन एवं प्रबन्धन को फरवरी 2008 में प्रतिवेदित किया गया। जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2008)।

## मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

## 3.15 शण्ट कैपेसिटर अधिभार के अनारोपण/अल्प–प्रभारण के कारण राजस्व हानि।

**शण्ट कैपेसिटर अधिभार के अनारोपण/अल्प–प्रभारण के फलस्वरूप कम्पनी 91.03 लाख रुपये का राजस्व वसूल नहीं कर सकी।**

1 सितम्बर 2003 से प्रभावी दर सूची एलएमवी–8 का खण्ड 8(ii) जो राजकीय ट्यूबवेलों/विश्वबैंक ट्यूबवेलों एवं पम्प कैनालों पर लागू है, उपबन्धित करता है कि

• एल–भार, एफ–गुणांक, एच–आपूर्ति घण्टे एवं डी–दिन

उचित वर्ग एवं मानक वाले शण्ट कैपेसिटर रहित संयोजनों की दशा में, ऊर्जा बिल की राशि का 5 प्रतिशत अधिभार प्रभारित किया जायेगा। यह खण्ड 1 दिसम्बर 2004 से संशोधित रूप में प्रभावी है, जिसके अनुसार, स्टेटिक ट्राई वेक्टर मीटर रहित उपभोक्ताओं के प्रकरण में, यदि उचित वर्ग के शण्ट कैपेसिटर्स गायब या निष्क्रिय पाये जाते हैं तो ऊर्जा बिल की राशि का 10 प्रतिशत अधिभार प्रभारित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, कम्पनी को आपूर्ति के विच्छेदन सहित किसी अन्य उचित कार्यवाही का अधिकार होगा।

पुनः 1 दिसम्बर 2004 से प्रभावी दर सूची एलएमवी–3 का खण्ड 4(ii) जो सार्वजनिक प्रकाश तंत्र, ट्रैफिक कन्ट्रोल सिग्नल्स, सार्वजनिक पार्कों के प्रकाशन समेत सार्वजनिक लैम्पों पर लागू है, उपबन्धित करता है कि स्टेटिक ट्राई वेक्टर मीटर रहित उपभोक्तओं के प्रकरण में, यदि उचित वर्ग के शण्ट कैपेसिटर्स गायब या निष्क्रिय पाये जाते हैं तो ऊर्जा बिल की राशि का 10 प्रतिशत अधिभार प्रभारित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति के विच्छेदन सहित किसी अन्य उचित कार्यवाही का अधिकार होगा। अगस्त 2007 से अधिभार की दर संशोधित कर 15 प्रतिशत कर दी गयी है।

विद्युत वितरण खण्ड, सुल्तानपुर (खण्ड) में यह देखा गया (फरवरी 2008) कि ट्यूबवेल खण्ड प्रथम एवं द्वितीय, सुल्तानपुर (उपभोक्ता) के चार ट्यूबवेलों (संयोजित भार : 8981 एच पी) पर शण्ट कैपेसिटर नहीं थे एवं ये संयोजन स्टेटिक ट्राई वेक्टर मीटर रहित आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे। परन्तु, खण्ड ने दिसम्बर 2004 से मार्च 2007 की अवधि में चारों ट्यूबवेलों पर 5 प्रतिशत की दर से 48.26 लाख रुपये अधिभार प्रभारित किया गया एवं दिसम्बर 2004 से जून 2006 की अवधि में इण्डो डच ट्यूबवेल तथा विश्वबैंक ट्यूबवेल पर कोई अधिभार नहीं लगाया गया। जबकि 1 दिसम्बर 2004 से प्रभावी दर सूची के प्रावधानों के अनुसार, बिल की राशि का 10 प्रतिशत कुल 125.72 लाख रुपये शण्ट कैपेसिटर अधभार के रूप में प्रभारित किया जाना चाहिये था। फलस्वरूप, दिसम्बर 2004 से मार्च 2007 की अवधि के दौरान, शण्ट कैपेसिटर अधिभार के अनारोपण/अल्प–प्रभारण के कारण 77.46 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई।

इसी प्रकार, नगरीय विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय, बरेली (खण्ड) में यह देखा गया (अगस्त 2007) कि खण्ड ने मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, बरेली (उपभोक्ता) के पक्ष में पांच संयोजन• जारी किये जिनकी बिलिंग दर सूची एलएमवी–3 के अधीन थी। ये संयोजन उचित वर्ग के कैपेसिटरों के बिना एवं स्टेटिक ट्राई वेक्टर मीटर रहित आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे। खण्ड ने न तो शण्ट कैपेसिटरों की स्थापना सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्यवाही की न ही दिसम्बर 2004 से जुलाई 2007 तक बिल का 10 प्रतिशत एवं अगस्त 2007 से दिसम्बर 2007 तक बिल का 15 प्रतिशत की दर से शण्ट कैपेसिटर अधिभार प्रभारित किया। इसके कारण, दिसम्बर 2004 से दिसम्बर 2007 की अवधि में 13.57 लाख रुपये शण्ट कैपेसिटर अधिभार का आरोपण नहीं हो सका। इस प्रकार दर सूची के प्रावधानों के अनुरूप कैपेसिटर अधिभार का प्रभारण न होने से कम्पनी को 13.57 लाख रुपये हानि हुई।

फलतः कम्पनी, शण्ट कैपेसिटर अधिभार के अनारोपण/अल्प–प्रभारण के कारण कुल 91.03 लाख रुपये का राजस्व वसूल नहीं कर सकी।

लेखा परीक्षा के इंगित करने पर, सुल्तानपुर एवं बरेली के खण्डीय अधिकारियों ने शण्ट कैपेसिटर अधिभार में अन्तर की राशि का बिल निर्गत कर दिया (फरवरी 2008 एवं मार्च 2008) जिसकी वसूली अभी प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2008)।

प्रकरण, शासन एवं प्रबन्धन को अप्रैल एवं मई 2008 में प्रतिवेदित किया गया; जिनके उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2008)।

---

• किला : 319 केडब्ल्यू, बाकरगंज : 21 केडब्ल्यू पारसखेड़ा : 9.6 केडब्ल्यू, सीबीगंज : 42 केडब्ल्यू, हुसैनबाग : 2.75 केडब्ल्यू

## 3.16 त्रुटिपूर्ण मीटर के सुधार में देरी से हानि

**त्रुटिपूर्ण मीटर के सुधार में देरी एवं दर सूची के अनुसार उपभोक्ता की बिलिंग न करने से कम्पनी को 73.63 लाख रुपये की हानि हुई।**

उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता (संहिता) 2002 एवं 2005 (खण्ड 5.7(द)) उपबन्धित करता है कि पिछली प्राप्त रीडिंग तिथि से त्रुटिपूर्ण मीटर के प्रतिस्थापन की तिथि के मध्य उपभोक्ता की बिलिंग अन्तिम रीडिंग से पूर्व के तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग एवं अधिकतम मांग के आधार पर की जायेगी।

नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, हुसैनगंज, लखनऊ (खण्ड) में यह देखा गया (सितम्बर 2007) कि 144 के डब्ल्यू अनुबन्धित भार का एक संयोजन पूर्वोत्तर रेलवे, बन्दरिया बाग, लखनऊ के पक्ष में इसके आवासीय कालोनी (घरेलू बत्ती पंखा एवं शक्ति एलएमवी–1 उपभोक्ता) के लिये जारी किया गया। अगस्त 2003 के पश्चात में मीटर द्वारा अभिलेखित उपभोग में पूर्व की अपेक्षा तेजी से कमी देखी गयी। दिसम्बर 2003 एवं जनवरी 2004 में मीटर रीडिंग के समय सम्बन्धित सहायक अभियन्ता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मीटर त्रुटिपूर्ण है क्योंकि पिछले तीन से चार माह के दौरान केवीएआरएच मूल्य (2,96,700) स्थिर रहा तथा मीटर जांच की अनुशंसा की। परन्तु खण्ड ने मीटर की शुद्धता जांच के लिये कोई कार्यवाही नहीं की। खण्ड द्वारा अगस्त 2003 से मार्च 2006 तक त्रुटिपूर्ण मीटर द्वारा अभिलेखित उपभोग के आधार पर उपभोक्ता की बिलिंग की गयी। ढाई वर्ष से अधिक अन्तराल के पश्चात 24 मार्च 2006 को उपभोक्ता का दोषपूर्ण मीटर सुधारा गया। चूंकि मीटर अगस्त 2003 से खराब था अतः उपभोक्ता की अगस्त 2003 से मार्च 2006 तक 34,53,184 केडब्ल्यूएच के लिये बिलिंग होनी चाहिये थी (पिछले तीन बिलिंग चक्रों अर्थात् मई 2003 से जुलाई 2003 के औसत उपभोग 1,07,912 केडब्ल्यूएच प्रति माह की दर से) जबकि खण्ड द्वारा उपभोक्ता को 14,13,328 केडब्ल्यूएच के लिये बिल किया गया फलतः 20,39,856 केडब्ल्यूएच का अल्पनिर्धारण हुआ। परिणामस्वरूप कम्पनी को अगस्त 2003 से मार्च 2006 के दौरान खराब मीटर की जांच/सुधार में ढाई वर्ष से ज्यादा की देरी एवं आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुरूप बिलिंग न करने से 60.19 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई।

इसी प्रकार, उक्त खण्ड में यह देखा गया (सितम्बर 2007) कि सहायक अभियन्ता (मीटर) ने प्रतिवेदित किया (14 अगस्त 2004) कि एक उपभोक्ता* का ऊर्जा मीटर खराब है क्योंकि 'आर फेज सीटी रिवर्सल' के कारण भार के अनुरूप उपभोग का अभिलेखन करने में असफल रहा था। परन्तु खण्ड ने मीटर की शुद्धता जांच करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की और दो साल के अन्तराल के पश्चात 22 जून 2006 को मीटर बदला। खण्ड ने अगस्त 2004 से जून 2006 के दौरान उपभोक्ता की बिलिंग उसके खराब मीटर से प्राप्त रीडिंग के आधार पर की। चूंकि मीटर अगस्त 2004 से खराब था अतः उपभोक्ता की अगस्त 2004 से जून 2006 तक 10,34,310 केवीएएच की बिलिंग होनी चाहिये थी (पिछले तीन बिलिंग चक्रों अर्थात मई 2004 से जुलाई 2004 के औसत उपभोग 44,970 केवीएएच प्रति माह के आधार पर) जबकि खण्ड द्वारा उपभोक्ता को 6,68,680 केवीएएच के लिये बिल किया गया। फलतः 3,65,630 केवीएएच का अल्प निर्धारण हुआ। इसके कारण, कम्पनी को अगस्त 2004 से जून 2006 के दौरान खराब मीटर की जांच/सुधार में दो वर्ष की देरी एवं संहिता के प्रावधानों के अनुरूप बिलिंग न करने से 13.44 लाख रुपये की हानि हुई।

इस प्रकार, खराब मीटरों के सुधार/प्रतिस्थापन में देरी से कम्पनी को 73.63 लाख रुपये की हानि हुई।

---

* बेनेट कोलमन एण्ड कम्पनी लि. जिसका अनुबन्धित भार एच वी–2 श्रेणी के अधीन 200 केवी ए था।

लेखा परीक्षा के दृष्टान्त पर, प्रबन्धन ने उपभोक्ता के विरूद्ध बिल निर्गत कर दिया (मई 2008) जिसकी वसूली अभी प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2008)।

प्रकरण, शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2008); उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2008)।

## 3.17 टैरिफ के गलत प्रयोग से राजस्व हानि

**टैरिफ के गलत प्रयोग से 80.74 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई।**

1 दिसम्बर 2004 से प्रभावी, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की दर सूची एलएमवी–3 जो सार्वजनिक प्रकाश तंत्र, ट्रैफिक कन्ट्रोल सिग्नल्स, सार्वजनिक पार्कों के प्रकाशन समेत सार्वजनिक लैम्पों पर लागू है उपबन्धित करता है कि नगरपालिका एवं नगर पंचायत को अमीटरीकृत आपूर्ति 775 रुपये प्रति केडब्ल्यू प्रति माह की दर से जबकि मीटरीकृत आपूर्ति की दर 75 रुपये प्रति केडब्ल्यू प्रति माह के स्थिर प्रभारों के साथ 3.25 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच होगी। इन दरों को 13 अगस्त 2007 को संशोधित कर अमीटरीकृत आपूर्ति के लिये 875 रुपये प्रति केडब्ल्यू प्रति माह एवं मीटरीकृत आपूर्ति के लिये 675 रुपये प्रति के डब्ल्यू प्रति माह कर दी गयी। पुनः, मीटरीकृत आपूर्ति पर 0.03 रुपये प्रति यूनिट की दर से एवं अमीटरीकृत आपूर्ति की दशा में बिल की राशि का 20 प्रतिशत विद्युत कर के लिये प्रभारित करना था।

विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय, हरदोई (खण्ड) की लेखा परीक्षा में यह देखा गया (अक्टूबर 2007) कि 171 केडब्ल्यू तथा 157 केडब्ल्यू अनुबन्धित भार वाले दो संयोजन नामतः स्ट्रीट लाईट, नगरपालिका हरदोई एवं स्ट्रीट लाईट, मंगलीपुरवा, नगरपालिका हरदोई, अमीटरीकृत आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे। यद्यपि खण्ड को यह ज्ञात था कि मीटर स्थापित नहीं हैं तथापि दिसम्बर 2004 से फरवरी 2008 की अवधि में आईडीएफ• के रूप में तदर्थ निर्धारित इकाइयों (80 इकाई प्रति केडब्ल्यू प्रति माह) को आधार मानते हुये विद्युत कर सहित 40.97 लाख रुपये विद्युत कर सहित प्रभारित किये जबकि इन उपभोक्ताओं को अमीटरीकृत आपूर्ति के लिये अगस्त 2007 तक 775 रुपये प्रति केडब्ल्यू प्रति माह की दर से तथा सितम्बर 2007 से 875 रुपये प्रति केडब्ल्यू की दर से 20 प्रतिशत विद्युत कर के साथ प्रभारित करना चाहिये था। इसके परिणामस्वरूप, 80.74 लाख रुपये (121.71 लाख रुपये –40.97 लाख रुपये) की राजस्व हानि, गलत टैरिफ के प्रयोग से हुई।

प्रबन्धन ने बताया (मई 2008) कि लेखा परीक्षा के दृष्टान्त के अनुरूप, दोनों उपभोक्ताओं को 80.74 लाख रुपये के बिल निर्गत कर दिये गये हैं (मई 2008) जिनकी वसूली प्रतीक्षित है।

प्रकरण, शासन को अप्रैल 2008 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2008)।

## 3.18 टैरिफ के गलत प्रयोग से अल्प प्रभारण

**दरसूची के गलत प्रयोग से हुए अल्प प्रभारण के कारण कम्पनी को 25.36 लाख रुपये हानि हुई।**

1 दिसम्बर 2004 से प्रभावी, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की दर सूची उपबन्धित करती है कि टाऊनशिप/कैन्टोनमेन्ट/आवासीय कालोनियों (मिश्रित भार) जिनका न्यूनतम अनुबन्धित भार 500 केवीए (450 के डब्ल्यू) से ज्यादा है एवं जो एकल

• इन्डिकेटिव डिफेक्टिव मीटर

बिन्दु आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें एलएमवी–1 श्रेणी के अधीन प्रभारित किया जायेगा। दर सूची (एलएमवी–2) उपबन्धित करती है कि वे उपभोक्ता, जो अन्य दूर सूचियों से आच्छादित नहीं हैं, एलएमवी–2 श्रेणी के अधीन होंगे। एलएमवी–2 के अधीन विद्युत का मूल्य 80 रुपये प्रति केडब्ल्यू प्रति माह (स्थायी प्रभार) तथा 3.90 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच (ऊर्जा प्रभार) था जबकि एलएमवी–1 उपभोक्ताओं के लिये विद्युत का मूल्य 30 रुपये प्रति केडब्ल्यू प्रति माह (स्थायी प्रभार) एवं 2.90 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच (ऊर्जा प्रभार) था।

चूंकि दर सूची, एकल बिन्दु पर आपूर्ति प्राप्त करने वाले टाऊनशिपों/कैन्टोनमेन्टों/आवासीय कालोनियों (मिश्रित भार) जिनका न्यूनतम अनुबन्धित भार 500 केवीए (450 के डब्ल्यू) या कम हो, के सन्दर्भ में कोई उपबन्ध नहीं करता अतः ऐसे उपभोक्ताओं को एलएमवी–2 श्रेणी के अधीन प्रभारित किया जाना चाहिये था।

विद्युत वितरण खण्ड, गोला, लखीमपुर (खण्ड) में यह देखा गया (जून 2007) कि बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड (उपभोक्ता) अपने 450 केडब्ल्यू (मिश्रित भार) संयोजित भार वाले आवासीय कालोनी के लिये एकल बिन्दु पर विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहा था। अतः उपभोक्ता को एलएमवी–2 दर सूची के अधीन प्रभारित किया जाना चाहिये था। परन्तु दर सूची के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उपभोक्ता को एलएमवी–1 दर सूची के अधीन प्रभारित किया गया। फलतः उपभोक्ता को दिसम्बर 2004 से जुलाई 2007 के मध्य 25.36 लाख रुपये अल्प प्रभारित किया गया। इस प्रकार दर सूची के गलत प्रयोग से खण्ड ने उपभोक्ता को 25.36 लाख रुपये का अल्प प्रभारण कर राजस्व हानि उठाई।

खण्डीय प्रबन्धन ने एक अन्तरिम उत्तर में (जुलाई 2008) उपभोक्ता के विरूद्ध संशोधित बिल जून 2008 में निर्गत होने की पुष्टि की। जिसकी वसूली प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2008)।

प्रकरण शासन एवं प्रबन्धन को मई 2008 में प्रतिवेदित किया गया। जिनके उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2008)।

## पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

### 3.19 विद्युत आपूर्ति के विच्छेदन में देरी से राजस्व हानि

**चेकों के बारम्बार अनादरण के बावजूद, आपूर्ति विच्छेदन में देरी से कम्पनी को 67.02 लाख रुपये की हानि हुई।**

उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 (संहिता) का खण्ड 6.10 के अनुसार, उपभोक्ता को विद्युत देयों का भुगतान नगद (20,000 रुपये तक) या चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से करने की सुविधा है। यदि उपभोक्ता द्वारा जमा चेक, बैंक के सम्मुख प्रस्तुत करने के सात दिनों में नगदीकृत नहीं हो पाता है तो खण्डीय अधिकारी उपभोक्ता को बिल की राशि का भुगतान सात दिनों के भीतर नगदी में करने का निर्देश देगा और चेक द्वारा भुगतान की सुविधा वापस ले लेगा। अनुज्ञप्तिधारी संहिता के खण्ड 4.36 के अधीन आपूर्ति विच्छेदित कर सकता है। संहिता का खण्ड, 4.14(एच)(i) आगे उपबन्धित करता है कि उपभोक्ता के संविदा के दो वर्ष पूर्ण होने से पहले विखण्डन होने पर उपभोक्ता 6 माह या दो वर्ष से कम पड़ रही संविदा अवधि, दोनों में जो कम हो, की अवधि के लिये न्यूनतम प्रभारों (या यदि न्यूनतम प्रभार निर्दिष्ट नहीं है तो मांग/स्थायी प्रभारों) का भुगतान करने के लिये दायी होगा।

विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय, सहारनपुर (खण्ड) में यह देखा गया कि पाओन्टा स्टील्स (प्रा.) लिमिटेड, सहारनपुर (उपभोक्ता) को 2400 केवीए का एक संयोजन दिया गया (जुलाई 2006)। मई, जून एवं जुलाई 2007 के क्रमशः 18.40 लाख रुपये, 15.12 लाख

रुपये एवं 10.32 लाख रुपये के ऊर्जा बिलों के सापेक्ष उपभोक्ता ने जून 2007 में 18.40 लाख रुपये, अगस्त 2007 में 15.12 लाख रुपये एवं 10 लाख रुपये के कुल तीन चेक जमा किये जो सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, सहारनपुर के सम्मुख प्रस्तुतीकरण पर अनादृत हो गये। 18 जुलाई 2007 को अनादृत हुये 18.40 लाख रुपये के प्रथम चेक के विरूद्ध उपभोक्ता ने 17 अगस्त 2007 को 9 लाख रुपये का आंशिक भुगतान किया। यद्यपि उपभोक्ता द्वारा अनादृत चेकों का भुगतान नहीं किया गया परन्तु खण्ड ने न तो विद्युत आपूर्ति विच्छेदित करने के लिये कोई कार्यवाही की न ही चेक द्वारा भुगतान की सुविधा वापस ली। तथापि जब विद्युत देयों का संचय 61.50 लाख रुपये (सितम्बर 2007) हो गया तो 22 सितम्बर 2007 को संयोजन विच्छेदित कर दिया गया। 20.40 लाख रुपये के प्रतिभूतियों का समायोजन करने के पश्चात 41.10 लाख रुपये के देय अप्राप्य थे। पुनः चूंकि संविदा दो वर्ष के समापन से पहले ही विखण्डित हो गयी थी अतः उपभोक्ता 6 माह (अक्टूबर 2007 से मार्च 2008) के न्यूनतम प्रभारों के रूप में 25.92 लाख रुपये भुगतान के लिये भी दायी था (2400 केवीए के लिये 180 रुपये प्रति केवीए की दर से 6 महीने हेतु)। इस प्रकार, मार्च 2008 को उपभोक्ता के कुल संचित देय 67.02 लाख रुपये थे। खण्ड ने देयों की वसूली के लिये उत्तर प्रदेश सरकारी उपक्रम (देयों की वसूली) अधिनियम, 1958 की धारा 5 के अधीन नोटिसें जारी की (नवम्बर 2007) जिनकी वसूली प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2008)।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2008) कि खण्ड ने विद्युत आपूर्ति संहिता के खण्ड 6.10 के अनुरूप चेक के अनादरण के पश्चात संयोजन का विच्छेदन किया एवं परक्राम्य विलेख अधिनियम की धारा 138 के अधीन उपभोक्ता के विरूद्ध वाद दायर किया। इसके आगे बताया गया कि उपभोक्ता द्वारा अनुबन्ध के परिपक्वता पूर्व विखण्डन के लिये 6 माह के न्यूनतम प्रभारों को प्रभारित किया जा रहा है। हालांकि प्रबन्धन का उत्तर जुलाई 2007 में चेक के अनादरण के पश्चात संयोजन को विच्छेदित करने में खण्ड की विफलता को इंगित नहीं करता है जिससे आगे की हानियों से बचा जा सकता था।

प्रकरण, शासन को मई 2008 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2008)।

## 3.20 अनियमित भार गुणांक छूट

**कम्पनी ने चार बड़े एवं भारी शक्ति उपभोक्ताओं को 21.53 लाख रुपये की अनियमित भार गुणांक छूट प्रदान की।**

औद्योगिक तथा/या आर्क/अधिष्ठापन भट्ठी समेत प्रवर्धन उद्योगों में लगे, 75 किलोवाट से अधिक अनुबन्धित भार वाले बड़े एवं भारी उपभोक्ताओं को लागू दर सूची एचवी–2 (दिसम्बर 2004) के वाक्यांश 10(ii) एवं दर सूची एचवी–2 (अगस्त 2007) के वाक्यांश 5 के अनुसार, निर्धारित केवीएएच प्रति केवीए (अधिकतम अभिलिखित मांग का) के ऊपर किसी अधिक खपत के लिये, इस खपत के विद्युत मूल्य का 7.5 से 15 प्रतिशत (दिसम्बर 2004) एवं 10 से 20 प्रतिशत (अगस्त 2007) तक की श्रेणीबद्ध भार गुणांक छूट प्रदान की जाती है। बकायेदार उपभोक्ताओं को छूट अनुमन्य नहीं है। उस दशा में जब उपभोक्ता ने किसी न्यायालय या अन्य वैधानिक प्राधिकारी से स्थगन आदेश प्राप्त किया है, बिल की राशि पर अनुमन्य भार गुणांक छूट की राशि उपभोक्ता के खाते में अर्जित होगी लेकिन यह छूट केवल सम्बन्धित विवाद के न्यायालय या वैधानिक प्राधिकारी द्वारा उपभोक्ता के पक्ष में अंतिम निर्णय दिये जाने के पश्चात देय होगी।

नगरीय विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय, पिलखुआ, गाजियाबाद (खण्ड) में देखा गया (फरवरी 2008) कि खण्ड ने चार भारी शक्ति उपभोक्ताओं नामतः बिहारी फोर्जिंग प्रा.लि. (8.24 लाख रुपये), जे. जी. स्पंज एंड पावर प्रा.लि.(6.87 लाख रुपये) जे. पी. एस.

स्टील प्रा.लि. (5.49 लाख रुपये) एवं सुमिति एलॉय प्रा.लि. (0.93 लाख रुपये) को जुलाई 2007 से जनवरी 2008 के मध्य 21.53 लाख रुपये की वास्तविक भार शक्ति गुणांक छूट दी गयी जबकि इन उपभोक्ताओं पर 293.14 लाख रुपये कुल बकाया था अतिरिक्त प्रतिभूति मांग के रूप में 241.36 लाख रुपये एवं जांच पर निर्धारण के लिये 51.78 लाख रुपये बकाये थे। उक्त उपभोक्ताओं ने देयों की वसूली के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त किया (जून/अगस्त 2007) अतः एचवी–2 दर सूची के प्रावधानों के अनुसार, ये उपभोक्ता श्रेणीबद्ध भार गुणांक के लिये पात्र थे, परन्तु इनके मासिक बिलों में छूट की राशि तभी जमा की जानी थी जब न्यायालय के निर्णय इनके पक्ष में हो। तथापि यह देखा गया कि खण्ड ने बकाये के संचयन एवं न्यायालय के लंबित निर्णय के बावजूद उपभोक्ता के मासिक बिलों पर जुलाई 2007 से जनवरी 2008 की अवधि में 21.53 लाख रुपये श्रेणीबद्ध भार गुणांक छूट के रूप में दिये।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2008) कि बिहारी फोर्ज प्रा. लि. से 8.24 लाख रुपये वसूल कर लिये गये हैं (मार्च 2008) तथा बताया कि अतिरिक्त प्रतिभूति के बकाये को विद्युत देयों का बकाया नहीं माना जाना चाहिये अतः शेष तीन उपभोक्ताओं को भार गुणांक छूट न्यायसंगत है। प्रबन्धन का उत्तर ग्राह्य नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने अपने स्पष्टीकरण (अगस्त 2007) में स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता द्वारा अतिरिक्त प्रतिभूति को जमा न करना, भार गुणांक छूट के निमित्त बकाया माना जायेगा।

प्रकरण, शासन को अप्रैल 2008 में प्रतिवेदित किया गया उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2008)।

## 3.21 विद्युत की चोरी एवं अनाधिकृत उपयोग के लिये अल्प निर्धारण

**विद्युत की चोरी एवं अनाधिकृत प्रयोग के प्रकरणों में अर्थदण्ड में अल्प निर्धारण से कम्पनी को 29.93 लाख रुपये राजस्व क्षति हुई।**

उ. प्र. विद्युत आपूर्ति संहिता–2005 (यथा संशोधित अगस्त 2006) के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 (यथा संशोधित मई 2007) के अनुसार, विद्युत चोरी एवं अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में एलएचएफडी[1] सूत्र द्वारा प्राप्त यूनिटों पर उपभोक्ता को लागू दरों के दो गुने दरों से बिलिंग कर अर्थदण्ड लगाया जायेगा। यह गणना उस सम्पूर्ण अवधि के लिये होगी जिसमें अनाधिकृत उपयोग हुआ एवं उन दशाओं में जब इस अवधि को ज्ञात न किया जा सके, यह अवधि जांच से तुरन्त पहले के 12 माह तक सीमित होगी।

दो खण्डों[2] की लेखा परीक्षा में यह देखा गया (जनवरी/मई 2008) कि कम्पनी अधिकारियों के जांच दल ने जून 2007 से फरवरी 2008 के दौरान 69 उपभोक्ताओं[3] को विद्युत चोरी एवं अनाधिकृत उपयोग में लिप्त पाया। खण्डों ने 12 माह के लिये लागू दरों का 2 गुना लेने के बजाय संहिता एवं अधिनियम का उल्लंघन कर 6 माह के लिये लागू दरों के डेढ़ एवं तीन गुना दरों पर निर्धारण किया। इस प्रकार, विद्युत चोरी एवं अनाधिकृत प्रयोग के लिये अल्प निर्धारण के कारण कम्पनी को 29.93 लाख रुपये (न.वि.वि.खं., मेरठः 16.05 लाख रुपये एवं न.वि.वि.खं., मुरादाबाद 13.88 लाख रुपये) की हानि वहन करनी पड़ी।

---

1 एल–भार, एफ–गुणांक (प्रत्यक्ष चोरी की दशा में एफ '1' किया जायेगा) एच–आपूर्ति घण्टे, डी–दिन

2 नगरीय विद्युत वितरण खण्ड–तृतीय, मेरठ (न.वि.वि.ख–मेरठ) एवं नगरीय विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, मुरादाबाद (न.वि.वि.ख., मुरादाबाद)।

3 न.वि.वि.ख, मेरठ –42 उपभोक्ता, न.वि.वि.ख., मुरादाबाद –27 उपभोक्ता

नगरीय विद्युत वितरण खण्ड–तृतीय, मेरठ के खण्डीय अधिकारी ने बताया (जून 2008) कि लेखा परीक्षा के दृष्टान्त पर अर्थदण्ड के संशोधित बिल उपभोक्ता को निग्र त कर दिये गये है। नगरीय विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, मुरादाबाद ने इस आधार पर निर्धारण पुनरीक्षित नहीं किया कि अधिनियम की धारा 126 का संशोधन हुआ है न कि धारा 135 का। खण्डीय अधिकारी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मई 2007 से प्रभावी विद्युत अधिनियम, 2003 के संशोधन के अनुसार, विद्युत चोरी के निर्धारण (धारा 135) तथा विद्युत का अनाधिकृत प्रयोग (धारा 126) के प्रकरणों में अर्थदण्ड का निर्धारण लागू दरों के दो गुने से 12 माह की अवधि में एलएचएफडी सूत्र से प्राप्त उपभोग के आधार पर किया जाता है।

प्रकरण, शासन एवं प्रबन्धन को प्रतिवेदित किया (मई 2008) जिनके उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2008)।

## 3.22 समुचित सुरक्षा उपाय अपनाने में विफलता से हानि

**मानव सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रबन्धन की विफलता के फलस्वरूप दुर्घटना एवं अनुग्रह राशि के रूप में 14 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।**

भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 29 के अनुसार, विद्युत, विद्युत रोधन एवं अनुमानित भ्रंश विद्युत धारा के लिये प्रयुक्त सभी विद्युत आपूर्ति लाइनें एवं उपकरण उचित श्रेणी की, उचित यांत्रिक बल की होगी एवं उनका निर्माण, स्थापना, संरक्षा, कार्य एवं मरम्मत इस प्रकार होंगे जिससे मानव, जीव एवं सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय, सहारनपुर (खण्ड) में देखा गया (मार्च 2008) कि 12 अगस्त 2007 को चांदपुर बस स्टैण्ड के समीप उत्तरांचल परिवहन की एक बस के 11 केवी विद्युत लाइन के सम्पक्र में आने से एक प्राणघातक दुर्घटना घटित हुई। इस दुर्घटना में 10 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी एवं 17 व्यक्ति गम्भीर रूप से जख्मी हो गये। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने पीड़ितों को 14 लाख रुपये अनुग्रह राशि प्रदान की (अगस्त 2007)।

कम्पनी की एक जांच में यह पाया गया (13 अगस्त 2007) कि 5.42 मीटर के मानक ग्राउंड क्लीयरेन्स (भूमि एवं तार के बीच का फासला) के विरूद्ध 11 केवी लाइन का ग्राउंड क्लीयरेन्स मात्र 4.62 मीटर था जिसके कारण दुर्घटना हुई। ग्राउंड क्लीयरेन्स में कमी, लाइन एवं सड़क के बीच ग्रामीणों द्वारा मिट्टी भराव के कारण हुई। कम्पनी को मानकों के अनुरूप, मानव, जीव एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये 11 केवी लाइन हेतु न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेन्स सुनिश्चित करना था। परन्तु, खण्ड को उक्त तथ्य ज्ञात होने के बावजूद कम्पनी मानकों के अनुरूप लाइन का पुनर्स्थापन करने के लिये समयानुकूल एवं त्वरित कार्यवाही करने में विफल रही। खण्ड ने 8.5 मीटर विद्युत खम्भों का 11 मीटर के खम्भों से प्रतिस्थापन करने के लिये लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर को यद्यपि 8.18 लाख रुपये का प्राक्कलन प्रस्तुत किया था (मार्च 2007) परन्तु 12 अगस्त 2007 तक अर्थात दुर्घटना की तिथि तक इन्हें बदला नहीं जा सका। इसके कारण, दुर्घटना हुई एवं कम्पनी को 14 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का परिहार्य व्यय करना पड़ा। कम्पनी को चाहिये कि वह नियम में विर्निदिष्ट सुरक्षा उपायों का पालन करें जिससे मानव, जीव एवं सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2008) कि शिवरात्रि पर्व पर कॉवरिया धार्मिक यात्रियों की सुविधा के लिये लोक निर्माण विभाग/ग्र ाम पंचायत ने सड़क भराई का कार्य दुर्घटना से पहले, कम्पनी को जानकारी दिये बिना की थी। प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबन्धन को निम्न ग्राउंड क्लीयरेन्स की जानकारी पहले से थी जो इस बात से

स्पष्ट है कि खण्ड ने मार्च 2007 में लोक निर्माण विभाग को 8.5 मीटर खम्भों के 11 मीटर खम्भों से प्रतिस्थापन के लिये 8.18 लाख रुपये के प्राक्कलन प्रस्तुत किये जो दुर्घटना की तिथि 12 अगस्त 2007 तक प्रतिस्थापित नहीं हो सके थे।

प्रकरण, शासन को मई 2008 में प्रतिवेदित किया गया उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2008)।

## कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड

### 3.23 परिवर्तन गुणांक के गलत प्रयोग से अल्प प्रभारण

**परिवर्तन गुणांक के गलत प्रयोग से कम्पनी को 23.54 लाख रुपये हानि हुई।**

उ. प्र. विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश 2004–05 के सामान्य प्रावधानों का वाक्यांश 6(ii) उपबन्धित करता है कि यदि कोई मात्रक केवीए में है तो इसे 0.90 शक्ति गुणांक से गुणा करके किलोवाट में परिवर्तित कर लिया जायेगा।

कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0 (केस्को) के बल्क खण्ड में देखा गया कि 115 केवीए से 8500 केवीए अनुबन्धित भार वाले चार* उपभोक्ताओं (एक एलएमवी–7 श्रेणी एवं तीन एलएमवी–4ए श्रेणी) का प्रभारण 0.90 शक्ति गुणांक के बजाय संशोधन पूर्व के गुणांक 0.85 लेकर समतुल्य किलोवाट में किया जा रहा था। इसके फलस्वरूप 31,386 किलोवाट भार के लिये 23.54 लाख रुपये के स्थायी प्रभारों का दिसम्बर 2004 से अगस्त 2007 के मध्य 75 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह अल्प प्रभारण हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2008) कि 23.54 लाख रुपये के पूरक बिल संबंधित उपभोक्ताओं को निर्गत कर दिये गये हैं (अक्टूबर 2007)जिसमें से केवल 9.28 लाख रुपये की वसूली ही अभी तक की जा सकी है (जून 2008)।

प्रकरण शासन को मार्च 2008 में प्रतिवेदित किया गया। उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2008)।

## उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

### 3.24 हल्के डीजल तेल के खरीद पर कम छूट प्राप्ति से हानि

**कम्पनी हल्के डीजल तेल की खरीद के लिये भारतीय तेल निगम से उच्च दर से छूट पाने का निगोसिएशन करने में विफल रही जिससे 29.25 लाख रुपये की हानि हुई।**

हल्के डीजल तेल (तेल) का प्रयोग तापीय विद्युत स्टेशनों (स्टेशन) द्वारा बायलर्स को प्रारम्भन एवं दहन स्थिरीकरण के लिये होता है। स्टेशनों द्वारा तेल की खरीद सरकारी तेल कम्पनियों से सीमित निविदा आधार पर की जाती हैं।

पनकी तापीय विद्युत संयन्त्र, कानपुर (संयन्त्र) की लेखा परीक्षा में यह देखा गया (मार्च 2008) कि संयन्त्र ने 4000 किलो लीटर तेल की आपूर्ति के लिये सीमित निविदायें आमन्त्रित की (अप्रैल 2005)। भारतीय तेल निगम के एक्स डिपो मूल्यों पर 300 रुपये प्रति किलो लीटर छूट के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया (मई 2005) एवं तद्नुसार 4000 किलो लीटर तेल की आपूर्ति के लिये भारतीय तेल निगम (तेल निगम) को खरीद आदेश दिये गये (जून 2005)। जुलाई 2005 से मई 2006 के मध्य तेल निगम ने

* गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, गैरिसन इंजीनियर, गैरिसन इंजीनियर ई/एम चकेरी, ए.एफ.एस. चकेरी और निर्देशक आई. आई.टी., कानपुर

कानपुर आपूर्ति केन्द्र से 3656 किलो लीटर तेल की आपूर्ति 300 रुपये की छूट को समायोजित करने के पश्चात शुद्ध मूल्य 24,660 रुपये से 26,393 रुपये प्रति किलो लीटर पर की। हालांकि लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि कम्पनी की अन्य सहायक इकाइयों जैसा कि तापीय विद्युत संयन्त्र, हरदुआगंज ने तेल निगम के उसी आपूर्ति केन्द्र (कानपुर आपूर्ति केन्द्र) से 1151 किलो लीटर तेल, 1100 रुपये प्रति किलो लीटर की छूट समायोजित करने के पश्चात अगस्त 2005 के दौरान 23,860 रुपये प्रति किलो लीटर की दर से खरीद की। इस प्रकार, पनकी संयन्त्र द्वारा 800 रुपये प्रति किलो लीटर (हरदुआगंज एवं पनकी संयन्त्रों को प्राप्त छूट में अन्तर की राशि) ज्यादा दर पर खरीद इस कारण की गयी क्योंकि यह तेल निगम से हरदुआगंज संयन्त्र को प्राप्त छूट के समान छूट प्राप्त करने में समझौता करने में विफल रहा। इसके कारण, जुलाई 2005 से मई 2006 के मध्य कम छूट पर तेल की खरीद के कारण कम्पनी को 29.25 लाख रुपये (3656 किलो लीटर पर 800 रुपये प्रति किलो लीटर की छूट के आधार पर संगणित) की हानि वहन करनी पड़ी।

शासन ने बताया (जून 2008) कि तेल निगम के आधिकारिक प्रतिनिधियों से उचित निगोसिएशन की गयी थी जिसमें वे अधिकतम 300 रुपये प्रति किलो लीटर की छूट देने को सहमत हुए थे। प्रबन्धन ने आगे बताया कि पनकी संयन्त्र द्वारा प्राप्त तेल का मूल्य उत्पाद शुल्क एवं छूट को समायोजित करने के पश्चात 22,496.82 रुपये है जो हरदुआगंज संयन्त्र को प्राप्त तेल के मूल्य 23860.37 रुपये प्रति किलो लीटर से कम है। प्रबन्धन का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि प्रबन्धन ने तेल निगम पर इस बात के लिये दबाव नहीं डाला कि उन्हें उतनी ही छूट दी जाये जितनी की हरदुआगंज संयन्त्र को प्राप्त हो रही है। पुनः आपूर्ति आदेश में दिये गये तेल के आधार मूल्यों की तुलना न्यायसंगत नहीं है क्योंकि तेल की आपूर्ति, आपूर्ति आदेशों के प्रावधानों के अनुसार, डिलिवरी के समय प्रचलित उच्च मूल्यों पर की गयी थी।

## सांविधिक निगम

## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

### 3.25 अनियमित व्यय

**योजना की सुविधाओं को नगर निगम लखनऊ एवं गाजियाबाद को हस्तान्तरित करने के बाद परिषद ने 55.40 लाख रुपये प्रिज्मैटिक रिफलेक्टिव साइनेज बोर्डों एवं 18.34 लाख रुपये सौंदर्यीकरण एवं सड़कों के चौड़ीकरण पर व्यय किये।**

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (अधिनियम) की धारा 41(1) के अनुसार, परिषद अपने द्वारा निर्मित, परिवर्तित या स्वयं में निहित कोई सड़क, स्थानीय निकाय को जिसके क्षेत्राधिकार में सड़क आती हैं, को एक महीने की पूर्व सूचना के देने के पश्चात सौंप सकती है, जब योजना में व्यवस्थित रीति से (क) ऐसी सड़क, यथाविधि समतल और पक्की बना दी जाय; (ख) ऐसी सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करने के लिये आवश्यक रोशनी के खम्भों की व्यवस्था कर दी जाय और (ग) ऐसी सड़क पर जल, नालियों और मल नालियों की व्यवस्था कर दी जाय। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की उपधारा–4 उसी स्थान पर व्यवस्था करती है कि यथास्थिति नोटिस की अवधि समाप्ति पर या अंतिम संकल्प के अनुसार ऐसी सड़क या खुला स्थान, स्थानीय प्राधिकारी में निहित होगा और तत्पश्चात् उसके अनुरक्षण, मरम्मत, रोशनी और सफाई की व्यवस्था स्थानीय प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

निर्माण खण्ड–13 के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया (जुलाई 2007) कि विकास नगर योजना, लखनऊ में विकसित सुविधायें (सड़के, पार्क, मल नालियॉ), नगर निगम, लखनऊ को दिसम्बर 1992 में सौंप दी गयी थी। परिषद ने दिसम्बर 2006 में 59.00 लाख रुपये की कुल लागत से योजना में विभिन्न जगहों को दर्शाने के लिये (सेक्टर 1 से 8) 21 प्रिज्मैटिक रिफलेक्टिव साइनेज बोर्ड प्रतिस्थापित करके सड़क चिन्ह निर्मित करने का निर्णय लिया । फरवरी 2007 तक 55.40 लाख रुपये का व्यय करके 21 प्रिज्मैटिक रिफलेक्टिव साइनेज बोर्डों की प्रतिस्थापना का कार्य पूर्ण किया गया। इसी प्रकार, निर्माण खण्ड–1 गाजियाबाद की लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि वसुंधरा योजना–3 में गाजियाबाद में विकासित सुविधायें 30 अक्टूबर 2002 को नगर निगम, गाजियाबाद को सौंप दी गयी थी। लेकिन, परिषद ने, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये, वर्ष 2004–05 के दौरान, वसुंधरा योजना–3 के डी–1 प्रवेश मार्ग के सौंदर्यीकरण एवं सड़क चौड़ीकरण पर 18.34 लाख रुपये व्यय किया। इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त कार्यों में 73.74 लाख रुपये अनियमित व्यय हुआ।

प्रबंधन ने बताया (मई 2008) कि प्रिज्मैटिक रिफलेक्टिव साइनेज बोर्ड, विकास नगर योजना में योजना के निवासियों हेतु अतिरिक्त सुविधा के रूप में प्रतिस्थापित किये गये थे। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि व्यय योजना के उन सेक्टरों में किया गया था जिन्हें 1992 में नगर निगम, लखनऊ को सौंप दिया गया था तथा यह व्यय योजना में भी प्रदत्त नहीं था। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धार 41(1) में भी परिषद द्वारा आवंटियों को साइनेज बोर्ड की सुविधायें उपलब्ध कराने का सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। वसुंधरा योजना–3, गाजियाबाद के सम्बन्ध में प्रबन्धन ने इसके अतिरिक्त बताया (अप्रैल 2008) कि सौंदर्यीकरण एवं सड़क के चौड़ीकरण का कार्य तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता के आदेशों के अनुसार किया गया था। प्रबंधन का उत्तर यह वर्णित नहीं करता है कि अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध कार्य क्यों किया गया।

प्रकरण फरवरी 2008 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2008)।

## 3.26 परिहार्य अतिरिक्त व्यय

**परिषद ने सड़क के निर्माण के लिये निविदादाताओं से दर के सम्बन्ध में मोलभाव नहीं किया तथा 19.47 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया।**

मई 1999 के शासनादेश के अनुसार, सड़क कार्यों के लिये निविदायें बिल आफ क्वांटिटी (बीओक्यू) में विभागीय दरें भरने के पश्चात आमन्त्रित की जानी थीं। निविदादाताओं के अपेक्षित था कि वे बीओक्यू से कम अथवा अधिक प्रतिशत के रूप में अपनी दरें उद्धत करें। इसके अतिरिक्त, यदि निविदा की दरें विभागीय दरों से अधिक हों, तो निविदादाताओं से मोलभाव, निविदा की प्राप्ति के सात दिनों में किया जाना था तथा इस सम्बन्ध में सूचना, निविदा सूचना में ही सम्मिलित की जानी थी।

निर्माण खण्ड–19, लखनऊ की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (नवम्बर 2007) कि वृन्दावन योजना, लखनऊ में सड़कों के निर्माण हेतु दो अनुबन्ध प्रपत्रों (संख्या 03/एसई/सीडी–19/05–06, 50.82 लाख रुपये के लिये तथा संख्या–06/एसई/सीडी–19/05–06, 49.37 लाख रुपये के लिये) को विभागीय दरों (क्रमशः 48.05 लाख रुपये एवं 47.02 लाख रुपये) से 5.75 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत अधिक पर, अंतिम रूप दिया गया (मई 2005)। यह देखा गया कि इसी अवधि के दौरान खण्ड ने, विभागीय दरों से 10.10 प्रतिशत से लेकर 20.25 प्रतिशत कम दरों पर पांच अनुबन्ध प्रपत्रों को अंतिम रूप दिया। इनमें से समान कार्य हेतु (सड़कों का निर्माण) अनुबन्ध प्रपत्र संख्या 02/ईई/सीडी–19/05–06 को विभागीय दरों से 15.10 प्रतिशत कम पर अंतिम रूप दिया गया (मई 2005)। लेखा परीक्षा ने अवलोकित किया कि यद्यपि अनुबन्ध प्रपत्र

03/एसई तथा 06/एसई के सम्बन्ध में निविदा की दरें विभागीय दरों से अधिक थीं फिर भी निविदादाताओं से मोलभाव नहीं किया गया, जैसा कि शासनादेश में निर्धारित था। यदि निविदादाताओं से मोलभाव कर लिया गया होता तो उपरोक्त दोनों निविदा प्रपत्रों की दरों को, अनुबन्ध प्रपत्र 02/ईई के सममूल्य पर अंतिम रूप दिया जा सकता था तथा 19.47 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय परिहार्य हो सकता था।

उत्तर में प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2008) कि उपर्युक्त प्रपत्रों में उद्धत दरें विभागीय दरों से कम (3.15 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत) थीं तथा इसीलिये मोलभाव नहीं किया गया। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निविदादाताओं ने बीओक्यू में उल्लिखित विभागीय दरों से अपनी दरें अधिक (5.75 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत से) उद्धत की तथा इसलिये मई 1997 के शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार निविदाताओं से मोलभाव किया जाना था।

प्रकरण शासन को अप्रैल 2008 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2008)।

## उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम

### 3.27 ब्याज का परिहार्य भुगतान

**बैंक आफ राजस्थान को ऋण के हस्तान्तरण का, प्रबंधन का निर्णय, यूनियन बैंक आफ इण्डिया को ब्याज के रूप में 16.19 लाख रुपये के परिहार्य भुगतान में परिणत हुआ।**

राज्य में विभिन्न स्थानों पर गोदामों एवं भण्डार गृहों के निर्माण हेतु यूनियन बैंक आफ इण्डिया (यूबीआई) द्वारा निगम को 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 102.50 करोड़ रुपये का एक सावधि ऋण स्वीकृत किया गया (सितम्बर 2003)। ऋण का भुगतान 84 मासिक किश्तों में किया जाना था। ब्याज की दर फरवरी 2004 से कम करके 8 प्रतिशत कर दी गई तथा 99.82 करोड़ रुपये के अवशेष देयों के भुगतान हेतु 120 मासिक किश्तों में यूबीआई द्वारा पुर्ननिर्धारित की गयी।

लेखा परीक्षा में देखा गया (जनवरी 2008) कि यूबीआई ने 57.91 करोड़ रुपये की अवशेष ऋण राशि पर ब्याज की दर को 8 प्रतिशत से कम करके 6.75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा (अक्टूबर 2005)। इस कम की गई ब्याज की दर को निगम की स्वीकृति के पश्चात लागू किया जाना था। परन्तु यूबीआई के प्रस्ताव को स्वीकार करने के सीन पर, निगम ने बैंक आफ राजस्थान (बीओआर) द्वारा उनके प्रस्ताव (अक्टूबर 2005) के विरुद्ध 6.74 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज की दर पर ऋण की अवशेष राशि को अधिकार में लेना अनुमन्य किया। बीओआर के साथ अनुबन्ध दिसम्बर 2005 में क्रियान्वित किया गया। क्योंकि निगम ने प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया, यूबीआई ने 8 प्रतिशत की दर से ब्याज को प्रभारित करना जारी रखा तथा अक्टूबर 2005 से दिसम्बर 2005 की अवधि के लिये निगम ने 16.19 लाख रुपये भुगतान किये। इस प्रकार यूबीआई के प्रस्ताव को स्वीकार न करने का प्रबन्धन का निर्णय अक्टूबर 2005 से दिसम्बर 2005 की अवधि के लिये 16.19 लाख रुपये के ब्याज के परिहार्य भुगतान में परिणत हुआ।

शासन ने बताया (जून 2008) कि निगम को कोई हानि नहीं हुई, बल्कि उसने वर्ष 2006 के दौरान ब्याज के मद में 70.00 लाख रुपये की बचत की। उत्तर सही नहीं है क्योंकि वर्ष 2006 के दौरान ब्याज के मद में वास्तविक बचत 0.58 लाख रुपये ही थी जो कि यूबीआई तथा बीओआर द्वारा प्रस्तावित ब्याज की दरों में अन्तर के कारण थी।

## उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

### 3.28 कर्मचारी भविष्य निधि विलम्बित जमा पर परिहार्य भुगतान

**क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान जमा करने में विलम्ब के कारण निगम ने 32.88 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया।**

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर नियोक्ता को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) के पास कर्मचारियों के मासिक अंशदान के साथ–साथ स्वयं के भविष्य निधि अंशदान को जमा करना अपेक्षित है, जिसमें असफल रहने पर आरपीएफसी अर्थदण्ड क्षतिपूर्ति की वसूली नियोक्ता से कर सकता हैं जो किसी भी तरह बकाया धनराशि से अधिक नहीं हो सकता है।

31 मार्च 2001 को समाप्त हुये वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के प्रस्तर 4ब.2 में ईपीएफ के विलम्बित जमा के भुगतान के सम्बन्ध में उल्लेख होने के पश्चात भी प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई तथा निगम के अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ (जनवरी 2007) कि निगम का मुरादाबाद परिक्षेत्र, जुलाई 2000 से अगस्त 2002 की अवधि से सम्बन्धित कर्मचारियों के अंशदान तथा अपने अंश को निर्धारित समय में जमा नहीं कर सका। फलस्वरूप आरपीएफसी ने भुगतान में त्रुटि होने के कारण 32.88 लाख रुपये (ब्याज 27.92 लाख रुपये एवं क्षतिपूर्ति 4.96 लाख रुपये) प्रभारित किये। आरपीएफसी ने वित्तीय विवशताओं के आधार पर क्षतिपूर्ति में छूट देने के प्रबन्धन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया तथा परिक्षेत्र के बैंक खाते का अभिग्रहण करके 32.88 लाख रुपये की वसूली की (फरवरी 2005)। यदि निगम ने ईपीएफ अंशदान का भुगतान निर्धारित समय पर किया किया होता तो क्षतिपूर्ति का भुगतान परिहार्य हो सकता था।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2008) कि निगम की, वित्तीय समस्याओं एवं भारी हानियों के कारण ईपीएफ का समय से भुगतान नहीं किया गया। क्योंकि ईपीएफ का भुगतान एक वैधानिक दायित्व है, अर्थदण्ड से बचने के लिये इसका सामयिक भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

प्रकरण शासन को फरवरी 2008 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2008)।

## सामान्य

### 3.29 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी सहायता प्रणाली

#### प्रस्तावना

**3.29.1** उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (उप्रासपनि) का गठन 1 जून 1972 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश रोडवेज से हुआ। वर्तमान में उप्रासपनि में 23 अंचल एवं 108 डिपो है। उप्रासपनि में सूचना प्रौद्योगिकी सहायता प्रणाली का प्रारम्भ 1990 के दशक में हुआ, जिसमें परिचालन निष्पादन, केन्द्रीय भण्डार प्रकोष्ठ के सामग्री प्रबन्धन का कार्य (एमएम) एवं मासिक पास पद्धति (एमपीएस) के प्रबोधन हेतु प्रबन्ध सूचना प्रणाली(एमआईएस) थी।

#### संगठनात्मक ढाँचा

**3.29.2** प्रबन्ध सूचना प्रणाली (एमआईएस) तथा इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग (ईडीपी) कार्यों में सहायता हेतु मुख्य प्रबन्धक (जीएम), प्रबन्ध सूचना प्रणाली (एमआईएस) तीन

सहायक प्रबन्धकों के साथ एमआईएस. प्रकोष्ठ का कार्य देखते हैं। तकनीकी एवं अन्य सहायता के लिये मुख्य महाप्रबन्धक (सीजीएम) (तकनीकी), सामग्री प्रबन्धन का कार्य, महाप्रबन्धक (केन्द्रीय भण्डार) के साथ देखते हैं। मुख्य महाप्रबन्धक (संचालन), मुख्यालय पर महाप्रबन्धक (संचालन) तथा क्षेत्रों में 18 क्षेत्रीय प्रबन्धकों की सहायता से, मासिक पास प्रणाली का कार्य देखते है।

## लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र

**3.29.3** लेखा परीक्षा के कार्य क्षेत्र में एम.पी.एस. तथा एमआईएस सॉफ्टवेयर के त्रुटि रहित कार्य सुनिश्चित करने हेतु नियन्त्रणों का मूल्यांकन करना शामिल था। इसमें लखनऊ तथा मेरठ क्षेत्र के डाटाबेस की प्रमाणिकता, परिशुद्धता एवं त्रुटिरहित परिणामों हेतु पूर्णता की विश्लेषणात्मक समीक्षा करना शामिल हैं। जनित सूचनाओं की शुद्धता का निर्धारण करने के लिये दैनिक वाहन रजिस्टरों तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेखों/प्रतिवेदनों की जॉच, विश्लेषण उपकरण की सहायता से की गयी।

## लेखा परीक्षा का उद्देश्य

**3.29.4** निगम की सूचना प्रौद्योगिकी की लेखा परीक्षा यह ऑकलित करने के लिये की गयी कि क्याः

- कम्प्यूटर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयरों में पर्याप्त वैधीकरण जॉच एवं नियन्त्रण विद्यमान थे जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनित ऑकड़ों की सत्यनिष्ठा बनी है और इस प्रकार तैयार सूचनायें विश्वसनीय एवं पूर्ण है;
- आईटी अनुप्रयोगों के दक्ष एवं प्रभावी उपयोग के लिये पर्याप्त अभिलेखन विद्यमान थे; तथा
- आईटी अनुप्रयोगों से जुड़े जोखिमों से सुरक्षा हेतु आन्तरिक नियन्त्रण तथा प्रबोधन प्रक्रिया उपलब्ध थी।

## लेखा परीक्षा की कसौटी

**3.29.5** लेखा परीक्षा में निम्न कसौटियों का प्रयोग किया गयाः

- प्रबन्धकीय निर्णयों में सहायता के लिये सूचना उत्पन्न करने हेतु डाटा की सत्यनिष्ठा, पूर्णता तथा उपलब्धता;
- निगम की कार्य विधि नियमावली, तथा
- आईटी संचालन की उत्तम रीतियों के अनुसार आईटी नियन्त्रण प्रक्रिया।

## लेखा परीक्षा की प्रक्रिया

**3.29.6** एमआईएस से सम्बन्धित ऑकड़ों की पूर्णता, उपलब्धता तथा सत्यनिष्ठा की परीक्षा करने हेतु जनवरी 2005 से दिसम्बर 2007 तक की अवधि के ऑकड़ों का कम्प्यूटर समर्थित लेखा परीक्षा उपकरण अर्थात आइडिया* के प्रयोग से विश्लेषण किया गया। उक्त ऑकड़ों के विश्लेषण के अतिरिक्त, सामान्य, अनुप्रयोग नियन्त्रण तथा प्रबोधन प्रक्रिया के अस्तित्व एवं पर्याप्तता का भी मूल्यॉकन किया गया।

## लेखा परीक्षा की बाध्यतायें

**3.29.7** बार–बार अनुरोध के बावजूद उप्रारासपनि मुख्यालय द्वारा एमपीएस का सभी क्षेत्रों का एकीकृत डाटा बेस प्रदान नहीं किया गया। नमूना जॉच किये गये क्षेत्रों (मेरठ

* इन्ट्रेक्टिव डाटा एक्सट्राक्शन एण्ड एनालेसिस।

एवं लखनऊ) से सम्बन्धित एमपीएस ऑकड़े लेखा परीक्षा को प्रदान किये गये परन्तु यह मात्र पिछले दो वर्षों (2006–08) से सम्बन्धित थे। लेखा परीक्षा प्रेषण, इसलिये, इन बाध्यताओं के अधीन है।

## लेखा परीक्षा प्रेक्षण

**3.29.8** उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी सहायता प्रणाली पर निष्पादन समीक्षा से उत्पन्न लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को प्रबन्धन/शासन को मई 2008 में प्रतिवेदित किया गया तथा सार्वजनिक उपक्रमों की लेखा परीक्षा समिति (एआरसीपीएसई) की 29 अगस्त 2008 को सम्पन्न बैठक में चर्चा की गई। प्रबन्ध निदेशक, मुख्य महाप्रबन्धक (संचालन) तथा महाप्रबन्धक (एमआईएस) इस बैठक में उपस्थित थे। उपसचिव (परिवहन) ने बैठक में शासन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। समीक्षा को अन्तिम रूप देते समय प्रबन्ध द्वारा दिये गये उत्तरों को ध्यान में रखा गया है। लेखा परीक्षा में निम्न कमियॉ संज्ञान में आई:

## मासिक पास पद्धति

### *बाह्य एजेन्सी द्वारा डाटा बैंक प्रबन्धन के जोखिम*

**3.29.9** निगम ने अपनी सीमा में आने वाले क्षेत्रों (जिनमें अर्न्तक्षेत्रीय सीमा जो 150 कि0मी0 से अधिक न हो, को शामिल करते हुए) द्वारा पास के निर्गमन हेतु कम्प्यूटरों के प्रयोग की नीति दिशा–निर्देश का निर्गमन (सितम्बर 2005) किया। इसके अतिरिक्त, दिशा–निर्देश, अपेक्षा करते हैं कि इन पास का निर्गमन केवल निगम के कर्मचारीगण करेंगे। अनुबन्ध के प्रारूप (यदि कार्य बाह्य लोगों को दिया जाता), सॉफ्टवेयर का विकास, बैकअप की प्रक्रिया स्वतन्त्र रूप से डाटा बेस की जॉच एवं प्रबोधन तथा अन्य नियन्त्रण प्रक्रिया पर कोई दूसरे दिशा–निर्देश जारी नही किये गये।

लेखा परीक्षा ने पाया कि मासिक पास के निर्गमन, धन के संग्रहण एवं इसके क्षेत्रों को प्रेषण हेतु डाटा बैंक का प्रबन्ध एक बाह्य एजेन्सी अपने पासवर्ड द्वारा कर रही थी। उप्ररासपनि ने उस बाह्य एजेन्सी का विवरण जिसे निगम द्वारा यह कार्य सौंपा गया था अथवा एमपीएस से सम्बन्धित डाटा बेस नहीं प्रदान किया। लेखा परीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इस क्रियाकलाप से सम्बन्धित डाटा बेस पर किसका आधिपत्य है और क्या क्षेत्र अथवा मुख्यालय ने ऐसे डाटा की जॉच, नियन्त्रण एवं प्रबोधन हेतु इसकी एक प्रति प्राप्त की। चूँकि इस क्रियाकलाप का डाटा बेस उपलब्ध नहीं कराया गया (मेरठ एवं लखनऊ क्षेत्र के आंशिक डाटा बैंक को छोडकर), इसलिये पूर्णतया बाहरी एजेन्सी द्वारा सुविधा के प्रयोग में शामिल जोखिमों को लेखा परीक्षा में नहीं प्रदर्शित किया जा सका। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दु लेखा परीक्षा में पाये गये:

- निगम के वित्तीय हित की रक्षा के लिये किसी बाह्य एजेन्सी से कोई अनुबन्ध नहीं किया गया;
- अर्न्तक्षेत्रीय तुलना अथवा एकरूप प्रतिवेदनों की उत्पत्ति सुनिश्चित करने के लिये एकरूप डाटा ढॉचा निर्धारित नहीं किया गया;
- प्रणाली में डाटा में हेरफेर से सुरक्षा सुनिश्चित किये बिना एमएस एक्सेस प्लेटफार्म का प्रयोग किया गया;
- क्षेत्रीय कार्यालयों के पास अपनी स्वयं की उपागम नियन्त्रण प्रक्रिया नहीं थीं। डाटा तक उपागम केवल बाह्य एजेन्सी के पास था;

- सॉफ्टवेयर के विवरण (उनके बौद्धिक सम्पदा अधिकार शामिल करते हुए) उपलब्ध नहीं थे।

इस प्रकार निगम द्वारा अपनी ओर से किसी नियन्त्रण तथा प्रबोधन प्रक्रिया के अभाव में कार्यकलाप की सुरक्षा, प्रमाणिकता, विश्वसनीयता एवं नियन्त्रण प्राइवेट एजेन्सी के हाथों में जोखिम पर थे।

### *मासिक पास पद्धति में वैधीकरण जॉचों की कमी*

**3.29.10** मेरठ क्षेत्र के 65803 अभिलेखों, लखनऊ क्षेत्र के नियमित सेवा के 21663 अभिलेखों तथा महानगर परिवहन सेवा (एलएमपीएस) के 10806 अभिलेखों के डाटा बैंक की जॉच की गयी। यह देखा गया कि साफ्टवेयरों में वैधीकरण जॉच की व्यवस्था नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप अनेक कमियॉ हुई। इनकी चर्चा नीचे की गयी है:

### *मेरठ क्षेत्र*

- एमपीएस डाटाबेस में कोई टिकट शून्य मूल्य का नहीं होना चाहिये तथापि, मोदीपुरम से सकौटी/दादरी तक पॉच छात्रों के टिकट शून्य मूल्य के पाये गये।

- 206 अभिलेखों में निर्गमन की तिथि के अतिरिक्त प्रत्येक फील्ड विवरण समान था।

- छात्रों के पहचान पत्र के दुरूपयोग के 73 प्रकरण थे।

- लेखा परीक्षा में देखा गया कि मार्ग संकेत संख्या में दोहराव के कारण एक ही मार्ग के विभिन्न मामलों में वसूल किराया भिन्न–भिन्न था तथा एक ही मार्ग पर वयस्कों के लिये भिन्न–भिन्न किराया वसूल किया गया था (एक मामले में छात्र का किराया वसूल किया गया था)।

- 107 प्रकरणों में, पास जारी करने की तिथि, पास समाप्ति के 1 से 366 दिन बाद तक थी।

### *लखनऊ क्षेत्र (नियमित सेवा)*

- फरवरी 2007 से मई 2008 की अवधि के 507 प्रकरणों में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश मार्ग के लिये 8 दिनों का किराया वसूल किया गया था। लेकिन सभी मामलों में पासों की वैधता 29 दिन थी।

- दोहरे अभिलेखों के 8 प्रकरण थे।

- छह प्रकरणों में पास के निर्गमन की तिथि, पास की समाप्ति की तिथि के 9 से 365 दिन बाद की थी। इसी प्रकार, तीन प्रकरणों में, पास के निर्गमन की तिथि 183,28 तथा 10 दिन पूर्व की थी।

### *लखनऊ क्षेत्र (लखनऊ महानगर परिवहन सेवा)*

- दो प्रकरणों में मात्र एक माह के किराये के विरूद्ध, पास की वैधता 2 तथा 3 माह थी।

- 47 प्रकरणों में उल्लिखित जन्म–तिथि पास की समाप्ति तिथि के बाद की थी। 2536 मामलों में पास धारकों की आयु शून्य से (–)7788 वर्ष थी तथा 455 मामलों में यह मात्र एक वर्ष थी।

- पॉच प्रकरणों में, पास के निर्गमन की तिथि 29 दिन पूर्व की थी।

- 11 पास (15600, 15761, 19377, 27448, 27875, 29700, 29731, 29740, 34402, 37301 तथा 37414) 22 विभिन्न व्यक्तियों को निर्गत (जनवरी से मई 2008) किये गये थे।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2008) कि निगम, ग्राहक सुविधा, उचित लेखांकन तथा लेखा परीक्षा पूछताछ सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली की पूर्णतया पुनर्गठन की प्रक्रिया में है।

**प्रबन्ध सूचना प्रणाली**

**3.29.11** निगम ने प्रश्नों के द्वारा प्रतिवेदन उत्पन्न करने की सुविधा से युक्त इन हाउस पैकेज डीबेस–III प्लस वर्जन पर विकसित किया है। एमआईएस का उद्देश्य प्रबन्ध कों यथार्थ एवं सही तस्वीर प्रस्तुत करना है। इस सॉफ्टवेयर में, केवल तालिकाएँ हैं जो सम्बन्धों एवं प्रक्रियाओं के लिये किसी सम्बन्धकारी डाटा बेस प्रबन्ध प्रणाली से रहित है।

### *महत्वपूर्ण फील्डों को खाली रखना*

**3.29.12** डिपो स्तर के डाटाबेस में निम्नलिखत महत्वपूर्ण फील्ड खाली पायी गयीः

- डिपो कार्यशाला, क्षेत्रीय कार्यशाला एवं एलेन फारेस्ट/केन्द्रीय कार्यशाला में रखी, सड़क पर न चल रही बसों का विवरण;

- कार्यशाला में रहने तथा खराबी के कारण कटे किलोमीटरों का विवरण;

- नीलामी हेतु रखी गयी बसों की संख्या

- बस द्वारा तय किये गये विभागीय एवं अन्य किलोमीटर।

इस प्रकार, इन फील्डों को खाली छोड़ देने के कारण, अनेक कार्यकुशलता प्राचलों की गणना सम्भव नहीं थी।

प्रबन्ध ने बताया (अगस्त 2008) कि खाली प्रविष्टियों का विवरण क्षेत्रीय एमआईएस में उपलब्ध है जो कि मुख्यालय द्वारा भी एमआईएस के लिये प्रयोग की जाती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मुख्यालय द्वारा लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये अन्तिम डाटा के डाटा बैंक ने भी खाली फील्डें प्रदर्शित की।

### *आगत नियन्त्रणों तथा वैधता जॉचों की अपर्याप्तता*

**3.29.13** आगत नियन्त्रण यह सुनिश्चित करते है कि प्रसंस्करण के लिये प्राप्त किया डाटा वास्तविक, पूर्ण, वैध तथा उचित रीति से अधिकृत है एवं डाटा प्रविष्टि परिशुद्धतापूर्वक, बिना दुहराव के की गयी है तथा प्रणाली में डाटा को भेजने से पूर्व सभी फील्डें सही ढंग से भरी गयी हैं। एमआईएस के डाटा बेस के विश्लेषण से आगत नियन्त्रण में असफलता तथा वैधता जॉचों की अनुपस्थिति के विभिन्न प्रकरण प्रकट हुए, जिनका विवरण निम्न है:

### *भार गुणांक की अशुद्ध गणनायें*

**3.29.14** भार गुणांक बस आय का, बस की पूर्ण क्षमता आय से प्रतिशत है। सामान्य परिस्थितियों में यह प्रतिशत शत–प्रतिशत तक जा सकता है यदि बस अपनी पूर्ण क्षमता पर भारित है अथवा अधिभारित है।

2005 से 2007 के डाटा बैंक से प्रकट हुआ कि कि 2005 तथा 2006 के दौरान भार गुणांक अपवाद रूप से 660 प्रतिशत तक ऊँचा था, लेकिन 2007 के दौरान 1 से 8 प्रतिशत की विस्तार सीमा तक अपवाद स्वरूप नीचा था। ऑकड़े संगत नहीं है तथा इसलिये विश्वसनीय नहीं है जिसका कारण आगत स्तर पर अनुप्रयोग नियन्त्रणों का अपर्याप्त होना है। विवरण निम्नवत् है:

| वर्ष | 100 प्रतिशत तक भार गुणांक | | 100 से 300 प्रतिशत तक भार गुणांक | | अपवाद स्वरूप ऊँचे अथवा नीचे प्रतिशत वाले भार गुणांक | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रकरण | विस्तार | प्रकरण | विस्तार | प्रकरण | विस्तार |
| 2005 | 2340 | 37–100 | 41 | 100–140 | 1 | 0.60 |
| 2006 | 2659 | 23–100 | 21 | 101–166 | 1 | 618 |
| 2007 | 2654 | 13–100 | 141 | 101–300 | 6 | 1–8 |

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2008) कि डाटा बेस में असंगतियॉ है क्योंकि क्षेत्रीय एमआईएस तथा डिपो एमआईएस का फाईल ढॉचा समान नहीं है तथा इसके अतिरिक्त कहा कि सेवाओं/बसों के वर्गीकरण के आधार पर डाटा नहीं बनाये गये हैं बल्कि ये कुल संख्याओं पर आधारित है। इन्होनें पुनः बताया कि समस्या के सुधार के लिये कार्यवाही की जा रही है।

### *क्षेत्रों/मुख्यालय का असंगत डाटा बैंक*

**3.29.15** लखनऊ क्षेत्र के अन्तर्गत कैसरबाग डिपो के दिसम्बर 2007 के डाटा बेस की जॉच से प्रकट हुआ कि क्षेत्रीय स्तर तथा कैसरबाग डिपो स्तर के डाटा में क्षेत्रीय एवं डिपो स्तर पर कैसरबाग डिपो की बसों को व्यवसाय में लगाने की प्रति कि0मी0 आय को अलग–अलग तरीके से आगणित करने की सीमा तक भिन्नता थी। डिपो डाटा के अनुसार प्रति कि0मी0 आय 11.40 रुपये थी जबकि यह संख्या क्षेत्रीय स्तर पर 11.45 रुपये आगणित की गयी थी। यह अन्तर महत्वपूर्ण था क्योंकि डिपो द्वारा अभिलेखित कुल किलोमीटर 10.72 लाख थे। अन्य 107 डिपो के विषय में डाटा लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

**3.29.16** चार डिपो (सोहराबगेट, मेरठ, गढ़ तथा खतौली) की बड़ी बसों के डाटा (2007 हेतु) की समीक्षा में प्रकट हुआ कि कुल अर्जित किमी 404.58 लाख कि0मी0 था। इसके अतिरिक्त कुल मृत कि0मी0, विभागीय कि0मी0, अन्य/विविध कि0मी0 तथा इन बसों द्वारा तय किये गये विभागीय कि0मी0 को शून्य अंकित किया गया था। लेखा परीक्षा ने पाया कि डाटाबेस के अनुसार इन बसों के सम्बन्ध में कुल बस कि0मी0 405.33 लाख कि0मी0 थे जो कि उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए सम्भव नहीं था। इससे डाटाबेस में संगतता जॉच की अनुपस्थिति प्रदर्शित हुई जिससे डाटा तथा एमआईएस रिर्पोटिंग अविश्वसनीय बन गयी।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2008) कि सही डाटा स्वीकार करने, केन्द्रीय डाटा बेस रखने, डाटा प्रग्रहण में कमियों को दूर करने तथा अर्जित कि0मी0 तथा कुल कि0मी0 में अन्तरों का समाधान करने के मामलों में सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं।

### *प्रबन्ध सूचना प्रणाली (एमआईएस) में विसंगतियॉ*

**3.29.17** ईंधन के ऑकड़ों के सत्यापन से ज्ञात हुआ कि उपयोग किये गये ईंधन (हाई स्पीड डीजल तथा पेट्रोल) को बस कि0मी0 (अर्जित कि0मी0, मृत कि0मी0 तथा विभागीय कि0मी0) से भाग देने पर औसत ईंधन आता है। यह देखा गया कि जनवरी

से दिसम्बर 2007 की अवधि में, सभी डिपो के बसों द्वारा ईंधन उपभोग के 18018 मामलों में से 1905 मामलों में एमआईएस प्रणाली द्वारा आगणित ईंधन लागत प्रति लीटर 4.06 रुपये तथा 195.86 रुपये के बीच थी जो कि यथार्थ नहीं थी।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2008) कि डाटा शब्दकोष में गलत परिभाषा के कारण ऐसे परिणाम आये।

*अन्य असंगतियाँ*

**3.29.18** एमआईएस डाटा बैंक में निम्नलिखित असंगतियाँ पायी गयी:

- डाटा बेस के 48 प्रकरणों में (वर्ष 2005 से सम्बन्धित), जहाँ अर्जित कि0मी0 10,000 से लेकर 14200 कि0मी0 तक थे तथा 14.79 लाख यात्रियों ने यात्रा की, बस आय तथा अन्य आय शून्य दर्शायी गयी थी।

- र्ष 2006 के 121 प्रकरणों में जहाँ बसे संचालित हुयी तथा 58.93 लाख कि0मी0 दूरी तय की, 40.37 लाख यात्रियों को ले गयी लेकिन डाटा बेस ने बस आय नहीं दर्शायी।

प्रकरण शासन को मई 2008 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2008)।

**निष्कर्ष**

**किसी उद्यम की सफलता हेतु निर्णय सहायता के लिये सूचना महत्वपूर्ण होती है। तथापि, अनुप्रयोग नियन्त्रणों तथा वैधता जाँचों की अनुपस्थिति में निगम मासिक पास पद्धति तथा प्रबन्ध सूचना प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उपयोग नहीं कर सका। एमपीएस के लिये, कम्पनी ने आईटी सेवायें तथा डाटा प्रबन्धक भुगतान के आधार पर लिये जो कम्पनी के स्वयं के कर्मचारियों द्वारा प्रबोधन एवं नियन्त्रण की अनुपस्थिति के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं प्रदान कर सके।**

**संस्तुतियाँ**

- **मासिक पास पद्धति में, सुविधा का दुरूपयोग रोकने के लिये निगम को आगत भरण स्तर पर पर्याप्त वैधता जाँचे रखनी चाहिये। एमआईएस अनुप्रयोग पैकेजों में इसी प्रकार की वैधता जाँचों की आवश्यकता है;**

- **प्रबन्ध को एमपीएस अनुप्रयोगों के प्रबन्धन को बाह्य एजेन्सी को देने की समीक्षा करनी चाहिए क्योंकि वर्तमान व्यवस्था, जो जोखिमों से परिपूर्ण है, में निगम का प्रबन्धित डाटा पर आधिपत्य एवं नियन्त्रण प्रतीत नहीं होता;**

- **डाटा में अनियमितताओं की पहचान एवं सुधार करने के लिये प्रबन्ध को एमपीएस तथा एमआईएस के सम्पूर्ण डाटा की समीक्षा करनी चाहिए; एवम्**

- **निगम आईटी की पूर्ण शक्ति को काम में बिना लगाये पुरानी आईटी पद्धतियों पर निर्भर कर रहा है। इसे अपने वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी की आधारभूत संरचना को उन्नत करने की योजना बनानी चाहिये। आईटी की पूर्ण शक्ति को काम में लगाने हेतु तकनीकी निर्देश देने के लिये निगम के पास मध्यम अवधि तथा दीर्घ अवधि की सूचना प्रौद्योगिकी योजना होनी चाहिये।**

## लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही

**3.30** भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में रखे गये खातों एवं प्रारम्भिक निरीक्षण में शुरू हुई जॉच प्रक्रिया के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए, यह आवश्यक है कि वे कार्यकारी से उचित एवं समय से प्राप्त उत्तर को प्रकाश मे लायें।

वर्ष 2002–2003, 2003–2004, 2004–05, 2005–06 एवं 2006–07 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल में क्रमशः जुलाई 2004, जुलाई 2005, मार्च 2006, मई 2007 तथा फरवरी 2008 में रखे गये थे। 25 विभागों के अन्तर्गत सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित 176 प्रस्तरों/समीक्षायें वर्ष 2002–03 से 2006–07 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में सम्मिलित किये गये थे। 108 प्रस्तरों/समीक्षाओं के उत्तर 30 सितम्बर 2008 तक शासन से नहीं प्राप्त हुये जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

| लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में कुल प्रस्तर/समीक्षाऐं | सम्बन्धित विभागों की संख्या | प्रस्तर/समीक्षाओं की संख्या जिसके उत्तर प्राप्त नहीं हुये |
|---|---|---|---|
| 2002-03 | 42 | 10 | 11 |
| 2003-04 | 30 | 10 | 21 |
| 2004-05 | 31 | 10 | 14 |
| 2005-06 | 38 | 13 | 31 |
| 2006-07 | 35 | 8 | 31 |
| योग | **176** | | **108** |

विभागवार विश्लेषण **परिशिष्ट–22** में दिया गया है। मुख्यतः ऊर्जा एवं औद्योगिक विकास विभाग उत्तर न भेजने के लिए उत्तरदायी हैं।

### *सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अनुपालन*

**3.31** वर्ष 1997–98 से 2006–07 तक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में 359 प्रस्तर एवं 46 समीक्षायें शामिल की गई थी; इनमें से 30 सितम्बर 2008 तक 118 प्रस्तर एवं 18 समीक्षाओं पर कोपू ने चर्चा की। 1978–79 से 2002–03 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के 91 प्रस्तरों एवं 20 समीक्षाओं के सम्बन्ध में कोपू ने संस्तुतियॉ की थीं।

कोपू की संस्तुतियों पर विभागों के उत्तर/अनुगामी कार्यवाही प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2008)।

### *लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल सतत् अनियमितताओं पर की गयी कार्यवाही*

**3.32** कोपू द्वारा सतत् प्रकृति की अनियमितताओं की चर्चा एवं सहायता के दृष्टिकोण से, सम्बन्धित लेखा परीक्षित संगठन द्वारा की गई सुधारात्मक कार्यवाही को सत्यापित करने का एक प्रयास किया गया। सरकारी कम्पनियों के परिणाम **परिशिष्ट–23** में और सांविधिक निगमों के परिणाम **परिशिष्ट–24** में दिये गये हैं।

## निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट प्रस्तरों एवं समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

**3.33** लेखा परीक्षा के दौरान संज्ञान में आये तथा तत्काल निस्तारित न हुये लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों तथा सम्बन्धित विभागों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से सूचित किया जाता है। सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों को, निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर सम्बन्धित विभागों के प्रमुखों के माध्यम से, छः सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना अपेक्षित होता है। मार्च 2008 तक 66 सार्वजनिक

उपक्रमों से सम्बन्धित निरीक्षण प्रतिवेदनों में यह संज्ञान में आया कि 4825 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 16650 प्रस्तर, सितम्बर 2008 के अन्त तक, अनिस्तारित रहे; इनमें से 2683 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सन्निहित, 8223 प्रस्तर पॉच वर्ष से अधिक समय से अनुत्तरित रहे। 30 सितम्बर 2008 के अन्त तक, विभाग वार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रेक्षणों का विश्लेषण **परिशिष्ट–25** में दिया गया हैं।

इसी प्रकार, सार्वजनिक उपक्रमों पर ड्राफ्ट प्रस्तर एवं समीक्षाऐं प्रमुख सचिव, वित्त और प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि एवं उन पर उनकी टिप्पणियॉ छः सप्ताह के अन्दर मांगी जाती है। फरवरी से जून 2008 के मध्य विभिन्न विभागों को अग्रसारित 40 ड्राफ्ट प्रस्तरों एवं आठ ड्राफ्ट समीक्षाओं में से 38 ड्राफ्ट प्रस्तरों और आठ ड्राफ्ट के उत्तर अक्टूबर 2008 तक शासन से प्राप्त नहीं हुये थे, जिसका विवरण **परिशिष्ट–26** में दिया गया है।

यह संस्तुति की जाती है कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिये कि (अ) उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया अस्तित्व में है, जो निरीक्षण प्रतिवेदनों/ड्राफ्ट प्रस्तरों/समीक्षाओं तथा कोपू की संस्तुतियों पर की गई कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं दे पाये हैं, (ब) समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान को वसूल करने की कार्यवाही, और (स) लेखा परीक्षा आपित्तयों के उत्तर देने की प्रक्रिया को नवीनीकृत कर दिया गया है।

रीमा प्रकाश

(रीमा प्रकाश)
महालेखाकार
(वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा)
उत्तर प्रदेश

लखनऊ
दिनांक ३८ जनवरी २००९

**प्रतिहस्ताक्षरित**

विनोद राय

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक २० जनवरी २००९

# परिशिष्ट

## *परिशिष्ट–1*

## सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2008 को अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बजट बर्हिगमन, बजट से प्राप्त ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाती विवरणी

## (प्रस्तर संख्या 1.4, 1.5, 1.6 व 1.19 में संदर्भित)

{स्तम्भ 3(अ) से 4(र) के आंकड़े लाख रुपये में हैं}

| क्रम सं0 | क्षेत्र एवं कम्पनी/निगम का नाम | चालू वर्ष के अन्त तक प्रदत्त पूँजी (कोष्ठक के आंकड़े अंशपूँजी आवेदन धनराशि को इंगित करते हैं) | | | | | वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंशपूँजी/ऋण | | वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण | 2007–08 की समाप्ति पर बकाया ऋण | | | 2007–08 के लिए ऋण/अंशपूँजी अनुपात (गत वर्ष) 4(र)/3(य) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राज्य सरकार | केन्द्र सरकार | नियंत्रक कम्पनियाँ | अन्य | योग | समता अंशपूँजी | ऋण | | सरकारी | अन्य | योग | |
| (1) | (2) | 3(अ) | 3(ब) | 3(स) | 3(द) | 3(य) | 4(अ) | 4(ब) | 4(स) | 4(द) | 4(य) | 4(र) | 5 |
| अ. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ | | | | | | | | | | | | | |
| | अ. कृषि एवम् समवर्गीय | | | | | | | | | | | | |
| 1. | उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड | 3667.17 | 332.83 | – | – | 4000.00 | – | - | – | 500.00 | - | 500.00 | 0.13:1 (0.13:1) |
| 2. | उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड | 50.50 (-) | – (-) | – (-) | 13.65 (0.76) | 64.15 (0.76) | – | – | – | – | - | - | - (-) |
| 3. | उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड | 15.30 (1.97) | - (-) | - (-) | 8.22 (-) | 23.52 (1.97) | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| 4. | उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड | 540.00 (-) | 100.00 (-) | - (-) | - (-) | 640.00 (-) | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| 5. | उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम | 150.00 (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 150.00 (-) | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| 6. | उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड | 107.00 | - | - | - | 107.00 | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| 7. | उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड | 125.00 | - | - | 67.00 | 192.00 | - | - | - | - | - | - | - (2.60:1) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **4654.97 (1.97)** | **432.83 (-)** | **- (-)** | **88.87 (0.76)** | **5176.67 (2.73)** | - | - | - | **500.00** | - | **500.00** | **0.1:1 (0.1:1)** |
| | उद्योग | | | | | | | | | | | | |
| 8. | उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड | 596.05 | - | - | - | 596.05 | - | - | - | 631.51 | 392.38 | 1023.89 | 1.72:1 (1.72:1) |
| 9. | उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड | 573.94 | - | - | - | 573.94 | - | - | - | 191.40 | - | 191.40 | 0.33:1 (0.33:1) |
| 10. | यू पी एस आई सी पौट्रीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | - | - | 76.25 | - | 76.25 | - | - | - | 82.50 | 40.00 | 122.50 | 1.61:1 (1.61:1) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **1169.99** | - | **76.25** | - | **1246.24** | - | - | - | **905.41** | **432.38** | **1337.79** | **1.07:1 (1.07:1)** |

बाण्ड, ऋणपत्र, अन्तर–निगम जमा शामिल है।

2007–08 के अन्त में बकाया ऋण केवल दीर्घावधि ऋण को दर्शाता है।

| (1) | (2) | 3(अ) | 3(ब) | 3(स) | 3(द) | 3(य) | 4(अ) | 4(ब) | 4(स) | 4(द) | 4(य) | 4(र) | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **इलेक्ट्रानिक्स** | | | | | | | | | | | | |
| 11. | उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड | 8765.98 (726.26) | - (-) | - (-) | - (-) | 8765.98 (726.26) | - | - | - | 8477.89 | - | 8477.89 | 0.89:1 (0.89:1) |
| 12. | अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | - | - | 257.00 | 150.00 | 407.00 | - | - | - | - | 315.00 | 315.00 | 0.77:1 (0.77:1) |
| 13. | श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | - | - | 671.08 | 50.63 | 721.71 | - | - | - | 263.44 | - | 263.44 | 0.36:1 (0.36:1) |
| 14. | अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | - | - | 5792.51 | - | 5792.51 | - | - | - | - | 970.00 | 970.00 | 0.17:1 (0.17:1) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **8765.98 (726.26)** | **- (-)** | **6720.59 (-)** | **200.63 (-)** | **15687.20 (726.26)** | **-** | **-** | **-** | **8741.33** | **1285.00** | **10026.33** | **0.61:1 (0.61:1)** |
| | **वस्त्र** | | | | | | | | | | | | |
| 15. | उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड | 3190.52 (2176.00) | - (-) | - (-) | - (-) | 3190.52 (2176.00) | - | 15.00 | - | 2455.96 | 150.00 | 2605.96 | 0.49:1 (0.52:1) |
| 16. | उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड | 9324.43 | - | - | - | 9324.43 | - | - | - | 4563.85 | - | 4563.85 | 0.49:1 (0.34:1) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **12514.95 (2176.00)** | **- (-)** | **- (-)** | **- (-)** | **12514.95 (2176.00)** | **-** | **15.00** | **-** | **7019.81** | **150.00** | **7169.81** | **0.49:1 (0.50:1)** |
| | **हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स** | | | | | | | | | | | | |
| 17. | उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड | 3644.49 | 1062.95 | - | - | 4707.44 | - | 344.40 | - | 10002.59 | 500.00 | 10502.59 | 2..23:1 (2.16:1) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **3644.49** | **1062.95** | **-** | **-** | **4707.44** | **-** | **344.40** | **-** | **10002.59** | **500.00** | **10502.59** | **2..23:1 (2.16:1)** |
| | **निर्माण** | | | | | | | | | | | | |
| 18. | उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड | 1500.00 | - | - | - | 1500.00 | 500.00 | - | - | 1221.00 | 1611.00 | 2832.00 | 1.89:1 (2.83:1) |
| 19. | उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड | 100.00 | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| 20. | उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड | 300.00 | - | - | - | 300.00 | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **1900.00** | **-** | **-** | **-** | **1900.00** | **500.00** | **-** | | **1221.00** | **1611.00** | **2832.00** | **1.49:1 (2.02:1)** |
| | ***आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास*** | | | | | | | | | | | | |
| 21. | उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड | 9326.81 (956.25) | 8612.32 (-) | - (-) | - (-) | 17939.13 (956.25) | 1275.00 | - | - | - | 7814.65 | 7814.65 | 0.41:1 (0.48:1) |
| 22. | उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड | 15.00 | - | - | - | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| 23. | उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड | 933.53 (357.82) | - (-) | - (-) | - (-) | 933.53 (357.82) | 23.53 | - | 200.00 | 320.00 | 4284.83 | 4604.83 | 3.57:1 (3.47:1) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **10275.34 (1314.07)** | **8612.32 (-)** | **- (-)** | **- (-)** | **18887.66 (1314.07)** | **1298.53** | **-** | **200.00** | **320.00** | **12099.48** | **12419.48** | **0.61:1 (0.69:1)** |
| | **सर्वजनिक वितरण** | | | | | | | | | | | | |
| 24. | उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड | 500.00 (50.39) | - (-) | - (-) | - (-) | 500.00 (50.39) | - | - | - | 1347.05 | - | 1347.05 | 2.45:1 (2.45:1) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **500.00 (50.39)** | **- (-)** | **- (-)** | **- (-)** | **500.00 (50.39)** | - | - | - | **1347.05** | **-** | **1347.05** | **2.45:1 (2.45:1)** |

| (1) | (2) | 3(अ) | 3(ब) | 3(स) | 3(द) | 3(य) | 4(अ) | 4(ब) | 4(स) | 4(द) | 4(य) | 4(र) | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **चीनी** | | | | | | | | | | | | |
| 25. | उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड | 93961.46 | - | - | - | 93961.46 | - | 11948.03- | 5000.00 | 19769.42 | 5000.00 | 24769.42 | 0.26:1 (0.04:1) |
| 26. | छाता शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | - | - | 3618.28 | - | 3618.28 | - | - | 2882.24 | - | 2882.24 | 2882.24 | 0.80:1 (0.12:1) |
| 27. | नन्दगंज–सिहोरी शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | - | - | 3404.05 | - | 3404.05 | - | - | 705.39 | - | 3700.19 | 3700.19 | 1.09:1 (0.87:1) |
| 28. | घाटमपुर शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | - | - | 879.85 | 15.00 | 894.85 | - | - | 773.44 | - | 5276.68 | 5276.68 | 5.90:1 (5.03:1) |
| 29. | उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | - (-) | - (-) | 843.70 (54459.42) | - (-) | 843.70 (54459.42) | - | - | - | - | 55.94 | 55.94 | 0.001.1 (0.04:1) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **93961.46 (-)** | **- (-)** | **8745.88 (54459.42)** | **15.00 (-)** | **102722.34 (54459.42)** | **-** | **11948.03** | **9361.07** | **19769.42** | **16915.05** | **36684.47** | **0.23:1 (0.10: 1)** |
| | **पर्यटन** | | | | | | | | | | | | |
| 30. | उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड | 1512.53 (347.31) | - (-) | - (-) | - (-) | 1512.53 (347.31) | 121.31 | - | - | - | 4.45 | 4.45 | 0.002:1 (0.002:1) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **1512.53 (347.31)** | **- (-)** | **- (-)** | **- (-)** | **1512.53 (347.31)** | **121.31** | **-** | **-** | **-** | **4.45** | **4.45** | **0.002:1 (0.002:1)** |
| | **विद्युत** | | | | | | | | | | | | |
| 31. | उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | 292380.62 (700.00) | - (-) | - (-) | - (-) | 292380.62 (700.00) | | - | | 21909.00 | 252839.87 | 274748.87 | 0.94:1 (0.92:1) |
| 32. | उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड | 40444.44 (1016.00) | - (-) | - (-) | - (-) | 40444.44 (1016.00) | 100.00 | - | - | 6465.00 | 8521.43 | 14986.43 | 0.36:1 (0.36:1) |
| 33. | उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड | 470744.89 (698450.13) | - (-) | - (-) | 0.07 (-) | 470744.96 (698450.13) | - | - | - | 9971.00 | 82432.00 | 92403.00 | 0.08:1 (0.08:1) |
| 34. | कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | 0.07 | - | 5999.93 | - | 6000.00 | - | - | - | - | 14026.97 | 14026.97 | 2.34:1 (2.34:1) |
| 35. | यू0पी0एस0आई0डी0सी0 पावर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | - | - | 5.07 | - | 5.07 | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| 36. | दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | - (-) | - (-) | 34619.00 (2382.90) | - (-) | 34619.00 (2382.90) | - | 2412.00 | 30418.56- | 7798.54 | 66390.00 | 74188.54 | 2.00:1 (1.12:1) |
| 37. | मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | - (-) | - (-) | 15548.00 (3537.47) | - (-) | 15548.00 (3537.47) | - | - | - | 12864.04 | 6334.92 | 19198.96 | 1.01:1 (0.70:1) |
| 38. | पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | - (-) | - (-) | 54005.00 (1990.36) | - (-) | 54005.00 (1990.36) | - | - | - | 9600.00 | 66415.00 | 76015.00 | 1.36:1 (1.36:1) |
| 39. | पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | - (-) | - (-) | 11520.00 (5020.84) | - (-) | 11520.00 (5020.84) | - | - | 58107.00 | 375.00 | 97188.00 | 97563.00 | 5.90:1 (5.90:1) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **803570.02 (700166.13)** | **- (-)** | **121697.00 (12931.57)** | **0.07 (-)** | **925267.09 (713097.70)** | **100.00** | **2412.00** | **88525.56** | **68982.58** | **594148.19** | **663130.77** | **0.40:1 (0.38:1)** |
| | **ड्रग, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल** | | | | | | | | | | | | |
| 40. | उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | 55.93 | - | - | 53.73 | 109.66 | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **55.93** | **-** | **-** | **53.73** | **109.66** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- (-)** |

| (1) | (2) | 3(अ) | 3(ब) | 3(स) | 3(द) | 3(य) | 4(अ) | 4(ब) | 4(स) | 4(द) | 4(य) | 4(र) | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **वित्तपोषण** | | | | | | | | | | | | |
| 41. | उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड | 2407.51 | - | - | - | 2407.51 | - | - | - | 198.33 | - | 198.33 | 0.08:1 (0.08:1) |
| 42. | दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड | 11057.50 | - | - | 2500.00 | 13557.50 | - | - | - | 1750.00 | 31221.77 | 32971.77 | 2.43:1 (2.94:1) |
| 43. | उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड | 2999.95 | - | - | - | 2999.95 | - | - | - | 752.00 | 8268.37 | 9020.37 | 3.01:1 (3.01:1) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **16464.96** | **-** | **-** | **2500.00** | **18964.96** | **-** | **-** | **-** | **2700.33** | **39490.14** | **42190.47** | **2.22:1 (2.59:1)** |
| | **विविध** | | | | | | | | | | | | |
| 44. | उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड | 634.27 | 90.00 | - | - | 724.27 | - | - | - | 743.68 | - | 743.68 | 1.03:1 (1.03:1) |
| 45. | उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड | 100.00 | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| 46. | उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड | 700.00 | - | - | - | 700.00 | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| 47. | उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड | 471.00 | 48.03 | - | - | 519.03 | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| 48. | उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड | 42.54 | - | - | - | 42.54 | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **1947.81** | **138.03** | **-** | **-** | **2085.84** | **-** | **-** | **-** | **743.68** | **-** | **743.68** | **0.36:1 (0.38:1)** |
| | **योग–अ (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)** | **960938.43 (704782.13)** | **10246.13 (-)** | **137239.72 (67390.99)** | **2858.30 (0.76)** | **1111282.58 (772173.88)** | **2019.84** | **14719.43** | **98086.63** | **122253.20** | **666635.69** | **788888.89** | **0.42:1 (0.39:1)** |
| **ब. कार्यरत सांविधिक निगम** | | | | | | | | | | | | | |
| | **परिवहन** | | | | | | | | | | | | |
| | उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम | 29911.49 | 6001.46 | - | - | 35912.95 | - | - | 5500.00 | 347.00 | 16370.81 | 16717..81 | 0.47:1 (0.58:1) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **29911.49** | **6001.46** | **-** | **-** | **35912.95** | **-** | **-** | **5500.00** | **347.00** | **16370.81** | **16717..81** | **0.47:1 (0.58:1)** |
| | **वित्तपोषण** | | | | | | | | | | | | |
| 2. | उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम | 11450.78 | - | - | 6477.68 | 17928.46 | - | 6595.00 | - | 12451.00 | 78304.70 | 90755.70 | 5.06:1 (5.62:1) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **11450.78** | **-** | **-** | **6477.68** | **17928.46** | **-** | **6595.00** | **-** | **12451.00** | **78304.70** | **90755.70** | **5.06:1 (5.62:1)** |
| | **कृषि एवं समवर्गीय** | | | | | | | | | | | | |
| 3. | उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम | 558.25 (220.70) | 558.25 (-) | - (-) | - (-) | 1116.50 (220.70) | - | - | - | - | 3003.12 | 3003.12 | 2..25:1 (2.98:1) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **558.25 (220.70)** | **558.25 (-)** | **- (-)** | **- (-)** | **1116.50 (220.70)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3003.12** | **3003.12** | **2.25:1 (2.98:1)** |
| | **वन** | | | | | | | | | | | | |

| (1) | (2) | 3(अ) | 3(ब) | 3(स) | 3(द) | 3(य) | 4(अ) | 4(ब) | 4(स) | 4(द) | 4(य) | 4(र) | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | उत्तर प्रदेश वन निगम | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| | **क्षेत्रवार योग** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| | **विविध** | | | | | | | | | | | | |
| 5. | उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| 6. | उत्तर प्रदेश जल निगम | - | - | - | - | - | - | - | - | 9885.31 | - | 9885.31 | - (-) |
| 7. | यूपी सरकारी कर्मचारी कल्याण निगम | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - | 809.35 | - | 809..35 | - (-) |
| | **क्षेत्रवार योग** | - | - | - | - | - | - | **100.00** | - | **10694.66** | - | **10694.66** | - (-) |
| | **योग–ब (सभी क्षेत्रवार सांविधिक निगम)** | **41920.52 (220.70)** | **6559.71 (-)** | **- (-)** | **6477.68 (-)** | **54957.91 (220.70)** | - | **6695.00** | **5500.00** | **23492.66** | **97678.63** | **121171.29** | **2.20:1 (2.64:1)** |
| | **कुल योग (अ+ब)** | **1002858.95 (705002.83)** | **16805.84 (-)** | 137239.72 (67390.99) | **9335.98 (0.76)** | **1166240.49 (772394.58)** | **2019.84** | 21414.43 | **103586.63** | **145745.86** | **764314.32** | **910060.18** | **0.47:1 (0.45:1)** |
| स. अकार्यरत कम्पनियाँ | | | | | | | | | | | | | |
| | **कृषि एवं समवर्गीय** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड | 209.85 | 63.00 | - | - | 272.85 | - | - | - | 71.11 | - | 71.11 | 0.26:1 (0.26:1) |
| 2. | उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड | 22.73 (-) | - (-) | - (-) | 8.11 (0.22) | 30.84 (0.22) | - | - | - | 169.70 | - | 169.70 | 5.46:1 (5.46:1) |
| 3. | उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड–तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड | 38.25 (-) | - (-) | - (-) | 32.95 (0.21) | 71.20 (0.21) | - | - | - | 654.87 | - | 654.87 | 9.17:1 (9.17:1) |
| 4. | उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड | 640.68 | - | - | 64.25 | 704.93 | - | - | - | 122.48 | - | 122.48 | 0.17:1 (0.17:1) |
| 5. | उत्तर प्रदेश पौल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशैलिटीज लिमिटेड | 44.00 (121.75) | 6.00 (121.75) | - (-) | - (-) | 50.00 (243.50) | - | - | - | 109.75 | - | 109.75 | 0.37:1 (0.37:1) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **955.51 (121.75)** | **69.00 (121.75)** | **- (-)** | **105.31 (0.43)** | **1129.82 (243.93)** | - | - | - | **1127.91** | - | **1127.91** | **0.82:1 (0.82:1)** |
| | **उद्योग** | | | | | | | | | | | | |
| 6. | उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेस (प्राईवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | - | - | 1.63 | - | 1.63 | - | - | - | - | 3.00 | 3.00 | 1.84:1 (1.84:1) |
| 7. | आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड | 562.59 | - | - | 187.41 | 750.00 | - | - | - | 37.50 | - | 37.50 | 0.05:1 (0.05:1) |
| 8. | उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | - (-) | - (-) | 177.72 (-) | 15.50 (9.00) | 193.22 (9.00) | - | - | - | 554.62 | 1149.26 | 1703.88 | 8.43:1 (8.43:1) |
| 9. | उत्तर प्रदेश स्टेट ब्राससवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड | 527.86 | 10.00 | - | - | 537.86 | - | - | - | 194.23 | - | 194.23 | 0.36:1 (0.36:1) |
| 10. | कान्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन मिमिटेड की सहायक) | - | - | 2921.72 | 1702.23 | 4623.95 | - | - | - | - | 13885.08 | 13885.08 | 3.00:1 (3.00:1) |
| 11. | उत्तर प्रदेश एब्स्काट प्राईवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | - | - | 4.85 | - | 4.85 | - | - | - | - | - | - | - (-) |

| (1) | (2) | 3(अ) | 3(ब) | 3(स) | 3(द) | 3(य) | 4(अ) | 4(ब) | 4(स) | 4(द) | 4(य) | 4(र) | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | उत्तर प्रदेश टायर एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | - | - | 183.16 | - | 183.16 | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **1090.45 (-)** | **10.00 (-)** | **3289.08 (-)** | **1905.14 (9.00)** | **6294.67 (9.00)** | **-** | **-** | **-** | **786.35** | **15037.34** | **15823.69** | **2.51:1 (2.51:1)** |
| | **इलेक्ट्रानिक्स** | | | | | | | | | | | | |
| 13. | अपट्रान सेमपैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | - | - | 2.55 | - | 2.55 | - | - | - | - | 2.77 | 2.77 | 1.09:1 (1.09:1) |
| 14. | कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | - | - | 5.25 | - | 5.25 | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **-** | **-** | **7.80** | **-** | **7.80** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.77** | **2.77** | **0.36:1 (0.36:1)** |
| | वस्त्र | | | | | | | | | | | | |
| 15. | उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड | 16079.37 (4332.00) | - (-) | - (-) | - (-) | 16079.37 (4332.00) | - | 2.00 | - | 9531.19 | - | 9531.19 | 0.47:1 (0.47:1) |
| 16. | उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | 16.20 | - | 26.00 | - | 42.20 | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| 17. | भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | - (-) | - (-) | 375.54 (-) | - (-) | 375.54 (-) | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **16095.57 (4332.00)** | **- (-)** | **401.54 (-)** | **- (-)** | **16497.11 (4332.00)** | **-** | **2.00** | **-** | **9531.19** | **-** | **9531.19** | **0.46:1 (0.46:1)** |
| | **हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स** | | | | | | | | | | | | |
| 18. | हैण्डलूम इन्टेंसिव डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन (गोरखपुर एवं बस्ती) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | - | - | 3.00 | - | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| 19. | हैण्डलूम इन्टेंसिव डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | - | - | 2.00 | - | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **-** | **-** | **5.00** | **-** | **5.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- (-)** |
| | खनन | | | | | | | | | | | | |
| 20. | उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड | 5943.48 | - | - | - | 5943.48 | - | - | - | 1823.86 | 150.00 | 1973.86 | 0.33:1 (0.33:1) |
| 21. | विन्ध्याचल अब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | - | - | 3.73 | 3.87 | 7.60 | - | - | - | - | 84.42 | 84.42 | 11.11:1 (11.11:1) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **5943.48** | **-** | **3.73** | **3.87** | **5951.08** | **-** | **-** | **-** | **1823.86** | **234.42** | **2058.28** | **0.35:1 (0.36:1)** |
| | **क्षेत्र विकास** | | | | | | | | | | | | |
| 22. | उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड | 123.30 | - | - | - | 123.30 | - | - | - | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 0.05:1 (0.04:1) |
| 23. | उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड | 129.80 | - | - | - | 129.80 | - | - | - | 35.00 | - | 35.00 | 0.27:1 (0.27:1) |
| 24. | बुन्देलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक) | - | - | 1.22 | - | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| 25. | इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड | 67.00 | - | - | - | 67.00 | - | - | - | 65.93 | - | 65.93 | 0.98:1 (0.98:1) |

| (1) | (2) | 3(अ) | 3(ब) | 3(स) | 3(द) | 3(य) | 4(अ) | 4(ब) | 4(स) | 4(द) | 4(य) | 4(र) | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड | 125.00 | - | - | - | 125.00 | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| 27. | लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड | 70.00 | - | - | - | 70.00 | - | - | - | 85.79 | - | 85.79 | 1.23:1 (1.22:1) |
| 28. | आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड | 100.00 | - | - | - | 100.00 | - | - | - | 5.00 | - | 5.00 | 0.05:1 (0.05:1) |
| 29. | गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड | 93.56 | - | - | 32.47 | 126.03 | - | - | - | 88.24 | - | 88.24 | 0.70:1 (0.70:1) |
| 30. | मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड | 100.00 | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| 31. | वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड | 70.00 | - | - | - | 70.00 | - | - | - | 30.00 | - | 30.00 | 0.43:1 (0.43:1) |
| 32. | मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड | 25.00 | - | - | - | 25.00 | - | - | - | 64.60 | - | 64.60 | 2.58:1 (2.58:1) |
| 33. | गंडक समादेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड | 46.00 | - | - | - | 46.00 | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **949.66** | **-** | **1.22** | **32.47** | **983.35** | **-** | **-** | **-** | **379.56** | **1.00** | **380.56** | **0.39:1 (0.39:1)** |
| | **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास** | | | | | | | | | | | | |
| 34. | तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड | 45.00 | - | - | - | 45.00 | - | - | - | 125.00 | - | 125.00 | 2.78:1 (2.78:1) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **45.00** | **-** | **-** | **-** | **45.00** | **-** | **-** | **-** | **125.00** | **-** | **125.00** | **2.78:1 (2.78:1)** |
| | **सीमेण्ट** | | | | | | | | | | | | |
| 35. | उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड | 6828.00 | - | - | - | 6828.00 | - | - | - | 12476.52 | - | 12476.52 | 1.83:1 (1.83:1) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **6828.00** | **-** | **-** | **-** | **6828.00** | **-** | **-** | **-** | **12476.52** | **-** | **12476.52** | **1.83:1 (1.83:1)** |
| | **ड्रग, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल** | | | | | | | | | | | | |
| 36. | दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड | 18.75 | - | - | 3.27 | 22.02 | - | - | - | 533.00 | - | 533.00 | 24.21:1 (24.21:1) |
| 37. | उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | - | - | 658.73 | - | 658.73 | - | - | - | 1102.00 | - | 1102.00 | 1.67:1 (1.67:1) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **18.75** | **-** | **658.73** | **3.27** | **680.75** | **-** | **-** | **-** | **1635.00** | **-** | **1635.00** | **2.40:1 (2.40:1)** |
| | **वित्त पोषण** | | | | | | | | | | | | |
| 38. | उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड | 77.77 | - | - | 65.68 | 143.45 | - | - | - | - | - | - | - (-) |
| 39. | अपलीज फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | - | - | 100.00 | 5.87 | 105.87 | - | - | - | - | 414.76 | 414.76 | 3.92:1 (3.92:1) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **77.77** | **-** | **100.00** | **71.55** | **249.32** | **-** | **-** | **-** | **-** | **414.76** | **414.76** | **1.66:1 (1.66:1)** |

| (1) | (2) | 3(अ) | 3(ब) | 3(स) | 3(द) | 3(य) | 4(अ) | 4(ब) | 4(स) | 4(द) | 4(य) | 4(र) | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | विविध | | | | | | | | | | | | |
| 40 | उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड | 818.22 | - | - | 0.20 | 818.42 | - | - | - | 247.00 | - | 247.00 | 0.30:1 (0.30:1) |
| | **क्षेत्रवार योग** | **818.22** | **-** | **-** | **0.20** | **818.42** | **-** | **-** | **-** | **247.00** | **-** | **247.00** | **0.30:1 (0.30:1)** |
| | कुल योग–(स) | **32822.41 (4453.75)** | **79.00 (121.75)** | **4467.10 (-)** | **2121.81 (9.43)** | **39490.32 (4584.93)** | **-** | **2.00** | **-** | **28132.39** | **15690.29** | **43822.68** | **0.99:1 (1.0:1)** |
| | कुल योग (अ+ब+स) | **1035681.36 (709456.58)** | **16884.84 (121.75)** | **141706.82 (67390.99)** | **11457.79 (10.19)** | **1205730.81 (776979.51)** | **2019.84** | **21416.43** | **103586.63** | **173878.25** | **780004.61** | **953882.86** | **0.48:1 (0.47:1)** |

स्रोत: पीएसयू द्वारा प्रदत्त सूचना।

*नोट: 1. उन कम्पनियों को छोडकर जिन्होने वर्ष 2007–08 के लेखों को अन्तिम रूप दिया था (क्रम संख्या: अ–2,3,12,13,47, बी–5 एवम् स–20) आँकड़े अनन्तिम है और जैसा कम्पनी/निगमों ने दिये है।*

*2. उत्तर प्रदेश वन निगम (क्रम संख्या ब–4) ने जानकारी प्रस्तुत नही की है।*

*3. राज्य सरकार का विनियोग 19190.16 करोड था (कार्यरत पीएसयू: 18536.07 करोड रुपये तथा अकार्यरत पीएसयू: 654.09 करोड रुपये) एवम् अन्य विनियोग 10175.77 करोड़ रुपये था (कार्यरत पीएसयू: 9950.88 करोड रुपये तथा अकार्यरत पीएसयू: 224.89 करोड़ रुपये)। वित्त लेखा 2007–08 के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा किया गया विनियोग 14437.69 करोड़ रुपये था (कार्यरत पीएसयू: 13837.69 करोड रुपये तथा अकार्यरत पीएसयू: 600.00 करोड़ रुपये) भिन्नता का मिलान किया जा रहा है।*

## परिशिष्ट–2

## सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अन्तिम रूप दे दिया गया, के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.21 व 1.22 में सन्दर्भित)

(स्तम्भ 7 से 12 एवं 15 के आंकड़े लाख रुपये में)

| क्रम सं0 | क्षेत्र एवं कम्पनियों/निगमों के नाम | विभाग का नाम | निगमन की तिथि | लेखों की अवधि | वर्ष जिसमें लेखों को अन्तिम रूप दिया गया | शुद्ध लाभ(+)/ हानि(–) | लेखापरीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव | प्रदत्त पूँजी | संचित लाभ(+)/ हानि(–) | नियोजित पूँजी (अ) | नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ | नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत | वर्षों के अनुसार लेखों का बकाया | आवर्त | श्रम शक्ति (कर्मचारियों की संख्या) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| अ. | कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ | | | | | | | | | | | | | | |
| | **कृषि एवं समवर्गीय** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड | कृषि | 29.03.1967 | 2004-05 | 2007-08 | 622.53 | 159.28 (डीपी) | 400.00 | (-)6115.09 | 1742.63 | 1001.84 | 57.49 | 03 | 44948.08 | 1250 |
| 2. | उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड | चीनी उद्योग और गन्ना विकास | 27.08.1975 | 2007-08 | 2008-09 | 30.26 | - | 64.15 | (-)15.45 | 53.25 | 30.44 | 57.16 | - | 42.66 | - |
| 3. | उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड | चीनी उद्योग और गन्ना विकास | 27.08.1975 | 2007-08 | 2008-09 | (-)9.51 | - | 23.52 | (-)54.89 | 246.43 | (-)9.51 | - | - | 23.58 | 26 |
| 4. | उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड | सिंचाई | 26.05.1976 | 2006-07 | 2008-09 | 1443.29 | - | 640.00 | 329.67 | 950.31 | 1443.29 | 151.88 | 01 | 37621.33 | 728 |
| 5. | उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम | कृषि | 30.03.1978 | 2006-07 | 2008-09 | 11.90 | - | 150.00 | 12.29 | 844.45 | 11.90 | 1.41 | 01 | 1160.35 | 114 |
| 6. | उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड | मत्स्य उत्पादन | 27.10.1979 | 1999-2000 | 2008-09 | 39.29 | - | 107.00 | (-)172.23 | 364.64 | 39.29 | 10.78 | 08 | 456.66 | 231 |
| 7. | उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड | कृषि | 15.02.2002 | 2004-05 | 2007-08 | 586.66 | - | 192.00 | 1349.29 | 1745.90 | 721.60 | 41.33 | 03 | 9944.71 | - |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **2733.93 (-) 9.51** | **159.28** | **5176.67** | **1691.25 (-) 6357.66** | **5947.61** | **3248.36 (-) 9.51** | **54.46** | - | **94197.37** | **2349** |
| | **उद्योग** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड | लघु उद्योग | 01.06.1958 | 2000-01 | 2008-09 | (-)42.93 | - | 596.05 | (-)1160.88 | (-)563.88 | 220.99 | - | 07 | 8956.55 | |
| 9. | उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड | निर्यात प्रोत्साहन | 12.02.1974 | 2000-01 | 2002-03 | 26.16 | - | 573.94 | (-)685.60 | 531.10 | 31.36 | 5.90 | 07 | 360.44 | 02 |
| 10. | यू पी एस आई सी पौट्रीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | लघु उद्योग | 27.04.1976 | 1993-94 | 2006-07 | (-)62.71 | 0.41 (आईएल) | 75.00 | (-)452.14 | 7.97 | (-) 29.43 | - | 14 | 187.81 | |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **26.16 (-) 105.64** | **0.41** | **1244.99** | **(-) 2298.62** | **539.07 (-) 563.88** | **252.35 (-) 29.43** | - | - | **9504.80** | **02** |
| | **इलेक्ट्रानिक्स** | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड | इलेक्ट्रानिक्स | 20.03.1974 | 2006-07 | 2007-08 | 23.13 | 12.99 (आईपी) | 8765.98 | (-)142.75 | 9980.78 | 23.13 | 0.23 | 01 | 1612.75 | 42 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | इलेक्ट्रानिक्स | 10.04.1977 | 2007-08 | 2008-09 | 331.55 | - | 407.00 | (-)654.49 | 626.26 | 332.62 | 53.11 | - | 1673.29 | 39 |
| 13. | श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | इलेक्ट्रानिक्स | 01.02.1979 | 2007-08 | 2008-09 | 62.27 | - | 721.71 | (-)229.41 | 827.13 | 63.86 | 7.72 | - | 1625.71 | 14 |
| 14 | अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | इलेक्ट्रानिक्स | 18.10.1979 | 1995-96 | 1997-98 | (-)3212.23 | | 5315.59 | (-) 19693.43 | 5206.05 | (-) 406.07 | - | 12 | 9715.47 | उपबत्ध नही |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **416.95 (-) 3212.23** | **12.99** | **15210.28** | **(-)20720.08** | **16640.22** | **419.61 (-) 406.07** | **0.08** | **-** | **14627.22** | **95** |
| | **वस्त्र** | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | औद्योगिक विकास | 20.08.1974 | 2006-07 | 2007-08 | (-) 458.34 | 83.54 (आईएल) | 3190.52 | (-)12196.38. | (-)1881.92 | 47.06 | - | 01 | 4193.33 | 1092 |
| 16. | उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिग कम्पनी लिमिटेड | औद्योगिक विकास | 20.08.1976 | 2006-07 | 2007-08 | (-)910.06 | - | 9324.43 | (-)13337.92 | 9324.43 | (-)898.05 | - | 01 | 10316.02 | 2389 |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **(-) 1368.40** | **83.54** | **12514.95** | **(-) 25534.30** | **9324.43 (-) 1881.92** | **47.06 (-) 898.05** | - | - | **14509.35** | **3481** |
| | **हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स** | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड | वस्त्र उद्योग | 09.01.1973 | 1994-95 | 2008-09 | (-)763.14 | - | 2274.09 | (-)2898.52 | 5124.71 | (-)626..16 | - | 13 | 4844.81 | 590 |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **(-)763.14** | - | **2274.09** | **(-)2898.52** | **5124.71** | **(-)626..16** | - | - | **4844.81** | **590** |
| | **निर्माण** | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड | सार्वजनिक निर्माण | 18.10.1972 | 2006-07 | 2008-09 | 2620.17 | 1396.00 (डीपी) | 1000.00 | 433.24 | 3518.36 | 2720.42 | 77.32 | 01 | 21322.24 | 6652 |
| 19. | उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड | सार्वजनिक निर्माण | 01.05.1975 | 2006-07 | 2008-09 | 7840.07 | - | 100.00 | 8599.80 | 8539.36 | 7845.27 | 91.87 | 01 | 129250.96 | 3774 |
| 20. | उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड | गृह | 27.03.1987 | 2006-07 | 2007-08 | 223.99 | 290.29 (डीपी) | 300.00 | 1108.13 | 1134.76 | 223.99 | 19.74 | 01 | 5013.09 | 153 |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **10684.23** | **1686.29** | **1400.00** | **10141.17** | **13192.48** | **10789.68** | **81.79** | - | **155586.29** | **10579** |
| | **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास** | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड | समाज कल्याण | 25.03.1975 | 2003-04 | 2008-09 | 272.32 | - | 14365.85 | 1874.66 | 31505.88 | 422.48 | 1.34 | 04 | 1041.20 | 504 |
| 22. | उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड | समाज कल्याण | 25.06.1976 | 2006-07 | 2007-08 | 451.88 | - | 15.00 | 1226.53 | 1580.90 | 413.55 | 26.16 | 01 | 22354.92 | 613 |
| 23. | उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड | पिछड़ा वर्ग कल्याण | 26.04.1991 | 2001-02 | 2008-09 | 68.03 | - | 810.00 | 314.92 | 5056.28 | 204.69 | 4.05 | 06 | 228.16 | 15 |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **792.23** | - | **15190.85** | **3416.11** | **38143.06** | **1040.72** | **2.73** | - | **23624.28** | **1132** |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **सार्वजनिक वितरण** | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड | खाद्य एवं रसद | 22.10.1974 | 1994-95 | 2008-09 | (-)365.06 | - | 500.00 | (-)2547.97 | 5632.08 | (-)123.26 | - | 13 | 23808.44 | 924 |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **(-)365.06** | **-** | **500.00** | **(-)2547.97** | **5632.08** | **(-)123.26** | **-** | **-** | **23808.44** | **924** |
| | **चीनी** | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड | चीनी उद्योग एवम् गन्ना विकास | 26.03.1971 | 2006-07 | 2007-08 | (-) 6495.99 | 27.13 (आईएल) | 93961.46 | (-)43208.84 | 79303.96 | (-) 4712.24 | - | 01 | 46136.18 | 14277 |
| 26. | छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | चीनी उद्योग एवम् गन्ना विकास | 18.04.1975 | 2006-07 | 2008-09 | (-) 1712.60 | - | 3618.28 | (-)7810.24 | 1284.89 | (-) 1344.37 | - | 01 | 1733.67 | 552 |
| 27. | नन्दगंज–सिहोरी शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | चीनी उद्योग एवम् गन्ना विकास | 18.04.1975 | 2005-06 | 2007-08 | (-)1434.84 | | 3404.05 | (-)18585.96 | 1284.05 | (-)287.59 | | 02 | 1723.79 | |
| 28. | घाटमपुर शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | चीनी उद्योग एवम् गन्ना विकास | 30.05.1986 | 2006-07 | 2008-09 | (-)1371.01 | - | 894.86 | (-)11303.99 | (-) 4873.87 | (-)584.43 | - | 01 | 1225.52 | 675 |
| 29. | उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड | चीनी उद्योग एवम् गन्ना विकास | 16.05.2002 | 2005-06 | 2008-09 | (-)3376.57 | - | 843.70 | (-)82884.99 | (-)5350.10 | (-)3054.21 | - | 02 | 4246.73 | - |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **(-) 14391.01** | **27.13** | **102722.35** | **(-) 163794.02** | **81872.90 (-)10223.97** | **(-) 9982.84** | **-** | **-** | **55065.89** | **15504** |
| | **पर्यटन** | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड | पर्यटन | 05.08.1974 | 2005-06 | 2008-09 | (-)174.84 | - | 1512.53 | (-)712.45 | 385.94 | (-)173.34 | - | - | 1208.46 | 669 |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **(-)174.84** | **-** | **1512.53** | **(-)712.45** | **385.94** | **(-)173.34** | **-** | **02** | **1208.46** | **669** |
| | **विद्युत** | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | ऊर्जा | 22.08.1980 | 2006-07 | 2007-08 | (-)27314.54 | - | 292380.62 | (-)178117.21 | 386058.43 | 20224.02 | 5.24 | 01 | 333818.47 | 9560 |
| 32. | उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड | ऊर्जा | 15.04.1985 | 2005-06 | 2007-08 | (-)4455.35 | 32144.00 (डीएल) | 39394.44 | (-)18869.49 | 6631.58 | 1931.16 | 29.12 | 02 | 5926.68 | 737 |
| 33. | उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड | ऊर्जा | 30.11.1999 | 2005-06 | 2007-08 | (-)34226.90 | - | 470744.96 | (-)666412.17 | 596399.12 | (-)9380.77 | | 02 | 1012122.78 | - |
| 34. | कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | ऊर्जा | 21.07.1999 | 2003-04 | 2008-09 | (-)21005.13 | - | 6000.00 | (-)51594.05 | (-)18491.35 | (-)18371.94 | - | 04 | 44691.88 | 2364 |
| 35. | यू0पी0एस0आई0डी0सी0 पावर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | औद्योगिक विकास | 11.04.2000 | 2006-07 | 2007-08 | (-)11.73 | - | 5.07 | (-)11.65 | (-)1.35 | (-)11.73 | - | 01 | (कम्पनी निर्माणाधीन है) | उपलब्ध नहीं |
| 36 | दक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | ऊर्जा | 01.05.2003 | 2004-05 | 2008-09 | (-)59144.06 | - | 34624.00 | (-)70224.29 | 74844.80 | (-)54555.30 | - | 03 | 150421.42 | 6699 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | ऊर्जा | 01.05.2003 | 2004-05 | 2008-09 | (-)38573.67 | - | 15548.00 | (-)43315.37 | 96131.89 | (-)35304.71 | - | 03 | 126929.62 | 9073 |
| 38. | पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | ऊर्जा | 01.05.2003 | 2004-05 | 2008-09 | (-)34961.34 | 7758.00 (डीएल) | 54005.00 | (-)55362.27 | 101159.94 | (-)31964.76 | - | 03 | 243749.16 | उपलब्ध नही |
| 39. | पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | ऊर्जा | 01.05.2003 | 2004-05 | 2008-09 | (-)40122.40 | - | 16540.83 | (-)48547.50 | 127052.23 | (-)36011.95 | - | 03 | 168832.66 | 10140 |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **(-) 259815.12** | **39902.00** | **929242.92** | **(-) 1132454.00** | **1388277.99 (-) 18492.70** | **22155.18 (-) 185601.16** | **-** | **-** | **2086492.67** | **38573** |
| | **ड्रग, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल** | | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | उत्तर प्रदेश ड्रग्स एवं औद्योगिक विकास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड | औद्योगिक विकास | | 2006-07 | 2007-08 | 44.77 | - | 109.66 | (-)640.03 | 617.39 | 63.34 | 10.26 | 01 | 3016.41 | 342 |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **44.77** | - | **109.66** | **(-)640.03** | **617.39** | **63.34** | **10.26** | **-** | **3016.41** | **342** |
| | **वित्त पोषण** | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड | औद्योगिक विकास | 29.03.1961 | 2005-06 | 2007-08 | 4554.19 | | 2407.51 | 4981.31 | 19876.58 | 4710.21 | 23.70 | 02 | 7315.15 | 624 |
| 42. | दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड | औद्योगिक विकास | 29.03.1972 | 2006-07 | 2007-08 | 1957.90 | | 13557.50 | (-)40783.66 | 6508.25 | 4166.23 | 64.01 | 01 | 2060.47 | 298 |
| 43. | उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड | वक्फ एवं अल्पसंख्यक | 17.11.1984 | 1994-95 | 2008-09 | (-)8.68 | - | 422.50 | (-)11.54 | 1616.13 | (-)8.44 | - | 13 | 21.33 | - |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **6512.09 (-) 8.68** | - | **16387.51** | **4981.31 (-) 40795.20** | **28000.96** | **8876.44 (-) 8.44** | **31.67** | **-** | **9396.95** | **922** |
| | **विविध** | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड | निर्यात प्रोत्साहन | 20.01.1966 | 2002-03 | 2008-09 | 32.13 | - | 724.27 | (-)2192.70 | 77.95 | 39.36 | 50.49 | 05 | 681.40 | 142 |
| 45. | उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड | इलेक्ट्रानिक्स | 15.03.1977 | 2006-07 | 2008-09 | 24.74 | - | 100.00 | 262.23 | 362.23 | 24.74 | 6.83 | 01 | 398.99 | 111 |
| 46. | उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड | वक्फ एव अल्पसंख्यक | 27.04.1987 | 1998-99 | 2007-08 | 0.16 | 0.20 (आईएल) | 350.00 | 1.94 | 211.41 | 0.16 | 0.08 | 09 | 26.79 | 22 |
| 47. | उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड | महिला एवं बाल कल्याण | 17.03.1988 | 2007-08 | 2008-09 | 25.58 | - | 519.03 | (-)81.33 | 675.85 | 25.58 | 3.78 | - | 64.10 | 19 |
| 48. | उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड | समाज कल्याण | 23.05.1989 | 2005-06 | 2007-08 | 559.12 | - | 42.54 | 2515.55 | 2570.94 | 559.12 | 21.75 | 02 | 5583.34 | 119 |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **641.73** | **0.20** | **1735.84** | **2779.72 (-) 2274.03** | **3898.38** | **648.96** | **16.65** | **-** | **6754.62** | **413** |
| | **योग– (अ–कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)** | | | | | **21852.09 (-) 280213.63** | **41871.84** | **1105222.44** | **23009.56 (-) 1401026.88** | **1597597.22 (-) 31162.47** | **47541.70 (-) 197858.26** | - | - | **2502637.56** | **75575** |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ब. कार्यरत सांविधिक निगम** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **परिवहन** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम | परिवहन | 01.06.1972 | 2006-07 | 2008-09 | 4003.02 | - | 35912.95 | (-)85184.89 | (-)26307..89 | 5914.01 | - | 01 | 112626.93 | 37339 |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **4003.02** | - | **35912.95** | **(-)85184.89** | **(-)26307..89** | **5914.01** | - | | **112626.93** | **37339** |
| | **वित्त पोषण** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम | औद्योगिक विकास | 01.11.1954 | 2006-07 | 27-08 | 6010.07 | 15002.00 (डीपी) | 17928.46 | (-)84768.93 | 115551.69 | 10223.10 | 8.85 | 01 | 4088.00 | 787 |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **6010.07** | **15002.00** | **17928.46** | **(-)84768.93** | **115551.69** | **10223.10** | **8.85** | | **4088.00** | **787** |
| | **कृषि एवं समवर्गीय** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम | सहकारिता | 19.03.1958 | 2006-07 | 2007-08 | 2462.36 | 322.04 (डीपी) | 1116..50 | 15964.99 | 25057.50 | 2753.15 | 10.99 | | 12389.01 | 1793 |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **2462.36** | **322.04** | **1116.50** | **15964.99** | **25057.50** | **2753.15** | **10.99** | **01** | **12389.01** | **1793** |
| | **वन** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | उत्तर प्रदेश वन निगम | वन | 25.11.1974 | 1998-99 | 1999-2000 | 2930.30 | - | - | 35245.27 | 35756.00 | 2930.00 | 8.19 | 09 | 16284.00 | 2858 |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **2930.30** | - | - | **35245.27** | **35756.00** | **2930.00** | **8.19** | | **16284.00** | **2858** |
| | **विविध** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद | आवास | 03.04.1966 | 2007-08 | 2008-09 | 17858.18 | - | - | 215538.47 | 65491.41 | 17858.18 | 27.27 | - | 41825.69 | - |
| 6. | उत्तर प्रदेश जल निगम | नगर विकास | 06.06.1975 | 2006-07 | 2008-09 | 3..52 | - | - | (-)14166.87 | 509838.01 | 1567.35 | 0.31 | 01 | 26899.28 | 18839 |
| 7. | यू.पी सरकारी कर्मचारी कल्याण निगम | खाद्य एवं रसद | 05.05.1965 | 2004-05 | 2008-09 | (-)168.82 | - | - | 733.77 | 1342.90 | (-)103.04 | - | 03 | 7120.73 | 1452 |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **17861.70 (-) 168.82** | - | - | **216272.24 (-) 14166.87** | **576672.32** | **19425.53 (-) 103.04** | **3.35** | - | **75845.70** | **20291** |
| | **योग–ब (सभी सांविधिक निगम)** | | | | | **33267..45 (-) 168.82** | **15324.04** | **54957.91** | **267482.50 (-) 184120.69** | **753037.51 (-) 26307.89** | **41245.79 (-) 103.04** | **5.66** | - | **221233.64** | **63068** |
| | **कुल योग (अ+ब)** | | | | | **55119.54 (-) 280382.45** | **57195.88** | **1160180.35** | **290492.06 (-) 1585147.57** | **2350634.73 (-) 57470.36** | **88787.49 (-) 197961.30** | - | - | **2723871.20** | **138643** |
| **स. अकार्यरत कम्पनियाँ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **कृषि एवं समवर्गीय** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड | मत्स्य एवम् पशुधन | 05.03.1975 | 2003-04 | 2006-07 | 13.96 | | 272.85 | (-)826.16 | 183.23 | 40.68 | 22.20 | 04 | 39.14 | - |
| 2. | उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड | चीनी उद्योग एवम् गन्ना विकास | 27.08.1975 | 2002-03 | 2004-05 | (-)18.38 | - | 30.84 | (-)54.75 | 152.67 | (-)14.19 | - | 1 जुलाई 2003 से परिसमापन के अन्तर्गत | 4.53 | 19 |
| 3. | उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड | चीनी उद्योग एवम् गन्ना विकास | 27.08.1975 | 2006-07 | 2008-09 | (-)104.89 | - | 71.20 | (-)801.46 | 331.44 | 5.44 | 1.64 | 1 जुलाई 2003 से परिसमापन के अन्तर्गत | 11.11 | - |
| 4.. | उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड | खाद्य प्रसंस्करण | 06.04.1977 | 1984-85 | 1994-95 | (-) 66.57 | - | 190.76 | (-) 255.33 | 80.72 | (-) 51.97 | - | 23 | | 330 |
| 5. | उत्तर प्रदेश पौल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशैलिटीज लिमिटेड | मत्स्य एवम् पशुधन | 07.12.1974 | 2003-04 | 2008-09 | (-)32.83 | - | 50.00 | (-)257.99 | (-)33.95 | (-)13.32 | - | 04 | 14.10 | 31 |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **13.96 (-) 222.67** | - | **615.65** | **(-) 2195.69** | **748.06 (-) 33.95** | **46.12 (-) 79.48** | - | - | **68.88** | **380** |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | उद्योग | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेस (प्राईवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | लघु उद्योग | 28.06.1972 | 1974-75 | 1984-85 | (-) 0.81 | - | 0.92 | (-) 0.81 | 6.79 | (-) 0.81 | - | 11/2003 से परिसमापन के अन्तर्गत | 0.39 | उपलब्ध नही |
| 7. | आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड | औद्योगिक विकास | 28.12.1972 | 1991-92 | 1995-96 | 10.71 | - | 750.00 | (-) 6482.96 | 1114.18 | 36.32 | 3.26 | 16 | 631.34 | उपलब्ध नही |
| 8. | उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | औद्योगिक विकास | 1.01.1975 | 2001-02 | 2005-06 | (-)28.57 | | 193.22 | (-)3874.89 | 34.99 | (-)26.79 | - | 06 | 16.22 | 259 |
| 9. | उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड | निर्यात प्रोत्साहन | 12.02.1974 | 1997-98 | 2007-08 | 239.37 | | 537.86 | (-)603.62 | 358.83 | 251.36 | 70.05 | 10 | 52.97 | उपलब्ध नही |
| 10. | कान्टीनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | औद्योगिक विकास | 12.04.1985 | 1997-98 | 2002-03 | - | - | 4623.95 | - | 8387.22 | - | - | 01.04.2002 से परिसमापन के अन्तर्गत | कम्पनी निर्माण के समय से परिसमापन के अन्तर्गत | उपलब्ध नही |
| 11. | उत्तर प्रदेश एब्स्काट प्राईवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | लघु उद्योग | 28.06.1972 | 1975-76 | - | (-)1.55 | - | 4.85 | – | 12.39 | (-)0.41 | - | 19.04.1986 से परिसमापन के अन्तर्गत | | उपलब्ध नही |
| 12. | उत्तर प्रदेश टायर एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | औद्योगिक विकास | 14.01.1976 | 1992-93 | - | (-) 217.08 | - | 183.16 | (-) 996.09 | (-) 405.96 | 209.53 | - | 09.01.1996 से परिसमापन के अन्तर्गत | 138.08 | - |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **250.08<br>(-)248.01** | | **6293.96** | **(-)11958.37** | **9914.40<br>(-)405.96** | **497.21<br>(-)28.01** | **4.93** | | **839.00** | **259** |
| | इलेक्ट्रानिक्स | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | अपट्रान सेमपैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | इलेक्ट्रानिक्स | 23.05.1977 | 1979-80 | 1983-84 | (-) 0.78 | - | 2.55 | (-) 3.37 | 1.86 | (-) 0.36 | - | 10.06.1996 से परिसमापन के अन्तर्गत | 0.05 | उपलब्ध नही |
| 14. | कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | इलेक्ट्रानिक्स | 31.03.1978 | * | – | – | – | 5.25 | – | – | – | – | 10.06.1996 से परिसमापन के अन्तर्गत | निर्माणाधीन | उपलब्ध नही |
| | क्षेत्रवार योग | | | | | **(-)0.78** | | **7.80** | **(-)3.37** | **1.86** | **(-)0.36** | - | | **0.05** | - |
| | वस्त्र | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड | औद्योगिक विकास | 02.12.1969 | 2006-07 | 2007-08 | (-)734.90 | - | 16079.37 | (-)43371.59 | (-)10151.50 | (-)65.23 | - | 01 | 4.29 | - |
| 16. | उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | वस्त्र उद्योग | 05.12.1975 | 1991-92 | 2008-09 | (-)5.83 | - | 26.00 | (-)39.33 | 29.95 | (-)5.14 | - | 16 | 127.73 | 74 |
| 17. | गयोही यूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | औद्योगिक विकास | 14.06.1976 | 1994-95 | - | (-) 165.77 | - | 375.54 | (-) 1195.91 | (-) 49.09 | 85.35 | - | 20.02.1996 से परिसमापन के अन्तर्गत | 26.72 | - |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **(-) 906.50** | - | **16480.91** | **(-) 44606.83** | **29.95<br>(-) 10200.59** | **85.35<br>(-) 70.37** | - | - | **158.74** | **74** |

लेखे शुरूआत से अन्तमीकृत नहीं किये गये।

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स** | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | हैण्डलूम इन्टेसिव डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन (गोरखपुर एवं बस्ती) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | वस्त्र उद्योग | 26.05.1976 | 1993-94 | 2008-09 | (-)9.43 | - | 3.00 | (-)112.66 | 31.46 | (-)1.81 | - | 14 | - | - |
| 19. | हैण्डलूम कार्पोरेशन इन्टेसिव डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | वस्त्र उद्योग | 13.09.1976 | 1995-96 | 2008-09 | (-)30.98 | 2.46 (आईएल) | 2.00 | (-)104.13 | 106.58 | (-) 5.47 | - | 12 | 8.64 | - |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **(-) 40.41** | **2.46** | **5.00** | **(-) 216.79** | **138.04** | **(-) 7.28** | **-** | **-** | **8.64** | **-** |
| | **खनन** | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड | औद्योगिक विकास | 23.03.1974 | 2007-08 | 2008-09 | (-)192.67 | - | 5943.48 | (-)7902.52 | 3.10 | (-)9.18 | - | - | 59.92 | - |
| 21. | विन्ध्याचल अब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) | औद्योगिक विकास | 05.12.1985 | 1987-88 | 1995-96 | (-) 11.78 | - | 0.002* | (-)11.30 | 0.79 | (-) 10.86 | - | 28.11.2002 से परिसमापन के अन्तर्गत | 0.22 | |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **(-) 204.45** | **-** | **5943.48** | **(-) 7913.82** | **3.89** | **(-) 20.04** | **-** | **-** | **60.14** | **-** |
| | **क्षेत्र विकास** | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड | भूमि विकास एवम् जल संसाधन | 30.03.1971 | 1997-98 | 2007-08 | 28.45 | - | 123.30 | (-)120.33 | 8.09 | 28.45 | 351.67 | 10 | 33.59 | उपलब्ध नही |
| 23. | उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड | भूमि विकास एवम् जल संसाधन | 30.03.1971 | 1987-88 | 1994-95 | (-)13.64 | - | 114.80 | (-)107.90 | 19.02 | (-)13.64 | - | 20 | 130.37 | उपलब्ध नही |
| 24. | बुन्देलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक) | भूमि विकास एवम् जल संसाधन | 02.03.1974 | 1986-87 | 1993-94 | (-) 0.01 | - | 2.40 | (-) 0.65 | 4.45 | (-) 0.01 | - | 21 | शून्य | उपलब्ध नही |
| 25. | इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड | भूमि विकास एवम् जल संसाधन | 31.01.1976 | 1983-84 | 1992-93 | (-) 11.42 | - | 67.00 | (-) 11.42 | 39.52 | (-) 3.97 | - | 24 | | उपलब्ध नही |
| 26. | बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड | भूमि विकास एवम् जल संसाधन | 31.01.1976 | 1.7.1987 से 31.03.1989 | 2006-07 | (-)69.91 | | 125.00 | (-)152.18 | 385.22 | (-)49.83 | - | 19 | 582.17 | उपलब्ध नही |
| 27. | लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड | भूमि विकास एवम् जल संसाधन | 31.01.1976 | 1981-82 | 1992-93 | 0.44 | - | 50.00 | 1.49 | 60.57 | 0.52 | 0.86 | 26 | 169.69 | उपलब्ध नही |
| 28 | आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड | भूमि विकास एवम् जल संसाधन | 31.03.1976 | 1988-89 | 2007-08 | (-)8.50 | | 100.00 | (-)35.01 | 91.95 | (-)8.50 | | 19 | 391.33 | उपलब्ध नही |

270.00 रुपये मात्र

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड | भूमि विकास एवम् जल संसाधन | 31.03.1976 | 1986-87 | 2008-09 | (-)14.90 | - | 126.03 | (-) 133.07 | 82.73 | (-)10.62 | - | 21 | 160.30 | उपलब्ध नही |
| 30. | मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड | भूमि विकास एवम् जल संसाधन | 31.03.1976 | 2004-05 | 2008-09 | (-)11.66 | - | 100.00 | (-)139.58 | 9.70 | (-)11.66 | - | 03 | 0.83 | - |
| 31. | वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड | भूमि विकास एवम् जल संसाधन | 31.03.1976 | 1987-88 | 1993-94 | (-)2.71 | - | 70.00 | (-)26.38 | 88.29 | (-)2.71 | - | 20 | 147.02 | उपलब्ध नही |
| 2. | मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड | भूमि विकास एवम् जल संसाधन | 30.03.1978 | 1990-91 | 2007-08 | (-)19.71 | | 25.00 | (-)59.13 | 31.41 | (-)19.71 | - | 17 | 107.22 | उपलब्ध नही |
| 33. | गडक समादेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड | भूमि विकास एवम् जल संसाधन | 15.03.1975 | 1976-77 | - | 0.28 | - | 46.00 | - | 46.27 | 0.28 | 0.61 | 07.06.1977 से परिसमापन के अन्तर्गत | - | उपलब्ध नही |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **29.17 (-) 152.46** | - | **949.53** | **1.49 (-) 785.65** | **867.22** | **29.25 (-) 120.65** | - | - | **1722.52** | - |
| | **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास** | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड | समाज कल्याण | 02.08.1975 | 1982-83 | 1990-91 | (-) 4.00 | - | 45.00 | 0.45 | 70.44 | (-) 4.00 | - | 25 | 3.13 | उपलब्ध नही |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **(-)4.00** | | **45.00** | **0.45** | **70.44** | **(-)4.00** | - | | **3.13** | - |
| | **सीमेण्ट** | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड | औद्योगिक विकास | 29.03.1972 | 1995-96 | 1996-97 | (-)4775.52 | - | 6828.00 | (-) 42599.38 | (-) 23980.30 | (-) 2291.33 | - | 12 | 11301.85 | उपलब्ध नही |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **(-)4775.52** | | **6828.00** | **(-)42599.38** | **(-)23980.30** | **(-)2291.33** | - | | **11301.85** | - |
| | **ड्रग्स, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल** | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड | औद्योगिक विकास | 22.02.1924 | 2006-07 | 2008-09 | (-)31.16 | - | 22.02 | (-)3121.77 | (-)2552.72 | (-)20.81 | - | 01 | 7.58 | उपलब्ध नही |
| 37. | उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेश लिमिटेड की सहायक) | औद्योगिक विकास | 23.04.1979 | 1992-93 | - | (-) 617.54 | - | 658.73 | (-) 3531.51 | (-) 1844.86 | (-) 50.57 | - | 19.02.1994 से परिसमापन के अन्तर्गत | 226.21 | उपलब्ध नही |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **(-) 648.70** | - | **680.75** | **(-) 6653.28** | **(-) 4397.58** | **(-) 71.38** | - | - | **233.79** | - |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **वित्त पोषण** | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड | पंचायती राज | 24.04.1973 | 1992-93 | 2007-08 | (-)8.31 | - | 145.70 | (-)13.59 | 138.65 | (-)8.31 | - | 15 | 28.07 | 52 |
| 39. | अपलीज फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)) | इलेक्ट्रानिक्स | 05.01.1988 | 1997-98 | 1998-99 | (-) 39.55 | - | 105.87 | (-) 39.53 | 534.08 | 14.43 | 2.70 | 10 | 128.63 | - |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **(-) 47.86** | **-** | **251.57** | **(-) 53.12** | **672.73** | **14..43**<br>**(-) 8.31** | **0.91** | **-** | **156.70** | **52** |
| | **विविध** | | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड | टैक्स एवम् संस्थागत वित्त | 10.09.1975 | 2004-05 | 2008-09 | (-)49.56 | - | 818.42 | (-)1305.63 | (-)240.21 | (-)9.27 | - | 03 | 5.92 | - |
| | **क्षेत्रवार योग** | | | | | **(-)49.56** | **-** | **818.42** | **(-)1305.63** | **(-)240.21** | **(-)9.27** | **-** | **-** | **5.92** | **-** |
| | **कुल योग–स** | | | | | **293.21**<br>**(-)**<br>**7300.92** | **2.46** | **38920.07** | **1.94**<br>**(-)**<br>**118291.93** | **12446.59**<br>**(-) 39258.59** | **672.36**<br>**(-) 2710.48** | **-** | **-** | **14559.36** | **765** |
| | **कुल योग (अ+ब+स)** | | | | | **55412.75**<br>**(-)**<br>**287683.37** | **57198.34** | **1199100.42** | **290494.00**<br>**(-) 1703439.50** | **2363081.32**<br>**(-) 96728.95** | **89639.85**<br>**(-) 200671.78** | **-** | **-** | **2738430.56** | **139408** |

*स्रोतः पीएसयू के अद्यतन अन्तिम लेखों से।*

नोट–(अ) वित्त पोषक कम्पनियों/निगमों को छोड़कर जहाँ नियोजित पूँजी की गणना प्रदत्त पूँजी, मुक्त आरक्षित निधि, बाण्ड्स, जमा तथा ऋणों (पुनर्वित्त सहित) के आरम्भिक एवम् अन्तिम शेषों के योग के मध्यमान के रूप में आगणित की जाती है, नियोजित पूँजी, कार्यशील पूँजी और निबल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) के योग का प्रतिनिधित्व करती है।

(ब) क्रम सं0 स–18 एवं 19 की कम्पनीं विलय के अन्तर्गत हैं।

(स) क्रम सं0 स–2,3,6,10,11,12,13,14,17,21, 33 एवं 37 की कम्पनियाँ समापन के अन्तर्गत है। समापन की सम्बन्धित तिथियाँ हैं:

| क्रम संख्या | समापन की तिथि | क्रम सं0 | समापन की तिथि | क्रम सं0 | समापन की तिथि | क्रम सं0 | समापन की तिथि | क्रम सं0 | समापन की तिथि | क्रम सं0 | समापन की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 01.07.203 | 03 | 01.07.2003 | 06 | नवम्बर 2003 | 10 | 01.04. 2002 | 11 | 19.04.1986 | 12 | 09.01.1996 |
| 13 | 0.06.1996 | 14 | 10.06.1996 | 17 | 20.02.1996 | 21 | 28.11.2002 | 33 | 07.06.1977 | 37 | 19.02.1994 |

(द) आईपी संकेत करता है लाभ में बढ़त को, आईएल संकेत करता है हानि में बढत को, डीपी संकेत करता है लाभ में कमी को और डीएल संकेत करता है हानि में कमी को।

## *परिशिष्ट–3*

## वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, देयों की माफी, ऋण जिन पर विलम्बन अनुमन्य किया गया और ऋण का अंशपूँजी में परिवर्तन एवम् मार्च 2008 की समाप्ति पर प्राप्य उपदान तथा बकाया प्रत्याभूतियों को दर्शाती हुई विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.6, व 1.19 में संदर्भित)

(स्तम्भ 3 (अ) से 7 तक के आंकड़े लाख रुपये में हैं)

| क्रम सं0 | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम | वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान[1] व अनुदान | | | | वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूति एवं वर्ष के अन्त में बकाया[2] | | | | | वर्ष के दौरान देयों की माफी | | | | ऋण जिन पर विलम्बन अनुमन्य किया गया | वर्ष के दौरान ऋण जिन्हें अंशपूँजी में परिवर्तित किया गया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | केन्द्र सरकार | राज्य सरकार | अन्य | योग | बैंको से नकद साख | अन्य स्रोतों से ऋण | आयातों के सम्बन्ध में बैंको द्वारा खोले गये साख–पत्र | विदेशी सलाहकारों /ठेकेदारों से अनुबन्ध के अन्तर्गत भुगतान देयता | योग | अपलिखित ऋण पुनर्भुगतान | ब्याज माफी | दण्ड ब्याज माफी | योग | | |
| (1) | (2) | 3(अ) | 3(ब) | 3(स) | 3(द) | 4(अ) | 4(ब) | 4(स) | 4(द) | 4(य) | 5(अ) | 5(ब) | (स) | 5(द) | (6) | (7) |
| अ. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड | - | 375.42[3] | - | 375.42[3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड | | | | | -<br>(640.00) | | | | -<br>(640.00) | | | | | | |
| 3 | उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड | - | - | - | - | -<br>(688.00) | -<br>(268.00) | - | - | -<br>(956.00) | - | - | - | - | - | - |
| 4 | उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड | - | -<br>10230.52[3] | - | -<br>10230.52[3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड | - | - | - | - | - | 200.00<br>(-) | - | - | 200.00<br>(-) | - | - | - | - | - | - |
| 6 | उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड | - | - | - | - | - | 1000.00<br>(250.00) | - | - | 1000.00<br>(250.00) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड | - | - | - | - | 40235.00<br>(-) | - | - | - | 40235.00<br>(-) | - | - | - | - | - | - |
| 8 | छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड | - | - | - | - | -<br>(1133.58) | - | - | - | -<br>(1133.58) | - | - | - | - | - | - |
| 9 | घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड | - | - | - | - | 1025.00<br>(1025.00) | - | - | - | 1025.00<br>(1025.00) | - | - | - | - | - | - |

[1] उपदान/अनुदान में, वर्ष की समाप्ति पर प्राप्य उपदान/अनुदान जिसको कोष्ठकों में दिखाया गया है, सम्मिलित हैं।

[2] कोष्ठकों में दिखाये गये आंकड़े वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूति को इंगित करते हैं।

[3] प्रोजेक्ट/स्कीम के अनुदान।

| (1) | (2) | 3(अ) | 3(ब) | 3(स) | 3(द) | 4(अ) | 4(ब) | 4(स ) | 4(द) | 4(य) | 5(अ) | 5(ब) | (स ) | 5(द) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड | - | - | - | - | 2770.00 (-) | - | - | - | 2770.00 (-) | - | - | - | - | - | - |
| 11 | उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड | | 10.00[3] | | 10.00[3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | - | - 21491.00 | - | 21491.00 | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| 13. | उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड | - 725.35 | | | 725.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | योग–अ | 725.35 | 10615.94[3] 21491.00 | - | 10615.94[3] 22216.35 | 44030.00 (3486.58) | 1200.00 (518.00) | - | - | 45230.00 (4004.58) | | | | | | |
| ब. सांविधिक निगम | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम | - | - | - | - | - | - (394.66) | - | - | - (394.66) | - | - | - | - | - | - |
| 2. | उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम | - | - | - | - | - | - (27580.40) | - | - | - (27580.40) | - | - | - | - | - | - |
| 3. | उत्तर प्रदेश जल निगम | - | 25563.30[3] | | 25563.30[3] | - | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | यू.पी सरकारी कर्मचारी कल्याण निगम | - | 129.68 | - | 129.68 | - | 300.00 (300.00) | | | 300.00 (300.00) | | | | | | |
| | योग–ब | - | 25563.30[3] 129.68 | - | 25563.63[3] 129.68 | - | 300.00 (28275.06) | - | - | 300.00 (28275.06) | | | | - | - | - |
| | कुल योग (अ+ब) | 725.35 | 36179.24[3] 21620.68 | - | 36179.24[3] 22346.03 | 44030.00 (3486.58) | 1500.00 (28793.06) | - | - | 45530.00 (32279.64) | - | - | - | - | - | - |
| स. अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड | | | | | | (8.72) | - | - | - (8.72) | - | - | - | - | - | - |
| 2. | दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड | - | - | - | - | - | - (193.00) | - | - | - (193.00) | - | - | - | - | - | - |
| | योग–(स) | - | - | - | - | - | (201.72) | - | - | (201.72) | | | - | - | - | - |
| | कुल योग (अ+ब+स) | 725.35 | 36179.24[3] 21620.68 | - | 36179.24[3] 22346.03 | 44030.00 (3486.58) | 1500.00 (28994.78) | - | - | 45530.00 (32481.36) | | | - | - | - | - |

स्रोतःपीएसयू द्वारा प्रदत्त सूचना।

## परिशिष्ट – 4

## सरकार द्वारा समता अंशपूँजी, ऋण, अनुदान/उपादान के रूप में उन कार्यशील सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों में किया गया निवेश जिनके लेखों का अन्तमीकृत नहीं हुआ है।

(प्रस्तर संख्या 1.7 में सन्दर्भित)

(लाख रुपये में)

| क्रम सं0 | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम | वर्ष जिसमें लेखों को अन्तिम रूप दिया गया | प्रदत्त पूँजी अन्तिम अन्तमीकृत लेखों के अनुसार | सरकार द्वारा उन वर्षों मे किया गया विनवेश जिन वर्षों के लेखे अन्तमीकृत के लिये बकाया है। | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | समता अंशपूँजी | ऋण | अनुदान | उपदान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | अ. सरकारी कम्पनियाँ | | | | | | |
| 1. | उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड | 2004-05 | 4000.00 | -- | 2750.00 | -- | -- |
| 2. | उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड | 2004-05 | 192.00 | -- | -- | -- | 328.54 |
| 3. | उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड | 2000-01 | 596.05 | -- | 534.96 | -- | -- |
| 4. | यू पी एस आई सी पौट्रीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की सहायक) | 1993-94 | 75.00 | -- | 57.50 | -- | -- |
| 5. | उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड | 2006-07 | 8765.98 | -- | -- | 375.42 | -- |
| 6 | अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक) | 1995-96 | 5315.59 | 476.92 | -- | -- | -- |
| 7. | उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की सहायक) | 2006-07 | 3190.52 | -- | 15.00 | -- | -- |
| 8. | उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड | 1994-95 | 2274.09 | -- | 10068.94 | 1599.94 | 1505.44 |
| 9. | उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड | 2006-07 | 1000.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 10. | उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड | 2003-04 | 14365.85 | 2593.75 | -- | 40827.84 | -- |
| 11. | उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड | 2001-02 | 810.00 | 258.53 | -- | -- | 13.80 |
| 12. | उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड | 1994-95 | 500.00 | -- | 110.60 | -- | 110.60 |
| 13. | उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड | 2006-07 | 93961.46 | -- | 11948.03 | -- | -- |
| 14. | नन्दगंज–सिहोरी शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक) | 2005-06 | 3404.05 | -- | 705.39 | -- | -- |
| 15. | उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड | 2005-06 | 843.70 | -- | 2750.00 | -- | -- |
| 16. | उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड | 2005-06 | 1512.53 | 399.37 | -- | 10.00 | -- |
| 17. | उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड | 2005-06 | 39394.44 | 1016.00 | -- | -- | -- |
| 18. | दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक) | 2004-05 | 34624.00 | -- | 25000.00 | -- | 30285.00 |
| 19. | मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक) | 2004-05 | 15548.00 | -- | 9558.00 | -- | -- |
| 20. | पूर्वाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक) | 2004-05 | 16540.83 | -- | -- | -- | 38193.00 |
| 21. | उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड | 2005-06 | 2407.51 | -- | -- | -- | 1163.35 |
| 22. | उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड | 1994-95 | 422.50 | 847.45 | 1940.00 | 150.00 | 27.25 |
| 23. | उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिगिटेड | 2002-03 | 724.27 | -- | 21.00 | 125.00 | -- |
| 24. | उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड | 1998-99 | 350.00 | 350.00 | -- | -- | -- |
| | योग–अ | | | **6442.02** | **65459.42** | **43088.20** | **71626.98** |
| | ब सांविधिक निगम | | | | | | |
| 1. | उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम | 2006-07 | 17928.40 | -- | 6595.00 | -- | -- |
| 2. | उत्तर प्रदेश जल निगम | 2006-07 | -- | -- | -- | 25563.30 | -- |
| 3. | यूपी सरकारी कर्मचारी कल्याण निगम | 2004-05 | -- | -- | 100.00 | -- | 331.28 |
| | योग ब | | | | **6695.00** | **25563.30** | **331.28** |
| | कुल योग (अ+ब) | | | **6442.02** | **72154.42** | **68651.50** | **71958.26** |

*परिशिष्ट–5*

## सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी
## (प्रस्तर संख्या 1.8 में संदर्भित)

### कार्यरत सांविधिक निगम

### 1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(करोड़ रुपये में)

| विवरण | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|
| **अ. देयतायें** | | | |
| पूँजी (पूँजीगत ऋण एवं अंश पूँजी सहित) | 312.13 | 312.13 | 359.13 |
| ऋणः | | | |
| सरकारी<br>केन्द्र<br>राज्य | 7.47 | 3.47 | 3.47 |
| अन्य | 176.77 | 208.29 | 183.60 |
| निधियॉं | 1.17 | 1.28 | 18.69 |
| व्यापारिक देयता एवं अन्य चालू देयतायें (प्रावधानों सहित) | 684.17 | 735.42 | 854.13 |
| उत्तर प्रदेश एवम् उत्तरांचल राज्य सड़क परिवहन निगम पुर्नगठन समायोजन लेखा | 26.41 | 26.41 | 26.41 |
| **योग अ** | **1208.12** | **1287.00** | **1445.43** |
| **ब. परिसम्पत्तियाँ** | | | |
| सकल अचल परिसम्पत्तियाँ | 729.52 | 838.31 | 918.81 |
| घटायाः ह्रास | 430.43 | 485.89 | 503.41 |
| निवल अचल परिसम्पत्तियाँ | 299.09 | 352.42 | 415.40 |
| पूँजीगत प्रगतिगत कार्य (चेसिस की लागत सहित) | 7.75 | 6.24 | 7.76 |
| निवेश | 1.91 | 2.01 | 2.53 |
| चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम | 143.42 | 157.99 | 167.89 |
| संचित हानियाँ | 755.95 | 768.34 | 851.85 |
| **योग ब** | **1208.12** | **1287.00** | **1445..43** |
| **स. नियोजित पूँजी*** | **(-) 233.91** | **(-) 218.77** | **(-) 263.08** |

### 2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

| विवरण | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|
| **अ. देयतायें** | | | |
| प्रदत्त पूँजी | 179.28 | 179.28 | 179.28 |
| अंश आवेदन राशि | - | - | - |
| आरक्षित निधि एवं अन्य आरक्षण व आधिक्य | 20.00 | 19.88 | 19.75 |
| ऋण | - | - | - |
| (i) बाण्ड्स एवं ऋण पत्र | 646.05 | 558.73 | 479.42 |
| (ii) स्थायी जमा | 4.69 | 3.96 | 2.11 |
| (iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक | 390.00 | 408.06 | 387.56 |
| (iv) भारतीय रिजर्व बैंक | - | - | - |
| (v) अंश पूँजी के स्थान पर ऋण | - | - | - |
| (अ) राज्य सरकार | - | 30.00 | 58.56 |
| (ब) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवम् विकास निगम | - | - | 0.48 |
| (vi) अन्य (राज्य सरकार को सम्मिलित करके) | 7.57 | 7.56 | 16.49 |
| अन्य देयतायें एवं प्रावधान | 470.32 | 403.06 | 314.95 |

* नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को इंगित करती है।

(करोड़ रुपये में)

| विवरण | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|
| **योग अ** | **1717.91** | **1610.53** | **1458.60** |
| **ब. परिसम्पत्तियाँ** | | | |
| नकद एवं बैंक अवशेष | 25.11 | 49.95 | 20.63 |
| निवेश | 35.17 | 30.20 | 15.19 |
| ऋण एवं अग्रिम | 723.94 | 595.16 | 535.78 |
| निवल अचल परिसम्पत्तियाँ | 13.56 | 13.23 | 13.10 |
| अन्य परिसम्पत्तियाँ | 10.50 | 14.20 | 26.21 |
| विविध व्यय | - | - | - |
| लाभ एवं हानि खाता | 909.63 | 907.79 | 847.69 |
| **योग ब** | **1717.91** | **1610.53** | **1458.60** |
| **स. नियोजित पूँजी*** | **1268.49** | **1207.59** | **1155.52** |

## 3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम

(करोड़ रुपये में)

| विवरण | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|
| **अ. देयतायें** | | | |
| प्रदत्त पूँजी | 13.37 | 13.37 | 13.37 |
| आरक्षण एवं आधिक्य | 154.21 | 179.12 | 197.33 |
| उपदान | - | - | - |
| ऋण: | - | - | - |
| सरकारी | - | - | - |
| अन्य | 102.02 | 55.45 | 39.87 |
| व्यापारिक देयता एवं चालू देयतायें (प्रावधानों को सम्मिलित करके) | 51.69 | 58.19 | 64.62 |
| **योग अ** | **321.29** | **306.13** | **315.19** |
| **ब. परिसम्पत्तियाँ** | | | |
| सकल अचल परिसम्पत्तियाँ | 278.64 | 281.01 | 287.85 |
| घटाया: ह्रास | 56.08 | 63.31 | 68.25 |
| निवल अचल परिसम्पत्तियाँ | 222.56 | 217.70 | 219.60 |
| पूँजीगत प्रगतिगत कार्य | (-)1.35 | (-)1.58 | (-)1.81 |
| चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम | 100.08 | 90.01 | 97.40 |
| लाभ एवं हानि खाता | - | - | - |
| **योग ब** | **321.29** | **306.13** | **315.19** |
| **नियोजित पूँजी** | **269.60** | **247.94** | **250.57** |

## 4. उत्तर प्रदेश वन निगम

(करोड़ रुपये में)

| **विवरण** | **1996-97** | **1997-98** | **1998-99** |
|---|---|---|---|
| **अ. देयतायें** | | | |
| आरक्षण एवं आधिक्य | 287.35 | 323.15 | 352.45 |
| ऋण | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| चालू देयतायें (प्रावधानों को सम्मिलित करके) | 73.52 | 103.87 | 147.54 |
| अन्य देयतायें | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| **योग अ** | **368.03** | **434.18** | **507.15** |
| **ब. परिसम्पत्तियाँ** | | | |
| निवल अचल परिसम्पत्तियाँ | 10.92 | 10.31 | 11.16 |
| चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम | 354.64 | 421.45 | 493.94 |
| संचित हानि | - | - | - |
| विविध व्यय | 2.47 | 2.42 | 2.05 |
| **योग ब** | **368.03** | **434.18** | **507.15** |
| **स. नियोजित पूँजी*** | **292.04** | **327.89** | **357.56** |

---

* नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी, सीड राशि, ऋण पत्र, संचय (विशिष्ट निधि एवम् बाह्य निवेशों को छोड़कर), बाण्ड्स, जमा एवं ऋण (पुनः वित्त-पोषण सहित) के प्रारम्भिक एवं अन्तिम शेषों के योग के माध्य को दर्शाता है।

आंवटनाधीन अंश आवेदन राशि 2.21 करोड़ रुपये सहित।

* नियोजित पूँजी निवल परिसम्पत्तियां (पूंजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपित करती है।

## 5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(करोड़ रुपये में)

| विवरण | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 |
|---|---|---|---|
| **अ. देयतायें** | | | |
| परिषद कोष | 1783.29 | 2054.23 | 2155.38 |
| आधिक्य | - | - | - |
| ऋण | - | - | - |
| जमा | 142.07 | 143.49 | 139.14 |
| अबिक्रीत परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु संचय | - | - | - |
| चालू देयतायें (पंजीकरण शुल्क को सम्मिलित करके) | 1270.54 | 1675.83 | 2338.57 |
| देयताओं पर परिसम्पत्तियों का आधिक्य | - | - | - |
| **योग अ** | **3195.90** | **3873.55** | **4633.09** |
| **ब. परिसम्पत्तियाँ** | | | |
| (i) निवल अचल परिसम्पत्तियाँ | 12.25 | 19.59 | 34.90 |
| (ii) निवेश | 1065.75 | 1389.82 | 1639.61 |
| (iii) चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम | 2117.90 | 2464.14 | 2958.58 |
| **योग ब** | **3195.90** | **3873.55** | **4633.09** |
| **स. नियोजित पूँजी** | **859.61** | **807.90** | **654.91** |

## 6. उत्तर प्रदेश जल निगम

(करोड़ रुपये में)

| विवरण | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|
| अ– देयतायें | | | |
| ऋण | | | |
| लोन फन्ड | | | |
| (i) एलआईसी से | 9.14 | 10.18 | - |
| (ii) उत्तर प्रदेश सरकार से | 292.24 | 337.45 | 392.90 |
| (iii) बैंक से | - | - | - |
| सरकार से अनुदान | 4112.38 | 4540.92 | 5001.47 |
| जमा | - | - | - |
| चालू देयताएँ | | | |
| अनुपभोगित सामग्री पर सेन्टेज | 27.70 | 37.99 | 51.11 |
| अन्य देयताएँ | 2707.08 | 3036.31 | 3473.87 |
| (i) जमा (प्रोजेक्ट हेतु प्राप्ति धनराशि) | 1454.35 | 1666.03 | 2004.50 |
| (ii) ग्रेच्यूटी हेतु प्राविधान | 10.00 | 1.24 | 7.74 |
| एलएसजीइडी से जल निगम को स्थानान्तरित प्रोजेक्ट | 9.45 | 9.45 | 9.45 |
| योग – अ | **8622.34** | **9639.57** | **10941.04** |
| **ब– परिसम्पत्तियां** | | | |
| सकल अचल परिसम्पत्तियाँ | 25.66 | 25.38. | 25.55 |
| घटाया –ह्रास | 9.19 | 9.46 | 9.79 |
| निबल अचल परिसम्पत्तियाँ | 16.47 | 15.92 | 15.76 |
| निवेश | - | - | -- |
| पीएफ में निवेशित | 188.03 | 171.53 | 162.43 |
| प्रोजेक्ट | | | |
| (i) सामग्री | 242.77 | 301.28 | 390.54 |
| (ii) कार्य प्रगति पर | 3754.23 | 3903.78 | 4574.52 |
| (iii) पूर्ण रूरल वाटर प्रोजेक्ट – यूपी जल निगम द्वारा संचालित | 498.08 | 760.92 | 756.77 |
| (iv) एलएसजीईडी से जल निगम को स्थानान्तरित रूरल वाटर वर्क प्रोजेक्ट का मूल्य | 9.08 | 9.08 | 9.08 |
| चालू परिसंपत्तियाँ | 2913.19 | 3564.61 | 4080.03 |
| ऋण एवं अग्रिम | 803.47 | 756.31 | 810.24 |
| घाटा | 197.02 | 156.14 | 141.67 |
| **योग – ब** | **8622.34** | **9639.57** | **10941.04** |
| **स– नियोजित पूँजी*** | **4039.08** | **4562.50** | **5098.38** |
| | | | |
| | | | |

*स्रोतः अद्यतन अन्तमीकृत किये गये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लेखें।*

* नियोजित पूँजी निबल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगति कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपित करती हैं।

*परिशिष्ट–6*

## सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी
(प्रस्तर संख्या 1.8 में संदर्भित)

### अ. कार्यरत सांविधिक निगम

### 1.उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(करोड़ रुपये में)

| विवरण | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|
| **परिचालनगत** | | | |
| (अ)राजस्व | 840.77 | 981.57 | 1104.16 |
| (ब)व्यय | 850.50 | 987.85 | 1082.03 |
| (स)आधिक्य(+)/कमी(–) | (-)9.73 | (-)6.28 | 22.13 |
| **अपरिचालनगत** | | | |
| (अ)राजस्व | 31.46 | 37.11 | 37.01 |
| (ब)व्यय | 17.86 | 17.06 | 19.11 |
| (स)आधिक्य(+)/कमी(–) | 13.60 | 20.05 | 17.90 |
| **योग** | | | |
| (अ)राजस्व | 872.23 | 1018.68 | 1141.17 |
| (ब)व्यय | 868.36 | 1004.91 | 1101.14 |
| (स)शुद्ध लाभ(+)/हानि(–) | 3.87 | 13.77 | 40.03 |
| पूँजी एवं ऋण पर ब्याज | 17.86 | 17.06 | 19.11 |
| नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ | 21.73 | 30.83 | 59.14 |

### 2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

| विवरण | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|
| **1. आय** | | | |
| (अ) ऋण पर ब्याज | 49.69 | 58.63 | 37.19 |
| (ब) अन्य आय | 2.47 | 4.36 | 3.71 |
| (स) ब्याज प्राविधान वापस लाये गये | - | - | 54.26 |
| (द) एनपीए प्रावधान वापस लाए गए | 6.32 | 30.40 | 30.33 |
| ह्रास में निवेश वापस लाये गये | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| **योग 1** | **58.82** | **93.39** | **125.49** |
| **2. व्यय** | | | |
| (अ) दीर्घावधि ऋण पर ब्याज | 127.41 | 63.33 | 42.13 |
| (ब) गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान | - | - | - |
| (स) अन्य व्यय | 23.20 | 28.21 | 23.26 |
| **योग 2** | **150.61** | **91.54** | **65.39** |
| 3. कर से पूर्व लाभ(+)/हानि(–) (1-2) | (-)91.79 | 1.85 | 60.10 |
| 4. अन्य विनियोजन | - | - | - |
| 5. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि* | - | - | - |
| 6 लाभांश दत्त/देय | - | - | - |
| 7. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ | 35.62 | 65.18 | 102.23 |
| 8. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत | 2.79 | 5.40 | 8.85 |

### 3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम

(करोड रुपये में)

| विवरण | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|
| **1. आय** | | | |
| (अ) भण्डारण प्रभार | 163.23 | 132.99 | 122.94 |
| (ब) अन्य आय | 1.81 | 1.18 | 2.38 |
| **योग 1** | **165.04** | **134.17** | **125.32** |
| **2. व्यय** | | | |
| (अ) स्थापना प्रभार | 26.16 | 30.24 | 46.42 |

* विशिष्ट आरक्षित निधि एवं कर निर्धारण के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए लाभांश के लिए उपलब्ध चालू वर्ष के लाभ को निरूपित करता है।

(करोड़ रुपये में)

| विवरण | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|
| (ब) ब्याज | 8.37 | 5.28 | 2.91 |
| (स) अन्य व्यय | 105.12 | 77.64 | 51.37 |
| **योग 2** | **139.65** | **113.16** | **100.70** |
| 3. कर से पूर्व लाभ(+)/हानि(–) | 25.39 | 21.01 | 24.62 |
| 4. अन्य विनियोजन | - | - | - |
| 5. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि | - | - | - |
| 6. वर्ष के लिए लाभांश | 1.20 | 1.51 | 1.51 |
| 7. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ | 33.76 | 26.29 | 27.53 |
| 8. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत | 12.52 | 10.60 | 10.99 |

## 4. उत्तर प्रदेश वन निगम

(करोड़ रुपये में)

| विवरण | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 |
|---|---|---|---|
| **1. आय** | | | |
| विक्रय | 178.37 | 128.12 | 162.84 |
| अन्य आय | 29.86 | 27.84 | 35.43 |
| अन्तिम रहतिया | 67.92 | 106.77 | 147.67 |
| **योग 1** | **276.15** | **262.73** | **345.94** |
| **2. व्यय** | | | |
| क्रय | 39.07 | 74.06 | 124.25 |
| अन्य व्यय | 75.25 | 84.95 | 85.62 |
| प्रारम्भिक रहतिया | 117.19 | 67.92 | 106.77 |
| **योग 2** | **231.51** | **226.93** | **316.64** |
| शुद्ध लाभ | 44.64 | 35.80 | 29.30 |
| नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ | 44.64 | 35.80 | 29.30 |
| नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत | 15.29 | 10.92 | 8.19 |

## 5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(करोड़ रुपये में)

| विवरण | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 |
|---|---|---|---|
| **1. आय** | | | |
| (अ) सम्पत्ति से आय | 305.74 | 273.39 | 276.79 |
| (ब) अन्य आय | 246.94 | 299.54 | 252.55 |
| **योग 1** | **552.68** | **572.93** | **529.34** |
| **2. व्यय** | | | |
| (अ) विक्रीत सम्पत्ति की लागत | 253.97 | 208.03 | 239.41 |
| (ब) स्थापना | 60.10 | 65.61 | 76.74 |
| (स) ब्याज | - | - | - |
| (द) अन्य व्यय | 27.12 | 28.35 | 34.61 |
| **योग 2** | **341.19** | **301.99** | **350.76** |
| 3. आय का व्यय पर आधिक्य | 211.49 | 270.94 | 178.58 |
| 4. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ | 211.49 | 270.94 | 178.58 |
| 5. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत | 24.60 | 33.54 | 27.27 |

## 6. उत्तर प्रदेश जल निगम

(करोड़ रुपये में)

| विवरण | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|
| 1. आय | | | |
| सेन्टेज | 52.00 | 66.05 | 97.24 |
| सर्वे एवं परियोजना शुल्क | 7.57 | 1.15 | 0.56 |
| जल निगम द्वारा संचालित योजना पर ग्राहक से प्राप्ति | 19.59 | 16.45 | 23.78 |
| अन्य आय | 6.08 | 6.08 | 8.95 |

(करोड़ रुपये में)

| विवरण | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|
| वित्तीय क्रियाकलापों से आय | 31.58 | 21.71 | 30.24 |
| राजस्व अनुदान | | | |
| (i) रखरखाव हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से | 150.63 | 93.82 | 72.98 |
| (ii) एचआरडी के लिए सरकार से | - | - | - |
| सी एण्ड डी एस की आय | 25.08 | 28.92 | 33.81 |
| नलकूप विंग की आय | 1.03 | 1.68 | 1.44 |
| ब्याज | - | - | --- |
| अनुदान | - | - | - |
| अन्य | - | - | - |
| योग –1 | **293.56** | **235.86** | **269.00** |
| 2. ब्यय | | | |
| स्थापना प्रभार/परिचालन व्यय | 158.33 | 151.34 | 169.12 |
| रख–रखाव पर व्यय | 29.94 | 47.81 | 62.20 |
| ब्याज | 11.87 | 18.46 | 15.64 |
| अन्य व्यय | - | - | - |
| ह्रास | 0.52 | 0.39 | 0.33 |
| सी एण्ड डीएस का व्यय | 17.16 | 16.80 | 20.72 |
| नलकूप विंग का व्यय | 0.90 | 1.03 | 0.95 |
| जल संस्थान को अनुदान | 36.61 | - | - |
| सिंचाई को अनुदान | 61.00 | - | - |
| योग – 2 | **316.33** | **235.83** | **268.96** |
| कमी(–)/आधिक्य() | (-) 22.77 | 0.03 | 0.04 |
| नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ | (-) 10.90 | 18.49 | 15.68 |

*स्रोतः अद्यतन अन्तमीकृत किये गये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लेखे।*

# परिशिष्ट–7

## सांविधिक निगमों के परिचालनात्मक उपलब्धियों को दर्शाती विवरणी

## (प्रस्तर संख्या 1.13 में संदर्भित)

### अ. कार्यरत सांविधिक निगम

### 1.उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

| विवरण | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|
| विद्यमान वाहनों की औसत संख्या | | | |
| (अ) निगम की बसें | 5673 | 6031 | 6418 |
| (ब) किराये की बसें | 1042 | 898 | 812 |
| **योग** | **6715** | **6929** | **7230** |
| सड़क पर वाहनों की औसत संख्या | 5406 | 5785 | 6165 |
| वाहनों के उपयोजन का प्रतिशत (निगम) | 95 | 96 | 96 |
| कर्मचारियों की संख्या | 36398 | 37339 | 35687 |
| कर्मचारी वाहन अनुपात | 5.51:1 | 6.19:1 | 5.56:1 |
| वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गो की संख्या | 1859 | 2118 | 2222 |
| मार्ग किलोमीटर | 422846 | 483433 | 495351 |
| परिचालित किलोमीटर (लाख में) | | | |
| (अ) सकल | 7499 | 8265 | 8786 |
| (ब) प्रभावी | | | |
| (i) निगम की बसें | 6185 | 7327 | 7887 |
| (ii) किराये की बसें | 1039 | 938 | 899 |
| कुल प्रभावी परिचालित किलोमीटर (लाख में) | 7224 | 8265 | 8786 |
| (स) मृत किलोमीटर | 240 | 274 | 261 |
| सकल किलोमीटर से मृत किलोमीटर का प्रतिशत | 3.20 | 3.43 | 2.14 |
| औसत किलोमीटर प्रति बस प्रतिदिन | 295 | 315 | 321 |
| औसत परिचालन व्यय प्रति किलोमीटर (पैसे) | 1196 | 1258 | 1291 |
| प्रति किमी औसत राजस्व व्यय (पैसे) | 1202 | 1275 | 1338 |
| प्रति किमी परिचालन व्यय में पिछले वर्ष से वृद्धि | 32 | 62 | 33 |
| प्रति किलोमीटर लाभ(+)/हानि(–) (पैसे) | 6 | 17 | 47 |
| परिचालित डिपो की संख्या | 100 | 101 | 107 |
| खराब होने की औसत संख्या प्रति लाख किलोमीटर पर | 1.40 | 0.79 | 0.60 |
| प्रति लाख किलोमीटर पर दुर्घटना की औसत संख्या | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| परिचालित यात्री किलोमीटर (करोड़ में) | 2329 | 2441 | 2624 |
| धारित अनुपात | 62 | 59 | 62 |
| **प्राप्त किलोमीटर प्रति लीटरः** | | | |
| (अ) डीजल | 5.03 | 5.16 | 5.33 |
| (ब) इंजन तेल | 2079 | 2568 | 3022 |

### 2.उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

| विवरण | 2004-05 | | 2005-06 | | 2006-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित आवेदन पत्र | 39 | 29.27 | 14 | 11.55 | 17 | 12.27 |
| प्राप्त आवेदन पत्र | 34 | 16.49 | 176 | 93.79 | 314 | 326.34 |
| **योग** | **73** | **45.76** | **190** | **105.34** | **331** | **338.61** |
| स्वीकृत आवेदन पत्र | 23 | 4.45 | 136 | 63.16 | 205 | 92.59 |
| निरस्त/वापस/अस्वीकृत/ कम किये गये आवेदन पत्र | 36 | 29.76 | 37 | 29.91 | 109 | 231.97 |
| वर्ष के अन्त में लम्बित आवेदन पत्र | 14 | 11.55 | 17 | 12.27 | 17 | 14.05 |
| वितरित ऋण | 32 | 12.51 | 58 | 20.60 | 149 | 47.61 |
| वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण | 13385 | 723.94 | 12525 | 595.16 | 11679 | 535.78 |
| वर्ष की समाप्ति पर वसूली की अतिदेय राशि | | | | | | |
| (अ) मूल | - | 267.53 | - | 216.51 | - | 185.69 |
| (ब) ब्याज | - | 1768.54 | - | 1905.07 | - | 2656.93 |
| **योग (अ+ब)** | | **2036.07** | - | **2121.58** | - | **2842.62** |
| वसूली प्रमाण पत्र मामलों से सम्बन्धित राशि | - | 1478.08 | - | 1498.20 | - | 3526.20 |
| **योग** | **-** | **1478.08** | - | **1498.20** | **-** | **3526.20** |
| **कुल बकाया ऋण पर अतिदेय ऋण का प्रतिशत** | - | 281.25 | - | 356.47 | - | 530.56 |

**3.उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम**

| विवरण | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|
| आवरित केन्द्रों की संख्या | 158 | 156 | 156 |
| वर्ष की समाप्ति तक सृजित भण्डारण क्षमता (लाख टन में) | | | |
| (अ) स्वामित्व में | 24.25 | 24.25 | 24.34 |
| (ब) किराये पर | 4.21 | 4.41 | 3.65 |
| **योग (अ+ब)** | **28.46** | **28.66** | **27.99** |
| वर्ष के दौरान औसत क्षमता उपयोग (लाख टन में) | 27.18 | 25.34 | 24.77 |
| उपयोग का प्रतिशत | 95.50 | 88.42 | 88.50 |
| औसत राजस्व प्रति टन प्रति वर्ष (रुपये) | 607.20 | 529.48 | 505.93 |
| औसत व्यय प्रति टन प्रति वर्ष (रुपये) | 513.81 | 446.58 | 406.52 |
| लाभ(+)/हानि(–) प्रति टन (रुपये) | 93.39 | 82.91 | 99.41 |

**4.उत्तर प्रदेश वन निगम**

| .विवरण | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 |
|---|---|---|---|
| 1 लकड़ी, चिरान लकड़ी सहित (लाख घन मीटर में) | | | |
| (अ) प्रारम्भिक शेष* | 3.92 | 6.70 | 7.53 |
| (ब) विक्रय | 1.87 | 3.19 | 4.35 |
| (स) हानियाँ/कमियाँ | - | - | - |
| (द) विभागीय प्रयोग एवं अन्य निष्पादन | 0.02 | 0.01 | - |
| (इ) अन्तिम शेष | 2.03 | 3.50 | 3.18 |
| 2 तेन्दू पत्ता (मानक बोरे लाख में) | | | |
| (अ) प्रारम्भिक शेष' | 4.41 | 4.40 | 5.61 |
| (ब) विक्रय | 4.19 | 3.97 | 5.23 |
| (स) हानियाँ/कमियाँ | - | - | - |
| (द) अन्तिम शेष | 0.22 | 0.43 | 0.38 |
| 3. बाँस (लाख बण्डल में) | | | |
| (अ) प्रारम्भिक शेष | 2.51 | 3.44 | 2.07 |
| (ब) विक्रय | 0.90 | 2.63 | 1.47 |
| (स) हानियाँ/कमियाँ | - | - | - |
| (द) अन्तिम शेष | 1.61 | 0.81 | 0.60 |
| 4. कृषि उत्पादन (लाख कुन्तल में) | | | |
| (अ) प्रारम्भिक शेष' | 0.38 | 0.22 | 0.22 |
| (ब) विक्रय | 0.33 | 0.20 | 0.21 |
| (स) हानियाँ/कमियाँ | - | 0.01 | - |
| (द) अन्तिम शेष | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 5. बैली घास (लाख कुन्तल में) | | | |
| (अ) प्रारम्भिक शेष' | 0.30 | 0.42 | 0.36 |
| (ब) विक्रय | 0.15 | 0.19 | 0.22 |
| (स) हानियाँ/कमियाँ | - | 0.01 | - |
| (द) अन्तिम शेष | 0.15 | 0.22 | 0.14 |
| 6. जड़ी–बूटी (लाख किग्रा में) | | | |
| (अ) प्रारम्भिक शेष' | 3.41 | 6.67 | 9.29 |
| (ब) विक्रय | 0.28 | 1.12 | 4.43 |
| (स) हानियाँ/कमियाँ | 0.01 | 0.03 | 0.34 |
| (द) अन्तिम शेष | 3.12 | 5.52 | 4.52 |

*स्रोतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के द्वारा प्रदत्त सूचना।*

* प्रारम्भिक शेष में वर्ष के दौरान उत्पादन सम्मिलित है।

## परिशिष्ट–8
## आन्तरिक लेखा परीक्षण/आन्तरिक नियन्त्रण पर टिप्पणियों को दर्शाती विवरणी
## (प्रस्तर संख्या 1.32 में सन्दर्भित)

| क्रम संख्या | कम्पनी का नाम | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1- | उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड | कम्पनी का अपना स्वयं का आन्तरिक लेखा अनुभाग व इसके कर्मचारी हैं। कम्पनी का आन्तरिक लेखा परीक्षा तंत्र न केवल अप्रभावी है बल्कि कम्पनी के विस्तार और कार्य की प्रकृति को देखते हुये इसकी गुणवत्ता, कार्यक्षेत्र, विस्तार, सामयिक आवृत्ति और इसमे कार्यरत सदस्यों की संख्या इसके अनुरूप नहीं कही जा सकती है। |
| 2. | उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड | वर्ष के दौरान कम्पनी की इकाईयों की आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं की गयी है। पुनश्च, जिन इकाइयों की लेखा परीक्षा की गयी है उनकी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन शाखा लेखा परीक्षक को उपलब्ध नही करायी गयी। कम्पनी के आकार और क्रियाकलापों की प्रकृति को देखते हुये, आन्तरिक लेखा परीक्षा को और अधिक अधिक सृदृढ़ और विकसित करने की आवश्यकता है। |
| 3. | उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड | निगम में आन्तरिक लेखा परीक्षा औपचारिक रूप में अस्तित्व में नही है। |
| 4. | कानपुर विद्युत प्रदाय कम्पनी लिमिटेड | (i) कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुये स्कन्ध एवं अचल सम्पत्तियों के क्रय एवं ऊर्जा की बिक्री हेतु आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रिया इसके अनुकूल नहीं है। आन्तरिक लेखा तंत्र में गम्भीर कमियों को दूर करने में कम्पनी सतत रूप से असफल रही है।<br>(ii) कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुये इसका आन्तरिक लेखा तंत्र इसके अनुकूल नहीं है। वर्ष के दौरान किसी भी एजेन्सी द्वारा आन्तरिक लेखा परीक्षा नही की गयी। |
| 5. | उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टमस कारपोरेशन लिमिटेड | यद्यपि कम्पनी का अपना आन्तरिक लेखा परीक्षा तंत्र है परन्तु यह हमारे विचार से पूर्णतः अपर्याप्त है और इसे सशक्त करने की आवश्यकता है जिससे यह कम्पनी के आकार व व्यवसाय की प्रकृति के अनुकूल हो सके। |
| 6. | उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड | कम्पनी का आन्तरिक लेखा परीक्षा तंत्र कम्पनी के आकार व इसके कार्यकलापों की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। |
| 7. | उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड | कम्पनी का आन्तरिक लेखा परीक्षा तंत्र इसके आकार व व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। |
| 8. | उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड | कम्पनी का अपना आन्तरिक लेखा तंत्र है परन्तु यह कम्पनी के आकार व व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप नही है जैसा कि आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के विभिन्न पहलुओं के प्रति किये गये अनुसरण (फालोअप) और किये गये उपचारात्मक उपायों मे रही कमी से प्रकट होता है। आन्तरिक लेखा परीक्षा तंत्र को वस्तुओं के क्रय और विक्रय व स्कन्ध क `लेखाकरण के क्षेत्र मे अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है जिससे कि आन्तरिक नियंत्रण उपायों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। |
| 9. | उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड | कम्पनी का अपना आन्तरिक लेखा परीक्षा तंत्र नहीं है। |
| 10. | दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | निगम के आकार व व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुये इसके आन्तरिक लेखा तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता है। |
| 11. | अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड | मरम्मत कार्यों व सेवाओं कें लेखाकरण पर कम्पनी का पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण नही है क्योंकि उपरोक्त व्यवसायिक क्रियाकलापों हेतु नगद आधारित लेखाकरण पद्धति अपनायी गयी है। |

*स्रोतःसार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों के लेखों पर लेखा परीक्षक प्रतिवेदन।*

## *परिशिष्ट–9*

## अद्यतन अन्तमीकृत लेखों के अनुसार 619–बी के अन्तर्गत कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी, निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.34 में संदर्भित)

(5 से 20 तक के स्तम्भों में आँकड़े: लाख रूपये में)

| क्रम सं0 | कम्पनी का नाम | स्थिति (कार्यरत/ अकार्यरत) | लेखों का वर्ष | प्रदत्त पूँजी | अंश पूँजी | | | | ऋण | | | अनुदान | | | अंश पूंजी, ऋण एवं अनुदान द्वारा कुल निवेश | | | लाभ(+) /हानि(–) | संचित लाभ(+) /हानि(–) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | राज्य सरकार द्वारा | राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा | केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियों द्वारा | अन्य | राज्य सरकार द्वारा | राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा | केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियों द्वारा | राज्य सरकार द्वारा | राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा | केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियों द्वारा | राज्य सरकार | राज्य सरकार की कम्पनियों | केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियों | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1. | अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड | कार्यरत | 2007-08 | 200.00 | - | 82.00 (41.00) | 40.00 (20.00) | 78.00 (39.00) | - | 14.01 | - | - | - | - | - | 96.01 | 40.00 | (+) 37.31 | (+)6.99 |
| 2. | कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड | अकार्यरत | 1994-95 | 24.25 | उपबल्ध नही | उपबल्ध नही | उपबल्ध नही | उपबल्ध नही | - | - | - | 25.00 | - | - | 25.00 | - | - | (+)0.003 | (-) 7.06 |
| 3. | इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड | अकार्यरत | | - | उपबल्ध नही | उपबल्ध नही | उपबल्ध नही | उपबल्ध नही | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | स्टील एण्ड फारस्टनर्स लिमिटेड | अकार्यरत | 1978-79 | 90.00 | - | 55.00 (61.11) | - | 35.00 (38.89) | - | - | - | - | - | - | - | 55.00 | - | (-)45.00 | - |

*नोट: कोष्ठक मे दिये गये आँकड़े स्तम्भ न0 7,8 और 9 में प्रदत्त पूँजी से प्रतिशतता को दर्शाते हैं।*

*स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों द्वारा प्रदत्त सूचना।*

*- कम्पनी द्वारा सूचना नही उपलब्ध करायी गयी*

लेखे आरम्भ से ही अन्तिमीकृत नहीं हुए

## परिशिष्ट – 10

## श्रेणीवार गैर निष्पादनीय सम्पत्तियॉं

## (प्रस्तर 2.1.8 में संदर्भित)

### उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

| क्रम संख्या | विवरण | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पूँजीगत माल एवं ब्रिजिंग ऋण (सम्पत्ति) के सापेक्ष अग्रिम को सम्मिलित करते हुये कुल ऋण एवं अग्रिम | 922.59 | 852.85 | 729.51 | 600.47 | 540.79 |
| | वसूली के सापेक्ष श्रेणीवार ऋण एवं अग्रिम | | | | | |
| | (i) स्तरीय | 298.48 | 209.70 | 110.42 | 53.27 | 73.26 |
| | (ii) उप स्तरीय | 38.85 | 48.37 | 37.31 | 28.64 | 11.57 |
| | (iii) सन्देहात्मक-I | 46.40 | 36.73 | 41.25 | 24.54 | 17.66 |
| | (iv) सन्देहात्मक -II | 395.88 | 406.73 | 383.87 | 341.28 | 283.74 |
| | (v) सम्पत्ति हानि | 137.25 | 145.67 | 151.09 | 147.43 | 149.55 |
| | (vi) पूँजीगत माल एवं ब्रिज ऋण के सापेक्ष अग्रिम | 5.73 | 5.65 | 5.57 | 5.31 | 5.01 |
| 2. | **कुल अनिष्पादित सम्पत्तियॉं (ii से v)** | **618.38** | **637.50** | **613.52** | **541.89** | **462.52** |
| 3. | अग्रिम एवं ऋणों पर अनिष्पादित सम्पत्तियों का प्रतिशत (2/1) | 67.03 | 74.75 | 84.10 | 90.24 | 85.53 |

### दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड

(करोड़ रुपये में)

| क्रम संख्या | विवरण | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कुल ऋण एवं अग्रिम (सम्पत्तियॉं) | **496.94** | **444.04** | **409.05** | **351.71** | **325.34** |
| | वसूली के सापेक्ष श्रेणीवार ऋण एवं अग्रिम | | | | | |
| | (i) स्तरीय | 117.09 | 49.46 | 32.93 | 14.54 | 1.82 |
| | (ii) उप स्तरीय | 95.00 | 106.06 | 32.65 | 11.00 | 0.47 |
| | (iii) सन्देहात्मक-I | 62.82 | 22.33 | 59.31 | 39.63 | 14.13 |
| | (iv) सन्देहात्मक -II | 202.23 | 168.50 | 149.18 | 139.72 | 10.19 |
| | (v) सन्देहात्मक –III | -- | -- | -- | -- | 154.65 |
| | (vi) सम्पत्ति हानि | 1.08 | 78.82 | 116.16 | 128.31 | 125.44 |
| | (vii) अन्य ऋण एवं अग्रिम | 18.72 | 18.87 | 18.82 | 18.51 | 18.64 |
| 2. | **कुल अनिष्पादित सम्पत्तियॉं (ii से vi)** | **361.13** | **375.71** | **357.30** | **318.66** | **304.88** |
| 3. | ऋणों पर अनिष्पादित सम्पत्तियों का प्रतिशत (2/1) | 72.67 | 84.61 | 87.35 | 90.60 | 93.71 |

## परिशिष्ट – 11
## 2006–07 तक के पॉच वर्षों का वसूली निष्पादन
## (प्रस्तर 2.1.12 में सन्दर्भित)

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

| क्रम संख्या | विवरण | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अ | मॉग | | | | | |
| | i. मूलधन | 424.38 | 429.07 | 402.80 | 361.96 | 291.09 |
| | ii. ब्याज | 1049.63 | 1685.18 | 1748.38 | 1958.68 | 2687.52 |
| | iii.योग | 1474.01 | 2114.15 | 2151.18 | 2320.64 | 2978.61 |
| ब | वसूली | | | | | |
| | i. मूलधन | 179.53 | 155.15 | 135.94 | 145.45 | 105.39 |
| | ii. ब्याज | 78.18 | 61.70 | 48.66 | 53.61 | 30.60 |
| | iii.योग | 257.71 | 216.85 | 184.60 | 199.06 | 135.99 |
| स | मॉग के सापेक्ष मूलधन की वसूली का प्रतिशत | 42.30 | 36.16 | 33.75 | 40.18 | 36.21 |
| द | मॉग के सापेक्ष ब्याज की वसूली का प्रतिशत | 7.45 | 3.66 | 2.78 | 2.74 | 1.14 |

दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड

(करोड़ रुपये में)

| क्रम संख्या | विवरण | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अ | मॉग | | | | | |
| | i. मूलधन | 332.49 | 347.83 | 329.43 | 327.65 | 310.75 |
| | ii. ब्याज | 1339.73 | 1629.08 | 1964.59 | 2269.75 | 2664.96 |
| | iii.योग | **1672.22** | **1976.91** | **2294.02** | **2597.40** | **2975.71** |
| ब | वसूली | | | | | |
| | i. मूलधन | 61.16 | 54.79 | 36.99 | 56.06 | 36.79 |
| | ii. ब्याज | 32.02 | 21.52 | 16.75 | 13.60 | 8.44 |
| | iii.योग | **93.18** | **76.31** | **53.74** | **69.66** | **45.23** |
| स | मॉग के सापेक्ष मूलधन की वसूली का प्रतिशत | 18.39 | 15.75 | 11.23 | 17.11 | 11.84 |
| द | मॉग के सापेक्ष ब्याज की वसूली का प्रतिशत | 2.39 | 1.32 | 0.85 | 0.60 | 0.32 |

## परिशिष्ट – 12
## ऋणदाताओं से देयो की वसूली हेतु किये गये अनुसरण की कमियों के प्रकरण
## (प्रस्तर 2.1.12 में सन्दर्भित)

(लाख रूपये में)

| क्रम संख्या | इकाई का नाम | वितरित धनराशि | स्वीकृत की तिथि | बकाया धनराशि | ऋण की वसूली हेतु किये गये अनुसरण में कमियाँ | प्रबन्धन का उत्तर एवं लेखा परीक्षा की अग्रेतर टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम | | | | | | |
| 1. | उन्नाव टेनिंग इण्डस्ट्रीज | 31.59 | मार्च 1982 एवम् जनवरी 1985 | पी : 8.75<br>आई: 734.20<br>एक्सप: 0.15<br>**टी: 743.10**<br>(सितम्बर 2005 की स्थिति) | इकाई का निष्पादन सन्तोषजनक न होने के कारण, ऋणी ने ऋण का पुनर्भुगतान करने में प्रारम्भ से ही चूक की। प्रबंधन द्वारा, सितम्बर 1998 मे सभी प्रमुख सम्पत्तियों का निस्तारण एवं जुलाई 1999 में दिये गये ओटीएस के प्रस्ताव का प्रत्युत्तर देने में ऋणी की असफलता के पश्चात, वसूली प्रमाण पत्र जारी करने मे लगभग पॉच वर्ष (दिसम्बर 2005) का अनुचित अत्यधिक समय लिया गया। जिससे देयो की वसूली में विलम्ब हुआ। | यूपीएफसी ने 'अन्य बातों के साथ–साथ कहा (सितम्बर 2008) कि<br>• सन्देहात्मक–2 तथा हानि सम्पत्ति की श्रेणी से वसूली बहुत कठिन थी क्योंकि सम्पत्तियों का मूल्य अत्यधिक ह्रासित हो गया था तथा हानि सम्पत्ति की श्रेणी की कोई भी बन्धक सम्पत्ति अस्तित्व में नहीं थी।<br>• निगम का यह अनुभव रहा है कि यदि इकाई को पुनर्जीवित किया जाता है तो, एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत अथवा वसूली प्रमाण पत्र/व्यक्तिगत वसूली प्रमाण पत्र के माध्यम से वसूली की अपेक्षा, वसूली की सम्भावना अधिक रहती है।<br>• सामान्यत: इकाई का अधिग्रहण तब किया गया जबकि क्रेता उपलब्ध थे तथा निगम को उचित समय में बन्धक सम्पत्ति की बिक्री से अच्छी राशि प्राप्त होने की आशा थी।<br>• इकाई की सम्पत्तियों को ज्यादा लम्बे समय तक अपने कब्जे में रखने के कारण इन इकाइयों का सुरक्षा व्यय, वसूली लागत बढ़ने के कारण, बढ़ जायेगा।<br>• अनुभव रहा है कि वसूली प्रमाण पत्र/व्यक्तिगत वसूली प्रमाण पत्र प्रभावशाली नही रहे हैं।<br>तथापि, तथ्य यह है कि देय अवसूलित रहे अथवा देयों की वसूली को, लेखा परीक्षा मे इंगित किये गये सभी प्रकरणों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न किये जाने के कारण, नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। |
| 2. | यूपी एलॉएज (प्राइवेट) लिमिटेड | 158.00 | सितम्बर 1996 | पी: 89.21<br>आई :410.78<br>**टी: 499.99**<br>(अप्रैल 2006 की स्थिति) | यूपीएफसी ने देयो की वसूली के लिए इकाई की परिसम्पत्तियों का 69 लाख रुपये में विक्रय किया (जून 2004)। इकाई की सम्पत्तियों के विक्रय के तुरन्त पश्चात व्यक्तिगत वसूली प्रमाण पत्र (पीआरसी) जारी किया जाना वांछनीय था क्योंकि प्रबंधन की दृष्टि में प्रवर्तकों का निवल मूल्य 'उत्तम' था और ओटीएस का कोई नया प्रस्ताव नहीं आना था। व्यक्तिगत वसूली प्रमाण पत्र जुलाई 2006 में जारी किया गया। | |
| 3. | प्राइम इण्टरट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेटर नोयडा | 95.65 (रुपये 41.00 लाख आस्थगित विक्रय प्रतिफल को सम्मिलित करते हुये) | मार्च 1997 एवम् जून 1997 | पी : 77.11<br>आई: 300.66<br>एक्सप: 0.89<br>**टी: 378.66**<br>(20 मार्च 2005 की स्थिति) | ऋणी ने प्रारम्भ से ही ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक की। यूपीएफसी ने 47.25 लाख रुपये में परिसम्पत्तियों का विक्रय किया (जुलाई 2005)। अवशेष ऋणों की वसूली हेतु, मार्च 2002 में जारी किये गये व्यक्तिगत वसूली प्रमाण पत्र पर अग्रेतर अनुसरण नही हुआ। | |
| 4. | एरगो साफ्टवेयर सिस्टमस् लिमिटेड, नोयडा | 69.59<br>7.02 | मार्च 1997 से मार्च 1999 | पी : 59.03<br>आई: 221.44<br>एक्सप: 0.16<br>**टी: 280.63**<br>(20 जून 2007 की स्थिति) | ऋणी ने सितम्बर 1999 से देयों के पुनर्भुगतान में चूक प्रारम्भ की। यूपीएफसी ने कम्पनी के चार निदेशकों को 9 सितम्बर 2002 को पीआरसी जारी किया। दिये गये पते पर न मिलने के कारण, राजस्व अधिकारियों द्वारा एक निदेशक के सम्बन्ध में पीआरसी क्रियान्वित नही की जा सकी। यूपीएफसी ने शेष तीन निदेशकों के सम्बन्ध में पीआरसी क्रियान्वित किये जाने के लिये तथा एक निदेशक का पता ज्ञात करने के लिये प्रयास नही किया। | |
| 5. | एशियाटिक पेट्रोलियम कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड | 150.00 | जनवरी 1997 | पी: 150.00<br>आई: 746.88<br>एक्सप: 0.01<br>**टी: 896.89**<br>(15 अक्टूबर 2006 की स्थिति) | देनदारों ने जनवरी 1998 से ऋणों का पुनर्भुगतान करने में चूक की। यूपीएफसी ने राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत नोटिस जारी की (दिसम्बर 1999) परन्तु इकाई का अधिग्रहण दिसम्बर 2003 में ही किया गया जब यह पाया गया कि वित्तपोषित संयंत्र हटा दिया गया था। यूपीएफसी द्वारा 19 अक्टूबर 2004 को जारी अनुस्मारक के पश्चात मामले का अनुसरण पुलिस अथारिटी के साथ नही किया गया। यूपीएफसी ने दिसम्बर 2006 में 151 लाख रुपये का ओटीएस स्वीकृत किया। | |
| 6. | टू ब्रदर्स | 499.26 | फरवरी 1989 से मई 1997 | पी: 346.43<br>आई: 2906.22<br>एक्सप: 7.83<br>**टी: 3260.48** | प्रबन्धन द्वारा बकायों की वसूली के लिए कोई उत्पीड़क कार्यवाही नहीं की गई। मार्च 2006 में स्वीकृत ओटीएस का पालन नही किया गया। | |
| | योग यूपीएफसी | | | **6059.75** | | |
| दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड | | | | | | |
| 7. | न्यूटेक पैकिंग लिमिटेड | 400.00 | अप्रैल 1995 | पी: 232.00<br>आई: 1816.77 | दिसम्बर 1995–2000 में देनदारों ने ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में किसी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया और 2001–05 के दौरान केवल 25.20 लाख रुपये का भुगतान किया। प्रबन्ध निदेशक के निर्देश के बावजूद (मार्च 2003), इकाई को सम्बद्ध नही किया | प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2008) कि निगम ने सर्वसम्मति से एक ऐसी नीति को अपनाया जो न केवल संयुक्त वित्तीय मामलों में समान्यतया अपनायी जाती थी बल्कि |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | एक्सप:4.06<br>**टी: 2052.83**<br>(31 मार्च 2008 की स्थिति) | गया। पिकप ने ऋणी को 232 लाख रुपये + व्यय का ओटीएस स्वीकृत किया (जुलाई 2006)। ऋणी की प्रार्थना पर ओटीएस (जुलाई 2006) रद्द कर दिया गया ताकि देयो का निस्तारण अन्य ऋणदाताओं के मूलधन से कम पर किया जा सके। अतः ओटीएस को रद्द करने का कारण, न्यायसंगत नही हैं। | पुर्नवास मामलों मे भी बेहतर वसूली प्रत्याशा की दृष्टि से अपनायी जाती थी। आगे कहा गया कि विक्रय से प्राप्त धनराशि के वितरण के सम्बन्ध में, उचित कार्यवाही के द्वारा निगम अलाभकारी स्थिति मे रहा होता। तथापि, तथ्य यह है कि प्रबन्धन ओटीएस के निर्धारण के समय उचित मार्गदर्शन से हट गया। |
| 8. | डिजीफ्लैक्स इण्डिया लिमिटेड | 396.63 | दिसम्बर 1988 से सितम्बर 1995 | पी: 355.50<br>आई: 4875.86<br>**टी: 5231.36**<br>(31 जनवरी 2007 की स्थिति) | सावधि ऋण 85 लाख रुपये (दिसम्बर 1988 में स्वीकृत), 79 लाख रुपये (सितम्बर 1992 में स्वीकृत) तथा डब्ल्यूसीटीएल 100 लाख रुपये (सितम्बर 1995 में स्वीकृत) के सापेक्ष कोई भुगतान नही किया गया। पिकप ने जानबूझ कर केवल कारण बताओ नोटिस फरवरी 1998 मे तथा वसूली प्रमाण पत्र अप्रैल 2002 में जारी की जब इकाई बीमार घोषित हो गयी (सितम्बर 1998)। अन्ततः मई 2007 में ओटीएस किया गया तथा भुगतान प्रगति पर था (31 मार्च 2008 को)। | प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2008) कि कम्पनी डब्ल्यूसीटीएल के स्वीकृत के समय (सितम्बर 1995) पिकप के देयों के लिये (भुगतान हेतु) नियमित थी। सितम्बर 1996 में देयों का पुनर्निधारण किया गया जिसके कारण उचित कार्यवाही के बारे में सोचा नहीं गया। निगम ने (फरवरी 1998) कारण बताओ नोटिस जारी किया परन्तु जून 1998 में बीआईएफआर को सन्दर्भित होने के कारण कोई कार्यवाही नही की जा सकी। आगे कहा गया कि आरसी का जिला प्राधिकारियों के साथ अनुसरण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ओटीएस का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उत्तर तर्कसंगत नही है क्योंकि इकाई ने प्रारम्भ से दिसम्बर 1988 तथा सितम्बर 1992 में स्वीकृत ऋण के विरुद्ध मूलधन के रुप में कोई भुगतान नही किया, यूपीएफसी (संयुक्त ऋणदाता) ने एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत नोटिस जारी की तथा दिसम्बर 1995 से जून 1998 के मध्य 50.42 लाख रुपये की वसूली की। |
| 9. | रजत पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड | 90.00 | अक्टूबर 1985 एवम् सितम्बर 1988 | पी: 79.12<br>आई: 1295.31<br>एक्सप:11.96<br>**टी: 1386.39**<br>(31 मार्च 2008 की स्थिति, यूपीएफसी एवं पिकप के मध्य भूमि एवं भवन की विक्रय धनराशि (25 लाख रुपये) के अभिभाजन के पूर्व) | इकाई के न चलने के कारण कम्पनी प्रारम्भ से ही चूककर्ता बन गयी। लेखा परीक्षा ने ऋण के प्रपत्रीकरण एवं देयो की वसूली के अनुसरण में निम्नलिखित कमियाँ पायी:<br>• पिकप ने व्यक्तिगत गारण्टी बाण्ड उन व्यक्तियों से प्राप्त किये जिनकी फर्म का निवल मूल्य ऋणात्मक था।<br>• प्रत्याभूतिकर्ता के निवल मूल्य मे सावधि जमा प्राप्तियाँ (एफडीआर) तथा एलआईसी पालिसी सम्मिलित थी, परन्तु इन प्रत्याभूति के प्रपत्र प्राप्त न होने से नीतियाँ अर्थहीन हो गयी।<br>• ऋणी ने प्रारम्भ से ही देयों के पुनर्भुगतान में चूक की परन्तु पिकप ने इकाई का अधिगृहण जून 1995 में चोरी की घटना होने तक नही किया और वसूली प्रमाण पत्र दो के अतिरिक्त सभी छः प्रत्याभूतिकर्ता के विरुद्ध जारी नही किये।<br>• बाह्य मूल्यांकक के प्रतिवेदन में, भूमि का क्षेत्रफल 31484 वर्ग मीटर दर्शाया गया जबकि विक्रय के समय 28336 वर्ग मीटर को लिया गया। भूमि के क्षेत्रफल के अन्तर का मिलान नही किया गया।<br>उपरोक्त कमियाँ होने के कारण, 13.86 करोड़ रुपये के देय अवसूलित रहे, प्रवर्तको के गायब होने के कारण इसकी वसूली की संम्भावना बहुत कम थी। | प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2008) कि कुछ साझेदारों का निवल मूल्य फर्म में नकारात्मक था तथा दो प्रत्याभूतिकर्ता का निवल मूल्य एफडीआर तथा एलआईसी पालिसी के रूप में घनात्मक था। पिकप ने सामान्यत विक्रय की कठिनाईयो के कारण सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा नहीं लिया। आगे कहा गया कि इकाई के पुर्नजीवीकरण हेतु अतिदेयो के निस्तारण के लिये कम्पनी के प्रवर्तको का अनुसरण किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्य प्रवर्तकों के विरुद्ध जिनका निवल मूल्य घनात्मक था, वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया गया तथा क्षेत्रफल में अन्तर का मिलान न करने का पिकप द्वारा विक्रय की गयी सम्पत्ति के विक्रय मूल्य पर अधिक प्रभाव नही पड़ा।<br>यह तथ्य रह जाता है कि समय से उचित कार्यवाही न करने तथा समय से कब्जा न लेने के कारण, यंत्र तथा संयंत्र हटा दिये गये, ऋणियों के द्वारा एफडीआर का नकदीकरण करा लिया गया तथा एलआईसी पालिसी के अप्रभावी होने के कारण देयों की वसूली नकारात्मक रूप से प्रभावित रही। |
| | | | | | | |
| 10. | लिकास इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (लीज फाइनेन्स) | 152.20 | मार्च 1993 | 994.86<br>(31 मार्च 2008 की स्थिति) | पट्टाधारी इकाई द्वारा ओटीएस की राशि (3.15 करोड़ रुपये) का भुगतान 19 फरवरी 2004 तक किया जाना था परन्तु इसका इकाई द्वारा पालन नही किए जाने के पश्चात् भी, पिकप ने पट्टाधृत उपकरणों को वापस लेने या पट्टाधृत इकाई मे विद्यमान सम्पत्तियो को बंधक पर रखने के विकल्प का उपयोग नही किया। | प्रबन्धन ने अन्य बातों के साथ–साथ कहा (जुलाई 2008) कि कम्पनी बीआईएफआर द्वारा रुग्ण घोषित की गई (जनवरी 1999)। अक्टूबर 1999 में बीआईएफआर द्वारा कम्पनी के पुनर्वास योजना के अनुमोदन तथा नवम्बर 2003 में बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत कम्पनी का अनुमोदित समझौता असफल हो गया। पट्टाधृत सम्पत्तियों, मुख्य संयंत्र तथा योजना की व्यवहार्यता को प्राप्त करने में, मुख्य अंग थे। आगे कहा गया कि पट्टाधृत सम्पत्तियों के अधिग्रहण वापस लेने की समाधान योजना को बीआईएफआर में मामला लम्बित होने के कारण, क्रियान्वित |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | नही किया जा सका। तथ्य यह है कि पुनर्वास/समाधान के अनवरत प्रयास असफल हो गये तथा परिणामस्वरूप पिकप वसूली नही कर सका। |
| 11. | राजेन्द्र स्टील्स लिमिटेड (लीज फाइनेन्स) | 45.56<br>33.92<br>285.35 | अगस्त 1987 से मार्च 1993 | 1536.73<br>(31 मार्च 2008 की स्थिति) | भारी चूक को ध्यान में रखते हुये ऋण की वसूली के लिये पिकप ने वसूली प्रमाण पत्र व्यक्तिगत प्रत्याभूति के सापेक्ष जारी किया (जुलाई 1998)। कम्पनी के द्वारा दायर वाद में, उच्च न्यायालय ने देयो का भुगतान किश्तों में करने का आदेश दिया (अगस्त 1998) तथा वसूली प्रमाण पत्र का स्थगन आदेश पारित किया। कम्पनी ने देयो का भुगतान करने मे चूक की तथा वसूली प्रमाण पत्र जिला प्राधिकारियों को फरवरी 1999 में वापस कर दिया गया। कम्पनी जनवरी 1999 में परिसमापन मे चली गयी। प्रवर्तकों/जमानतदाताओं के विरुद्ध जारी किये गये वसूली प्रमाण पत्र पर अक्टूबर 2004 के बाद अग्रेतर अनुसरण नहीं किया गया। | प्रबन्धन ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा (जुलाई 2008) कि प्रत्याभूतिकर्ता गायब था (जिला प्राधिकारियों के प्रतिवेदन के अनुसार) तथा उक्त सम्पत्ति अधिकारिक परिसमापक के नियंत्रण में आ गई थी।<br>तथ्य यह है कि प्रबन्धन ने अधिकारिक परिसमापक से पट्टाधृत समपत्तियों को वापस नही लिया, जैसा कि पिकप के विधिक प्रकोष्ठ के द्वारा सुझाव दिया गया। |
| | | | योग पिकप | 11202.17 | | |
| | | | महायोग | 17261.92 | | |

(पी = मूलधन, आई = ब्याज, एक्सप = व्यय, टी = योग)

## परिशिष्ट – 13
## 2002–07 में एकमुश्त समाधान के द्वारा गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों के समापन की स्थिति
## (प्रस्तर 2.1.13 में सन्दर्भित)

### उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

| क्रम संख्या | विवरण | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | निस्तारित प्रकरणों की संख्या | 432 | 282 | 177 | 428 | 365 | 1684 |
| 2. | निस्तारित प्रकरणों के सम्बन्ध में बकाया मूलधन | 53.07 | 29.62 | 24.88 | 59.59 | 63.18 | 230.34 |
| 3. | बकाया धनराशि का निस्तारण | 227.16 | 150.39 | 99.29 | 503.71 | 589.03 | 1569.58 |
| 4. | एक मुश्त समाधान की धनराशि | 64.31 | 37.33 | 29.80 | 82.92 | 80.99 | 295.35 |
| 5. | अपलिखित धनराशि | 1.69 | 1.07 | 0.67 | 2.30 | 1.05 | 6.78 |
| 6. | माफ की गयी धनराशि | 161.16 | 111.99 | 68.82 | 418.49 | 506.99 | 1267.45 |
| 7. | प्रति ओटीएस माफ की गयी औसत धनराशि | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 0.98 | 1.39 | 0.75 |

### दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड

(करोड़ रुपये में)

| क्रम संख्या | विवरण | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | निस्तारित प्रकरणों की संख्या | 28 | 15 | 26 | 24 | 28 | 121 |
| 2. | निस्तारित प्रकरणों के सम्बन्ध में बकाया मूलधन | 24.64 | 4.80 | 34.15 | 28.36 | 23.03 | 114.98 |
| 3. | बकाया धनराशि का निस्तारण | 64.48 | 53.37 | 129.93 | 153.60 | 191.82 | 593.20 |
| 4. | एक मुश्त समाधान की धनराशि | 29.08 | 6.75 | 45.91 | 29.68 | 27.91 | 139.33 |
| 5. | अपलिखित धनराशि | - | 0.34 | - | - | - | 0.34 |
| 6. | माफ की गयी धनराशि | 35.40 | 46.28 | 84.02 | 123.92 | 163.91 | 453.53 |
| 7. | प्रति ओटीएस माफ की गयी औसत धनराशि | 1.26 | 3.09 | 3.23 | 5.16 | 5.85 | 3.75 |

## परिशिष्ट–14

## इकाइयों का विवरण जिनके ओटीएस हेतु बंधक प्रतिभूति तथा शुद्ध मूल्य का सही मूल्यांकन नही किया गया

(प्रस्तर 2.1.15 में सन्दर्भित)

(लाख रुपये में)

| क्रम संख्या | इकाई का नाम/वितरित धनराशि/तथा स्वीकृत की तिथि | ओटीएस के समय बकाया धनराशि | मैट्रिक्स के अनुसार ओटीएस की धनराशि | स्वीकृत ओटीएस स्वीकृति की तिथि | प्रबन्धन के द्वारा किया गया मूल्यांकन/लेखा परीक्षा आपत्ति के द्वारा मूल्यांकन | यूपीएफसी/पिकप को हानि | लेखा परीक्षा टिप्पणी तथा प्रबन्धन का उत्तर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम | | | | | | | |
| 1. | मंगलम सेरेमिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड<br>114.99<br>(फरवरी 1996 तथा फरवरी 1997) | पी: 91.39<br>आई: 208.75<br>एक्सप: 1.84<br>टी: **301.98** | 124.61 | 124.61<br>(जुलाई 2005) | 106.70<br>249.47 | 124.86<br>(249.47 – 124.61) | यूपीएफसी द्वारा किये गये मूल्यांकन में प्रवर्तकों/प्रत्याभूतिदाताओं द्वारा शपथपत्र में दर्शाये गये 142.76 लाख रुपये के निवल मूल्य को सम्मिलित नही किया गया। इस प्रकार, सकल मूल्यांकन 249.47 लाख रुपये आकलित किया गया। अतः ओटीएस दिशानिर्देश के अनुसार, ओटीएस की राशि 249.47 लाख रुपये होनी चाहिए थी।<br>उत्तर में प्रबन्धन ने अन्य बातों के साथ–साथ कहा (सितम्बर 2008) कि कम्पनी के निदेशकों का निवल मूल्य घटकर 86 लाख रुपये रह गया था तथा उद्योग बन्धु द्वारा इकाई को रुग्ण घोषित कर दिया गया था (मार्च 2002)। उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन के फलस्वरूप वसूली प्रमाण पत्र/व्यक्तिगत वसूली प्रमाण पत्र को अनिष्पादित वापस कर दिया गया। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि ओटीएस योजना के दिशानिर्देश केवल इंगित करने वाले दिशानिर्देश थे तथा समाधान की राशि का निर्धारण करते समय प्रवर्तकों के इतिहास, प्रयुक्त वाद तथा इन परिस्थितियों में वसूली योग्य अधिकतम राशि के आधार पर न्यायसंगत निर्णय लिया गया था।<br>यह देखा गया कि ओटीएस की आंकलन आख्या में प्रवर्तकों का निवल मूल्य 142.76 लाख रुपये दर्शाया गया था तथा ओटीएस का निर्धारण करने में ओटीएस नीति के प्रावधानो का अनुसरण नहीं किया गया। |
| 2. | डा0 आरएल कौल आई सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड<br>40.85<br>नवम्बर 2000 | पी: 40.85<br>आई: 25.22<br>एक्सप: 1.13<br>टी: **67.20** | 57.18 | 53.50<br>फरवरी 2006 | 110.00<br>200.00 | 13.70<br>(67.20 – 53.50) | यूपीएफसी ने ऋणी के साथ ओटीएस अनुमोदित किया (फरवरी 2006) परन्तु ऋणी ने ओटीएस को मान्यता नही दी। निगम ने एसएफसी, अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत विक्रय की कार्यवाही आरम्भ की तथा इकाई की सम्पत्ति हेतु 2 करोड़ रुपये का उच्चतम प्रस्ताव प्राप्त हुआ परन्तु अस्वीकार किया गया। ऋणी ने यूपीएफसी को सूचित किया कि प्रतिभूति का उचित बाजार मूल्य 3.50 करोड़ रुपये से कम नही है। निरस्त ओटीएस को पुनः जीवित किया गया (जून 2007) तथा ऋणी ने ओटीएस की राशि का डीएडीपी (चूक अवधि के दौरान चूक की धनराशि) के साथ भुगतान किया। ओटीएस नीति के अनुसार 31 मार्च 2003 की नियत तिथि को ऋण सब स्टेडर्ड श्रेणी में था परन्तु यूपीएफसी ने इसे डी–1 माना तथा तद्नुसार डी–1 के समकक्ष मैट्रिक्स की धनराशि निर्धारित की जो कि कम थी।<br>यह जानने के उपरान्त भी कि यह ऋणों की अदला–बदली का प्रकरण है, चूंकि क्षेत्रीय प्रबन्धक ने बैंक (सिंडीकेट बैंक) को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया था, यूपीएफसी ने ओटीएस के दिशानिर्देशों की अवहेलना करते हुए ओटीएस अनुमोदित कर दिया। इस प्रकार यूपीएफसी ने न केवल सम्पत्ति का कम मूल्यांकन किया अपितु ओटीएस के निरस्तीकरण के पश्चात 67.20 लाख रुपये की कुल देयों की वसूली का अवसर भी गवाँ दिया।<br>प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2008) कि देनदारों ने सम्पत्ति को 2 करोड़ रुंपये में विक्रय करने पर आपत्ति की तथा 30 दिन के समय में ओटीएस राशि का भुगतान करने का निवेदन किया। इसके अतिरिक्त कहा कि ऋण को 20 दिसम्बर 2005 की लेखों की स्थिति के आधार पर डी–1 श्रेणी में रखा गया तथा सिंडीकेट बैंक ने ऋण की अदला बदली के लिए उधार सुविधा की स्वीकृत सूचना नहीं दी थी। 2 करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्रतिस्पर्धा और प्रस्तावक की आवश्यकता के कारण था।<br>लेखा परीक्षा आपत्तियों में उठाये गये तथ्य स्वसिद्ध हैं। |
| 3. | हेमगंगा पॉलीटेक्स (प्राइवेट) लिमिटेड<br>269.61<br>मार्च 1996 तथा मार्च। 2003 | पी: 150.00<br>आई: 91.55<br>एक्सप: 1.82<br>टी: **243.37** | 207.34 | 203.28<br>जनवरी 2007 | 188.00<br>284.21 | 40.09<br>(243.37 – 203.28) | यूपीएफसी के अधिकारियों, बाह्य मूल्यांकक (श्री वीपी गुप्ता) तथा ऋणी (बाह्य मूल्यांकक श्री हिमांशु अग्रवाल के साथ परन्तु यूपीएफसी के अधिकारियों को सम्बद्ध किये बिना) द्वारा अगस्त 2006 तथा दिसम्बर 2006 में प्राइम एवं कोलैटरल प्रतिभूतियों का मूल्यांकन किया गया। यूपीएफसी ने ऋणी द्वारा किये गये मूल्याकन को महत्व दिया जिसमें मुख्य प्रतिभूति सयत्र को 84.55 लाख रुपये तथा कोलैटरल प्रतिभूति भवन को 10.82 लाख रुपये से कम मूल्यांकन किया गया था। चालू सम्पत्तियाँ (266.39 लाख रुपये), रामनगर में एचपीपीएल के स्वामित्व की फ्री होल्ड भूमि (10.68 लाख रुपये), स्थायी सम्पत्तियाँ (52.84 लाख रुपये) जिसमें गुरूधन क्रासिंग पर स्थित भूमि एवं भवन (50 लाख रुपये) सम्मिलित थे उपलब्ध प्रतिभूतियों के आकलन में सम्मिलित नहीं किया गया। ऋणी ने यूपीएफसी को समय बढ़ाने तथा मुख्य प्रतिभूति के विक्रय हेतु प्रस्ताव दिया (मई 2007)।<br>प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2008) कि कम्पनी द्वारा प्रस्तावित मूल्याकंन को अनुमोदित नही किया गया तथा निगम के मानको के अनुसार, जब निगम द्वारा कराये गये मूल्यांकन एवं बाह्य मूल्यांकक के मूल्यांकन में भिन्नता पायी गयी तो मूल्यांकनो का माध्य लिया गया। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि इकाई ने यूनियन बैंक से ऋण लिया था तथा बैंक का भी इकाई की सम्पत्तियों पर प्रभार था।<br>चूँकि यूपीएफसी ने ऋणी द्वारा नियुक्त मूल्यांकक द्वारा किये गये मूल्यांकन के प्रतिवेदन को स्वीकार किया इसलिये दोनो मूल्यांकनो के बीच अन्तर के कारणो का विश्लेषण नही किया गया तथा ऋणी एवं निगम के बीच हुए ऋण अनुबन्ध में यह उल्लेख नही किया गया कि यूनियन बैंक आफ इण्डिया का प्रथम प्रभार था, जो यह इंगित करता है कि यूपीएफसी का चालू सम्पत्तियो पर समान प्रभार था। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | आशुतोष पेपर मिल्स लिमिटेड (एपीएमएल) (पिकप के साथ संयुक्त वित्तपोषित) 248.95 1997 तक | पी: 200.98<br>आई: 1072.98<br>एक्सप: 3.69<br>**टी: 1277.65** | 383.61 | 215.98<br>फरवरी 2006 | 350.00<br>254.15<br>(यूपीएफसी की अनुपातिक मूल्य) | 38.17<br>(254.15 – 215.98) | कोलैटरल प्रतिभूति (प्लाट बी–10) को बन्धनमुक्त कर दिया गया जबकि इसे सभी ऋणों के निस्तारण तक रखा जाना अपेक्षित था।<br>दो भूखण्डों (बी–9: जहाँ इकाई स्थित थी तथा बी–10: ऋणी का निवल मूल्य माने गये) का मूल्यांकन 43.25 लाख रुपये किया गया, यद्यपि यूपीएसआईडीसी निर्धारित दर के अनुसार मूल्य 191.25 लाख रुपये था। भूखण्ड (बी–9) को 240 लाख रुपये में विक्रय किया गया (जनवरी 2007)। मूल्यांकन में, पिकप द्वारा वितरित ऋण यंत्र–संयंत्र तथा विविध स्थायी सम्पत्तियाँ, जिनका मूल्य 246.50 लाख रुपये था, को सम्मिलित नहीं किया। इसके अतिरिक्त पिकप ने 27.65 लाख रुपये के डीएडीपी राशि की भी छूट दी।<br>प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2008) कि एपीएमएल ने सम्पूर्ण कार्यरत पूँजी सावधिक ऋण (डब्ल्यूसीटीएल) का भुगतान कर दिया था, अतः निर्दिष्ट कोलैटरल प्रतिभूति को अवमुक्त कर दिया गया। यह भी कहा गया कि कार्यरत पूँजी सावधिक ऋण को स्वीकृत करते समय, 155 प्रतिशत प्रतिभूति संरक्षण उपलब्ध था तथा 29 नवम्बर 2006 को इकाई का मूल्यांकन 417.22 लाख रुपये किया गया।<br>तथापि, तथ्य यह है कि तदोपरांत डब्ल्यूसीटीएल को स्वीकृत करते समय, कार्यरत पूँजी सावधिक ऋण के सापेक्ष उपलब्ध कोलैटरल प्रतिभूति को अनुचित रूप से दूसरे डब्ल्यूसीटीएल की स्वीकृति हेतु अवमुक्त किया गया, जिसका आंशिक उपयोग पूर्व देय कार्यरत पूँजी सावधिक ऋण के भुगतान में किया गया। 417.22 लाख का मूल्यांकन अप्रांसगिक था क्योंकि यह ओटीएस तिथि के उपरान्त कराया गया था तथा पिकप द्वारा ऋण पोषित यंत्र–संयंत्र के मूल्य (246.50 लाख रुपये) को सम्मिलित नहीं करने के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया। |
| 5. | फॉरचून पार्लीमर्स लिमिटेड (पिकप, सीबीआई के साथ संयुक्त वित्तपोषित) 60.00 अक्टूबर 1989 | पी: 60.00<br>आई: 495.07<br>एक्सप: 1.02<br>**टी: 556.09** | 102.28 | 71.00<br>अप्रैल 2006 | 323.55<br>122.56<br>(यूपीएफसी का अनुपातिक अंश) | 51.56<br>(122.56 – 71.00) | पिकप ने 110 लाख रुपये में ओटीएस को स्वीकृत किया। इस प्रकार पिकप एवं यूपीएफसी दोनों ने 323.55 लाख रुपये की कुल प्रतिभूति के सापेक्ष 181 लाख रुपये के ओटीएस को स्वीकृत किया। यह सुस्पष्ट है कि पिकप एवं यूपीएफसी,, दोनों के द्वारा ओटीएस, बन्धक प्रतिभूति के मूल्य से कम पर किया गया। इसके अतिरिक्त, ओटीएस के समय उपलब्ध ऋणी के निवल मूल्य को यूपीएफसी ने ध्यान में नही लिया।<br>प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2008) कि कम्पनी 23 मार्च 2000 से समापन के अन्तर्गत थी तथा निगम अगले 5–6 वर्षों तक कोई राशि वसूल नहीं कर पाता। इकाई आधिकारिक निष्पादक से संलग्न थी, जिसे अन्य लेनदारों के देयों का निर्धारण करना था, अतः ओटीएस के समय सम्पत्तियों के मूल्य को विचाराधीन नहीं किया गया। यह भी कहा गया कि कलेक्टर गाजियाबाद ने यह उल्लेख करते हुए व्यक्तिगत वसूली प्रमाण पत्र वापस कर दिया कि सम्पत्तियाँ ऋणी से सम्बन्धित नही थी।<br>चूंकि ओटीएस की राशि मूल्यांकन से कम थी, यूपीएफसी सुरक्षित लेनदार था अतः इकाई की सम्पत्तियों पर उसका पूर्वाधिकार था तथा सम्पत्तियो को ऋणी ने स्वयं ही ओटीएस के समय घोषित किया था। |
| 6. | गीतांजली आइरन एण्ड इम्पलीमेन्टस कम्पनी लिमिटेड 27.37 दिसम्बर 1996 | पी: 27.37<br>आई: 85.87<br>एक्सप: 0.27<br>**टी: 113.51** | 47.40 | 52.00<br>अगस्त 2005 | 64.22<br>91.97 | 61.51<br>(113.51 – 52.00) | 27.75 लाख रुपये की कोलैटरल प्रतिभूति (ऋण की समीक्षा के समय) को सम्पत्तियों के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं किया गया। निवल मूल्य में घोषित सम्पत्तियों को यूपीएफसी को सूचित किये बिना ही विक्रय कर दिया गया।<br>अन्य बातों के साथ–साथ प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2008) कि कोलैटरल प्रतिभूति को विभिन्न किरायेदारों को दिया गया था; इस अवस्था में अनुमानित राशि नहीं प्राप्त होती तथा ऋणी 100 प्रतिशत मूलधन, साधारण ब्याज तथा व्यय से अधिक भुगतान के लिए सहमत हो गया।<br>प्रबन्धन को यद्यपि ओटीएस के उद्देश्य से कोलैटरल प्रतिभूति के मूल्य को ध्यान में रखना अपेक्षित था, इस तथ्य के बावजूद कि भवन अधिकार में था तथा 61.51 लाख रुपये की राशि माफ की गयी। |
| 7. | आशा फाउन्ड्री 46.27 नवम्बर 1992 से जनवरी 1997 | पी: 44.45<br>आई: 225.15<br>एक्सप: 1.71<br>**टी: 271.31** | 102.63 | 102.63<br>मई 2005 | 118.70<br>126.35 | 23.72<br>(126.35 – 102.63) | ओटीएस योजना के अनुसार चोरी हुई मशीनरी की राशि (ह्रासित मूल्य: 7.65 लाख रुपये) को ध्यान में नही लिया गया। टेहरी गढ़वाल की सम्पत्ति को निवल मूल्य के मूल्यांकन में सम्मिलित नही किया गया।<br>प्रबन्धन ने अन्य बातों के साथ–साथ कहा कि (सितम्बर 2008) ओटीएस की राशि आरआरवी के 86 प्रतिशत से अधिक मूल्यांकित की गयी तथा टेहरी गढ़वाल की सम्पत्ति की अनदेखी करने से सकल मूल्य पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।<br>तथ्य रह जाते है कि चोरी हुई मशीनरी के मूल्य को मूल्यांकन में नहीं लिया गया तथा ओटीएस की राशि को आरआरवी के सन्दर्भ में तय किया जाना अपेक्षित था। |
| | | | | | | **353.61** | |
| **दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड** | | | | | | | |
| 8. | ट्विनपैक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 129.90 फरवरी 1993 (यूपीएफसी के साथ संयुक्त वित्तपोषित) | पी: 94.90<br>आई: 487.03<br>एक्सप: 0.17<br>**टी: 582.10** | 134.81 | 98.00<br>अगस्त 2006 | 194.08<br>118.57 (पिकप का अनुपातिक अंश) | 20.57<br>(118.57 – 98.00) | कविनगर, गाजियाबाद स्थित बन्धक भूमि (1392 वर्ग मीटर) का मूल्यांकन 53.25 लाख पर किया गया जबकि यह मूल्य (5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर बाजार की दर से) 69.90 लाख रुपये था तथा कोलैटेरल प्रतिभूति (कविनगर, गाजियाबाद स्थित भवन) का मूल्यांकन 60 लाख रुपये पर किया गया, जहाँ भवन का प्रस्तावित मूल्य 75 लाख रुपये था। उपरोल्लिखित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, ओटीएस, बन्धक प्रतिभूति के आनुपातिक मूल्यांकन तथा प्रर्वतक/प्रतिभूतिदाता के निवल मूल्य के आधार पर ओटीएस योजना के अनुसार 118.67 लाख रुपये होनी चाहिए थी।<br>प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2008) कि मूल्याकको ने भूमि का वसूली योग्य मूल्य 53.25 लाख रुपये, स्थिति सुधार घटको के आधार पर निर्धारित किया तथा कविनगर, गाजियाबाद स्थित भवन कोलैटरल प्रतिभूति रूप से विशिष्ट अधिकार अन्य संस्थान अर्थात यूपीएफसी के पास था, अतः पिकप के पास उपलब्ध प्रतिभूति में उसका आंकलन नहीं जा सकता।<br>उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि उस स्थान पर भूमि का बाजार मूल्य अधिक था तथा सम्पत्तियों का मूल्याकन पिकप एवं यूपीएफसी दोनों के पूर्ण देयों के लिये था। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | डिजीफ्लैक्स इण्डिया लिमिटेड (डिल)<br>396.63<br>दिसम्बर 1990 से सितम्बर 1995<br>(यूपीएफसी तथा एसबीआई के द्वारा भी वित्तपोषित) | पी: 355.50<br>आई: 4875.86<br>टी: **5231.36** | 584.86 | 356.00<br>*एवम्*<br>मई 2007 | 153.10<br>584.36 | 228.36<br>(584.36 - 356.00) | डिल की कोयम्बटूर इकाई का मूल्य (2 करोड़ रुपये) को निवल मूल्य में सम्मिलित नहीं किया गया। एनएसईजेड भूमि का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया गया कि वह शिकमी पट्टे पर थी यद्यपि उसके लिए 200.62 लाख रुपये का प्रस्ताव था।<br>ऊपर दिये गये मूल्यांकन के अनुसार, सम्पत्तियों के मूल्यांकन और ऋणी के निवल मूल्य मे पिकप का ओटीएस राशि मे आनुपातिक अंश 584.36 लाख रुपये बनता था।<br>प्रबन्धन ने अन्य बातो के साथ–साथ कहा (अगस्त 2008) कि कोयम्बटूर इकाई की सम्पत्तियॉ आईडीबीआई और लॉर्ड कृष्णा बैंक के प्रभार मे थी, निगम के प्रभार में नही। एनएसईजेड भूमि अल्पावधि के लिए शिकमी पट्टे पर थी तथा शिकमी पट्टे के हस्तान्तरण मे कई प्रतिबन्ध थे। यह भी कहा गया कि कथित मूल्यांकन उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया।<br>डिल का प्रथक कानूनी अस्तिव होने के कारण उसमें सभी इकाईयॉ सम्मिलित थी, जिसमे कोयम्बटूर इकाई भी थी। अतः ओटीएस राशि निर्धारण मे उसके शुद्ध बाजार मूल्य में से आईडीबीआई तथा लार्ड कृष्णा बैंक के देयों को घटाना चाहिये था। एनएसईजेड प्राधिकरण के साथ हुई बैठकों मे एनएसईजेड भूमि के निस्तारण की प्रणाली तैयार की गयी थी, एनएसईजेड भूमि के हस्तान्तरण के लिए यूपीएफसी को ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुआ था तथा यूपीएफसी द्वारा वित्तपोषित कुछ इकाईयों में भवन तथा यंत्र–संयंत्र, आंकलित वसूली मूल्य से बहुत अधिक मूल्य पर विक्रय किये गये जिससे एनएसईजेड भूमि के मूल्य महत्व का संकेत मिलता है। |
| 10. | आरपिक रिसॉट लिमिटेड (ओआरएल)<br>724.00<br>मई 1989 से अगस्त 1997 | पी: 595.24<br>आई: 2244.50<br>एक्सप: 1.63<br>टी: **2841.37** | 997.76 | 595.24<br>*एवम्* जनवरी 2006 | 384.94<br>(ब्याज की राशि का अधित्याग से हानि) | 2244.50 | पिकप का ऋणी की भीमताल एवं कोसी इकाईयों पर विशिष्ट प्रभार था परन्तु तदुपरात प्रतिभूति को कमजोर करते हुए कोसी इकाई का परिपशु प्रभार टीएफसीआई को दिया गया। पिकप ने प्रत्याभूति देने वाले निगमों के कारखानों (फरीदाबाद, गौरीगंज–सुल्तानपुर एवं भीमताल) पर स्थित सम्पत्तियों (भूमि, भवन, संयत्र/अन्य सम्पत्ति) के अधिग्रहण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की तथा ऊषा इंडिया लिमिटेड एवं इनफार्मेशन टेक्नोलोजी लिमिटेड निगमों की प्रत्याभूति का आवाहन नहीं किया। पिकप ने बाह्य मूल्यांकक की रिपोर्ट को स्वीकार किया जिसमें सम्पत्तियों का कम मूल्यांकन किया गया जिसके परिणामवश 22.44 करोड़ रुपये की छूट देनी पड़ी।<br>प्रबन्धन ने कहा (जुलाई एवं अगस्त 2008) कि संयुक्त वित्त व्यवस्था के प्रकरणों में वित्तीय संस्थानों द्वारा परिपशु प्रभार देना सामान्य प्रथा है तथा प्रतिभूति कमजोर नहीं हुई क्योंकि अतिरिक्त सम्पत्तियों का सृजन हुआ। जिलाधिकारी सुल्तानपुर को वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये गये क्योंकि कम्पनियों (प्रत्याभूतिदाता निगमों) के पते सुल्तानपुर के थे तथा जिला प्राधिकारियों द्वारा यह सूचना दी गयी कि कम्पनियों के कार्यालय दिये गये पतों पर स्थित नहीं थे। पिकप ने सम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकक को नियुक्त किया तथा मूल्याकंक के दिये ब्यौरे और विशेषज्ञता के आधार पर, मूल्यांकन को स्वीकार कर लिया गया। यह भी कहा गया कि जुलाई 2002 से कम्पनी बीआईएफआर में थी।<br>उत्तर मान्य नही है क्योंकि संयुक्त वित्त व्यवस्था का प्रकरण नहीं था (पिकप ने 1989 में ऋण स्वीकृत किया था), पिकप ने कारखानों के स्थान/पतें पर वसूली प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया तथा मूल्यांकक द्वारा किये गये मूल्यांकन का पुनःरीक्षण नहीं किया गया जोकि वांछनीय था क्योंकि टीएफसीआई मूल्यांकक द्वारा किये गये मूल्यांकन एवं सम्पत्तियों के लेखांकित मूल्य में भारी भिन्नता थी। |
| 11. | आशुतोष पेपर मिल्स लिमिटेड (यूपीएफसी के साथ संयुक्त वित्तपोषित)<br>248.52<br>फरवरी 1990 से अगस्त 1997 | पी: 241.37<br>आई: 841.66<br>टी: **1083.03** | पिकप द्वारा गणना नही की गई | 241.37<br>*एवम् व्यय*<br>अगस्त 2005 | 204.81<br>357.09<br>(पिकप का अनुपातिक अंश) | 115.72<br>(357.09-241.37) | पिकप ने ऋणों में से एक ऋण (152.50 लाख रुपये) को बिना ऋण को कवर करने वाले पर्याप्त कोलैटरल प्रतिभूति आवरण के ही वितरित कर दिया। पिकप ने जुलाई 2002 में यूपीएफसी द्वारा बाह्य मूल्यांकक से कराये गये पुराने मूल्यांकन को ही स्वीकार कर लिया। भूखण्ड संख्या बी–10 (मूल्य: 215.07 लाख रुपये, ऋणी द्वारा यूपीएफसी से क्रय) तथा सीकरी कलां स्थित रिहायशी जमीन (20.96 लाख रुपये की कोलैटरल प्रतिभूति) को प्रर्वतक के निवल मूल्य में सम्मिलित नहीं किया गया। इस प्रकार, 357.09 लाख रुपये की उपलब्ध प्रतिभूति के सापेक्ष पिकप ने 241.37 लाख रुपये का ओटीएस अनुमोदित कर दिया।<br>प्रबन्धन ने अन्य बातों के साथ–साथ कहा (अगस्त 2008) कि कोलैटरल प्रतिभूति की शर्त में केवल स्थायी सम्पत्तियों के स्थान पर कम्पनी के अंशो तथा सीकरी कलां की स्थायी सम्पत्ति रखी गयी थी। सीकरी कलां की सम्पत्ति के मूल्य को सम्मिलित नहीं करने से ओटीएस के निर्णय मे विशेष प्रभाव नहीं पड़ा तथा बी–10 भूखण्ड पीएनबी के साथ पहले से ही बंधक रखा हुआ था, अतः वह पिकप हेतु उपलब्ध नहीं था। यह आगे बताया गया कि ओटीएस हेतु जुलाई 2002 का मूल्यांकन, संस्थान के बकाया मूलधन के ओटीएस हेतु मापदण्ड नहीं था।<br>उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उसी कम्पनी के अंशो को कोलैटरल प्रतिभूति रूप मे इस कारण स्वीकार नहीं करना चाहिए था कि कम्पनी की असफलता की दशा मे अंशो का कोई मूल्य नही होता, सीकरी कलां स्थित सम्पत्ति का मूल्य 20.96 लाख रुपये का था, अतः महत्वपूर्ण था। भूखण्ड बी–10 पीनएनबी के पास बंधक है इस आशय के समर्थन मे कोई अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। बंधक प्रतिभूतियों के कुल मूल्यांकन तथा प्रवर्तकों/प्रत्याभूतिदाताओं के निवल मूल्य पर आधारित ओटीएस की राशि पर सम्पत्तियों की सही एवं अद्यतन मूल्यांकन का सदैव प्रभाव पड़ता है। |
| 12. | फॉरचून पालीमर्स लिमिटेड (यूपीएफसी द्वारा संयुक्त वित्तपोषित)<br>90.00<br>दिसम्बर 1988 | पी: 90.00<br>आई: 904.73<br>एक्सप: 0.49<br>टी: **995.22** | 129.64 | 110.00<br>नवम्बर 2006 | 164.61<br>(योग)<br>183.84<br>(पिकप का अनुपातिक अंश) | 73.84<br>(183.84-110.00) | पिकप एवं यूपीएफसी ने इकाई के बन्धक सम्पत्तियों का मूल्य क्रमशः 164.61 लाख रुपये (भूमि: 145.60 लाख रुपये, भवन: 19.01 लाख रुपये) एवं 323.55 लाख रुपये (भूमि: 264.50 लाख रुपये, भवन 25.51 लाख रुपये, मशीन एवं संयंत्र: 33.54 लाख रुपये) मुल्यांकित किये। इस प्रकार, पिकप ने इकाई के भूमि एवं भवन के साथ–साथ मशीन एवं संयंत्र को सकल रूप में अवमूल्यांकित किया।<br>प्रबन्धन ने अन्य बातो के साथ–साथ कहा (अगस्त 2008) दो भिन्न इकाईयों द्वारा मूल्यांकन में कुछ अन्तर, उनमें निहित वयक्तिपरकता के कारण आ जाते हैं। 555.07 लाख रुपये के कुल दायित्वों के सापेक्ष यूपीएफसी 71.00 लाख रुपये के ओटीएस पर राजी हुई जो इस बात का परिचायक है कि पिकप का मूल्यांकन सही था। ओटीएस के समय, उप रजिस्ट्रार के यहॉ जॉच एवं प्रापर्टी डीलरों से वार्ता के पश्चात् इकाई के मूल्यांकन की गहन जॉच की गई। पुनः आगे बताया कि कम्पनी समापन की प्रक्रिया मे है और इसका शुद्ध वर्तमान मूल्य पॉच वर्ष के पश्चात 40 प्रतिशत होगा।<br>मूल्यांकन में अन्तर की राशि अधिक है ओर पिकप को चाहिये की ओटीएस का निर्धारण पिकप एवं यूपीएफसी की संयुक्त समिति द्वारा की जाये जैसा की ओटीएस नीति मे निहित है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | ला मेडिकल डिवाइसेस लिमिटेड (परिसमापनाधीन)<br>120.00<br>अप्रैल 1993 | पी: 90.00<br>आई: 561.67<br>एक्सप: 6.40<br>टी: **658.07** | 137.07 | 132.00<br>*एवम् व्यय*<br>जनवरी 2007 | 97.67<br>165.55 | 33.55<br>(165.55-132.00) | अधिकारिक समापक (ओएल) ने इकाई की प्रमुख सम्पत्तियों के लिये 350 लाख रुपये का आफर प्राप्त किया। प्रबन्धन की गणना के अनुसार, इसमें पिकप का हिस्सा 165.55 लाख रुपये निर्धारित किया गया। 14 प्रतिशत ब्याज दर पर एवं समापक द्वारा इकाई के विक्रय राशि से मिलने वाला समय चार वर्ष मान लेने पर वर्तमान मूल्य 97.67 लाख रुपये तक कम कर दिया गया डिसकाउन्टिग परिहार्य है एवं प्रमुख सम्पत्तियों का आनुपातिक मूल्य अदत्त देयो से ज्यादा हैं। इस प्रकार, ओटीएस आनुपातिक मूल्य के आधार पर 165.55 लाख रुपये (व्यय छोड़कर) पर किया जाना चाहिये।<br>प्रबन्धन ने अन्य बातों के साथ–साथ कहा (अगस्त 2008) कि समापक से विक्रय मूल्य प्राप्ति प्रक्रिया विभिन्न औपचारिकताओं एवं दावों के कारण एक लम्बी प्रक्रिया है। फलतः बाद की तिथि पर प्राप्त हिस्सों का मूल्य उनके शुद्ध वर्तमान मूल्य से भी कम होगा। पुनः बताया गया कि उक्त को ध्यान मे रखने के पश्चात यह अनुभव किया गया कि पिकप के देयों का डिस्काउन्टेड मूल्य पर जल्दी वसूली एक बेहतर विकल्प हैं।<br>उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि डिसकाउन्टिग से उधारकर्ताओं को अनुचित लाभ हुआ क्योंकि ओटीएस की तिथि पर सम्पत्तियों का वास्तविक मूल्य, समापन की तिथि पर बकाया देयों से बहुत ज्यादा थे। |
| **योग पिकप** | | | | | | **2716.54** | |
| **महायोग** | | | | | | **3070.15** | |

**(पी = मूलधन, आई = ब्याज, एक्सप = व्यय, टी = योग)**

## परिशिष्ट–15
## इकाइयों का विवरण जिनके सम्बन्ध में एक मुश्त समाधान सही नही किया गया
## (प्रस्तर 2.1.16 में सन्दर्भित)

(लाख रुपये में)

| क्रम संख्या | इकाई का नाम/कुल वितरित धनराशि/स्वीकृति की तिथि | ओटीएस के समय बकाया धनराशि | मैट्रिक्स के अनुसार ओटीएस की धनराशि | स्वीकृत ओटीएस/स्वीकृति की तिथि | प्रबन्धन के द्वारा किया गया मूल्यांकन/लेखा परीक्षा प्रेक्षण के आधार पर | यूपीएफसी / पिकप को हानि | लेख परीक्षा का प्रेक्षण तथा प्रबन्धन का उत्तर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम | | | | | | | |
| 1. | क्वायर कुशन्स लिमिटेड<br>26.86<br>(एसएसआर सहित: 5.60)<br>दिसम्बर 1985 | पी: 21.66<br>आई: 240.47<br>टी: **262.13** | 46.45 | 46.50<br>मार्च 2006 | 291.01 | धनराशि अनिर्धारित | मूल्यांकन में प्रवर्तकों का शुद्ध मूल्य सम्मिलित नही था यद्यपि कि प्रवर्तकगण बहुत सम्मानित तथा वित्तीय रूप से समृद्ध थे जैसा कि प्रबन्धन द्वारा उल्लिखित किया गया था।<br>ओटीएस के प्रस्ताव में प्रभार धारकों (यथा यूपीएफएसी, पिकप एवं कैनरा बैंक) के बीच 291.01 लाख रुपये की बन्धक परिसम्पत्तियों के मूल्य का बटँवारा नही दर्शाया गया। ओटीएस के लिए 7 मई 2005 को मूल्यांकित बन्धक भूमि का मूल्य लिया गया। चूंकि, भूमि अति तीव्र गतिमान क्षेत्र (नोयडा) में स्थित था, भूमि के दर मे वृद्धि का फायदा उठाने के लिए ओटीएस करते समय ओटीएस को पुर्नमूल्यांकित किया जाना चाहिए।<br>प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2008) कि मूल्यांकन करने की प्रचलित प्रथा के अनुसार निवल मूल्य सम्मिलित नही किया गया। निवल मूल्य जिसमें मुख्यतः अचल सम्पत्तियॉं थी वे निगम को बन्धक पर नही दी गयी थी, अतः इन सम्पत्तियों के द्वारा वसूली का प्रवर्तन आसान नही था। उन्होने पुनः कहा कि सामान्य प्रथा के अनुसार, ओटीएस के प्रस्ताव में प्रभार धारकों के बीच मूल्यांकन का बटँवारा नही दर्शाया जाता रहा तथा नीति के अनुसार एक वर्ष के अन्तर्गत किये गये मूल्याकन स्वीकार्य थे।<br>चूँकि ओटीएस की नीति में निवल मूल्य को सम्मिलित करने का प्राविधान था, ओटीएस का मूल्यांकन करते समय प्रभार धारकों के बीच मूल्यांकन के बटँवारे का आधार उल्लिखित न किये जाने का कोई कारण नही था तथा प्रबन्धन को भूमि जोकि अति तीव्र गतिमान क्षेत्र में स्थित थी का वर्तमान बाजार मूल्य ओटीएस की अच्छे राशि प्राप्त करने के लिए लगाना चाहिए था। |
| दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड | | | | | | | |
| 2. | ओनिडा सावक लिमिटेड<br>410.00<br>जुलाई 1997 | पी: 410.00<br>आई: 1274.37<br>टी: **1684.37** | - | 410.00<br>जनवरी 2005 | - | 20.50 | ओटीसी के अनुमोदन के पहले, इकाई को ओटीएस की प्रस्तावित राशि का 15 प्रतिशत कम्पनी के पास जमा करना होता है। इकाई ने मार्च 2003 से दिसम्बर 2004 के बीच 61.50 लाख रुपये जमा किये। यद्यपि बयाना की राशि केवल 41 लाख रुपये थी परन्तु जब्त किये गये ब्याज के खाते से अनियमित तरीके से 20.50 लाख रुपये को हस्तान्तरित (जनवरी 2005) करते हुए इसे 61.50 लाख रुपये माना गया। इस प्रकार से पिकप ने ऋणी को 20.50 लाख रुपये का अनुचित लाभ पहुँचाया।<br>प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2008) कि मार्च 2003 से दिसम्बर 2004 के बीच चार किश्तों में बयाना राशि प्राप्त हुयी थी तथा यह निर्णय लिया गया था कि सभी मामलों में ब्याज देयकों में बयाना की राशि समायोजित कर ली जाये जिसे ओटीएस के निस्तारण करते समय ओटीएस में शामिल कर लिया जाना था। मार्च/अप्रैल 2003 में प्राप्त 20.50 लाख रुपये की राशि ब्याज में समायोजित कर ली गयी थी तथा तदनन्तर जनवरी 2005 में लेखांकन पलट दिया गया था। उन्होने पुनः कहा कि समाधान समिति ने उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ओटीएस अनुमोदित किया।<br>बयाना की राशि को पहले ब्याज के खाते में स्थानान्तरित करने तथा ओटीएस के निस्तारण करते समय जब्त/समायोजित बयाने की राशि को बयाने के खाते में पुनः स्थानान्तरित करने का सक्षम प्राधिकारी का कोई विशिष्ट निर्णय नही था, समाधान समिति ने समायोजित बयाने की राशि को गणना में लेने के लिए विशेष रूप से उल्लेख नही किया जैसा कि शुभम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के मामले मे किया गया था तथा बयाने की राशि को दो वर्ष की अवधि में किश्तों में प्राप्त करना ओटीएस नीति के विरुद्ध था। |
| 3. | कुमार आक्सीजन लिमिटेड (केओएल)<br>68.80<br>जनवरी 1986 तथा मार्च 1993 | पी: 41.45<br>आई: 51.66<br>टी: **93.11** | 56.17 | 48.35<br>अक्टूबर 2002 | 90.45 | 44.76 | ऋणियों के पहले के (जनवरी 1999) 49.61 लाख रुपये के ओटीएस के प्रस्ताव पर पिकप द्वारा विचार नही किया गया। ओटीएस के लिए निर्णय लेते समय ऋणियों के व्यक्तिगत निवल मूल्य (159.88 लाख रुपये) एवं केओएल (151.17 लाख रुपये) के निवल मूल्य को सम्मिलित नही किया गया। इकाई अच्छी तरह से चल नही थी तथा कोई भी सूचित समस्या नही थी जैसा कि पिकप द्वारा पाया गया (दिसम्बर 2001)। इससे यह संकेत मिलता था कि ऋणी द्वारा जानबूझकर चूक की गयी तथा ऋण के अदायगी में छूट प्राप्त करने के लिए की गयी। इस प्रकार, ऋणी की सम्पत्ति के निवल मूल्य को नजर अन्दाज करने के कारण पिकप ने 44.76 लाख रुपये की हानि उठायी।<br>प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2008) कि दल के प्रतिवेदन मे कम्पनी के संचालन के सभी पहलुओं को विस्तार से नही लिया गया है। कम्पनी ने वर्ष 2000–02 की अवधि में हानि उठायी तथा निवल मूल्य में अचल सम्पत्ति का मूल्य 40 लाख रुपये था तथा शेष अनकोटेड शेयर थे जिनका प्राप्त करने योग्य कोई मूल्य नही था। केओएल की प्राप्त करने योग्य सम्पत्ति का मूल्य 90.45 लाख रुपये था तथा बकाये ऋण (यूपीएफसी अंश) की जब तक कि ओटीएस की राशि (यूपीएफसी द्वारा स्वीकृत) पूरी तरह से जमा न कर दी जाये, उपेक्षा नही की जा सकती थी। उन्होने पुनः कहा कि प्रचलित ओटीएस की नीति के अनुसार ओटीएस के लिए प्रवर्तकों के निवल मूल्य को नही लिया जा रहा था।<br>लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि पिकप के अधिकारियों ने स्वय ही यह अवलोकन किया कि इकाई अच्छी तरह से चल रही थी, ओटीएस की संशोधित नीति में प्रवर्तकों/जमानतदाताओं के निवल मूल्य को विशेष रूप से सम्मिलित किया गया, प्रवर्तको/जमानतदाताओं के वर्तमान सम्पत्तियों को वसूली प्रमाण पत्र के निष्पादन के लिए राजस्व प्राधिकारियो द्वारा कुर्क किया जा सकता था; अतः इसे मूल्यांकन में सम्मिलित किया जाना चाहिए था तथा यूपीएफसी एवं पिकप के प्रतिनिधियों की एक समिति के द्वारा सयुक्त वित्त पोषण क मामले निर्णित किये जाने की नीति से पिकप हट गयी। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | यूनाइटेड व्हील्स लिमिटेड<br>125.86<br>(पट्टा सहायता)<br>अक्टूबर 1996 तथा अप्रैल 1997 | एलआर: 157.91<br>एलआई: 299.01<br>टी: **456.92** | 253.70 | 80.70<br>जनवरी 2007 | पट्टा सहायता प्रकरण होने के कारण लागू नही | 173.00 | ओटीएस लागू मैट्रिक्स (253.70 लाख रुपये) से कम पर स्वीकृत की गयी।<br>पिकप ने 97.49 लाख रुपये (यद्यपि कि केवल 80.70 लाख रुपये ही नकद प्राप्त किया) पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जबकि छूट की योजना पहले ही (जनवरी 2007) वापस ले ली गयी थी। इस कारण से 4.86 लाख रुपये की और हानि हुई।<br>प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2008) कि ओटीएस मैट्रिक्स से कम पर आन्तरिक सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत की गयी थी एवं समाधान समिति ने ओटीएस के अनुमोदन के पत्र जारी होने के एक माह के अन्दर ओटीएस की पूरी राशि प्राप्त होने की दशा में नकद छूट की स्वतः पात्रता का अनुमोदन कर दिया था। उन्होने पुनः कहा कि समिति ने 23 जनवरी 2007 को मामले पर विचार किया था अर्थात स्वतः छूट की सुविधा वापस लिये जाने की तिथि से एक दिन पूर्व।<br>उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि पिकप को पट्टे की अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कुल पट्टा किराया वसूल करने का अधिकार था ओटीएस की स्वीकृति की सूचना देने का पत्र ऋणी को 27 फरवरी 2007 को भेजा गया था एवं ऋणी ने ओटीएस की राशि 3 मई 2007 तक (70.82 लाख रुपये 3 मई 2007 को) जमा की जो ओटीएस के अनुमोदन पत्र जारी करने के एक माह से अधिक के बाद की थी। |
| योग | | | | | | **238.26** | |

पी: = मूलधन, आई = ब्याज, टी = योग, एलआर =पट्टा किराया, एलआई =दण्ड ब्याज)

## परिशिष्ट–16

## 2003–04 से 2007–08 की अवधि के दौरान पूर्ण/चालू निविदा कार्यों का विवरण

(प्रस्तर 2.2.12 में सन्दर्भित)

(करोड़ रुपये में)

| क्रम संख्या | कार्य का नाम | अनुबन्ध मूल्य | कार्य का आरम्भ | पूर्ण होने की सूचीबद्ध तिथि | पूरा होने की अवधि | किये गये कार्य का मूल्य विविध आय के सहित | कुल व्यय | लाभ/(हानि) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रीटेनिंग दीवार, रकाबगंज, लखनऊ | 0.80 | 4/2003 | 9/2003 | 2003-04 | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
| 2. | रिंग रोड फ्लाईओवर एण्ड सकरदारा फ्लाईओवर, नागपुर | 16.45 | 7/2002 | 11/2003 | 2003-04 | 18.60 | 18.30 | 0.30 |
| 3 | ग्रेड सेपरेटर, डेरी सर्किल, बंगलौर* | 17.30 | 2/2003 | 4/2004 | 2004-05 | 17.28 | 19.31 | -2.03 |
| 4 | पुल सुधार पैकेज 6 राजकोट | 7.44 | 5/2002 | 5/2003 | 2004-05 | 7.40 | 7.87 | -0.47 |
| 5 | पुल सुधार पैकेज 8 अहमदाबाद | 7.80 | 4/2002 | 4/2003 | 2004-05 | 8.91 | 9.43 | -0.52 |
| 6 | रेलवे उपरगामी सेतु, फगवाड़ा* | 16.18 | 5/2002 | 5/2003 | 2004-05 | 4.39 | 8.53 | -4.14 |
| 7 | क्लोवर लीवस/नोयडा* | 6.33 | 3/2003 | 3/2004 | 2005-06 | 6.33 | 6.75 | -0.42 |
| 8 | सिद्ध सोत पुल, हरिद्वार | 2.11 | 10/2002 | 8/2003 | 2005-06 | 2.33 | 2.26 | 0.07 |
| 9 | पापड़ी सोत, हरिद्वार | 1.89 | 10/2002 | 8/2003 | 2005-06 | 1.89 | 1.90 | -0.01 |
| 10. | घाघरा पुल मॉझी घाट जोड़ने वाला पुल, बलिया | 8.68 | 3/2000 | 3/2001 | 2005-06 | 4.36 | 5.46 | -1.10 |
| 11 | आरसीसी जेटी कार्य, पटना | 17.99 | 7/2002 | 4/2004 | 2005-06 | 21.24 | 19.21 | 2.03 |
| 12 | रेलवे पारसन उपरगामी सेतु, फगवाड़ा | 1.88 | 11/2002 | 11/2003 | 2005-06 | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
| 13 | सहजाद नदी पुल, ललितपुर | 2.41 | 3/2000 | 3/2001 | 2005-06 | 2.69 | 2.65 | 0.04 |
| 14 | घाघरा पुल मॉझी घाट बलिया | 8.61 | 3/2000 | 3/2001 | 2005-06 | 7.43 | 8.92 | -1.49 |
| 15 | धौलॉ कुऑ उपरगामी सेतु, नई दिल्ली* | 42.36 | 11/2000 | 5/2003 | 2005-06 | 42.45 | 46.41 | -3.96 |
| 16 | टोंगल–चिल्का एनएच–05 आन्ध्रा प्रदेश | 40.80 | 1/2002 | 12/2003 | 3/2006 | 36.75 | 42.30 | -5.55 |
| 17 | दमन गंगा पुल, दमन* | 15.03 | 2/2004 | 2/2006 | 2005-06 | 0.25 | 2.46 | - 2.21 |
| 18 | जयदेव संस्थान के पास श्रेणी विभाजन, बंगलौर* | 17.57 | 2/2003 | 4/2004 | 2006-07 | 22.23 | 29.08 | -6.85 |
| 19 | दामोदर पुल राजरप्पा (झा.) | 7.06 | 5/2002 | 5/2004 | 2006-07 | 7.20 | 7.61 | -0.41 |
| 20 | रेलवे उपरगामी सेतु लुधियाना* | 12.74 | 11/2000 | 4/2002 | 2006- 07 | 16.77 | 19.42 | -2.65 |
| 21 | तापी पुल सूरत* | 30.36 | 7/2003 | 6/2005 | 2006-07 | 17.27 | 30.29 | -13.02 |
| 22 | रेलवे पारसन आरओबी मवईया लखनऊ | 1.65 | 10/2003 | 6/2004 | 2006-07 | 0.82 | 0.81 | 0.01 |
| 23 | रेलवे उपरगामी सेतु, मोरिण्डा* | 7.14 | 10/2002 | 5/2003 | 2006-07 | 6.62 | 9.34 | -2.72 |
| 24 | वेसटर्न एक्सप्रेस, हाईवे मुम्बइ* | 20.84 | 6/2004 | 6/2005 | 2007-08 | 27.78 | 26.41 | 1.37 |
| 25 | रेलवे उपरगामी सेतु गोमती नदी, लखनऊ* | 7.51 | 5/2001 | 5/2002 | 2007-08 | 7.43 | 8.46 | -1.03 |
| 26 | श्रेणी विभाजन, मोती नगर दिल्ली* | 20.22 | 1/2004 | 7/2005 | 2007-08 | 20.20 | 22.04 | -1.84 |
| 27 | फ्लाईओवर रोड एअरपोर्ट रोड, बंगलौर* | 26.69 | 2/2003 | 4/2004 | 2007-08 | 35.40 | 38.97 | -3.57 |
| 28. | गंगा नदी पर दीघाघाट, पटना मे रेलवे पुल का उपढॉचा गाईडबन्ड के साथ* | 183.54 | 11/2002 | 2/2008 | चालू कार्य | 157.52 | 171.77 | -14.25 (3/08) |
| 29. | राप्ती नदी पुल गोरखपुर* | 14.60 | 3/2004 | 3/2006 | चालू कार्य | 13.29 | 15.89 | -2.60 (11/07) |
| 30. | हापुड़ में गंगा नदी पर पुल निर्माण कार्य सड़क कार्य के साथ* | 195.51 | 3/2005 | 9/2008 | चालू कार्य | 44.50 | 52.45 | -7.95 (11/07) |
| | **योग** | **759.49** | | | | **560.74** | **636.14** | **(-75.40)**** |

* लेखा परीक्षा द्वारा समीक्षा के दौरान परीक्षित अनुबन्ध कार्य।

** 21 कार्यों मे हानिः 54.22 करोड़ रुपये, छः कार्यों में लाभः 3.82 करोड़ रुपये तथा तीन चालू कार्यों में हानिः 24.80 करोड़ रुपये = (75.40) करोड़ रुपये।

## परिशिष्ट–17
## मूल लागत की वसूली न हो पाने वाले मामले
## (प्रस्तर 2.2.12 में सन्दर्भित)

(लाख रुपये में)

| क्रम संख्या | कार्य का नाम | मूल लागत (कार्य व्यय) | प्रशासनिक व्यय | कुल व्यय (3)+(4) | किये गये कार्य का मूल्य (सत्यापित/प्राप्त) मूल्य मे अन्तर/घटना सहित | अन्य आय | कुल आय | कार्य पर वास्तविक हानि (5)–(8) | मूल लागत की वसूली मे कमी (3)–(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | जयदेव संस्थान के पास श्रेणी विभाजन, बंगलौर | 2788.36 | 120.10 | 2908.46 | 2222.78 | 0.38 | 2223.16 | 685.30 | 565.20 |
| 2. | फ्लाईओवर एअरपोर्ट रोड, बंगलौर | 3677.42 | 220.08 | 3897.50 | 3540.32 | 0.46 | 3540.78 | 356.72 | 136.64 |
| 3 | रेलवे उपरगामी सेतु, मोरिण्डा | 851.40 | 82.56 | 933.96 | 661.53 | 0.36 | 661.89 | 272.07 | 189.51 |
| 4. | रेलवे उपरगामी सेतु, लुधियाना | 1773.74 | 168.12 | 1941.86 | 1666.52 | 9.99 | 1676.51 | 265.35 | 97.23 |
| 5. | श्रेणी विभाजन, मोती नगर, दिल्ली | 2088.02 | 115.91 | 2203.93 | 2018.73 | 1.01 | 2019.74 | 184.19 | 68.28 |
| 6. | श्रेणी विभाजन, डेरी सर्किल, बंगलौर | 1844.93 | 86.12 | 1931.05 | 1728.22 | 0.14 | 1728.36 | 202.69 | 116.57 |
| 7. | रेलवे उपरगामी सेतु, गोमती नदी, लखनऊ | 843.90 | 2.50 | 846.40 | 742.57 | -- | 742.57 | 103.83 | 101.33 |
| 8. | धौलॉ कुँआ उपरगामी सेतु, नई दिल्ली | 4277.00 | 363.49 | 4640.49 | 4241.33 | 3.20 | 4244.53 | 395.96 | 32.47 |
| 9. | क्लोवर लीवस/नोयडा | 636.22 | 38.78 | 675.00 | 633.00 | -- | 633.00 | 42.00 | 3.22 |
| | योग | **18780.99** | **1197.66** | **19978.65** | **17455** | **15.54** | **17470.54** | **2508.11** | **1310.45** |

## परिशिष्ट–18

## दोषपूर्ण मीटरो के गलत निर्धारण के विवरण को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.4.19 में सन्दर्भित)

| खण्ड | विश्लेषण का माह | एलएमवी–1 के उपभोक्ता | प्रकरणों की संख्या | | | | विस्तार | | | अल्प निर्धारण (लाख रुपये में) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मेरठ | | | आईडीएफ | एडीएफ | आरडीएफ | योग | आईडीएफ | एडीएफ | आरडीएफ | आईडीएफ | एडीएफ | आरडीएफ | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ईडीडी-I | नवम्बर 2007 | 8476 | 384 | 548 | 83 | 1015 | 1-97 | 2-92 | 2-88 | 16.84 | 21.61 | 2.35 | 40.8 |
| ईडीडी-II | नवम्बर 2007 | 5645 | 210 | 170 | 23 | 403 | 2-96 | 1-96 | 2-79 | 6.98 | 4.38 | 0.73 | 12.09 |
| ईयूडीडी-I | अक्टूबर 2007 | 19401 | 365 | 338 | 496 | 1199 | 1-5 | 1-3 | 1-16 | 1.69 | 1.48 | 2.40 | 5.57 |
| ईयूडीडी-II | अक्टूबर 2007 | 20483 | 578 | 389 | 464 | 1431 | 1-3 | 1-3 | 1-4 | 1.21 | 0.89 | 1.00 | 3.1 |
| ईयूडीडी-III | अक्टूबर 2007 | 15998 | 338 | 443 | 254 | 1035 | 1-12 | 1-43 | 1-15 | 0.60 | 0.92 | 0.51 | 2.03 |
| बुलन्दशहर | | | | | | | | | | | | | |
| ईडीडी-I | मई 2007 | 5699 | 105 | 82 | Nil | 187 | 2-38 | 1-26 | 2-8 | 1.57 | 0.71 | 0.00 | 2.28 |
| ईडीडी-II | मई 2007 | 9970 | 370 | 283 | 1665 | 2318 | 2-56 | 1-44 | 2-4 | 5.53 | 2.81 | 6.90 | 15.24 |
| ईडीडी-III | मई 2007 | 3417 | 554 | 252 | 95 | 901 | 2-95 | 1-79 | 2-27 | 9.36 | 6.31 | 1.06 | 16.73 |
| खुर्जा | | | | | | | | | | | | | |
| ईडीडी | मई 2007 | 5657 | 1044 | 157 | 140 | 1341 | 2-99 | 1-62 | 2-21 | 14.16 | 2.18 | 0.36 | 16.7 |
| नोएडा | | | | | | | | | | | | | |
| ईयूडीडी-I | अप्रैल 2007 | 2046 | 366 | 36 | 768 | 1170 | 2-98 | 1-49 | 2-94 | 7.70 | 0.56 | 13.07 | 21.33 |
| ईयूडीडी-II | अप्रैल 2007 | 3971 | 601 | 0 | 140 | 741 | 2-90 | 00 | 2-77 | 6.88 | 0 | 0.53 | 7.41 |
| ईयूडीडी-III | अप्रैल 2007 | 3246 | 273 | 29 | 277 | 579 | 2-96 | 1-59 | 1-98 | 5.68 | 0.46 | 3.50 | 9.64 |
| ईयूडीडी-IV | मई 2007 | 1112 | 405 | 0 | 19 | 424 | 2-90 | 00 | 2-42 | 8.38 | 0.00 | 0.21 | 8.59 |
| गाजियाबाद | | | | | | | | | | | | | |
| ईयूडीडी-I-आईबीएम | नवम्बर 2007 | 1998 | 256 | 0 | 21 | 277 | 1-92 | 0 | 2-63 | 1.82 | 0 | 0.46 | 2.28 |
| ईयूडीडी-II-आईबीएम | नवम्बर 2007 | 1922 | 181 | 0 | 61 | 242 | 2-99 | 0 | 2-48 | 3.91 | 0 | 0.67 | 4.58 |
| ईयूडीडी-II-एचएच | नवम्बर 2007 | 29407 | 722 | 58 | 194 | 974 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1.71 | 0.18 | 0.59 | 2.48 |
| ईयूडीडी-III-एचएच | नवम्बर 2007 | 26982 | 85 | 55 | 156 | 296 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.15 |
| ईयूडीडी-IV-एचएच | नवम्बर 2007 | 25783 | 625 | 67 | 190 | 882 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1.22 | 0.16 | 0.43 | 1.81 |
| ईयूडीडी-V-आईबीएम | नवम्बर 2007 | 5170 | 315 | 47 | 96 | 458 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 12.53 | 0.52 | 2.11 | 15.16 |
| ईयूडीडी-V-एचएच | नवम्बर 2007 | 8777 | 138 | 13 | 55 | 206 | 1-18 | 1-6 | 1-29 | 1.27 | 0 | 0.22 | 1.49 |
| योग | | **205160** | **7915** | **2967** | **3877** | **16079** | | | | **109.12** | **43.17** | **37.17** | **189.46** |

*स्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त डाटा बैंक।*

## परिशिष्ट–19

## अल्प शक्ति गुणांक के प्रकरणों में चेतावनी प्रणाली की अनुपस्थिति को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.4.20 में सन्दर्भित)

| खण्ड | 0.70 से नीचे शक्ति गुणांक | विस्तार | क्षय ऊर्जा (केवीएएच) (करोड़ में) | व्यर्थ ऊर्जा का मूल्य (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|---|---|
| मेरठ | | | | |
| ईडीडी-1-एलएमवी-6 | 201 | 0.03 – 0.69 | 0.19 | 0.73 |
| ईडीडी -II-एलएमवी -6 | 8 | 0.45 - 0.65 | 0.03 | 0.01 |
| ईयूडीडी -I-एलएमवी -6 | 173 | 0.04 - 0.69 | 0.12 | 0.45 |
| ईयूडीडी -II-एलएमवी -6 | 27 | 0.01 - 0.68 | 0.04 | 0.16 |
| ईयूडीडी -III-एलएमवी -6 | 28 | 0.29 - 0.69 | 0.08 | 0.30 |
| बुलन्दशहर | | | | |
| ईडीडी -I-एलएमवी -6 | 49 | 0.29 - 0.68 | 0.08 | 0.32 |
| खुर्जा | 0 | | 0 | 0 |
| ईडीडी -एलएमवी -6 | 18 | 0.02 – 0.68 | 0.08 | 0.30 |
| ईडीडी *एचवी-2* | ***24*** | ***0.21 – 0.68*** | ***0.08*** | - |
| नोएडा | | | | |
| ईयूडीडी -I-एलएमवी -6 | 1195 | 0.01 – 0.69 | 0.21 | 0.79 |
| ईयूडीडी -II-एलएमवी -6 | 278 | 0.10 – 0.69 | 0.07 | 0.26 |
| ईयूडीडी -III-एलएमवी -6 | 1506 | 0.01 – 0.69 | 0.19 | 0.75 |
| ईयूडीडी -IV-एलएमवी -6 | 63 | 0.02 - 0.69 | 0.16 | 0.51 |
| ईयूडीडी *-I एचवी 2* | ***1929*** | ***0.03 – 0.69*** | ***1.46*** | - |
| ईयूडीडी *-II एचवी 2* | ***1424*** | ***0.02 – 0.69*** | ***0.52*** | - |
| ईयूडीडी *-III एचवी 2* | ***1303*** | ***0.01 – 0.69*** | ***1.40*** | - |
| ईयूडीडी *-IV एचवी 2* | ***63*** | ***0.02 – 0.69*** | ***0.93*** | - |
| गाजियाबाद | | | | |
| ईयूडीडी -I-एलएमवी -6 | 524 | 0.01-0.69 | 0.17 | 0.65 |
| ईयूडीडी -II-एलएमवी -6 | 393 | 0.01-0.69 | 0.19 | 0.73 |
| ईयूडीडी -III-एलएमवी -6 | 357 | 0.01-0.69 | 0.08 | 0.31 |
| ईयूडीडी -IV-एलएमवी -6 | 721 | 0.05-0.69 | 0.14 | 0.56 |
| ईयूडीडी -V-एलएमवी -6 | 219 | 0.02-0.69 | 0.09 | 0.38 |
| ईयूडीडी *-I एचवी 2* | ***188*** | ***0.01-0.69*** | ***1.48*** | - |
| योग | **10691** | | **7.79** | **7.21** |

*स्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त डाटा बैंक।*

## परिशिष्ट–20

### स्वीकृत भार के अनुरूप ऊर्जा उपभोग से ज्यादा उपभोग के पहचान न होने वाले प्रकरणों के विवरण को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.4.21 में सन्दर्भित)

| माह | कुल उपभोक्ताओं की संख्या | एमयू श्रेणी (मीटर्ड यूनिट) के उपभोक्ताओं की संख्या | 1440 यूनिट्स से ज्यादा उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या | यूनिट्स का विस्तार (आधिक्य उपभोग) |
|---|---|---|---|---|
| **ईयूडीडी-II, नोएडा** | | | | |
| जनवरी 2007 | 5792 | 2310 | 7 | 1544 – 3761 |
| फरवरी 2007 | 7495 | 3954 | 18 | 1485 – 5553 |
| मार्च 2007 | 5831 | 2500 | 3 | 2100 – 4871 |
| अप्रैल 2007 | 7542 | 3971 | 27 | 1453 – 7803 |
| मई 2007 | 5908 | 2500 | 18 | 1448 – 40554 |
| अक्टूबर 2007 | 7870 | 4097 | 12 | 1523 – 10049 |
| नवम्बर 2007 | 6320 | 2764 | 26 | 1443 - 5686 |
| **योग** | **46758** | **22096** | **111** | |
| **ईयूडीडी -I गाजियाबाद** | | | | |
| जनवरी 2007 | 16227 | 13653 | 10 | 3357-8034 |
| फरवरी 2007 | 20431 | 16895 | 25 | 3138-16860 |
| मार्च 2007 | 28335 | 25118 | 20 | 3094-30395 |
| अप्रैल 2007 | 14716 | 12081 | 06 | 4097-84629 |
| मई 2007 | 16303 | 13601 | 07 | 2952-13427 |
| जुलाई 2007 | 16487 | 13665 | 14 | 2918-12429 |
| सितम्बर 2007 | 16574 | 13755 | 19 | 2959-12428 |
| अक्टूबर 2007 | 33778 | 25533 | 28 | 2908-700772 |
| नवम्बर 2007 | 15736 | 13103 | 14 | 2939-8012 |
| **योग** | **178587** | **147404** | **143** | |
| **ईयूडीडी -III, गाजियाबाद** | | | | |
| जनवरी 2007 | 25807 | 16898 | 24 | 2957-21704 |
| फरवरी 2007 | 22134 | 15876 | 47 | 2894-47767 |
| मार्च 2007 | 45150 | 35399 | 76 | 2932-18269 |
| अप्रैल 2007 | 24355 | 16196 | 29 | 3016-39462 |
| मई 2007 | 25672 | 16918 | 26 | 2947-60608 |
| जुलाई 2007 | 25937 | 16980 | 32 | 2899-32678 |
| **ईयूडीडी -III, गाजियाबाद** | | | | |
| सितम्बर 2007 | 26785 | 17444 | 38 | 2891-49651 |
| अक्टूबर 2007 | 65334 | 35861 | 115 | 2895-41870 |
| नवम्बर 2007 | 26982 | 17785 | 34 | 3041-21613 |
| **योग** | **288156** | **189357** | **421** | |
| **कुल योग** | **513501** | **358857** | **675** | |

*स्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त डाटा बैंक।*

## परिशिष्ट–21

## बिल निर्माण हेतु दावों का गलत मापन के विवरण को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.4.24 में सन्दर्भित)

| ईयूडीडी-II, नोएडा | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | जनवरी | | फरवरी | | मार्च | | अप्रैल | | मई | | जून | |
| | एजी[1] | एयू[2] | एजी | एयू | एजी | एयू | एजी | एयू | एजी | एयू | एजी | एयू |
| कुल बिल किये गये उपभोक्ता | 12141 | 11839 | 11458 | 11405 | 11803 | 11778 | 12240 | 11846 | 12396 | 12298 | 12309 | 12148 |
| कुल सही मीटरों की स्थितियाँ। | 11705 | 11713 | 11224 | 11293 | 11404 | 11676 | 11723 | 11758 | 11646 | 12169 | 11509 | 12013 |
| आरडीएफ उपभोक्ता | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| एडीएफ उपभोक्ता | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 8 |
| आईडीएफ उपभोक्ता | 125 | 118 | 73 | 104 | 78 | 93 | 115 | 81 | 129 | 107 | 152 | 127 |
| एनए उपभोक्ता | 311 | 0 | 161 | 0 | 321 | 0 | 402 | 0 | 621 | 0 | 648 | 0 |
| एनआर उपभोक्ता | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| कुल बिल किये गये उपभोक्ताओं का अन्तर | 12141 | | 11458 | | 11803 | | 12240 | | 12396 | | 12309 | |
| | 11839 | | 11405 | | 11778 | | 11846 | | 12298 | | 12148 | |
| | **302** | | **53** | | **25** | | **394** | | **98** | | **161** | |
| | **जनवरी -07** | | | | **फरवरी -07** | | | | **मार्च -07** | | | |
| | **जीआर-2** | | **जीआर-6** | | **जीआर-1** | | **जीआर-6** | | **जीआर-2** | | **जीआर-6** | |
| | **एजी** | **एयू** | **एजी** | **एयू** | **एजी** | **एयू** | **एजी** | **एयू** | **एजी** | **एयू** | **एजी** | **एयू** |
| कुल बिल किये गये उपभोक्ता | 10565 | 8190 | 1818 | 1271 | 10430 | 8705 | 1831 | 1221 | 10532 | 8522 | 1818 | 1280 |
| कुल सही मीटरों की स्थितियाँ। | 8325 | 8083 | 1279 | 576 | 8712 | 8538 | 1237 | 553 | 8824 | 8398 | 1309 | 615 |
| आरडीएफ उपभोक्ता | 152 | 29 | 39 | 16 | 91 | 49 | 37 | 19 | 133 | 45 | 33 | 15 |
| एडीएफ उपभोक्ता | 17 | 3 | 4 | 0 | 13 | 7 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| आईडीएफ उपभोक्ता | 412 | 75 | 79 | 13 | 362 | 112 | 78 | 14 | 370 | 76 | 81 | 21 |
| एनए उपभोक्ता | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| एनआर उपभोक्ता | 1659 | 0 | 417 | 0 | 1252 | 0 | 477 | 0 | 1193 | 1 | 394 | 0 |
| योग | **21130** | **16380** | **3636** | **1876** | **20860** | **17411** | **3662** | **1808** | **21064** | **17044** | **3636** | **1931** |
| कुल बिल किये गये उपभोक्ताओं का अन्तर | 10565 | | 1818 | | 10430 | | 1831 | | 10532 | | 1818 | |
| | 8190 | | 1271 | | 8705 | | 1221 | | 8522 | | 1280 | |
| | **2375** | | **547** | | **1725** | | **610** | | **2010** | | **538** | |

*स्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त डाटा बैंक।*

[1] एजी दावा किये गये ऑकड़ो को प्रदर्शित करता हैं।

[2] एयू लेखा परीक्षा द्वारा डाटा बैंक के आधार पर संगणित ऑकड़ो को प्रदर्शित करता हैं।

# परिशिष्ट–22
## प्रस्तर/समीक्षा जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे, को दर्शाती विवरणी
## (प्रस्तर संख्या 3.30 में सन्दर्भित)

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | 2002.03 | | 2003.04 | | 2004.05 | | 2005.06 | | 2006.07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तरों की संख्या | प्रस्तर जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं | लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तरों की संख्या | प्रस्तर जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं | लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तरों की संख्या | प्रस्तर जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं | लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तरों की संख्या | प्रस्तर जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं | लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तरों की संख्या | प्रस्तर जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | उर्जा | 20 | 11 | 14 | 11 | 14 | 4 | 18 | 18 | 14 | 14 |
| 2. | परिवहन | 1 | 0 | -- | -- | 4 | 4 | -- | -- | 5 | 4 |
| 3. | सहकारिता | 2 | 0 | -- | -- | | | 1 | 1 | -- | -- |
| 4. | समाज कल्याण | -- | -- | 3 | 3 | 1* | 1* | 2 | 0 | -- | -- |
| 5. | पिछड़ा वर्ग कल्याण | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | वक्फ एवं अल्प संख्यक | -- | -- | 1 | 1 | 1* | 1* | -- | -- | -- | -- |
| 7. | महिला कल्याण | -- | -- | -- | -- | 1* | 1* | -- | -- | -- | -- |
| 8. | कृषि | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 9. | वस्त्र उद्योग | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- |
| 10. | औद्योगिक विकास | 9 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 11. | लोक निर्माण | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 12. | पर्यटन | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | लघु उद्योग | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 |
| 14. | चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास | 3 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- |
| 15. | शहरी विकास | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | -- | -- | 4 | 4 |
| 16. | गृह | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | वन | 1 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | आवास | -- | -- | 1 | 0 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- |
| 19. | सिंचाई | -- | -- | 2 | 0 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- |
| 20. | मत्स्य एवं पशुधन | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | इलेक्ट्रानिक्स | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 22. | सार्वजनिक उपक्रम | -- | -- | 2 | 1 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- |
| 23. | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- |
| 24. | हथकरघा | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- |
| 25. | ड्रग्स | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- |
| | *योग* | **42** | **11** | **30** | **21** | **31** | **14** | **38** | **31** | **35** | **31** |

टिप्पणीः– प्रस्तरों की संख्या तथा प्रस्तर जिनके उत्तर पिछले वर्षों (2002–03 से 2004–05) से प्राप्त नहीं हुये है, को कम्पनियों/निगमों का प्रशासनिक विभाग में परिवर्तित हो जाने के कारण री–ग्रुप्ड कर दिया गया।

* समाज कल्याण क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अनुसचित जातियों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के उत्थान पर एक समीक्षा ने तीन विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन (उत्तर प्रदेश शिडयूल्ड कास्ट्स फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेडः समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेडः वक्फ एवं अल्पसंख्यक विभाग तथा उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेडः महिला कल्याण विभाग) के प्रेक्षणों को कवर किया। अतः इसको एक प्रस्तर गिना गया है।

## परिशिष्ट–23

**भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निरन्तर अनियमितताओं को दर्शाती विवरणी**

*(प्रस्तर 3.32 में सन्दर्भित)*

| लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | प्रस्तर संख्या | मूल्य (करोड़ रूपये में) | निरन्तर अनियमितताओं का सारांश | विचारणीय बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही | कृत कार्यवाही का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड | | | | | |
| 1998-99 | 4अ.4 | 5.60 | अपर्याप्त स्वीकृति–पूर्व मूल्यांकन एवं देयो के अल्प अनुश्रवण के कारण हानि | ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया एवं कार्य–प्रणाली तथा देयों की वसूली के अनुश्रवण को मजबूत बनाये जाने के अतिरिक्त कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जानी थी। | कम्पनी 48.32 लाख रूपये वसूल कर सकी। किसी कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया। |
| 1999-2000 | 2अ.7.1 | 75.25 | तदैव | तदैव | कम्पनी 9.57 करोड़ रुपये वसूल सकी। किसी कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया। |
| | 2अ.7.2 | 28.09 | तदैव | तदैव | कम्पनी 1.98 करोड़ रुपये वसूल सकी। किसी कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया। |
| | 2अ.7.3 | 8.70 | तदैव | तदैव | कम्पनी 2.04 करोड़ रुपये वसूल सकी। किसी कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया। |
| 2006-07 | 4.9 | 0.26 | तदैव | तदैव | प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2007) कि निदेशक मण्डल ने बकाया के अपलेखन का निर्णय लिया है परन्तु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही की गयी। |
| | योग | 117.90 | | | |
| 2. ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियॉ | | | | | |
| 1997-98 | 3स.10.2(अ) | 2.37 | चेकों के अनादरण के बाद भी चेक द्वारा भुगतान की सुविधा को समाप्त नही किया जाना तथा विद्युत आपूर्ति विसंयोजित नही किये जाने से बकायों में वृद्धि | समुचित कार्यवाही न किये जाने हेतु कर्मचारियों को जिम्मेदारी निर्धारित की जानी थी। | न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित किये जाने के कारण उपभोक्ता के विरूद्ध बकाये की कुल राशि वसूल नही की जा सकी। उप्रराविप/कम्पनी द्वारा किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध, बकायों की वृद्धि हेतु कोई भी कार्यवाही नही की गई। |
| 1998-99 | 3अ.6.2.3 | 8.99 | तदैव | तदैव | प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी। |
| | 3अ.6.2.6 | 16.66 | तदैव | तदैव | तदैव |
| 1999-2000 | 4अ.14 | 11.45 | तदैव | तदैव | तदैव |
| | 4अ.17 | 0.99 | तदैव | तदैव | प्रबन्धन ने बकाया वसूली हेतु कृत कार्यवाही की सूचना दी। 0.99 करोड़ रुपये की वसूली हेतु अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी। उ.प्र.रा.वि.प ने किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की। |

| लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | प्रस्तर संख्या | मूल्य (करोड़ रूपये में) | निरन्तर अनियमितताओं का सारांश | विचारणीय बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही | कृत कार्यवाही का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | 3अ.10 | 0.55 | तदैव | तदैव | प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी। |
| | 3अ.12 | 0.18 | तदैव | तदैव | तदैव |
| 2002-03 | 2.2.25 | 0.79 | तदैव | तदैव | तदैव |
| 2003-04 | 2.3.16 | 16.10 | तदैव | तदैव | प्रबन्धन ने बताया कि कार्यवाही की जाएगी। |
| | 3.11 | 0.51 | तदैव | तदैव | प्रबन्धन ने बताया कि वसूली प्रमाण पत्र न्यायालय में लम्बित हैं |
| 2005-06 | 4.17 | 0.46 | तदैव | तदैव | प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी। |
| 1997-98 | 3स.12.1 | 61.39 | परिवर्तकों की अतिशय क्षति (दो प्रतिशत के मानक से अधिक वितरण परिवर्तकों की क्षति) के कारण मरम्मत पर अतिरिक्त वित्तीय भार | अतिशय क्षति के कारणों की जॉच एवं निरोधात्मक रख–रखाव हेतु समयबद्धता की आवश्यकता थी। | उपचारात्मक उपायों के तौर पर, प्रबन्धन ने समय–समय पर आंचलिक कार्यालयों को परिवर्तकों की अतिशय क्षति में कमी लाने हेतु निर्देश निर्गत किया तथा सूचित किया कि उ.प्र.रा.वि.प. वर्तमान परिवर्तकों की क्षमता में वृद्धि तथा नये उपगृह की स्थापना कर रहा था। उपचारात्मक उपायों के प्रभाव जिनसे परिवर्तकों की क्षति में कमी होती, प्रतीक्षित थी। |
| 1999-2000 | 3ब.6.2 | 325.28 | तदैव | तदैव | तदैव |
| 1999-2000 | 4अ.19 | 1.94 | ऊर्जा उपभोग हेतु निर्धारण में हुए विलम्ब के कारण उपभोक्ताओं से वसूली में विलम्ब हुआ। | बिलों को जारी किये जाने की प्रणाली को सृदृढ किए जाने के अतिरिक्त उन कर्मचारियों, जोकि बिलो को देरी से जारी किये जाने की त्रुटि कर रहे थे, की जिम्मेदारी निर्धारित किए जाने की आवश्यकता थी। | प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी। |
| 2000-01 | 4अ.8 | 2.90 | तदैव | तदैव | तदैव |
| 2002-03 | 2.2.21 | 0.43 | तदैव | तदैव | तदैव |
| 1998-99 | 3अ.5.17 | 3.17 | अल्प निर्धारण एवं न्यूनतम उपभोग प्रतिभूति की अनियमित माफी | उन मामलों में, जहॉ पर कम्पनी को हानि हुई तथा कर्मचारियों की घोर लापरवाही परिलक्षित थी, जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाना था। | तदैव |
| 1999-2000 | 4अ.13;अ | 0.23 | तदैव | तदैव | राज्य सरकार द्वारा यूपीपीसीएल को दिये गये ऋण से अदत्त देयों का समायोजन करने हेतु शासन ने निर्देश दिया। यूपीपीसीएल के बकायों को सरकारी ऋण से समायोजित किये जाने की सूचना प्रतीक्षित थी। |
| | 4अ.26 | 0.10 | तदैव | तदैव | प्रबन्धन का उत्तर और अग्रिम कार्यवाही प्रतीक्षित थी। |
| 2001-02 | 3अ.19 | 0.49 | तदैव | तदैव | प्रबन्धन द्वारा कोई उत्तरदायित्व अभी तक निर्धारित नहीं किया गया। |
| 2002-03 | 2.2.21 | 0.52 | तदैव | तदैव | प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी। |

| लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | प्रस्तर संख्या | मूल्य (करोड़ रूपये में) | निरन्तर अनियमितताओं का सारांश | विचारणीय बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही | कृत कार्यवाही का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 2.2.15 | 1.32 | तदैव | तदैव | प्रबन्धन ने बताया कि उपभोक्ताओं की अधिक संख्या के कारण निर्धारित समय में बिलिंग सम्भव नहीं है। |
| 2004-05 | 3.3 | 171.15 | तदैव | तदैव | प्रबन्धन द्वारा कोई उत्तरदायित्व अभी तक निर्धारित नहीं किया गया। |
| 2003-04 | 3.9 | 8.22 | शीर्ष समय उल्लघंन के दण्ड की अनियमित माफी | कर्मचारियों द्वारा किये गये मुख्य उपेक्षापूर्ण मामलों तथा जहॉ कम्पनी को हानि हुयी में उत्तरदायित्व निर्धारित करने की आवश्यकता थी। | प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी। |
| | 3.13 | 0.44 | तदैव | तदैव | तदैव |
| | 3.18 | 0.18 | तदैव | तदैव | प्रबन्धन द्वारा कोई उत्तरदायित्व अभी तक निर्धारित नहीं किया गया। |
| 2004-05 | 3.10 | 0.36 | तदैव | तदैव | प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी। |
| 2003-04 | 3.14 | 0.79 | शीर्ष समय उल्लघंन के दण्ड को भारित न करना/अप्रतिबन्धित आपूर्ति की दर को न लगाना | कर्मचारियों पर उचित कार्यवाही न करने का उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने की आवश्कता थी। | तदैव |
| | 3.15 | 0.47 | तदैव | तदैव | तदैव |
| | 3.16 | 1.24 | तदैव | तदैव | तदैव |
| 2004-05 | 3.13 | 0.19 | तदैव | तदैव | तदैव |
| 1998-99 | 3अ.6.2.1 | 68.95 | मासिक देयकों का किश्तों में भुगतान एवं विलम्ब भुगतान अधिभार की माफी | राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया का उल्लंघन करने हेतु कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित किये जाने की आवश्यकता थी। | प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि सक्षम अधिकारी/समिति की अनुमति के पश्चात ही उद्योग मे व्याप्त मंदी एवं उपभोक्ता की वित्तीय स्थिति को देखते हुए ही किश्तों मे भुगतान की सुविधा प्रदान की गई थी। यूपीपीसीएल द्वारा उपभोक्ता से बकाया धनराशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही थी। कार्यवाही के परिणाम प्रतीक्षित थे। |
| 2000-01 | 4अ.22 | 2.80 | तदैव | तदैव | प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि उपभोक्ता, पूर्ववर्ती केसा से सम्बद्ध एक महत्वपूर्ण कम्पनी थी, केसा द्वारा लिये गये निर्णय को निगम द्वारा अंगीकृत किया गया तथा केसा द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वसूली की गई। |
| 2003-04 | 3.12 | 0.27 | दर अनुसूची का गलत प्रयोग करने के कारण कम बीजकीकरण | लागू दर पर बीजकीकरण सुनिश्चित न करने वाले कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने की आवश्यकता थी। | प्रबन्धन का उत्तर और आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित थी। |
| 2004-05 | 3.7 | 1.12 | तदैव | तदैव | प्रबन्धन का उत्तर और आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित थी। |

| लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | प्रस्तर संख्या | मूल्य (करोड़ रूपये में) | निरन्तर अनियमितताओं का सारांश | विचारणीय बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही | कृत कार्यवाही का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 4.25 | 0.10 | तदैव | तदैव | प्रबन्धन का उत्तर और आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित थी। |
| 2006-07 | 4.15 | 1.53 | तदैव | तदैव | खण्ड द्वारा बीजक निर्गत किये गये थे लेकिन वसूली प्रतीक्षित थी। |
| | योग | 714.63 | | | |
| 3. उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड | | | | | |
| 2000.01 | 4अ.1 | 1.41 | प्राकल्लन/संशोधित प्राक्कलन से अधिक जिन्हें ग्राहक द्वारा अनुमोदित नही किया गया था। अनुबन्ध में विहित न किये गये एवं ग्राहक द्वारा स्वीकार नही किये गये मदो पर व्यय हानि मे परिणामित हुआ। | व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता थी। | शासन के उत्तर मे यह राय व्यक्त की गई कि व्ययाधिक्य तकनीकी आवश्यकता/अनिवार्यता के कारण थी। तकनीकी स्वीकृति प्रतीक्षित थी। |
| 2001.02 | 2द.2.4.4 | 0.22 | तदैव | तदैव | संशोधित प्राक्कलन ग्राहक द्वारा अनुमोदित किया गया। |
| | योग | 1.63 | | | |
| 4. उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड | | | | | |
| 1999-2000 | 4अ.8 | 0.51 | अनुचित भंडारण के कारण चीनी की क्षति एवं परिणामी हानि। | अनुचित भंडारण के कारण हुई हानि की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उपचारात्मक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता थी। | प्रबन्धन द्वारा यह बताया गया कि चीनी अपरिहार्य स्थितियों में गीली हो गयी थी जिसके लिये कोई कर्मचारी जिम्मेदार नहीं था। |
| 2000-01 | 4अ.5 | 0.83 | तदैव | तदैव | सरकार/प्रबन्धन द्वारा बताया गया कि चीनी निदेशालय ने रहतिये के अनुसार निर्गमन आदेश जारी नही किया एवं लम्बे समय तथा अत्यधिक रहतिये को रखने के कारण चीनी गीली हो गयी। |
| 2002-03 | 3.1.6 | 1.19 | तदैव | तदैव | प्रबन्धन का उत्तर प्रतीक्षित था। |
| | योग | 2.53 | | | |

*परिशिष्ट–24*

## भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सरकारी निगमों से सम्बन्धित निरन्तर अनियमितताओं को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 3.32 में सन्दर्भित)

| लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन | प्रस्तर संख्या | मूल्य (करोड़ रूपये में) | निरन्तर अनियमितताओं का सारांश | विचारणीय बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही | कृत कार्यवाही का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम | | | | | |
| 1997-98 | 3अ.7.2.1 | 2.39 | वह ईकाइयॉं जो प्रारम्भ से ही लाभकारी नही थी के ऋण स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव के त्रूटिपूर्ण मूल्यांकन के कारण हानि अथवा ऋण की वसूली बाधित हुई। | मूल्यांकन प्रक्रिया एवं कार्य प्रणाली को सशक्त बनाये जाने के अतिरिक्त, उन कर्मचारियों, जिन्होनें ऋण स्वीकृति हेतु परियोजना का मूल्यांकन किया था, की जिम्मेदारी निर्धारित की जाने की आवश्यकता थी। | निगम सहाय्यित इकाई के निदेशकों से मात्र 36.32 लाख रूपये की वसूली कर सका तथा शेष राशि के लिये व्यक्तिगत प्रमाण पत्र (पीआरसी) जारी किया गया था। किसी भी कर्मचारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं की गई। |
| | 3अ.7.2.3 | 1.66 | –तदैव– | –तदैव– | निगम प्रर्वतकों से मात्र 28.53 लाख रूपये ही वसूल कर सका। शेष धनराशि की वसूली हेतु व्यक्तिगत वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था। किसी भी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नही की गई थी। |
| 1999-2000 | 4ब.2 | 1.30 | –तदैव– | –तदैव– | निगम सम्पत्तियों की ब्रिकी द्वारा 11.54 लाख रुपये वसूल कर सका। देयो की वसूली के लिए निगम ने निदेशको तथा प्रतिभूतिकर्ताओं के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र (आरसी)/व्यक्तिगत वसूली प्रमाण पत्र (पीआरसी) निर्गत किये। किसी कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया। |
| | 4ब.7 | 1.39 | –तदैव– | –तदैव– | निगम सहाय्यित इकाई की सम्पत्तियों की बिक्री के माध्यम से मात्र 25.15 लाख रुपये ही वसूल कर सकी। पीआरसी निर्गत की गयी है। किसी भी कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया। |
| 2002-03 | 3.2.2 | 11.68 | –तदैव– | –तदैव– | कोई वसूली नहीं की जा सकी। आरसी निर्गत की गई है। |
| | 3.2.3 | 7.09 | –तदैव– | –तदैव– | निगम 44.13 लाख रुपये वसूल कर सका। पीआरसी निर्गत की गई है। |
| | 3.2.4 | 4.85 | –तदैव– | –तदैव– | निगम ने 1.95 करोड़ रुपये का ओटीएस अनुमोदित किया जिसके विरुद्ध 1.45 करोड़ रुपये अभी तक जमा हुये। |
| 2004-05 | 3.16 | 5.65 | –तदैव– | –तदैव– | प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी। |
| 1997-98 | 3अ.8.2.1 | 2.82 | वितरण पूर्व शर्तों का पालन न किये जाने के कारण ऋणों की वसूली के असंभव होने के कारण हानि हुई। | ऋण वितरण की प्रक्रिया एवं प्रणाली को सुदृढ किये जाने के अतिरिक्त, उन कर्मचारियों, जो वितरण पूर्व की शर्तों का पालन करवाने में विफल रहे, की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए थी। | निगम एक मुश्त निपटारा (ओटीएस) निर्णय के अन्तर्गत मात्र 75 लाख रूपये ही वसूल कर सका। |
| | 3अ.8.2.2 | 1.75 | –तदैव– | –तदैव– | निगम 74.60 लाख रुपये (51.10 लाख रुपये के ओटीएस के विरुद्ध, 32.75 लाख रुपये सहित) वसूल कर सका। किसी भी कर्मचारी पर अभी तक कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया। |

| लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन | प्रस्तर संख्या | मूल्य (करोड़ रूपये में) | निरन्तर अनियमितताओं का सारांश | विचारणीय बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही | कृत कार्यवाही का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3अ.8.2.3 | 1.36 | –तदैव– | –तदैव– | निगम ने सम्पत्तियों की बिक्री से 12 लाख रुपये वसूले। निगम ने पीआरसी निर्गत की तथा पीआरसी के विरुद्ध एक प्रर्वतक से 70.50 लाख रुपये वसूले। किसी भी कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया। |
| | 3अ.8.2.4 | 2.14 | –तदैव– | –तदैव– | निगम बकायों को नही वसूल सका। किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नही की गई। |
| 2003-04 | 3.21 | 2.21 | –तदैव– | –तदैव– | निगम देयों की वसूली नहीं कर सका। अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी। |
| 2004-05 | 3.15 | 13.59 | –तदैव– | –तदैव– | प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी। |
| 1999-2000 | 4ब.6 | 0.56 | अनियमित विधिक दस्तावेजों/जाली दस्तावेजों पर ऋण वितरण किये जाने से हानि | त्रुटिविहीन सत्यापन हेतु प्रणाली का सुदृढीकरण/दस्तावेजों की स्वतंत्र जॉच की आवश्यकता थी। | निगम ने 62.74 लाख रुपये का ओटीएस अनुमोदित किया जिसके विरुद्ध ऋणी ने अभी तक 31.30 लाख रुपये जमा किया। |
| 2000-01 | 4ब.3 | 4.44 | –तदैव– | –तदैव– | निगम प्रर्वतकों से नाम मात्र की धनराशि ही वसूल कर सका। पीआरसी निर्गत की गई है। |
| | 4ब.5 | 0.97 | –तदैव– | –तदैव– | निगम मात्र 28.80 लाख रूपये ही वसूल कर सका। प्रवर्तको एवं प्रतिभूतिकर्ताओं के विरुद्ध पीआरसी निर्गत की गई। |
| | 4ब.6 | 0.62 | –तदैव– | –तदैव– | निगम प्रर्वतको से कोई धनराशि वसूल नही कर सका। अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी। |
| 2002-03 | 3.2.6 | 4.50 | –तदैव– | –तदैव– | निगम 1.46 करोड़ रुपये वसूल कर सका। आरसी निर्गत की गई है। प्रबन्धन ने इन प्रकरणों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपचारात्मक उपायों को भी नही दर्शाया। |
| 2003-04 | 3.22 | 2.06 | इकाई का कब्जा लेने में विलम्ब से हानि। | इकाई का कब्जा लेने में विलम्ब के लिए कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करने की आवश्यकता थी | प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी। |
| 2004-05 | 3.18 | 10.79 | –तदैव– | –तदैव– | –तदैव– |
| 2005-06 | 4.30 | 11.64 | –तदैव– | –तदैव– | सुरक्षा पर अधिक व्यय के कारण कब्जा नही लिया गया था। |
| | योग | 95.46 | | | |
| 2. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम | | | | | |
| 1997-98 | 4ब.2 | 0.32 | विलम्ब से जमा किये गये इपीएफ पर क्षतिपूर्ति का परिहार्य भुगतान | विलम्बित जमा पर क्षति के आरोपण को बचाने के लिए समयानुसार ईपीएफ का भुगतान आवश्यक था। | प्रबन्धन का उत्तर प्रतीक्षित था। |
| 1998-99 | 4ब.1 | 0.19 | –तदैव– | –तदैव– | प्रबन्धन ने सूचित किया कि न्यायालय के स्थगन आदेश के क्रम में क्षति की धनराशि को समायोजित कर दिया गया था। |
| 2000-01 | 4ब.2 | 0.27 | –तदैव– | –तदैव– | प्रबन्धन ने सूचित किया कि कर की राशि को जमा करने हेतु एक कार्य योजना तैयार की गयी थी। अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी। |
| 2006-07 | 4.26 | 1.28 | विलम्ब से जमा किये गये पीपीएफ पर क्षतिपूर्ति का परिहार्य भुगतान | –तदैव– | प्रबन्धन ने बताया (जून 2007) कि निगम मे वित्तीय संकट एवम् भारी हानि के कारण, पीपीएफ का समय से भुगतान नही किया जा सका। |
| | योग | 2.06 | | | |

## परिशिष्ट–25
## विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाती विवरणी
## (प्रस्तर संख्या 3.33 में सन्दर्भित)

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | पीएसयू की संख्या | अनस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या | वर्ष जब से प्रस्तर अनिस्तारित हैं |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कृषि | 3 | 18 | 71 | 1985-86 |
| 2. | मत्स्य एवं पशुधन | 3 | 8 | 20 | 1995-96 |
| 3. | चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास | 8 | 93 | 283 | 1992-93 |
| 4. | सिंचाई | 1 | 8 | 24 | 1995-96 |
| 5. | लघु उद्योग | 2 | 17 | 123 | 1984-85 |
| 6. | औद्योगिक विकास | 4 | 59 | 323 | 1984-85 |
| 7. | निर्यात प्रोत्साहन | 2 | 20 | 77 | 1987-88 |
| 8. | वस्त्र उद्योग | 2 | 21 | 50 | 1994-95 |
| 9. | इलेक्ट्रानिक्स | 7 | 31 | 124 | 1992-93 |
| 10. | लोक निर्माण | 2 | 403 | 1333 | 1979-80 |
| 11. | समाज कल्याण | 2 | 14 | 34 | 1993-94 |
| 12. | महिला कल्याण | 1 | 3 | 10 | 1994-95 |
| 13. | पिछड़ा वर्ग कल्याण | 2 | 9 | 22 | 1996-97 |
| 14. | गृह | 1 | 4 | 11 | 1996-97 |
| 15. | खाद्य एवं जनापूर्ति | 2 | 68 | 237 | 1993-94 |
| 16. | पर्यटन | 1 | 1 | 9 | 1994-95 |
| 17. | वक्फ एवं अल्पसंख्यक | 2 | 10 | 58 | 1994-95 |
| 18. | परिवहन | 1 | 95 | 413 | 1988-89 |
| 19. | सहकारिता | 1 | 8 | 31 | 1991-92 |
| 20. | वन | 1 | 86 | 388 | 1996-97 |
| 21. | पंचायती राज | 1 | 4 | 6 | 1983-84 |
| 22. | ऊर्जा | 10 | 2257 | 8022 | 1989-90 |
| 23. | ड्रग्स | 1 | 4 | 19 | 1996-97 |
| 24. | आर्युवेदिक एवं यूनानी | 1 | 8 | 19 | 1984-85 |
| 25. | आवास एवं शहरी विकास | 2 | 1560 | 4867 | 1988-89 |
| 26. | हथकरघा | 1 | 14 | 64 | 1991-92 |
| 27. | विविध | 2 | 2 | 12 | 1980-81 |
| | **योग** | **66** | **4825** | **16650** | |

*स्रोत:निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रगति पंजिका।*

## परिशिष्ट–26

## विभागवार प्रस्तरों / समीक्षाओं, जिनके उत्तर प्रतीक्षित थे, को दर्शाती विवरणी

## (प्रस्तर संख्या 3.33 में सन्दर्भित)

| क्रम संख्या | *विभाग का नाम* | प्रस्तरों की संख्या | समीक्षाओं की संख्या | जारी करने की अवधि |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 1 | कृषि | 1 | -- | मई 2008 |
| 2 | औद्योगिक विकास | -- | 1 | मई 2008 |
| 3 | लोक निर्माण | 3 | 1 | अप्रैल से मई 2008 |
| 4 | आवास एवं शहरी विकास | 4 | -- | फरवरी से अप्रैल 2008 |
| 5 | उर्जा | 22 | 4 | फरवरी से जून 2008 |
| 6 | परिवहन | 1 | 1 | फरवरी से मई 2008 |
| 7 | भौगोलिक एवं खनन | 5 | -- | अप्रैल से मई 2008 |
| 8 | सिंचाई | -- | 1 | मई 2008 |
| 9 | चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास | 2 | -- | अप्रैल से मई 2008 |
| | योग | 38 | 8 | |

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
सर्वाधिकार सुरक्षित
2008
मूल्य : रु. 65 डालर 5

आर्मी प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ से मुद्रित
33, नेहरू रोड, सदर कैन्ट, लखनऊ–226 002
फोन : 2481164, 2483354